खण्ड-330, अंक-6
मंगलवार, 7 चैत्र, शक संवत् 1900
(28 मार्च, 1978 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 330 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, इलाहबाद , उत्तर प्रदेश (भारत)
1978

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	573–577
प्रश्नोत्तर	578–634
प्रश्नों के सम्बन्ध में व्यवस्था के प्रश्न	634–635
गोरखपुर विश्वविद्यालय में छात्र आन्दोलन से उत्पन्न स्थिति के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना	635–636
फिरोजाबाद, आगरा में बढ़ते हुए अपराध तथा पुलिस की अकर्मण्यता के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना	636
बरेली में श्री घासी राम गौतम पान की दुकान पर लगी डाक्टर अम्बेदकर की मूर्ति को कोतवाली के इन्सपेक्टर द्वारा तोड़ने से जनता में असंतोष के विषय को नियम 301 अन्तर्गत को सदन के संज्ञान में लाना ..	637
भूतपूर्व विधायक श्री राम लखन सिंह द्वारा कस्बा बभनान, बस्ती में गरीबों की भूमि पर अनधिकृत कब्जा किये जाने तथा पुलिस की निष्क्रियता के विषय को निमम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना	637
लालगंज जिला रायबरेली में एक छात्र की ट्रक से कुचल कर मृत्यु पर प्रदर्शनकारी छात्रों द्वारा प्रदर्शन करने पर पुलिस द्वारा लाठी चार्ज एवं गोली कांड के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना ..	637–638
जनपद मेरठ में बढ़ते हुए अपराध तथा हरिजनों के साथ अमानुषिक व्यवहार के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना	638–639
विधान परिषद् से प्राप्त उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) विधेयक, 1977 को वापस लेने की अनुमति की सूचना	639
निदेशक, आकाशवाणी तथा उससे संबंधित कर्मचारियों के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना	639–640
1 नवम्बर, 1977 को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या 9–10 के अनुपूरक प्रश्न के उत्तर का शोधन	640–641
5 अक्तूबर, 1977 को पूछे गये अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या 1 के अनुपूरक प्रश्न के उत्तर का शोधन	641
उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन बिधि (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1977 की वापसी का प्रस्ताव (स्वीकृत)	641–642
सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1978 (पुरःस्थापित किया गया)	642
उत्तर प्रदेश ऋण अनुतोष (संशोधन) विधेयक 1978 (पुरःस्थापित किया गया)	642
उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी विधि (संशोधन) विधेयक, 1978 (पुरः स्थापित किया गया)	642–643
कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना	643
तीन वर्षों से अधिक सेवारत राजकीय कर्मचारियों को अविलंब स्थायी किये जाने के सम्बन्ध में संकल्प (जारी)	643–657

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनता अथवा गैरसरकारी क्षेत्र से किसी प्रकार का धन एकत्रित करने का कार्य सरकारी अधिकारियों अथवा कर्मचारियों को न सौंपे जाने के सम्बन्ध में संकल्प (जारी)	657–662
तीन वर्षों से अधिक से वारत राजकीय कर्मचारियों को अविलम्ब स्थायी किये जाने के सम्बन्ध में संकल्प (वापस हुआ)	662–664
जनता अथवा गैर सरकारी क्षेत्र से किसी प्रकार का धन एकत्रित करने का कार्य सरकारी अधिकारियों अथवा कर्मचारियों को न सौंपे जाने के सम्बन्ध में संकल्प (अस्वीकृत)	664–674
प्रदेश के पिछड़े हुए क्षेत्रों के विकास के सम्बन्ध में एक सुनिश्चित एवं समय बद्ध नीति की घोषणा तथा इन क्षेत्रों को वरीयता देने के सम्बन्ध में संकल्प (जारी)	674–687
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं	687
जनपद देवरिया में हरिजन छात्रावासों पर किये गये हिंसात्मक आक्रमण के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य	687–697
नत्थियां	698–718

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, दिनांक 28 मार्च, 1978

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप लखनऊ में 11 बजे दिन में अध्यक्ष, श्री बनारसी दास की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य–404

अकबर हुसैन, श्री
अजब सिंह, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
अजब सिंह, श्री (जिला सहारनपुर)
अजीत सिंह सेठी, श्री
अठई राम, श्री
अनवार अहमद, श्री
अनवार अहमद, चौधरी
अब्दुल वहीद, श्री
अब्दुल हफीज, श्री
अब्दुल हलीम खाँ, श्री
अरुण कुमार, श्री
अली असगर हुसैन, श्री
अवधेश कुमार श्रीवास्तव, श्री
अवधेश नरायन, श्री
अवधेश प्रसाद, श्री
अवनोश कुमार सिंह, श्री
अवैद्य नाथ, श्री
अशफाक, श्री
अशफाक अहमद, श्री
अशर्फी लाल यादव, श्री
अशोक बाजपेयी, श्री
अश्वनी कुमार चतुर्वेदी 'राकेश', डाक्टर
आबिद अली, श्री
आरिफ मोहम्मद खाँ, श्री
इन्द्रमणी बड़ौनी, श्री
इसमाईल, श्री
ईशदत्त यादव, श्री
ईश्वर प्रसाद, श्री
उदय नाथ, श्री
उदय नारायण सिंह, श्री
उदय प्रताप सिंह, श्री
उदित नारायन, श्री
उमाकान्त बाजपेई, श्री (उर्फ भइया जी)
ऊदल, श्री
एदल सिंह, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
ओंकार नाथ, श्री
ओंकार सिंह, श्री
ओम प्रकाश, श्री (उर्फ राम मिलन सिंह)
ओम प्रकाश सिंह, श्री
औसान सिंह, श्री
कन्हई सिंह, श्री
कन्हैया लाल गुप्त, श्री
कन्हैया लाल सोनकर, श्री
कबूल सिंह, श्री
कमल किशन पाण्डेय, श्री
कमला प्रसाद वर्मा, श्री
कमला प्रसाद सिंह, श्री
करन सिंह, श्री
कल्पनाथ सिंह, श्री
काजी मुहम्मद मुहीउद्दीन, श्री
कालीचरण, श्री
कासिम हसन, श्री
किशन लाल, श्री
किशन लाल दिलेर, श्री
कुदसिया बेगम, श्रीमती (बेगम ऐजाज रसूल)
कृपा शंकर आर्य, श्री
कृष्ण कान्त मिश्र, श्री
कृष्ण कुमार पालीवाल, श्री
कृष्णवीर सिंह कौशल, डाक्टर
कृष्ण स्वरूप, श्री
कृष्णा राय, श्री
कैलाश नाथ सिंह, श्री
कौशल किशोर, श्री
खान गुफरान जाहिदी, श्री
खान मोहम्मद आतिफ खाँ, श्री
ख्याली राम शास्त्री, श्री
गंगा प्रसाद, श्री

गंगा सहाय यादव, श्री
गंजी प्रसाद, श्री
गजाधर प्रसाद, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गणेश दत्त बाजपेयी, श्री
गया प्रसाद महरोत्रा, श्री (उर्फ मन्ने बाबू)
गिरधारी लाल, श्री
गिरीश चन्द्र तिवारी, श्री
गुन्जेश्वर, श्री
गुरुदत्त सोलंकी, श्री
गुरू प्रसाद, श्री
गुलाब सेहरा, श्री
गेंदा लाल गुप्त, श्री
गोकरन प्रसाद, श्री
गोविन्द सिंह नेगी, श्री
गोविन्द सिंह मेहरा, श्री
गौरी शंकर एडवोकेट, श्री
गौरी शंकर भैय्या, श्री
चन्द्र पाल, श्री
चन्द्र पाल सिंह, श्री
चन्द्र भान मौर्य श्री
चन्द्र भूषण सिंह, श्री
चन्द्र सेन सिंह, श्री
चेतराम गंगवार, श्री
छज्जू सिंह, श्री
छेदा सिंह चौहान, श्री
छोटे लाल, श्री
छोटे लाल 'निर्भय', श्री
जंग बहादुर सिंह पटेल, श्री
जगदम्बा प्रसाद सिंह, श्री
जगदीश, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगदीश प्रसाद त्रिवेदी, श्री
जगदीश सिंह, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जगन्नाथ सिंह परमार, श्री
जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री
जयराम, श्री
जयशंकर पाण्डेय, श्री
जवाहर लाल डाक्टर
जसवीर सिंह, श्री
जागन सिंह, श्री
जागेश्वर, श्री
जितेन्द्र कुमार अग्रवाल, डाक्टर
जौहरी लाल त्रिवेदी, श्री
झाम लाल अहेरवार, श्री
डी० पी० बोरा, श्री
तेज भान सिंह, श्री
तेज भान सिंह, कुंवर
त्रिलोक चन्द्र, श्री
त्रिवेनी सिंह, श्री
दयाराम भास्कर, श्री
दशरथ सिंह, श्री
दिनेश चन्द्र रस्तोगी, श्री
दिवाकर विक्रम सिंह, श्री
दीना नाथ सेवक, श्री
दीप नरायन, श्री
दुक्खी प्रसाद, श्री
दुर्ग विजय सिंह, श्री
देवकी नन्दन, श्री
देवकुमार, श्री
देवबहादुर सिंह, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्र दत्त शास्त्री, श्री
धरम राम, श्री
धर्मगज सिंह, श्री
धर्म दत्त वैद्य, आचार्य
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला बिजनौर)
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
धीरेन्द्र सहाय, श्री
नंगा राम, श्री
नत्थू सिंह, श्री
नन्दराम, श्री
नन्दलाल कुरील, श्री
नरेन्द्र सिंह, श्री
नरेश चन्द्र, श्री
नरेश पाल सिंह यादव, श्री
नाथू राम शिक्षक, श्री
नारायण दत्त तिवारी, श्री
नारायण सिंह, श्री
नारायण सिंह भैसोरा, श्री
नेतराम सिंह, श्री
नेम सिंह चौहान, श्री
पद्माकर लाल श्रीवास्तव, श्री
पुरुषोत्तम कौशिक, श्री
पुरुषोत्तम दास, श्री
पुष्पा तलवार, श्रीमती
पूरन चन्द्र, श्री
पूरन लाल, श्री

प्यारे लाल, श्री
प्यारे लाल शाक्य, श्री
प्रताप सिंह, श्री
प्रताप सिंह पुष्पवान, श्री
प्रदीप कुमार बजाज, श्री
प्रदीप कुमार यादव, श्री
प्रभू दयाल यादव, श्री (एडवोकेट)
प्रेम नारायण अहेरवार, श्री
फजलुर्रहमान अन्सारी, श्री
फजलुलबारी, श्री (उर्फ बन्ने भाई)
बंगाली सिंह, डाक्टर
बच्चा पाठक, श्री
बदन सिंह, श्री
बनारसी दास चांदना, श्री
बरफिया लाल जुवांठा 'अरविन्द', श्री
बलदेव, श्री
बलवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
बलवीर सिंह, श्री (जिला मैनपुरी)
बशीर अहमद, श्री
बसन्त, श्री
बांके लाल, श्री
बाबू बदरे, श्री
बाबू राम प्रभाती, डाक्टर
बाबू राम वर्मा, श्री
बाबू राम शुक्ल, श्री
बाबू लाल विद्यार्थी, श्री
बाबू लाल 'सरोज', श्री
बाबू सिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
बाबू सिंह, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
बाल कृष्ण, श्री
बिन्दू लाल, श्री
बिशुन दयाल, श्री
बिहारी लाल हंस, श्री
बुद्धू राम, श्री
बृज बल्लभ सिंह, श्री
बृज लाल, श्री
बैचू राम, श्री
बेनी प्रसाद माधव, श्री
बेनी प्रसाद वर्मा, श्री
बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा, श्री
ब्रज बल्लभ, श्री
ब्रह्म दत्त द्विवेदी, श्री
भगवत दयाल, डाक्टर
भगवती चरण 'निर्मोही'; श्री
भगवती प्रसाद सिंह; श्री
भगवान दीन कुशवाहा, श्री
भगवान सिंह, श्री
भगौती सिंह, श्री
भाभी, श्री
भारत सिंह, श्री
भारत सिंह चौहान, श्री
भीमा प्रसाद, श्री
भीषम, श्री
मंगल देव, श्री
मंगल राम प्रेमी, श्री
मकबूल अहमद, श्री
मकबूल हुसैन खां, श्री
मथुरा प्रसाद पाण्डेय, श्री
मधुकर दिघे, श्री
मन्जूर अली खां, श्री (उर्फ शम्मू खां)
मन्जूर अहमद, श्री
मन्ना लाल, श्री
मन्नी लाल, श्री
मन्नू राम, श्री
मन्नू लाल द्विवेदी, श्री
मन्सूर अली, श्री
मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ, श्री
मलिखान सिंह, श्री
मसूदुल हसन नोमानी, श्री
महेन्द्र रिपुदमन सिंह, राजा
महेन्द्र सिंह यादव, श्री
मान सिंह आजाद, श्री
माधव ,श्री
मिठाई लाल, श्री
मित्रसेन, श्री
मुकन्दी सिंह, श्री
मुकीमुर्रहमान; श्री
मुजफ्फर हसन; श्री
मुनीन्द्र पाल सिंह, श्री
मुफ्ती जलील अहमद,
मुश्ताक अहमद; श्री
मुहम्मद खलील उल्लाह कुरैशी, श्री
मुहम्मद रफी खां, श्री
मूल चन्द्र, ठाकुर
मैनेजर सिंह, श्री
मोअज्जिज अली बेग, डाक्ट :
मोती राम, श्री
मोती लाल बेहलबवी, श्री
मोहन लाल; श्री
मोहन लाल त्रिपाठी, श्री

मोहन सिंह, श्री (जिला देवरिया)
मोहन सिंह, श्री (जिला रायबरेली)
मोहम्मद उसमान, श्री
मोहम्मद शमीम अन्सारी, श्री
मौजी लाल कुरील, श्री
यशपाल सिंह, श्री
रघुवर दयाल वर्मा, श्री
रणजीत सिंह, श्री
रणजीत सिंह 'जूदेव', श्री
रणवीर सिंह, श्री
रफी उल्लाह, श्री
रफीक अहमद खां, श्री
रमा शंकर कौशिक, श्री
रमेश चन्द्र, श्री
रवीन्द्र नाथ तिवारी, श्री
रवीन्द्र सिंह, श्री
राघव राम मिश्र, श्री
राज किशोर तिवारी, श्री
राज कुमार शर्मा, श्री
राज नरायन, श्री
राजनाथ सिंह, श्री
राजपति मिश्र, श्री
राजबली तिवारी, श्री
राजबहादुर यादव, श्री
राज बृजराज सिंह, श्री
राज मंगल तिवारी, श्री
राज मंगल पाण्डेय, श्री
राजेन्द्र चौधरी, श्री
राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री
राजेन्द्र प्रसाद चौधरी, श्री
राजेन्द्र सिंह, श्री
राजेन्द्र सिंह यादव, श्री
राजेश कुमार सिंह, श्री
राधे श्याम शर्मा, श्री
राम अधार, श्री
राम अधार यादव, बाबा
राम आसरे, श्री
राम आसरे अग्निहोत्री, श्री
राम आसरे वर्मा, श्री
राम कृष्ण, श्री
राम गोविन, श्री
राम चरन शाह, श्री
राम जनम, श्री
राम जनम राय, श्री
राम जी, श्री
राम दत्त जोशी, श्री
राम दयाल, श्री
राम दुलारे, श्री
राम देव दुबे, श्री
राम देव यादव, श्री
राम नरायन वर्मा, श्री
रामनरेश पाण्डेय, श्री
राम नरेश यादव, श्री
रामपति, श्री
राम प्यारे, श्री
राम प्रकाश, श्री
राम फेर कोरी, श्री
राम बक्स, श्री
राम बरन वर्मा, श्री
राम रतन सिंह, श्री
राम रति देवी, श्रीमती
राम लखन, श्री
राम शिरोमणि दुबे, श्री
राम सजीवन, श्री
राम सरन सिंह, कुंवर
राम सागर, श्री
राम सिंह, श्री
रामेश्वर नाथ चौबे, श्री
राव मुश्ताक अहमद खां, श्री
रियासत हुसैन, श्री
रेवती रमण रस्तोगी, श्री
रेवती रमण सिंह, श्री (उर्फ मणि जी)
रेवती शरण मौर्य, श्री
लक्खी सिंह, श्री
लक्ष्मण सिंह, श्री
लक्ष्मी नारायन, श्री
लक्ष्मी शंकर यादव, श्री
लाल दास, श्री
लीलवत सिंह, श्री
वंश गोपाल चौबे, श्री
विक्रमा राय, श्री
विजय राज सिंह, श्री
विद्या शंकर, श्री
विमला राकेश, श्रीमती
विश्वनाथ पाण्डेय, श्री
विष्णु प्रताप सिंह, श्री
श्री वीरेन्द्र चतुर्वेदी, श्री
वीरेन्द्र पति यादव, श्री
शंकर सिंह, श्री
शकुन्तला नायर, श्रीमती

शतरुद्र प्रकाश, श्री
शफीकुर्रहमान बर्क, श्री
शमशाद अहमद, हाजी
शम्भूनाथ, श्री
शम्भूनाथ चौधरी, श्री
शशि प्रभा, श्रीमती
शारदा देवी, श्रीमती
शारदा प्रसाद जायसवाल, श्री
शारदा भक्त सिंह, श्री
शिव प्रसाद, श्री
शिव मंगल सिंह, श्री
शिव राज सिंह निर्भय, श्री
शिव लाल मित्तल, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
शोबन सिंह जीना, श्री
श्याम दत्त पालीवाल, श्री
श्याम देव, श्री
श्यामधर मिश्र, श्री
श्याम नारायण तिवारी, श्री
श्याम बिहारी सिंह, श्री
श्याम सुन्दर गुप्त, श्री
श्री चन्द्र, श्री
श्रीनारायण, श्री (उर्फ भुलई भाई)
श्री राम द्विवेदी, श्री
संगम लाल, श्री
संग्राम सिंह, श्री
सज्जाद हुसैन, श्री
सत्यदेव त्रिपाठी, श्री
सत्य पाल सिंह यादव, श्री
सत्य प्रकाश मालवीय, श्री
सन्त बख्श रावत, श्री
सिया राम सागर, श्री
सुबुद राज सिंह, श्री
सुखपाल पाण्डेय, श्री
सुदामा प्रसाद गोस्वामी, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दर लाल, श्री
सुन्दर लाल दीक्षित, श्री
सुमेर चन्द गोयल, श्री
सुरेन्द्र कुमार कालरा, श्री (सिन्धु)
सुरेन्द्र पाल, श्री
सुल्तान सिंह, श्री
सूबेदार प्रसाद, श्री
सूरज प्रसाद, श्री
सूरवीर सिंह, श्री
सूर्यमुखी शर्मा, श्रीमती
सोनपाल, श्री (उर्फ सोहन लाल पिपल)
सोहन लाल, श्री
स्वरूप कुमारी बख्शी, श्रीमती
हबीब अहमद, श्री
हर गोविन्द सिंह, श्री
हर देव सिंह, श्री
हर प्रताप सिंह, श्री
हरिकेवल प्रसाद, श्री
हरि चरण यादव, श्री (एडवोकेट)
हरिपाल सिंह शास्त्री, श्री
हरी कृष्ण श्रीवास्तव, श्री
हरी राम वर्मा, श्री
हरी राम शाक्य, श्री
हरी सिंह, श्री
हाकिम लाल, श्री
हामिद रजा खां, श्री
हिम्मत सिंह, श्री
हुकम चन्द तिवारी, श्री
हुक्म सिंह परिहार, श्री
हेम राज, श्री

प्रश्नोत्तर

मंगलवार, 28 मार्च, 1978

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

सरकारी कर्मचारियों को फ्लैट रेट से मकान किराया भत्ता दिये जाने का निर्णय

****1—श्री नरेशचन्द्र वर्मा (जिला खीरी) (अनुपस्थित)—**

क्या वित्त मन्त्री को जानकारी है कि भारत सरकार ने 900 रुपये मासिक से अधिक वेतन पाने वाले अपने कर्मचारियों को अब किराया भत्ता देना शुरू कर दिया ? यदि हां, तो क्या इस प्रदेश के कर्मचारियों को भी वही किराया भत्ता सरकार उसी तारीख से देने के प्रश्न पर अविलम्ब निर्णय लेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

वित्त मंत्री (श्री मधुकर दिघे)—

जी हां। सरकार ने इस प्रदेश के ऐसे कर्मचारियों को भी जिनका वेतन 900 रु0 प्रति-मास से अधिक है और जिन्हें सरकारी आवास उपलब्ध नहीं है फ्लैट रेट से मकान किराया भत्ता दिये जाने का निर्णय ले लिया है और यह सुविधा दिनांक 1 अप्रैल, 1978 से स्वीकार की जायगी।

कृषि उत्पादन मंडी समितियों के चुनाव

****2—श्री कृष्ण स्वरूप (जिला बदायूं)—**

क्या कृषि मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि कृषि मन्डी उत्पादन समितियों के चुनाव कब तक सम्पन्न होने जा रहे हैं ?

कृषि राज्य मन्त्री (श्री धीरेन्द्र सहाय)—

कृषि उत्पादन मंडी समितियों के चुनाव सम्पन्न किये जाने की तिथियों के विषय में अभी शासन द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

श्री कृष्ण स्वरूप—

क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जब से मण्डी समितियों का गठन या रचना की गई है, तब से आज तक उनके चुनाव सम्पन्न नहीं हुए हैं, कभी मनोनीत रहे और आज सरकारी व्यक्ति हैं, तो वह कब तक निर्णय ले लेंगे कि चुने हुए जनप्रतिनिधि आकर मंडी समिति सम्भालें?

श्री धीरेन्द्र सहाय—

अभी चूंकि जिला परिषद् भंग चल रही हैं और उसके सदस्य जो एलेक्ट्रोरल कालेज कि मण्डी समितियों का है वह उसके सदस्य हैं, तो जबतक वह पूरे न हो जायं, चुनाव कराना सम्भव नहीं है। दूसरे, चूंकि जून, 78 में गांव समाज की अवधि समाप्त हो रही है। जिला परिषद् की जो गांव समाज हैं उनके चुनाव भी बाकी हैं, तो यह उचित समझा गया कि जब उनके चुनाव हो जायं, तो उसके बाद मण्डी समिति के चुनाव कराए जायं, ताकि नये चुने हुए सदस्यों को अपनी राय व्यक्त करने का मौका मिले।

श्री कृष्ण स्वरूप—

जब तक चुनाव सम्पन्न न हों, तब तक वह मण्डी समिति को, जैसा अध्यादेश हुआ, सरकारी अधिकारियों से हटा कर गैर सरकारी व्यक्तियों को सौंप देने का कष्ट करेंगे ?

श्री धीरेन्द्र सहाय—

मान्यवर, ऐसा कोई उस आर्डिनेन्स में प्राविधान नहीं है सरकारी या गैर सरकारी, उसमें केवल इतना ही है कि जिला अधिकारी के बजाए 3 व्यक्तियों का मनोनयन किया जाएगा।

श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया)—
क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इन मण्डी समितियों के चुनाव कब से नहीं हुए हैं ?

श्री धीरेन्द्र सहाय—
वह तो अभी हुआ ही नहीं है, जब से ये बनी हैं।

श्री विक्रमा राय (जिला आजमगढ़)—
क्या मंत्री जी वह समय बताने की कृपा करेंगे कि तीन आदमियों की समिति कब तक बन जायगी ?

श्री धीरेन्द्र सहाय—
मान्यवर, तीन आदमियों की समिति का जो प्राविधान किया है, उसका तात्पर्य इतना ही है कि चूंकि दिसम्बर, 77 में जो पिछला मनोनयन था, उसका समय समाप्त हो रहा था, उसका एक्सटेंशन किया जाय। अतः प्राविधान किया गया कि जिला अधिकारी के बजाय 3 आदमियों का मनोनयन कर लेंगे, यदि वह उचित समझेंगे। लेकिन इसका आशय यह नहीं है कि तीनों आदमियों का मनोनयन इसी वक्त जरूर किया जाए।

श्री गुलाब सेहरा (जिला आगरा)—
क्या मंत्री जी को ज्ञात है कि पिछले समय जून में महामहिम राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में यह कहा था कि मण्डी समितियों के चुनाव शीघ्र से शीघ्र करा दिये जायेंगे ? यदि हां, तो जून से अब तक 8 महीने हो गये हैं, इतने लम्बे समय से चुनाव न कराने का क्या कारण है ? और क्या अब वह जून में ग्राम सभाओं के चुनाव भी कराने जा रहे हैं ?

श्री धीरेन्द्र सहाय—
मैंने अभी आपसे निवेदन किया। चूंकि अभी चुनाव गांव समाज और जिला परिषद् के नहीं हो पाये हैं, इसलिये अभी चुनाव कराना संभव नहीं है।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—
मान्यवर, गांव समाज के चुनावों की कोई बाध्यता मण्डी समितियों के चुनाव के बारे में नहीं है, इस तरह का प्राविधान आज तक रहा है। तो किस आधार पर माननीय मंत्री जी कहते हैं कि गांव समाज के चुनाव कराये बिना मण्डी समितियों का चुनाव नहीं हो सकता है ?

श्री धीरेन्द्र सहाय—
मैंने यह नहीं कहा, मेरे कहने का आशय यह था कि चूंकि गांव समाज के चुनाव ड्यू हैं, इसलिये जो नये सदस्य चुनकर आयेंगे वह मण्डी समितियों के चुनाव करा सकेंगे।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—
यह देखते हुए कि मण्डी समितियों के चुनाव के साथ बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। नामीनेशन दाखिल होने के बाद यह पोस्टपोन कर दिये गये और लोगों की सिक्योरिटी मनी जमा है। आप कहते हैं कि गांव समाज के चुनाव हो जायेंगे और जिला परिषद् के चुनाव हो जायेंगे।

श्री अध्यक्ष—
रियासत जी, आप तर्क न कीजिए।

श्री रियासत हुसैन——

इन सब कठिनाइयों को देखते हुए जब तक आप चुनाव न करा सकें तब तक नान आफिशियल मेम्बर, अटैच करेंगे ?

श्री अध्यक्ष——

इसका उत्तर दे चुके हैं कि 3 सदस्य मनोनीत किये जायेंगे ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा (जिला आगरा)——

क्या माननीय मंत्रीजी यह बताने की कृपा करेंगे कि मनोनयन की अंतरिम व्यवस्था कब तक पूरी हो जायेगी ?

श्री धीरेन्द्र सहाय——

फिर से रिपीट कर दें ।

श्री अध्यक्ष——

कब तक आप पूरा कर सकेंगे ।

श्री धीरेन्द्र सहाय——

गांव समाज के चुनाव या मनोनयन का जहां तक सम्बन्ध है.....

श्री अध्यक्ष——

आप लोग रुकिये । आप 3 व्यक्तियों को मनोनीत करेंगे, तो आप इसका उपयोग करेंगे कि नहीं ?

श्री धीरेन्द्र सहाय——

यदि जरूरी समझा जायगा, तो उपयोग किया जायगा ।

श्री लक्खी सिंह (जिला मथुरा)——

मंत्री जी ने अभी जो तर्क दिया.....

श्री अध्यक्ष——

आप सुनिये । आप इस तरह की टिप्पणी न कीजिये ।

श्री लक्खी सिंह——

अभी मंडी में किसानों का गल्ला आने वाला है । तो मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि यह 3 आदमियों की कमेटी कब तक बन जायेगी, जिससे किसानों को राहत मिले ? इस कमेटी में कौन-कौन से लोग रहेंगे, क्या इसमें व्यापारी भी रहेंगे ?

श्री अध्यक्ष——

इसका उत्तर दिया जा चुका है ।

श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)——

मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि जैसा उन्होंने कहा कि गांव समाज के चुनाव हो जायें तब मंडी समितियों के चुनाव कराये जायेंगे । मैं मान लेता हूं लेकिन उन्होंने उत्तर दिया कि 3 आदमी मनोनीत किये जायेंगे । तो उसमें सरकार को क्या दिक्कत हो रही है । क्या यह सरकार की नीति है कि जब तक चुनाव न हो जावें तब तक मनोनयन भी न किया जावे यह मैं स्पष्ट रूप से उत्तर चाहता हूं ।

श्री धीरेन्द्र सहाय ——

मान्यवर, मैंने इस बात को स्पष्ट कर दिया था कि इसका जो प्राविधान किया गया था वह इसलिये किया गया था क्योंकि समय समाप्त हो रहा था । इस बीच में जिलाधिकारियों

द्वारा अच्छा कार्य हो रहा था। जैसे लिंक रोड्स आदि का कार्य अच्छी तरह से सम्पादित हो रहा था। इस प्राविधान की मंशा यह नही थी कि उसकी जगह हम अवश्य ही 3 व्यक्तियों का मनोनयन कर देंगे। अगर जरूरी समझेंगे तो कर देंगे इसलिये उसमें शीघ्रता की कोई आवश्यकता नहीं है।

प्रदेश की नौकरियों में जातियों, उपजातियों तथा प्रजातियों का आरक्षण

**3—श्री हुकूम चन्द्र तिवारी (जिला मथुरा) —

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश में कौन-कौन सी जातियां, जनजातियां तथा प्रजातियां ऐसी हैं जिन्हें शासन द्वारा विशेष सुविधायें एवं नौकरियों में आरक्षण दिया गया हैं? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि इन आरक्षण सुविधाओं का आधार क्या है? क्या सरकार बतायेगी कि प्रदेश में उक्त जातियों की कुल संख्या कितनी है और वह प्रदेश की आबादी का कौन सा प्रतिशत हैं? क्या शासन ने जुलाई, 1977 से 20 मार्च, 1978 तक प्रदेश की अन्य जातियों को सेवा के क्षेत्र में आरक्षण दिया है, तो उसका आधार क्या है?

हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री (श्री राम सिंह)—

उत्तर प्रदेश में जिन जातियों, उप जातियों तथा प्रजातियों को विशेष सुविधायें एवं नौकरियों में आरक्षण दिया गया है उनकी सूची परिशिष्ट 'क', 'ख' तथा 'ग' में संलग्न है। आरक्षण सुविधाओं का आधार पिछड़ापन एवं गरीबी है।

जनगणना 1971 के अनुसार इस प्रदेश में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या क्रमशः 1,85,48,916 तथा 1,98,565 है जो प्रदेश की कुल आबादी का क्रमशः 20.9 प्रतिशत तथा 2 प्रतिशत है। पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों की कुल संख्या की सूचना उपलब्ध नहीं है।

शासनादेश दिनांक 20 अगस्त, 1977 द्वारा पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों को राज्याधीन सेवाओं की सीधी भर्ती में समूह 'क', 'ख' तथा 'ग' में 15 प्रतिशत तथा 'घ' में 10 प्रतिशत का आरक्षण किया गया है। इसके अतिरिक्त दिनांक 13 जनवरी, 1978 द्वारा इन वर्गों के अभ्यर्थियों को 15 प्रतिशत का आरक्षण पदोन्नति के मामलों में पिछड़ेपन के आधार पर प्रदान किया गया है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 698 पर)

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी (जिला लखनऊ)—

क्या माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे।

श्री अध्यक्ष—

मैंने प्रश्न 3 ले लिया है। आप कृपया बैठें?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

मान्यवर, महिलाओं को भी चांस दीजिये, उनको प्रश्न करने का चांस ही नहीं मिलता है?

श्री अध्यक्ष—

नहीं, नहीं। आप कृपया बैठिये।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

मान्यवर, एक महिला खड़ी हुयी है, (सदस्यों की ओर इशारा करते हुए) आप हमारी ओर से कहिए?

एक सदस्य—

महिला तो केवल इन्दिरा गांधी थीं और कोई नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठ जाइये । मैं माननीय सदस्यों से एक अनुरोध करना चाहता हूं । इस प्रश्न पर 10 मिनट का समय हो गया है । मैं पुनः आप लोगों से कहना चाहता हूं कि प्रश्न-कर्ता को 2 प्रश्नों की मैं अनुमति दूंगा और दूसरे लोगों से चाहूंगा कि वे एक प्रश्न से अधिक प्रश्न न पूछें ? मैंने श्री हुकम चन्द्र तिवारी का प्रश्न ले लिया है ।

श्री हुकम चन्द्र तिवारी—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि पिछड़ेपन का आधार क्या है आरक्षण में ?

श्री राम सिंह—

जो कालेलकर कमीशन 1955 में बैठा था उसमें जातियों का वर्गीकरण किया गया था । उसने कुछ सिद्धांतों को प्रतिपादित किया था जिससे गरीबी, आर्थिक दशा और पिछड़ेपन से जातियों का वर्गीकरण किया था । उसी के आधार पर यह किया गया है ।

श्री हुकम चन्द्र तिवारी—

जो सूचना दी गयी है, उसमें यह लिखा हुआ है कि 15 प्रतिशत का आरक्षण दिया गया है । इसमें यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि किन-किन जातियों को या तीनों को मिलाकर आरक्षण दिया गया है ?

श्री अध्यक्ष—

यह तो बिल्कुल प्रथक है । इसमें पिछड़ी जातियों (क,ख,ग) को 15 प्रतिशत तथा (घ) को 10 प्रतिशत दिया गया है । आप नत्थियों को देखें ?

श्री हुकम चन्द्र तिवारी—

मेरे कहने का मतलब यह है कि 15 प्रतिशत जो सूची 'क', 'ख', 'ग' में दी गयी है, उन तीनों को मिलाकर है या अलग-अलग है?

श्री राम सिंह—

जो सूचना मैंने दी है, सूची 'क' है उसमें अनुसूचित जातियां हैं उनका आरक्षण 18 प्रतिशत है और सूची 'ख' में अनुसूचित जनजातियां हैं उनका 2 प्रतिशत है और तीसरी सूची 'ग' है उसमें बैकवर्ड क्लासेज का हैं, जिसमें 36 जातियां पिछड़ी हिन्दू हैं और 21 जातियां मुस्लिम कम्युनिटीज की है, उनको 15 प्रतिशत का आरक्षण अलग से दिया गया है ।

श्री हुकम चन्द्र तिवारी—

अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि यह आरक्षण की व्यवस्था 20 अगस्त, 1977 को की गयी हैं, इसका क्या आधार है ?

श्री राम सिंह—

आधार तो निवेदन किया कि शैक्षिक क्षेत्र में, सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में, पिछड़ापन है ।

श्रीमती रामरति देवी (जिला फैजाबाद)—

गोड़िया जाति प्रदेश में काफी संख्या में हैं, यह जाति पिछड़े वर्ग में आयेगी अथवा अनुसूचित जाति की लिस्ट में ?

श्री राम सिंह—

जो सूची दी है, मुझको सारी पढ़नी पड़ेगी तभी बता पाऊंगा कि यह पिछड़ी जाति में है या अनुसूचित में हैं । अगर आज्ञा दें, तो पढ़ दूं ?

श्री अध्यक्ष—

यह अनावश्यक है ।

श्री कमला प्रसाद वर्मा (जिला बहराइच)—

बोट जाति, जो बहराइच और लखीमपुर खीरी में पायी जाती है और 15 प्रतिशत है, वह बहुत पिछड़ी जातियों में है । क्या आपके पास कोई रिपोर्ट है जिसके जरिये से बोट जाति को किसमें रखा गया है यह पता चल सके ? यह अनुसूचित जाति है या पिछड़ी जातियों में है ?

श्री राम सिंह—

मैंने निवेदन किया कि मैं पिछड़ी जातियों की सूची पढ़ देता हूं तो स्पष्ट हो जायेगा कि कि कौन जाति है और कौन नहीं है । इसमें सभी जातियों का विवरण है सवा सौ के करीब सब हैं ।

श्री अध्यक्ष—

बेहतर होगा कि आप यह पूछें कि इस नत्थी 'ग' में इस जाति का नाम नहीं है तो क्या इसको शामिल करने पर विचार करेंगे ?

श्री कमला प्रसाद वर्मा—

नत्थी 'क', 'ख', 'ग' में बोट जाति नहीं है और अभी तक कहीं पर भी सर्वेक्षण करा के इसके बारे में निश्चित नहीं किया जा सका है कि यह किसमें आती है, तो क्या इसकी जांच करा करके उसके बारे में उचित निर्णय लेंगे कि इसको किस सूची में रखा जाय ?

श्री राम सिंह—

यह बात सही है कि इस प्रदेश में बहुत सी जातियां ऐसी है, जिनके कुछ प्रतिनिधियों के आवेदन-पत्र प्राप्त हो रहे हैं और उनका कहना है कि आर्थिक सामाजिक और शैक्षिक क्षेत्रों में ये पिछड़ी हुई है और इनको अनुसूचित या पिछड़ी जातियों में शामिल कर लिया जाय, तो छेदीलाल कमीशन बैठा था, कुछ विवरण उसमें भी इनका शामिल है । तो जो ऐसी जातियां हैं, उनका परीक्षण करने के बाद यह देखेंगे कि कौन सी जातियां ऐसी हैं, जिनको शामिल करने पर विचार किया जा सकता है ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टेहरी-गढ़वाल)—

मान्यवर, जिला देहरादून में जौनसारी एक जन-जाति में है, लेकिन जौनसार से मिला हुआ रेवाइन का इलाका है । क्योंकि वह टेहरी रियासत में था, लिहाजा उस इलाके में रहने वाली जाति का प्रश्न नहीं आया था । तो क्या मंत्री जी इस बात को भी एग्जामिन करेंगे कि रेवाइन के लोगों को भी जन-जाति की सुविधायें दी जायं ?

श्री राम सिंह—

मान्यवर, जो प्रश्न अभी माननीय सदस्य ने किया है, वहां जो एरिया घोषित है उसमें सभी जातियां . . . .

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

वह तो जौनसार में है (व्यवधान)

श्री राम सिंह—

मान्यवर, मैं यह कह रहा था, बीच में टोक दिया । कई जगह से मांग आयी है कि जो एरिया बचा हुआ है उस पर भी विचार किया जाय, वह एक बहुत बड़ा प्रश्न है जिस पर विचार करना इस समय सम्भव नहीं है ।

श्री शफीकुर्रहमान बर्क (जिला मुरादाबाद)--

पिछड़ी जातियों में 21 जातियां मुसलमानों की शामिल की गयी हैं । मैं यह जानना चाहता हूं कि हरिजन मेहतरों को जो फैसिलिटीज सरकार ने दी है क्या वही मुस्लिम मेहतरों को भी, जो हलालखोर कहलाते हैं और गोरखपुर की तरफ ज्यादा है, दी जायेगी ?

श्री राम सिंह--

पिछड़ी जातियों में जो 21 जातियां मुसलमानों की शामिल की गयी हैं, उनको वही सुविधायें दी जायेंगी, जो पिछड़ी जाति के लोगों को दी जाती है । लेकिन अनुसूचित जाति में उनको शामिल करना सम्भव नहीं है क्योंकि संविधान में केवल हिन्दू जाति को ही उसमें शामिल किया गया है ।

श्री वीरेन्द्र चतुर्वेदी (जिला देवरिया)--

गौंड़ जाति का अनुसूचित जाति की सभी सुविधायें अब तक दी जा रही थीं, पर अब उनकी वह सुविधायें राक दी गई हैं, उन्हें राकने का आधार क्या है ? क्यों रोक दी गयी हैं ?

श्री राम सिंह--

जब भारत सरकार से गौंड़ और कोरी जाति को शामिल करने का आदेश आया था, तो हमने आदेश कर दिये थे । पर बाद को सूचना मिली कि गौंड़ जाति 7 नामों से जानी जाती हैं । बाद में पता लगा कि इसमें अस्पृश्यता भी एक आधार है । जो देवरिया के लोगों को शिकायत थी, उनसे यह मालूम हुआ कि इस जाति में अस्पृश्यता नहीं मानी जाती । इसलिये फिर इसको शामिल नहीं किया गया ।

श्री नेमसिंह चौहान (जिला अलीगढ़)--

बैकवर्ड और शैड्यूल कास्ट में उन लोगों को रखा है जो शैक्षिक, आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से बैकवर्ड हैं । इस दृष्टि से जो ब्राह्मण, ठाकुर और बनिया जाति के लोग बैकवर्ड होंगे क्या उनको भी इस लिस्ट में शामिल किया जायेगा ? (हंसी)

श्री राम सिंह--

मान्यवर, पिछड़ेपन का यदि कोई और मानक माननीय सदस्य रखना चाहते हैं, तो मैं उनसे परामर्श कर लूंगा (हंसी) । . . .

श्री श्याम धर मिश्र--

हरिजनों को मान्यवर, जो संरक्षण प्राप्त है वह इस संविधान के अन्तर्गत है । इस संविधान की धारा 15 है, जिसे मैं रखना चाहता हूं . . . .

श्री अध्यक्ष--

मैं विवाद को इजाजत नहीं दे सकता, आप प्रश्न पूछ सकते हैं आप केवल प्रश्न पूछिये ।

श्री श्याम धर मिश्र--

मैं प्रश्न ही पूछ रहा हूं ।

श्री श्याम धर मिश्र--

क्या यह बात सही है कि धारा 16(2) में यह बात लिखी हुई है कि जाति भेद के नाम पर कोई आरक्षण हरिजनों के अलावा नहीं किया जा सकता? 16 (2) में, 40 में यह लिखा हुआ है, इस पर सरकार ने विचार किया है ?

(शोर)

(श्री मान सिंह आजाद के खड़े होकर कुछ कहने पर)

श्री अध्यक्ष---

मान सिंह जी, आप बार-बार व्यवधान डालते हैं । आपका कार्य अत्यन्त अशोभनीय है । आप बैठ कर चीतकार करते हैं । चेतावनी देता हूं, अगर आप इस तरह का व्यवहार करेंगे, वह अनुचित होगा।

माननीय श्याम धर ने कोई सूचना नहीं मांगी है, वह संविधान पर इंटरप्रिटेशन करते हैं । संविधान में डायरेक्टिव प्रिंसिपल आफ स्टेट पालिसी में उसके लियें अलग धारा है जो कि 14 को अतिक्रमित करती है । उसी के अनुसार आरक्षण किया गया है । इसकी मैं अनुमति नहीं देता ।

(श्री सुखपाल पाण्डेय का नाम पुकारे जाने पर)

श्री गुलाब सेहरा---

मान्यवर, केवल एक प्रश्न पूछने की मुझे इजाजत दे दीजिये।

श्री अध्यक्ष---

सुखपाल पाण्डेय जी बहुत व्याकुल हैं, उनको मैंने बुला लिया है।

श्री सुखपाल पांडेय (जिला बस्ती)---

क्या हरिजन समाज कल्याण मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह जो आरक्षण किया गया है, पिछड़ी जाति के आधार पर, इस आरक्षण को समाप्त करके जो गरीब और निर्बल वर्ग के तथा आर्थिक दृष्टि से कमजोर हैं और जिनका नाम इस पिछड़ी जाति की सूची में नहीं है, उनका आरक्षण करने की कृपा करेंगे ?

श्री राम सिंह---

मान्यवर, अब यह जाति, चाहे अनुसूचित हो, चाहे पिछड़ी जाति हो, जब उस स्तर पर आ जायगी कि अन्य वर्ग के समकक्ष हो सकेंगी, तब इस बात पर विचार करेंगे।

श्री आरिफ मोहम्मद खां (जिला बुलन्दशहर)---

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि कि शासन द्वारा आरक्षण से संबंधित नई नीति घोषित करने के बाद जिस तरह 18 प्रतिशत रिजर्वेशन पूरा होने तक के लिए 45 प्रतिशत भरती की इजाजत की गयी है, उसी प्रकार से अब से पहले हरिजन और अनुसूचित जाति का रिजर्वेशन था, उसकी भी निर्धारित प्रतिशत पूरी होने पर कुछ ज्यादा मात्रा में उन्हें भरती किये जाने की इजाजत थी, क्या हाल में शासन द्वारा ऐसा आदेश पारित हुआ है कि जिसमें हरिजन और अनुसूचित जाति का परसेंटेज था, उसकी मात्रा में कमी कर दी गयी है ?

श्री राम सिंह---

मान्यवर, वही स्थिति अब भी है । जो तृतीय श्रेणी की सेवायें हैं, अनुसूचित जाति के लिए आज भी 25 प्रतिशत का आरक्षण, जब तक कि 18 प्रतिशत पूरा न हो जाय और चतुर्थ श्रेणी के लिए 30 प्रतिशत का आरक्षण है, जब तक कि 18 प्रतिशत पूरा न हो जाय।

श्री अध्यक्ष---

माननीय समाज कल्याण मंत्री, उनका प्रश्न यह है कि क्या हाल में ऐसा सर्कुलर निकला है, जिसमें कि अनुसूचित जाति का प्रतिशत कम कर दिया गया है ?

श्री आरिफ मोहम्मद खां---

मान्यवर, पहले कितना था, अब कितना है ? कोई कमी करने का प्रस्ताव है ?

श्री राम सिंह--

मान्यवर, इनको 15 प्रतिशत का आरक्षण देना है, तो किस तरह से पूरा किया जाय कि आरक्षण 50 प्रतिशत से अधिक न हो। जो कटेगरी थी, उनमें से काट कर पूरा किया गया है।

श्री अध्यक्ष--

आप इसका सीधा उत्तर दीजिये कि अनुसूचित जाति और जन-जाति का आरक्षण, 15 प्रतिशत बैकवर्ड के करने के समय क्या कुछ कम किया था ?

श्री राम सिंह--

मान्यवर, 18 प्रतिशत से तो कम नहीं किया गया है। लेकिन जो विशेष आरक्षण दिया गया था, जैसे चतुर्थ श्रेणी में 45 फीसदी का तो उसको 30 फीसदी किया था। 18 प्रतिशत से कमी नहीं की गयी है।

श्री आरिफ मोहम्मद खां--

अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूं ....

श्री अध्यक्ष--

आरिफ जी, इस पर बहस नहीं, आपको उत्तर दिया जा चुका है।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया)--

मान्यवर, क्या माननीय समाज कल्याण मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि शासन की जो आरक्षण नीति है, वह वर्ग से सम्बद्ध है या जाति से सम्बद्ध है ? शासन क्या वर्ग और जाति में कोई भेद मानता है ?

श्री राम सिंह--

मान्यवर, मैंने पहले ही निवेदन किया है इसमें जाति भी एक मुख्य आधार है।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक--

मैं एक बात और जानना चाहता हूं ?

श्री अध्यक्ष--

अब इस पर और अनुपूरक की इजाजत आपको नहीं है।

श्री गुलाब सेहरा--

मान्यवर, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स का जो कोटा फिक्स किया गया है वह 1951 की सेंसेज के आधार पर किया गया है। इस समय आरक्षण 18 प्रतिशत चल रहा है, तो इसको अब 22 परसेंट करने के लिये क्या शासन विचार कर रहा है ?

श्री राम सिंह--

मान्यवर, यह प्रश्न इस समय विचाराधीन नहीं है।

श्री श्याम देव (जिला वाराणसी)--

मान्यवर, मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि वाराणसी में और मिर्जापुर में बियार जाति है। इसका आर्थिक और शैक्षिक स्तर जो है वह हरिजनों के बराबर है, तो क्या बियार जाति को माननीय मंत्री जी शेड्यूल कास्ट में रखने की कृपा करेंगे ?

श्री राम सिंह--

मान्यवर, मैंने इसके पूर्व निवेदन किया था कि जो ऐसी जातियां हैं, इस संबंध में इस तरह के रिप्रेजेंटेन्शन भी आये हैं कि यह जातियां छूट गयी है, इनको भी इसमें शामिल किया जाय। छेदी लाल साथी कमीशन की रिपोर्ट भी शासन के सामने हैं, उसमें भी कुछ जातियों का उल्लेख

किया गया है । तो यह सारा प्रश्न शासन के विचाराधीन है कि जो जातियां रह गयी हैं, जो पिछड़ी हैं उनको भी इसमें शामिल किया जाय ।

श्री विजय राज सिंह (जिला बुलन्दशहर)—

मान्यवर, मैं अपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि जो अनुसूचित जातियां है और पिछड़ी जातियां है और हमारे देश में ऊंची जातियां, जिनको दबाती रही हैं और उनका विकास नहीं होने दे रही है, तो क्या उनकी जनसंख्या का प्रतिशत देखते हुए मंत्री जी इनको 60 प्रतिशत आरक्षण देने की व्यवस्था करेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

इसका उत्तर दे चुके हैं । इसकी अनुमति नहीं है । संविधान के अनुसार 50 प्रतिशत से ज्यादा नहीं किया जा सकता ।

श्री अशफाक (जिला गोंडा)—

मान्यवर, मैं अपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि जो थारू जाति है, जो शिक्षा आदि में बहुत पिछड़ी हैं, तो क्या उनको कोई विशेष आरक्षण देने की व्यवस्था करने के लिये सरकार सोच रही है ?

श्री राम सिंह—

मान्यवर, थारू जाति, जो है वह जन-जाति की सूची में शामिल है और उसको लगभग अन्य जातियों की अपेक्षा आर्थिक सुविधायें दी जाती हैं ।

श्री रामदत्त जोशी (जिला नैनीताल)—

मान्यवर, क्या मंत्री जी बतलान की कृपा करेंगे कि जिन जातियों को आरक्षण दिया गया है, उनमें समृद्ध लोगों का प्रतिशत कितना है और क्या उन लोगों को भी वही सुविधायें प्राप्त है ?

श्री राम सिंह—

मान्यवर, आरक्षित कोटे के अतिरिक्त जो वचता है वह सब समृद्ध व्यक्तियों के लिये है।

श्री अध्यक्ष—

आपका प्रश्न है कि जिन जातियों को शिड्यूलकास्ट घोषित किया गया है उनमें जो समृद्ध जातियां हैं जो कमजोर जातियां है, क्या उनमें भी आपस में कोई संरक्षण है ? कमजोरो में जिनमें हरिजन बैकवर्ड हैं, उनके मुकाबिले में यह प्रश्न है।

श्री राम सिंह—

इस प्रकार का कोई भेद हमने नहीं किया है ।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

मान्यवर, इस प्रश्नावली में हर प्रकार की जातियों का सभी ने जिक्र किया जैसे अनुसूचित जाति, जनजाति आदि लेकिन एक जाति को सभी ने छोड़ दिया है, जिसक बारे में किसी ने एक शब्द भी नहीं कहा और वह है महिला जाति । तो मैं मंत्री जी से पूछना चाहती हूं कि यहां पर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके परिवार में महिला और माता का स्वरूप न हों, उन्होंने महिलाओं क आरक्षण के लिये क्या कदम उठाये हैं और माइनारटीज मुसलमान क लिये क्या कदम उठाये हैं ? महिलाओं के लिये 50 प्रतिशत का आरक्षण नौकरियों में तथा सब जगह होना चाहिये।

श्री राम सिंह—

मान्यवर, वैसे तो हमारे समाज में महिलाओं को विशेष स्थान मिलता है, लेकिन आरक्षण के संबंध में, इस प्रश्न के संबंध में जो सूचना मांगा है, वह यह है कि अनुसूचित जाति, पिछड़ी जाति और विमुक्त जाति तथा अन्य जातियों की महिलाओं को जो इसमें है, उनको बराबर आरक्षण है।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

मैं जानना चाहती हूं कि महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण देने पर विचार करना चाहते हैं, कि नहीं ?

श्री राम सिंह—

मान्यवर, 50 प्रतिशत की जो बात कहा है तो आरक्षित कोटे में 50 प्रतिशत है ही, जो योग्य मिलेंगे उनको लिया जा सकता है।

श्री कृष्ण स्वरूप—

क्या मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि 15 प्रतिशत का आरक्षण जो पिछड़ी जातियों के लोगों को है यह पिछड़ी जाति में जन्म-जाति के कारण मिलेगा या उनकी आर्थिक, सामाजि या पिछड़ेपन का मानक बनाया जायेगा ?

श्री अध्यक्ष—

इसका उत्तर दे चुके हैं। जन्म के ऊपर माना है, आर्थिक स्थिति पर नहीं। जिन जातियों को पिछड़ा माना है उनको जन्म से मान लिया गया है।

श्री इन्द्रमणी बड़ौनी (जिला टेहरी गढ़वाल)—

अध्यक्ष जी, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि पर्वतीय जिलों में जौनसार-भावर की वही सामाजिक व्यवस्था है जो कि जौनपुर और रमई की है। किन्तु जौनपुर और रमई के क्षेत्र को जन-जाति घोषित कर दिया है लेकिन जौनसार-भावर को नहीं जबकि यहां की रीति-रिवाज वैसी ही है। इसलिये क्या मंत्री जी प्रयास करेंगे कि जौनसार-भावर के लोगों को जनजाति में घोषित करने की कृपा करेंगे ?

श्री राम सिंह—

मान्यवर, पहाड़ी क्षेत्रों से कुछ आवेदन-पत्र और रिप्रेजेन्टेशन आये हैं कि उनके क्षेत्र को जन-जाति क्षेत्र घोषित कर दिया जाय, लेकिन यह बड़ा व्यापक प्रश्न है, इसलिये इस पर विचार करना अभी संभव नहीं है।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38(2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न।]

*1—श्री कल्पनाथ सिंह—

[दिनांक 1-11-77 को तारांकित प्रश्न संख्या 2 के अन्तर्गत उत्तरित।]

सचिवालय में 58 वर्ष की आयु के उपरान्त सेवावृद्धि एवं पुनर्नियुक्ति पर कार्यरत कर्मचारी

*2—श्री सुखपाल पाण्डेय, श्री पूरनचन्द्र (जिला अल्मोड़ा), श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया) तथा श्री रियासत हुसन—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या शासन ने अर्ध-शासकीय पत्र संख्या 1/2-1973 कार्मिक-2, दिनांक 18 अगस्त, 1977 जारी करके शासन के समस्त सचिवों को ऐसे आदेश कड़ाई से पालन करने के दिये हैं कि प्रदेश में बेरोजगारी की समस्या को ध्यान में रखते हुये 58 वर्ष की आयु प्राप्त करने के उपरान्त किसी भी कर्मचारी अथवा अधिकारी को राजकीय

सेवा में सेवा वृद्धि या पुनर्नियुक्ति स्वीकृत न की जाय ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त शासनादेश की रोशनी में यू० पी० सिविल सचिवालय के ऐसे सभी अनुसचिव, निजी सचिव, प्रभारी अधिकारी तथा जन सम्पर्क अधिकारियों की सेवा तुरन्त समाप्त करेगी जो 58 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुके हैं और सेवा में बने हुये है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

निर्वाचन राज्य मंत्री (श्री लक्ष्मण सिंह)—

जी हां, उत्तर प्रदेश सचिवालय में सेवा-वृद्धि/पुनर्नियुक्ति पर केवल एक अनुसचिव, एक वैयक्तिक सहायक, मंत्रि-मण्डल के सदस्यों से सम्बन्द्ध 4 जन-सम्पर्क अधिकारी, टंकण प्रशिक्षण केन्द्र में एक प्रभारी अधिकारी व टाइपराइटर मैकेनिक तथा टेलीफोन एक्सचेंज में एक अन्य कर्मचारी कार्यरत थे। निजी सचिव के पद पर कार्यरत ऐसा कोई अधिकारी नहीं था। उक्त 4 जन-सम्पर्क अधिकारियों में से एक अधिकारी ने दिनांक 1-2-1978 के पूर्वान्ह से अपना त्याग-पत्र दे दिया है जो शासन द्वारा स्वीकार किया जा चुका है। शेष 3 जन-सम्पर्क अधिकारियों को छोड़कर, अन्य सभी अधिकारियों/कर्मचारियों की सेवायें समाप्त की जा चुकी हैं।

जन-सम्पर्क अधिकारियों की सेवा निःसंवर्गीय पदों पर पूर्णतया अस्थायी हैं और सम्बद्ध मंत्री, की इच्छा पर उनकी सेवायें बिना किसी नोटिस के किसी भी समय समाप्त की जा सकती हैं।

श्री सुखपाल पांडेय—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जब सरकार का यह नियम है कि सेवा निवृत्त व्यक्ति की सेवा नहीं बढ़ायी जायगी, तब फिर इन पदों पर सेवा निवृत्त व्यक्तियों को क्यों रखा गया, जबकि उनसे भी योग्य व्यक्ति इन पदों के लिये उपलब्ध थे ? किन परिस्थितियों में ऐसा किया गया ?

श्री लक्ष्मण सिंह—

कैसा किया गया, यह बात साफ नहीं हुई।

श्री सुखपाल पांडेय—

किन परिस्थितयों में, सेवा निवृत्त व्यक्तियों को पुनः नियुक्त किया गया ?

श्री लक्ष्मण सिंह—

जैसा मैंने पढ़कर सुनाया केवल चार जन सम्पर्क अधिकारी सेवा में रखे गये थे, रिटायरमेंट के बाद। उनमें से एक ने त्याग-पत्र दे दिया। तीन आदमी इस समय हैं। कैबिनेट ने यह निर्णय लिया कि सम्बन्धित मंत्री किसी रिटायर्ड आदमी को रिएम्प्लाय करके, जन-सम्पर्क अधिकारी की हैसियत से रखना चाहें, तो रख सकते हैं। वह एक्स-कैडर पोस्ट है। उन पर यह नियम लागू नहीं होता।

श्री मैनेजर सिंह—

क्या मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जबकि जनतापार्टी ने घोषणा की है कि बेरोजगारी समाप्त करेंगे और उसका एक माध्यम सेवा निवृत्त लोगों को पुनः नौकरी में न रखकर, नये व्यक्तियों को अवसर देना भी है, तो किन परिस्थितियों में, मंत्रि परिषद् ने अपने घोषणा-पत्र के विपरीत निर्णय लिया कि मंत्री यदि चाहें, तो सेवा निवृत्त लोगों को अवसर दे सकते हैं ? जनता पार्टी की नीति की अवहेलना करके सेवा निवृत्त लोगों को क्यों रखा जा रहा है ?

श्री अध्यक्ष—

इसका उत्तर मंत्री जी ने दे दिया ।

श्री मैनेजर सिंह—

जहां तक मंत्रियों के विवेक का सवाल है यह विवेक क्या विवेकपूर्ण कार्यों में इस्तेमाल नहीं हो रहा है ?

श्री अध्यक्ष—

आप इतने पुराने सदस्य हैं । आप जानते हैं प्रश्नों पर बहस नहीं हुआ करती ।

श्री मैनेजर सिंह—

उनसे जवाब दिलवायें ।

श्री अध्यक्ष—

जवाब वह दे चुके । जितनी रैगुलर नौकारियां हैं उन पर प्रतिबन्ध है लेकिन एक्स-कैडर पोस्ट पर, जन सम्पर्क अधिकारी की जगह मंत्री किसी व्यक्ति को रख सकते हैं । बाहर से रख सकते हैं । रिटायर आदमी को रख सकते हैं । उन्होंने मत व्यक्त कर दिया मैं उनको अपना मत बदलने के लिये बाध्य नहीं कर सकता । आप उसे पसन्द करें या न करें, यह दूसरी बात है ।

श्री रियासत हुसैन—

क्या मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जन-संपर्क अधिकारी को जो तनख्वाह मिलती है, वह पब्लिक फंड से मिलती है या माननीय मंत्री की जेब से जाती है? यदि इनको वेतन पब्लिक फण्ड्स से दिया जाता है, तो मंत्रि-परिषद् का निर्णय इन 58 साल के बाद वालों पर क्यों नहीं लागू होता ?

श्री अध्यक्ष—

यह प्रश्न के साथ आक्षेप है । यह तो आप जानते हैं कि उनको जेब से तनख्वाह नहीं दी जाती । उनको तनख्वाह पब्लिक फण्ड्स से ही दी जाती है । अगर आपको आलोचना ही करनी है, तो वह बजट में कर सकते हैं ।

श्री रियासत हुसैन—

अगर उनको पब्लिक फण्ड से तनख्वाह मिलती है तो उस पर मंत्रि-परिषद् का निर्णय क्यों नही लागू होता ? यह प्रश्न है, मान्यवर ?

श्री अध्यक्ष—

उसमें मंत्रि-परिषद् को अधिकार है । उन्होंने उसमें निर्णय किया है । अगर उस निर्णय से आप सहमत नहीं है तो उसकी आलोचना बजट में या राज्यपाल के अभिभाषण में कीजिये । लेकिन प्रश्नों के समय में इसका अवसर नहीं है ।

श्री नरायण सिंह भैसोरा (जिला पिथौरागढ़)—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि सचिवालय में जितने भी एक्स-केडर पद है, क्या इन सभी में 58 वर्ष के बाद पुनर्नियुक्ति का निर्णय मंत्रि-परिषद् ने ले लिया है ?

श्री अध्यक्ष—

यह प्रश्न नहीं उठता । उनका उत्तर है कि एक्स-कैडर पोस्ट में अगर चाहें तो रिटायर्ड लोगो को ले सकते है । उन्होंने यह नही कहा कि एक्स कैडर पोस्टों में सभी पर सेवा-निवृत्त लोगों को लेंगे ।

श्री शारदा प्रसाद जायसवाल (जिला गोरखपुर)—

मैं माननीय मंत्रीजी से जानना चाहता हूं कि जन सम्पर्क अधिकारी क पद पर जिन लोगों की नियुक्तियां की गयी हैं, क्या उनको वेतनमान, जो उन्हें अवकाश में दिया गया है, उससे अधिक वेतनमान दिया गया है, या कम ?

श्री अध्यक्ष—

इसके तो नियम हैं । जितनी तनख्वाह पाता है, अगर अवकाश के बाद पुनः नौकरी में आता है, तो उससे अधिक तनख्वाह नहीं दी जाती ।

श्री सुखपाल पांडेय—

क्या माननीय मंत्रीजी बताने की कृपा करगे कि मंत्रि-मंडल ने अवकाश प्राप्त लोगों को पुनः सेवा में लेने का निर्णय किस तारीख को लिया है, जिसके आधार पर कि उनकी पुनर्नियुक्ति कर सकते हैं । क्या यह सही है कि कुछ विशेष व्यक्तियों के प्रभाव में इस प्रकार की नियुक्तियां करने का निर्णय लिया गया है ?

श्री अध्यक्ष—

आपके प्रश्न का दूसरा भाग आक्षेप है। पहले भाग का उत्तर माननीय मंत्रीजी कृपया दे दें ।

श्री लक्ष्मण सिंह—

मान्यवर, सन् 1977 में यह निर्णय लिया गया है ।

श्री ए0 सी0 ग्राइस (नाम निर्देशित आंग्ल भारतीय)—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जब रिइम्पलायमेंट की बात हो रही है, तो जो एक्स सर्विस वाले हैं, जो आर्मी के 48 इयर्स के बाद जिनको आर्मी से निकाल देते हैं, क्या उनको भी इम्पलाय करने की कोशिश करेंगे ।

श्री लक्ष्मण सिंह—

मान्यवर, एक्स सर्विसमैन के लिये विशेष ध्यान रखा जायेगा जो कि 48 इयर्स से पहले रिटायर हो जाते हैं । उसका ध्यान रखा जाता है। हर सर्विस में उनके लिये आरक्षण देने और प्रेफरेंस देने की नीति है ।

श्री मैनेजर सिंह—

क्या माननीय मंत्री जो बताने की कृपा करेंगे कि अगस्त के आदेश के बाद भी कोई अधिकारी पुनर्नियुक्त किया गया है और क्या इस सवाल होने के बाद कुछ लोंगो को हटया गया है और यदि हां, तो वे कौन-कौन लोग है ?

श्री लक्ष्मण सिंह —

मान्यवर, यह सही नहीं है कि अगस्त में जी0 ओ0 हुआ था कि 58 वर्ष की आयु के लोगों को नहीं रखा जायेगा मगर यह नहीं हुआ कि उनको हटा भी दिया जाय जो पहले से चल रहे हैं । फिर अक्तूबर में निर्णय हुआ है कि जो पहले से चल रहे हैं उनको हटा दिया जाय, तो उनको हटा दिया गया ।

सचिवालय कालोनी महानगर व बादशाहनगर में रहने वाले सेवा-निवृत्त कर्मचारी

*3—श्री श्यामधर मिश्र, श्री मैनजर सिंह, श्री गनेशो लाल चौधरी (जिला सीता पुर), श्री रमाशंकर कौशिक (मुरादाबाद), श्री गेंदा लाल गुप्त (जिला एटा), श्री ऊदल, श्री मोहन सिंह (जिला रायबरेली) तथा श्री सन्त बख्श रावत (जिला लखनऊ)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सचिवालय कालोनी, महानगर/बादशाह नगर, लखनऊ में कितने ऐसे सरकारी कर्मचारी हैं जो सेवा निवृत हो गए हैं और अभी

भी अपने आवंटित सरकारी आवास गृह में रह रहें हैं, तथा क्वार्टर खाली नहीं कर रहे हैं? इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री लक्ष्मण सिंह--

सचिवालय कालोनी महानगर/बादशाह नगर कालोनी, लखनऊ में 10 कर्मचारी सेवा-निवृत्त हो जाने के बाद भी सरकारी आवासों में रह रहे हैं। इनमें से 9 कर्मचारी ऐसे हैं जो सेवा-निवृत्त हो जाने के पश्चात् सरकारी आवास का अध्यासन बनाये रख सकने हेतु नियमों में अनुमन्य अवधि के बाद भी सरकारी आवासों में रह रहे हैं। उक्त 9 कर्मचारियों से आवास खाली कराने के लिये उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भूगृहादि (अप्राधिकृत अध्यासियों की बेदखली) अधिनियम, 1972 के अन्तर्गत विहित प्राधिकारी के न्यायालय में कार्यवाही चल रही है।

श्री श्यामधर मिश्र--

श्रीमन्, मैं यह जनाना चाहता हूं कि महानगर और बादशाहनगर कालोनीज में जो 9 कर्मचारी समय से आगे रह रहे हैं, इनमें से अधिक से अधिक लोग जो पहले सेवा निवृत्त हुये थे, वे कब हुये थे ?

श्री लक्ष्मण सिंह--

मान्यवर, सबसे पुराना एक अधिकारी है जो 1/11/70 को रिटायर हुआ था और इस के बाद 75, 77 में हुये।

श्री श्यामधर मिश्र--

श्रीमन् सात-आठ वर्ष हो गये हैं। क्या, मैं यह मानूं कि सात-आठ वर्ष से इन पर मुकदमा चल रहा है कि और निर्णय नहीं हुआ या मैं यह मानूं कि इन पर मुकदमा अब चलाया गया है। पहले मुकदमा न चलाये जाने के कारण अभी तक उनको नहीं निकाला जा सका ?

श्री लक्ष्मण सिंह--

मान्यवर, बहुत लम्बे समय से मुकदमा चल रहा है।

श्री मैनेजर सिंह--

क्या मनानीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि ये जो 9 सेवा निवृत्त कर्मचारी सन् 70 से 77 से आवास खाली नहीं कर रहे हैं, इन पर कब बेदखली की कार्यवाही शुरू की गयी है और उनसे किराया किस रेट पर इस वक्त लिया जा रहा है ?

श्री लक्ष्मण सिंह--

मान्यवर, नियम यह है कि रिटायर होने के बाद एक महीने तक वे सामान्य किराये पर रह सकते हैं। उसके बाद पिनाल्टी किराये पर तीन महीने तक रह सकते हैं और उसके बाद स्टेन्डर्स रेट पर जिसमें किराये को तीन गुना कर देते हैं, उसपर रह सकते हैं। सब लोगों पर बेदखली की कार्यवाही चल रही है और मुकदमा दायर किया गया है।

श्री मैनेजर सिंह--

बेदखली की कार्यवाही कब शुरू की गयी बेदखली प्रश्न होने पर शुरू हुई या 70, 75 या 77 में कब शुरू हुई ?

श्री लक्ष्मण सिंह--

मान्यवर, यह सही नहीं है कि प्रश्न आने पर बेदखली की कार्यवाही शुरू की गयी। तारीख मेरे पास नहीं है मगर सभी लोगों पर नियमानुसार कोई चार-छः महीने पहले से कार्यवाही की गयी है।

श्री ऊदल--

क्या मननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि ये जो कर्मचारी अभी रह रहे हैं, इन्होंने न पिनाल्टी के हिसाब से किराया दिया न स्टेन्डर्ड रेट के हिसाब से, इन की बेदखली करने में या इनको हटाने में, बहुत से अधिकारियों और कर्मचारियों का हाथ रहा जिनकी वजह से हटाये नहीं गये। क्या इन सब बातों की जांच कर के उनके खिलाफ कार्यवाही करेंगे और अब उन से पिनाल्टी रेट से और स्टेन्डर्ड रेट से किराया वसूल किया जायगा ?

श्री लक्ष्मण सिंह--

मान्यवर, जैसा माननीय सदस्य का आरोप या जानकारी है इसकी जांच करायी जायगी।

श्री सुखपाल पाण्डेय--

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जो अधिकारी मकानों में रह रहे हैं वे किराया जमा नहीं कर रहे हैं तथा किस आधार पर वे किराया जमा नहीं कर रहे हैं ?

श्री लक्ष्मण सिंह--

किराया जमा कर रहे हैं।

बस्ती जिले की तहसील नौगढ़ के हेड क्वार्टर पर मुन्सिफ मैजिस्ट्रेट की तैनाती

*4--श्री मथुरा प्रसाद पाण्डेय (जिला बस्ती)--

क्या सरकार कृपया बताएगी कि बस्ती जिले की तहसील नौगढ़ के हेड क्वार्टर पर जो मुन्सिफ मैजिस्ट्रेट की अदालत है उसमें कई महीने से कोई हाकिम नहीं है जिसके कारण उस तहसील की जनता को बहुत परेशानी उठानी पड़ती है तो क्या सरकार शीघ्र वहां पर मुन्सिफ मैजिस्ट्रेट नियुक्त करने की व्यवस्था करगी ? यदि हां, तो कब तक ?

सूचना राज्य मंत्री (श्री अवधश प्रसाद)--

तहसील नौगढ़ के हेड क्वार्टर पर मुन्सिफ मैजिस्ट्रेट की तैनाती की जा चुकी है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री मथुरा प्रसाद पांडेय--

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि बीच में कितने दिनों तक वहां मुन्सिफ मैजिस्ट्रेट नहीं रहे और कब तैनात हुये ?

श्री अवधेश प्रसाद--

मान्यवर, 21 नवम्बर को श्री तूफानी, मुन्सिफ मैजिस्ट्रेट ने वहां कार्य भार सम्भाला और 26 जुलाई, 77 से यह स्थान रिक्त था।

*5--श्री राम पति तथा श्री कमला प्रसाद वर्मा--

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त।]

*6--श्री रणजीत सिंह जूदेव--

[स्पष्टीकरण के अभाव में निरस्त।]

मीसा एवं डी० आई० आर० में निरुद्ध किये गये वर्तमान विधान सभा के सदस्यों की माफी मांग कर रिहाई

*7—श्री संगम लाल (जिला प्रतापगढ़) तथा श्री राम आसरे वर्मा (जिला हरदोई)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि वर्तमान उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिये चुने गए सदस्यों में कौन—कौन आपात् स्थिति के दौरान मीसा में बन्द थे तथा कौन—कौन डी० आई० आर० में और इनमें से किन-किन बंदियों ने माफी मांग कर रिहाई प्राप्त की थी तथा कौन-कौन पैरोल पर रिहा हुए थे ?

श्री लक्ष्मण सिंह—

वर्तमान उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिये चुने गये सदस्यों में से 61 सदस्य संलग्न सूची (1) के अनुसार केवल मीसा के अन्तर्गत निरुद्ध रहे, संलग्न सूची*(2)के अनुसार 75 सदस्य केवल डिसिर के अन्तर्गत बन्द रहे एवं संलग्न सूची (3) के अनुसार 30 सदस्य मीसा/डिसिर दोनों के अन्तर्गत समय-समय पर निरुद्ध/बन्दी रहे। कोई विधान सभा सदस्य मांफी मांग कर रिहा नहीं हुआ था। जिन सदस्यों को पैरोल पर रिहाई दी गई थी उनका भी विवरण संबंधित सूचियों में उनके नाम के सम्मुख इंगित कर दिया गया है।

श्री श्याम दत्त पालीवाल (जिला आगरा)—

मुझसे सम्बन्धित यह प्रश्न है। इसमें सूचना गलत दी गयी है। मेरे सामने लिखा गया था अस्थायी रिहाई पर जब कि उत्तर प्रदेश के मीसा वारंट पर मेरी गिरफ्तारी नहीं हुई थी बल्कि दिल्ली प्रदेश से मीसा वारंट था उसमें गिरफ्तारी हुई थी।

श्री अध्यक्ष—

आप लोग सूचना दे दें। मंत्री जी उसे देख कर संशोधन कर लेंगे।

श्री शफीकुर्रहमान बर्क—

मेरा भी नाम नहीं दिया गया है जब कि मेरी गिरफ्तारी हुई थी · · ·

श्री अध्यक्ष—

ठीक है।

श्री संगम लाल—

ऐसे कितने विधान सभा के सदस्य हैं, जिन्होंने आन्दोलन न करने का आश्वासन दिया था और तब वे पैरोल पर रिहा किये गये थे ?

श्री लक्ष्मण सिंह—

ऐसा कोई रिकार्ड मेरे पास नहीं है।

श्री राम आसरे वर्मा—

माफी के बारे में जो सूचना दी गयी है यह प्रशासन की किस एजेंसी से एकत्रित की गयी है और क्या मेरी इस सूचना को सही मान कर कि कुछ ऐसे सदस्यों ने भी माफी मांगी जो आप की मंत्रि परिषद् के सदस्य हैं, आप पुनः इस प्रश्न पर जांच कराने पर विचार करेंगे ?

श्री लक्ष्मण सिंह—

एजेंसी का जहां तक सवाल है जिलों से रिपोर्ट मंगाई गयी है। जहां तक यह सवाल है कि आपकी सूचना को सही मान कर पुनः जांच कराई जाय, तो मैं नहीं समझता कि आपकी सूचना को सही कैसे मान लिया जाय।

---

*छापी नही गई

श्री गोविन्द सिंह नंगी—

ऐसे कितने माननीय सदस्य हैं, जो 20 सूत्री कार्यक्रम को समर्थन देकर, जेल से रिहा हो कर आये हैं ?

श्री लक्ष्मण सिंह—

ऐसा कोई भी सदस्य नहीं है ।

श्री राम आसरे वर्मा—

माननीय मंत्री ने जो सूचना सदन को दी है माफी न मांगने के बारे में , यह सूचना किस एजेंसी से एकत्रित की गयी है ? दूसरे मेरी जानकारी है कि मंत्रि परिषद् के अन्दर कई सदस्य ऐसे हैं, जिन्होंने 20 सूत्री कार्यक्रम का समर्थन किया था और माफी मांगने के बाद वे पैरोल पर रिहा किये गये थे । तो क्या मेरी इस जानकारी की मंत्री महोदय जांच कराने की कृपा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

उत्तर दिया जा चुका है कि उनके पास कोई रिकार्ड नहीं है । सूचना का आधार जिला प्रशासन है । इसलिये पुनः जांच का कोई सवाल पैदा नहीं होता ।

श्री आरिफ मोहम्मद खां—

मंत्री महोदय के पास माफी मांगने की सूचना नहीं है । ऐसे कितने सदस्य हैं, जिन्होंने 20 सूत्री कार्यक्रम का समर्थन किया । तब रिहाई हासिल की, इसकी सूचना उनके पास नहीं है, लेकिन जो सूचना समाचार पत्रों में छपी और उनकी उन्हीं तिथियों में रिहाई हुई । और उसमें मंत्रिमंडल के सदस्य भी हैं । मेरे पास खुद कटिंग मौजूद है । तो क्या मंत्री जी इसकी जांच करायेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

आरिफ साहब, मंत्री जी उत्तर दे चुके हैं कि उनके पास इस प्रकार का कोई विवरण नहीं है और जिलों से जो सूचना प्राप्त हुई है उसमें कोई इत्तला नहीं दी गई है । अब प्रश्न यह उठता है कि क्या मंत्री जी इसमें पुनः जांच करायेंगे ?

श्री लक्ष्मण सिंह—

यह जो प्रश्न है इसमें तो माफी की बात कही गई थी, 20 सूत्री कार्यक्रम का कोई हवाला नहीं था और न ी इसकी सूचना इकट्ठा कराई कि किसने उसका समर्थन किया था । अलग से यदि आप प्रश्न करेंगे, तो सूचना दी जायगी ।

श्री अरुण कुमार (जिला जौनपुर)—

जैसा कि मंत्री जी ने कहा कि शासन को इसकी विधिवत् जानकारी नहीं है, तो क्या वे यह बताने की कृपा करेंगे कि कितने सदस्यों ने चाहे वे मंत्रि-परिषद् के सदस्य ही क्यों न हों, माफी मांगी ? क्या मंत्री जी इसकी जानकारी भूतपूर्व मुख्य मंत्री से लेना चाहेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

यह प्रश्न पूछा नहीं गया था । मुख्य मंत्री की तरफ से ही वे उत्तर दे रहे हैं (व्यवधान) । आप लोग शांत रहें ।

श्री श्यामदत्त पालीवाल—

अध्यक्ष जी, जो सूची दी गई है उसमें सूचनायें गलत हैं । क्या माननीय मंत्री जी आश्वासन देंगे कि इस सूची को दुबारा बनाया जायगा और तब इसकी जानकारी हमें दी जायगी ?

श्री अध्यक्ष--

प्रश्नों का समय समाप्त हो गया। जो प्रश्न किया गया है वह विवरण में नहीं आयेगा। मैं इसकी अनुमति नहीं देता हूं। अगर आप इसकी सूचना चाहते हैं तो पुनः लिख कर भेज दें।

औद्योगिक दृष्टि से जिला गोंडा का पिछड़ापन

*8 श्री राजेन्द्र प्रसाद चौधरी (जिला गोंडा)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला गोंडा हमेशा औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा क्षेत्र माना गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार औद्योगिक सर्वेक्षण कराने की कृपा करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

उद्योग मंत्री (श्री राम प्रकाश)--

जनपद गोंडा औद्योगिक दृष्टि से वर्ष 1970 से पिछड़ा जिला घोषित किया गया इस जनपद का विस्तृत औद्योगिक सर्वेक्षण नेशनल काउन्सिल आफ एलाईड इकोनामिक रिसर्च, नई दिल्ली, द्वारा वर्ष 1972-73 में कराया गया।

[28 मार्च, 1978 के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

पीलीभीत जिले के पूरनपुर नगर में पुलिस की गोली से हुई मृत्यु

* 1--श्री गनेशी लाल चौधरी--

क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दिनांक 30 अक्तूबर, 1977 को पूरनपुर नगर, जिला पीलीभीत में पुलिस द्वारा गोली चलाई गई जिसमें 3 आदमी बुरी तरह से घायल हुये ? यदि हां, तो इस घटना के तथ्य क्या हैं ?

मुख्य मंत्री (श्री राम नरेश यादव)--

पीलीभीत जिले के पूरनपुर नगर में दिनांक 30-10-77 को गैर कानूनी, उत्तेजित एवं हिंसा पर उतारू मजमे को नियंत्रित करने के लिये पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा, जिसके तथ्य सदन के पटल पर रख दिये गये हैं।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 699 पर)

सचिवालय के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के धुलाई भत्ते में वृद्धि की मांग

*2--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (जिला सीतापुर) तथा श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि समस्त सचिवालय के कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को गरम व ठंडी वर्दी धुलाई की वर्तमान दर केवल दो रुपया माहवार दी जा रही है क्या यह सही है कि अब वर्दी की धुलाई की दरें काफी बढ़ गई हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार बढ़ती हुई मंहगाई की दरों को देखते हुये 2 रुपया के स्थान पर दस रुपये माहवार वर्दी की धुलाई देने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम नरेश यादव--

(क) जी हां।

(ख) जी नहीं।

(ग) वर्दी की धुलाई बढ़ाने का प्रश्न नहीं उठता।

नोटः--नियम 38 (2) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न संख्या 7 के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

पुलिस अधीक्षक, जौनपुर के बंगले के करीब स्थित मस्जिद संबंधी मुकदमा

*3--श्री रामेश्वर नाथ चौबे (जिल बरेली)--

क्या मुख्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद जौनपुर के पुलिस अधीक्षक के बंगले पर स्थित मस्जिद पर कोई विवाद है ? यदि हां, तो किस प्रकार का, और सरकार इसमें क्या कार्यवाही कर रही है ।

श्री राम नरेश यादव--

प्राप्त सूचना के अनुसार पुलिस अधीक्षक, जौनपुर के बंगले के पास स्थित मस्जिद के संबंध में एक मुकदमा मुन्सिफ मजिस्ट्रेट, जौनपुर के न्यायालय में विचाराधीन है । अतः अन्य कोई सूचना देना उचित नहीं है ।

*4--श्री सुखपाल पाण्डेय--

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

उद्योग निदेशालय के अधिकारी की जाली मोहर व हस्ताक्षर प्रयोग करने वाला गिरोह

*5--श्री पुरूषोत्तम कौशिक--

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश गुप्तचर विभाग ने 1976 में ऐसे गिरोह का पता लगाया है जिसने उद्योग निदेशालय के वरिष्ठ अधिकारियों के जाली हस्ताक्षर तथा मोहर का प्रयोग कर करोड़ों का घोटाला किया है ? क्या उक्त गिरोह ने हशीश की भी अन्तर्राष्ट्रीय स्मगलिंग की है ? यदि हां, तो पूर्ण विवरण क्या है और इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री राम प्रकाश--

वांछित सूचना एकत्र की जा रही हैं ।

सीतापुर जिले के हरगांव निवासी श्री गंगा प्रसाद मिश्र की हत्या

*6--श्री पुरुषोत्तम कौशिक--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेगें कि सीतापुर जनपद के हरगांव निवासी, श्री गंगा प्रसाद मिश्र, आत्मज श्री बाबूराम मिश्र ने गत तीन महीने में अपने प्राणों की सुरक्षा के लिये अनेकों आवेदन-पत्र दिये ? क्या यह सत्य है कि शासन से जीवन रक्षा की गुहार के बावजूद दिनांक 16 सितम्बर, 1977 को आतताइयों ने श्री मिश्र की नृशन्स हत्या कर दी जिसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट सम्बन्धित कोतावाली में दर्ज हैं तथा परिवार के अनेक सदस्यों के प्राण खतरे में हैं ? यदि हां, तो उनकी सुरक्षा के संबंध में क्या व्यवस्था की गई थी ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री राम नरेश यादव--

प्राप्त सूचना के अनुसार प्रश्न में उल्लिखित अवधि में श्री गंगा प्रसाद मिश्र का सुरक्षा कराये जाने विषयक कोई प्रार्थना-पत्र प्राप्त नहीं हुआ ।

श्री मिश्र ने आत्म सुरक्षा हेतु अपने रिवाल्वर का लाइसेंस निरस्त न किये जाने के संबंध में प्रार्थना पत्र दिये थे किन्तु 16-9-77 को जब उनकी हत्या हुई उनका लाइसेंस निरस्त नहीं था ।

श्री अश्विनी कुमार, पुत्र श्री बाबू राम मिश्र द्वारा अपने भाई गंगा प्रसाद मिश्र की हत्या किये जाने के बारे में सूचना थाना हरगांव, जिला सीतापुर पर दी गई जिसके आधार पर धारा 302/394/120 बी भारतीय दंड विधान का अभियोग थाने पर दर्ज हुआ । रिपोर्ट में चार अभियुक्तों को नामजद किया गया था अभियुक्तों द्वारा मृतक की लाइसेंसी रिवाल्वर छीन ले जाना बताया था ।

इस घटना की जांच पहले स्थानीय पुलिस द्वारा और बाद में अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा की गई है। उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर तीन अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप पत्र-न्यायालय भेजा जा चुका है ।

गंगा प्रसाद मिश्र के परिवार की सुरक्षा हेतु उनके भाई अश्विनी कुमार को एक बंदूक का लाइसेंस स्वीकृत कर दिया गया है व स्थानीय पुलिस को भी उनकी सुरक्षा हेतु आदेश दिये गये हैं ।

बरेली जिले में डी० आई० आर० में श्री रमेश चन्द्र और आनन्द व वीरेन्द्र कुमार अटल की निरुद्धि

*7—श्री सुखपाल पान्डेय तथा श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)—

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला बरेली में 28–29 अक्तूबर, 1975 को सर्वश्री रमेश कुमार तथा वीरेन्द्र कुमार दो छात्रों को पुलिस द्वारा उत्पीड़ित किया गया तथा उन्हें डी० आई० आर० में बन्द किया गया था ? क्या उक्त घटना के संबंध में माननीय बनारसी दास तत्कालीन एम० पी० ने कोई शिकायती-पत्र अक्तूबर, नवम्बर, 1975 को मुख्य मन्त्री तथा शासन को लिखा था ? यदि हां, तो शासन ने किस अधिकारी से पत्र तथा घटना की जांच कराई और किसका किसका बयान लिया गया ? क्या उत्पीड़ित छात्रों का बयान लिया गया। उस जांच की रिपोर्ट में किसके विरुद्ध आरोप सिद्ध हुआ। एक प्रति सदन के पटल पर रखेंगे ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री राम नरेश यादव—

छात्रों का सही नाम सर्वश्री रमेश चन्द्र आनन्द एवं वीरेन्द्र कुमार अटल है । इनको पुलिस द्वारा उत्पीड़ित करने की शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

जी हां ।

जांच तत्कालीन पुलिस उप अधीक्षक, बरेली ने की और जांच के दौरान किसी का बयान नहीं लिया ।

उत्पीड़ित छात्रों का बयान नहीं लिया गया । कृत जांच के विषय में तत्कालीन जिलाधिकारी, बरेली, पुलिस उप अधीक्षक, बरेली एवं थानाध्यक्ष, थाना कोतवाली, बरेली के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जा रही है ।

नागरिक सुरक्षा कार्यालय के तृतीय श्रेणी कर्मचारियों की सेवा नियमावली

*8—श्री शिवानन्द नौटियाल (जिला गढ़वाल)—

क्या मुख्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि नागरिक सुरक्षा कार्यालय में कार्यरत तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों के लिये कोई सेवा नियमावली बनी है ? यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्री राम नरेश यादव—

जी नहीं। चूंकि नागरिक सुरक्षा संगठन कुछ समय पहले तक अस्थाई था इसीलिये नागरिक सुरक्षा कार्यालयों में कार्यरत तृतीय श्रेणी कर्मचारियों के लिये कोई सेवा नियमावली नहीं बनायी जा सकी। अभी हाल ही में इसे स्थाई घोषित किये जाने के फलस्वरूप तृतीव श्रेणी के कर्मचारियों की सेवा नियमावली बनाय जाने का मामला शासन के विचाराधीन है और जिसके जल्दी ही बनकर तैयार हो जाने की संभावना है ।

बुलन्दशहर जिले में होम गार्ड के अवैतनिक प्लाटून कमांडर का चयन

*9—श्री किशन लाल दिलेर (जिला अलीगढ़)—

क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1974–75 में बुलन्दशहर जिले में होमगार्ड के लिए प्लाटून कमाण्डर पद हेतु कोई सूची तैयार की गयी थी ? यदि हां, तो चयन का आधार क्या था ?

श्री राम नरेश यादव—

जी हां। वर्ष 1974–75 में बुलन्दशहर जिले में अवैतनिक प्लाटून कमाण्डर के पदों के लिये चयन हेतु एक सूची तैयार की गई थी और उनका चयन निर्धारित चयन समिति द्वारा कार्य, आचरण एवं उपयुक्तता के आधार पर किया गया था।

राज्य सम्पत्ति विभाग के आवास आवंटन की कथित नियमावली

*10—श्री पूरन चन्द्र—

क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राज्य सम्पत्ति विभाग में अधिकारी/कर्मचारी को आवास आवंटन की कोई नियमावली है ? यदि हां, तो इसकी एक प्रति सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री राम नरेश यादव—

जी नहीं।

लघु तथा मध्यम समाचार पत्रों को सरकारी विज्ञापन देने का आधार एवं कागज, यात्रा तथा चिकित्सा की सुविधाएं

*11—श्री राज कुमार शर्मा (जिला सहारनपुर)—

क्या सूचना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि लघु तथा मध्यम पत्रों को विज्ञापन देने की सरकार की नीति का आधार क्या है ?

श्री अवधेश प्रसाद—

सरकारी नीति का आधार शासन द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप प्रकाशित होने वाले समाचार-पत्रों को प्रचार की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर उनको विज्ञापन देना है।

*12—श्री राज कुमार शर्मा—

क्या सूचना मन्त्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि बड़े पत्रों के मुकाबले लघु तथा मध्यम पत्रों की विज्ञापन दर बहुत कम है, और कागज, यात्रा एवं चिकित्सा आदि की उतनी सुविधायें प्राप्त नहीं हैं ? क्या सरकार ऐसे पत्रों को उक्त सुविधायें देने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अवधेश प्रसाद—

समाचार-पत्रों की विज्ञापन दरें उनकी प्रकाशन अवधि तथा सशुल्क प्रसार संख्या पर आधारित है। सीमित वित्तीय साधनों को देखते हुये विज्ञापन दरों के पुनःनिर्धारण के बारे में विचार नहीं हो रहा है।

अखबारी कागज, न्यूज प्रिन्ट कन्ट्रोल आर्डर, 1962 के अन्तर्गत सीधे भारत सरकार देती है। रेल यात्रा सुविधा भारत सरकार के रेल मंत्रालय द्वारा निर्दिष्ट व्यवस्था के अनुसार राज्य सरकार के केवल मुख्यालय पर मान्यता प्राप्त सम्वाददाताओं को दी जाती है। बस यात्रा सुविधा इस समय शासन के मुख्यालय (लखनऊ) में मान्यता प्राप्त सम्वाददाताओं के लिये

स्वीकृत हैं जिला स्तरीय मान्यता प्राप्त सम्वाददाताओं को बस यात्रा सुविधा दिये जाने का प्रश्न शासन के विचाराधीन है।

चिकित्सा सुविधा प्रदेश के सभी श्रेणी के समाचार पत्रों के श्रमजीवी पत्रकारों को समान रूप से दी जाती है। इस सुविधा के बारे में पुनर्विचार नहीं किया जा रहा है।

*13—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

[18-10-77 को तारांकित प्रश्न संख्या 22 के अन्तर्गत उत्तरित।]

बरेली जिले के मोहल्ला चौपाल निवासी श्री छोटेलाल गुप्त के घर से कथित पुलिस व गुण्डों द्वारा सामान की लूट

*14—श्री धर्मगज सिंह (जिला हरदोई)—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला बरेली, थाना कोतवाली के अन्तर्गत मोहल्ला चौपाल में 23 सितम्बर, 1977 को साढ़े छः बजे सायंकाल छोटे लाल गुप्त के निवास पर कुछ गुन्डे पुलिस के साथ आए और अकारण जबरदस्ती घर से कपड़े, सन्दूक आदि उठा कर ले गए तथा जब उनकी धर्मपत्नी व उनके पुत्र पुलिस कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराने गए तो उन्हें वहां से भगा दिया गया और 24 सितम्बर, 1977 को श्री गुप्ता जब स्वयं गए तब भी रिपोर्ट नहीं लिखी गयी अन्त में उन्होंने बजरिए रजिस्ट्री पुलिस कप्तान तथा मुख्य मन्त्री को घटना की सूचना दी है? यदि हां, तो सरकार ने अभी तक इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की?

श्री राम नरेश यादव—

प्राप्त सूचना के अनुसार यह सही नहीं है कि दिनांक 23-9-77 को कुछ गुन्डे पुलिस के साथ मोहल्ला चौपाल, थाना कोतवाली, जिला बरेली में श्री छोटे लाल गुप्ता के निवास स्थान में अकारण जबरदस्ती घुसकर सामान उठा ले गये तथा उनके पुत्र व धर्मपत्नी कोतवाली रिपोर्ट लिखाने गये एवं श्री गुप्ता भी दिनांक 24-9-77 को घटना की रिपोर्ट लिखाने स्वयं गये।

श्री ब्रजमोहन लाल, निवासी मोहल्ला नेकपुर, बरेली आदि के विरुद्ध दिन दहाड़े पुलिस कर्मचारियों के सहयोग से प्रार्थीगण की झोपड़ी उजाड़ने, रिवाल्वर की नोक पर सामान आदि लूटने, थाने में रिपोर्ट न लिखे जाने व मारने पीटने के सम्बन्ध में सर्वश्री जगत केसरी हरिजन, छोटेलाल गुप्ता, विजय कुमार गुप्ता व श्रीमती कल्ली देवी हरिजन निवासी चौपला, बरेली के प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए। प्रार्थना-पत्रों में उल्लिखित आरोपों की जांच कराये जाने पर आरोप निराधार पाये गये और पुलिस द्वारा कोई हस्तक्षेपीय अपराध दर्ज करने की आवश्यकता नहीं समझी गई।

चन्दीघाट-धामपुर मार्ग के छेल पिपली तिराहे पर बस की लूट की घटना

*15—श्री गनेशी लाल चौधरी—

क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दिनांक 9 नवम्बर, 1977 को परिवहन निगम की हरिद्वार से धामपुर जाने वाली बस के 19 यात्रियों को डकैतों ने लूट लिया? यदि हां, तो इस घटना के तथ्य क्या हैं और यात्रियों को डकैतों से बचाने के लिए सरकार ने क्या प्रबन्ध किया?

श्री राम नरेश यादव—

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 7–11–77 को श्री सीताराम परिचालक-रोडवेज बस सं0–2196 यू0 एस0 ई0, बिजनौर द्वारा थाना श्यामपुर पर 3.15 बजे दिन इस आशय की सूचना अंकित कराई गई कि जब उनकी बस चन्दीघाट से धामपुर जा रही थी तो लगभग डेढ़ बजे दिन तीन सशस्त्र अज्ञात बदमाशों द्वारा छैल पोपली के तिराहे पर गाड़ी को रोककर बस में बैठी हुयी सवारियों को, परिचालक तथा ड्राइवर को लूटा गया। इस सूचना पर थाना श्यामपुर पर धारा 392 भा0 दं0 वि0 के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत हुआ। पुलिस तुरन्त घटनास्थल पर गई और बदमाशों की खोज आरम्भ की गई। पुलिस द्वारा 2 अभियुक्तों को दिनांक 6–12–77 को बन्दी बनाया गया जिन्होंने जुर्म का इकबाल किया। उक्त दोनों अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप-पत्र न्यायालय भेजा जा चुका है तथा अभियोग न्यायालय के विचाराधीन है। तीसरे अभियुक्त की खोज जारी है।

इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के उद्देश्य से मुख्य राज-मार्गों की वायरलेस-युक्त गाड़ियों से पेट्रोलिंग, कुछ चुने हुए स्थानों पर सशस्त्र पुलिस की पिकेट लगाने, सूर्यास्त सूर्योदय के बीच गाड़ियों की आकस्मिक चेकिंग, सशस्त्र पुलिस द्वारा ट्रकों एवं बसों में बैठकर शटल पेट्रोलिंग, बस डिपो पर बैठने वाले यात्रियों की चेकिंग तथा रात्रि सेवा में एस्कोर्ट की व्यवस्था की गई है।

श्री उदय नारायण तिवारी, थानाध्यक्ष, बांसगांव, जिला गोरखपुर के विरुद्ध कौड़ीराम इन्टर कालेज के अध्यापकों का प्रार्थना-पत्र

*16—श्री रवीन्द्र सिंह (जिला गोरखपुर)—

क्या सरकार बताएगी कि बांसगांव (जिला गोरखपुर) के थानाध्यक्ष के विरुद्ध अक्तूबर, 1977 में कौड़ीराम इण्टर कालेज के अध्यापकों की ओर से कोई प्रार्थना-पत्र दिया गया था? यदि हां, तो उस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी?

श्री राम नरेश यादव—

जी हां। उक्त प्रार्थना-पत्र की विवेचना की दौरान कौड़ीराम इन्टर कालेज के सभी अध्यापकों एवं प्रधानाचार्य ने लिखित रूप से यह सूचित किया है कि उन लोगों ने उदय नारायण तिवारी, थानाध्यक्ष, बांसगांव, जनपद गोरखपुर के विरुद्ध कोई भी प्रार्थना-पत्र नहीं दिया है। उन्होंने इस बात को भी स्वीकार किया कि उक्त थानाध्यक्ष ने उनके साथ किसी प्रकार का दुर्व्यवहार किया है। जांच से प्रार्थना-पत्र में लिखित अन्य आरोप भी प्रमाणित नहीं हुए। अतएव किसी कार्यवाही का प्रश्न ही नहीं उठता है।

*17—श्री गिरीश चन्द्र तिवारी—

[दिनांक 13–9–77 को तारांकित प्रश्न संख्या 21 द्वारा उत्तरित।]

गोण्डा जिले में ग्राम भीखमपुर में डकैती एवं कत्ल

*18—श्री विष्णु प्रताप सिंह (जिला गोंडा)—

क्या गृहमन्त्री को जानकारी है कि 25 व 26 मार्च, 1977 की रात्रि में ग्राम भीखमपुर, थाना वजीरगंज, जिला गोण्डा में भीषण डकैती पड़ी जिसमें एक व्यक्ति का कत्ल भी हो गया था? यदि हां, तो क्या यह सही है कि जिला पुलिस अधिकारी घटनास्थल पर 13 दिन के पश्चात् पहुंचे? क्या शासन के ऐसे आदेश हैं कि ऐसी घटनाओं के सम्बन्ध में 24 घंटे के अन्दर घटनास्थल पर जिला पुलिस अधिकारी का पहुंचना आवश्यक है? यदि हां, तो कार्यवाही में विलम्ब का क्या कारण है तथा अधिकारियों की उदासीनता के प्रति शासन द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है?

श्री राम नरेश यादव—

जी हां, किन्तु यह सही नहीं है कि जिला पुलिस अधिकारी घटनास्थल पर 13 दिन बाद पहुंचे। पुलिस अधीक्षक द्वारा 27–3–77 को ही तथा पुलिस उपाधीक्षक द्वारा 29–3–77 को और पुलिस अधीक्षक तथा पुलिस उपाधीक्षक दोनों अधिकारियों द्वारा पुनः एक साथ 6–4–77 को घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। ऐसी घटनाओं के सम्बन्ध में जिला पुलिस अधिकारी के घटनास्थल पर 24 घंटे के अन्दर पहुंच जाने के बारे में शासन का कोई आदेश नहीं है। कार्यवाही करने में कोई विलम्ब नहीं किया गया अतः अधिकारियों के उदासीन होने अथवा उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही किये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

सचिवालय में अधिक समय से कार्यरत आई० ए० एस० एवं पी० सी० एस० अधिकारी

*19—श्री दीना नाथ सेवक (जिला रायबरेली)—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश सचिवालय में कितने आई० ए० एस० व पी० सी० एस० अधिकारी ऐसे हैं जो पांच वर्ष से अधिक समय से कार्य कर रहे हैं? उनके क्या नाम हैं और उनको सचिवालय से स्थानान्तरित न करने के क्या कारण हैं?

श्री राम नरेश यादव—

उत्तर प्रदेश सचिवालय में 3 आई० ए० एस० तथा 4 पी० सी० एस० अधिकारी ऐसे हैं जो पांच वर्ष से अधिक समय से कार्य कर रहे हैं। इन अधिकारियों के नामों की सूची संलग्न है। इन अधिकारियों को जनहित में स्थानान्तरित नहीं किया गया है।

(देखिए नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 700 पर)

लखनऊ, अतिरिक्त मुख्य अरण्यपाल कार्यालय के सेक्शन इन्चार्ज के पद पर प्रोन्नति

*20—श्री पूरन चन्द—

क्या सरकार कृपया बताएगी कि वन विभाग उत्तर प्रदेश, लखनऊ में मुख्य अरण्यपाल, लखनऊ के कार्यालय में जो पद सेक्शन इंचार्ज के नवम्बर, 1976 में रिक्त हो गए थे, क्या यह सही है कि उक्त पदों पर प्रोन्नति ज्येष्ठ लिपिकों को न देकर कनिष्ठ लिपिकों को दी गयी है? यदि हां, तो इसका आधार क्या है?

वन मन्त्री (श्री श्रीचन्द)—

वन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ में मुख्य अरण्यपाल, उत्तर प्रदेश लखनऊ के कार्यालय में नवम्बर, 1976 में सेक्शन इन्चार्ज का कोई पद रिक्त नहीं हुआ। अतः उस पर पदोन्नति किये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता है। लखनऊ में स्थित अतिरिक्त मुख्य अरण्यपाल के कार्यालय में एक पद सेक्शन इन्चार्ज का नवम्बर, 1976 में रिक्त हुआ था जिसे उस कार्यालय में उपलब्ध वरिष्ठ कर्मचारियों में से एक की वरिष्ठता, श्रेष्ठता तथा अनुभव के आधार पर तदर्थ रूप से प्रोन्नति की गई थी।

राज्य सम्पत्ति विभाग में क्लर्क के पद पर अनुसूचित जाति की नियुक्ति

*21—श्री शम्भूनाथ चौधरी—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि राज्य सम्पत्ति विभाग में अगस्त, 1977 में साक्षात्कार के आधार पर क्लर्क के एक पद पर नियुक्ति की गयी है जिसमें हरिजनों की जगह आरक्षित होने के बावजूद हरिजन को न रखकर किसी व्यक्ति विशेष को नियुक्ति किया गया है? यदि हां, तो हरिजनों के लिए आरक्षण के नियम की अवहेलना क्यों की गयी? तथा इस सम्बन्ध में उत्तरदायी अधिकारी के विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही कर रही ह?

श्री राम नरेश यादव—

राज्य सम्पत्ति विभाग में अगस्त, 1977 में साक्षात्कार के आधार पर एक क्लर्क की अस्थायी नियुक्ति की गयी थी वह तदर्थ रूप से दैनिक दर पर अलग से अल्पकाल के लिये सृजित पद पर लगभग दो माह के लिये की गई थी। आरक्षित पद पर अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी की नियमित नियुक्ति कर दी गई है।

उद्योग निदेशालय, कानपुर द्वारा कथित कनवास की खरीद

*22—श्री शम्भूनाथ चौधरी तथा श्री मुनीन्द्र पाल सिंह (जिला पीलीभीत)—

क्या सरकार कृपया बताएगी कि कानपुर उद्योग निदेशालय के संयुक्त निदेशक (श्री आर0 के0 अग्रवाल) ने वर्ष 1976–77 में करीब 2 लाख रुपए का कनवास 14.40 प्रति मीटर की दर से लिया है जब कि इस कपड़े से तथा अन्य बहुमल्य वस्तुओं के सम्मिश्रण से तैयार तिरपाल का दर अनुबन्ध उपरोक्त अवधि के लिये 12.40 पैसा निश्चित हुआ है? यदि हां, तो तिरपाल के ऊंचे भाव पर कनवास खरीदने का औचित्य क्या है और सरकार इस पर क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री राम प्रकाश—

उद्योग निदेशालय ने वर्ष 1976–77 में कनवास का कोई क्रय नहीं किया। प्रश्न का शेष भाग नहीं उठता।

थाना नैवढ़िया, जिला जौनपुर के थानाध्यक्ष के विरुद्ध श्री सीताराम का प्रार्थना-पत्र

*23—श्री ऊदल—

क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बाजार नैवढ़िया, थाना नैवढ़िया, जिला जौनपुर के निवासी सीताराम को थाने के बड़े थानेदार ने बुरी तरह से मारा और लिखित रिपोर्ट को लेकर फाड़ दिया इस सम्बन्ध में सीताराम ने डाक्टरी मुआइना कराकर जिलाधीश, एस0 पी0 जौनपुर एवं डी0 आई0 जी0 पुलिस, वाराणसी को 31 अक्तूबर, 1977 को प्रार्थना-पत्र भेजा है? क्या प्रश्नकर्ता ने भी तारीख 4 नवम्बर, 1977 को डाक्टरी मुआइना तथा सीताराम की एक दरख्वास्त को अपने पत्र के साथ माननीय मुख्य मन्त्री को भेजा है? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में थानेदार के खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी?

श्री राम नरेश यादव—

प्राप्त सूचना के अनुसार बाजार व थाना नैवढ़िया जिला जौनपुर के निवासी श्री सीताराम को उक्त थाने के बड़े दरोगा द्वारा मारे-पीटे जाने तथा उनकी रिपोर्ट को फाड़ दिये जाने के आरोप सही नहीं है। उक्त आरोप के सम्बन्ध में श्री उमेशचन्द्र व सीताराम का संयुक्त प्रार्थना-पत्र दिनांक 31–10–77 जिसके साथ केवल उमेश चन्द्र की डाक्टरी रिपोर्ट की प्रति संलग्न थी, जिला प्रशासन को प्राप्त हुआ था तथा प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 4–11–77 के साथ भी श्री उमेश चन्द्र व सीताराम के संयुक्त हस्ताक्षर सहित एक प्रार्थना-पत्र, जिसके साथ भी केवल उमेश चन्द्र की डाक्टरी रिपोर्ट की प्रति संलग्न की गई थी, मुख्य मंत्री को प्राप्त हुआ था जिसे जांच के लिये जिला मजिस्ट्रेट, जौनपुर को भेजा गया था। इस प्रार्थना-पत्र में भी थानेदार द्वारा मारे-पीटे जाने तथा रिपोर्ट फाड़ दिये जाने के आरोप लगाये गये थे।

उक्त आरोपों की जांच क्षेत्राधिकारी द्वारा की गई। जांच से आरोप अप्रमाणित रहे। अतः कोई कार्यवाही नहीं की गयी।

पूरनपुर जिला पीलीभीत में पुलिस की गोली से 2 व्यक्तियों की मृत्यु की घटना

*24—श्री ऊदल—

क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि पूरनपुर, जिला पीलीभीत में तारीख 30 व 31 अक्तूबर, 1977 को बिला आदेश के एक डी0 वाई0 एस0 पी0 ने अपनी रिवाल्वर से गोली चलाई थी जिसमें दो नौजवान व्यक्तियों की मृत्यु हो गयी थी ? यदि हां, तो डी0 वाई0 एस0 पी0 के खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री राम नरेश यादव—

सम्पूर्ण घटनाक्रम में किसी डी0 वाई0 एस0 पी0 ने अपनी रिवाल्वर से कोई गोली नहीं चलाई, वरन् उक्त घटनाओं के दौरान दिनाक 30–10–77 को सरकारी सम्पत्ति की सुरक्षा एवं जान माल की रक्षा हेतु पुलिस द्वारा दो बार गोली चलाई गई । एक बार गोली तत्कालीन थानाध्यक्ष, पूरनपुर के आदेश से चलाई गई तथा दूसरी बार क्षेत्राधिकारी, पुलिस के आदेश से उनकी जीप पर बैठे सिपाहियों द्वारा। इस सम्बन्ध में मैंजिस्टीरियल जांच कराई गई जिसके अनुसार जो बल प्रयोग किया गया वह आवश्यक था । इस पृष्ठ भूमि में किसी के खिलाफ कोई कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता है ।

बहराइच के मोहल्ला काजीपुर निवासी श्रीमती रशीदुन्निसा का कांस्टेबिलों के विरुद्ध प्रार्थना-पत्र

*25—श्री कमला प्रसाद वर्मा—

क्या शासन को यह जानकारी है कि श्रीमती रशीदुन्निसा, जलील अहमद आदि कई व्यवितयों साकिन मोहल्ला काजीपुरा, शहर बहराइच, द्वारा मई, 1977 से अगस्त, 1977 में दो स्थानीय पुलिस कर्मचारियों के विरुद्ध मकानों पर अनधिकृत कब्जा करने के सम्बन्ध में भेजा गया शिकायती प्रार्थना-पत्र आई0 जी0 पुलिस, लखनऊ वा पुलिस अधीक्षक, बहराइच को रजिस्ट्री डाक द्वारा प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम नरेश यादव—

प्राप्त सूचना के अनुसार श्रीमती रशीदुन्निसा पत्नी श्री जलील अहमद सा0 मुहल्ला काजीपुर, बहराइच का एक प्रार्थना-पत्र दिनांक 6–7–77 जिसमें दो कानस्टेबुलों के विरुद्ध मकानों पर अनधिकृत कब्जा कराने की शिकायत की गई है । पुलिस अधीक्षक, बहराइच को प्राप्त हुआ था जिसकी जांच की गई तथा उभय पक्षी के विरुद्ध सी0 आर0 पी0 सी0 की धारा 151/107/116 के अन्तर्गत कार्यवाही की गयी । चूंकि यह मामला दीवानी का था अतः दोनों पक्षों को पुलिस द्वारा यह सूचित किया गया था कि वे इस सम्बन्ध में न्यायालय दीवानी से चाराजोई करें ।

मुन्सिफ के पदों पर नियुक्ति

*26—श्री कमला प्रसाद वर्मा—

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य सूची दिनांक 4 अक्तूबर, 1977 के नत्थी (क) के तारांकित प्रश्न संख्या 69 के उत्तर के संदर्भ में क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1975 में वर्ष 1970 की परीक्षा के "अनप्लस्ड अभ्यर्थियों" की नियुक्ति का आधार क्या था और वर्ष 1975 के अपेक्षाकृत अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यार्थियों को सेवा में न लेने का कारण क्या है ?

श्री राम नरेश यादव--

मुन्सिफों की कमी को पूरा करने के उद्देश्य से 1970 की परीक्षा के अनप्लेस्ड अभ्यर्थियों को मुन्सिफ, के पद पर नियुक्त करने हेतु मई, 1974 में निर्णय लिया गया। इन अभ्यर्थियों को नियुक्त करने की विषय में औपचारिकतायें पूरी करने में कुछ समय लग गया जिसके कारण उनकी नियुक्ति अगस्त, 75 में की गयी। वर्ष 1975 की परीक्षा से पहले 100 अभ्यार्थियों को नियुक्त किया गया परन्तु मुन्सिफों की कमी के कारण बाद में इसी परीक्षा के आधार पर 50 और अभ्यर्थियों को नियुक्त करने का निर्णय लिया गया। चूंकि वर्ष 1975 के बाद की परीक्षा जो 1977 में हुई थी का परिणाम प्राप्त हो गया है अत: उसी परीक्षा के आधार पर मुन्सिफों की नियुक्तियां की जायेंगी। इस कारण अब 1975 की परीक्षा के 50 अभ्यर्थियों के अलावा और अधिक अभ्यर्थियों को नियुक्त करने का प्रश्न नहीं उठता।

आपातकाल के राजनैतिक बन्दियों को प्रशस्ति-पत्र दिये जाने के संबंध में जानकारी की मांग

*27--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वर्तमान राज्य सरकार ने आपातकालीन स्थिति के दौरान राजनैतिक बंदियों को प्रशास्ति पत्र देने का निर्णय लिया है ? यदि हां, तो यह प्रशास्ति-पत्र क्या उन लोगों को भी दिए जायेंगे जिन लोगों ने उस समय जेल में रहते हुए माफीनामे लिखे थे तथा बीस सूत्रीय कार्यक्रम का समर्थन किया था ?

श्री राम नरेश यादव--

जी नहीं। शासन द्वारा ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया है। अतः शेष प्रश्न नहीं उठता।

हैबीतात प्रोग्राम के अन्तर्गत "हैबीतात इंडिया" को दिया गया अनुदान

*28--श्री शिवानन्द नौटियाल--

क्या मुख्य मन्त्री बतलायेंगे कि शासन ने वर्ष 1976-77 के आकस्मिक निधि से प्रदेश में ग्रामीण बस्तियों का व्यवस्थित और एकीकृत रूप से सामाजिक एवं आर्थिक विकास करने के लिए "हैबीतात इंडिया" नामक किसी नई दिल्ली की संस्था को पन्द्रह लाख रुपए का अनुदान दिया था ? यदि हां, तो उक्त संस्था ने प्रदेश की कुल कितनी बस्तियों का विकास किया और इस संस्था के पदाधिकारी कौन-कौन व्यक्ति हैं तथा प्रदेश के किन-किन व्यक्तियों एवं अधिकारियों की सिफारिश पर यह धनराशि दी गयी ?

श्री राम नरेश यादव--

जी हां।

(1) इस संस्था ने सूचित किया है कि इन्होंने:--

1--उत्तर प्रदेश के 29 जिलों में 149 ग्रामों का चयन किया है।

2--उपरोक्त में से 20 ग्रामों में यूनियम बैंक आफ इंडिया द्वारा तथा 14 ग्रामों में स्टेट बैंक आफ इंडिया, कानपुर जोन द्वारा टेक्नो इकोनामिक सर्वे सम्बन्धी प्रारम्भिक कार्यवाही की गई है।

हैबीतात इंडिया ने अब तक इस सम्बन्ध में शासन को सर्वे की कोई रिपोर्ट अथवा ग्राम स्तर पर किसी कार्यक्रम को चलाने हेतु कोई संस्तुति उपलब्ध नहीं कराया है।

(2) हैबीतात इंडिया के मेमोरन्डम आफ एसोसिऐशन एण्ड रूल्स रेगुलेशन्स के अनुसार संस्था के फर्स्ट मेम्बरर्स आफ बोर्ड आफ गवर्नर्स में निम्नलिखित थे।

1—श्री चरनजीत चानना, सदस्य, राज्य सभा, नई दिल्ली।
2—श्री बनारसी दास गुप्ता, मुख्य मंत्री, हरियाणा।
3—श्री जैलसिंह, मुख्य मंत्री, पंजाब।
4—श्री एच0 डी0 जोशी, मुख्य मंत्री, राजस्थान।
5—श्री कृष्ण चन्द, लेफ्टीनेन्ट गवर्नर दिल्ली।
6—श्री आर0 सी0 मेहरोत्रा, वाइस चांसलर, दिल्ली विश्वविद्यालय।
7—श्री जय कृष्न वाइस चांसलर, रुढ़की विश्वविद्यालय।

(3) हैवीतात-इंडिया के चेयरमैन श्री चरनजीत चानना, द्वारा तत्कालीन मुख्य मंत्री जी से लिखित अनुरोध उनके प्रार्थना-पत्र दिनांक 18 दिसम्बर, 1976 द्वारा किये जाने पर तत्कालीन मुख्य मंत्री जी ने स्वत: अपने विवेकानुसार 15 लाख रुपये अनुदान स्वरूप हैवीतात इंडिया को दिये जाने सम्बन्धी आदेश पारित कर दिये, जिनके अनुपालन में वित्त विभाग की सहमति से "हैवीतात इंडिया" को दिनांक 3 फरवरी, 1977 को प्रदेश शासन द्वारा पन्द्रह लाख रुपये का अनुदान हैबीतात कार्यक्रम प्रदेश में चलाने हेतु स्वीकृत किया गया।

गाजीपुर जिले के थाना शादियाबाद के ग्राम मजुई में पायी गयी श्री केदार की लाश

*29—श्री देव राम (जिल गाजीपुर)—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 15–16 अक्तूबर, को ग्राम मजुई थाना शादियाबाद, जिला गाजीपुर ने केदार नामक किसी व्यक्ति की मरी लाश पाई गई ? यदि हां, तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या है और मुल्जिमान के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

राम नरेश यादव—

प्राप्त सूचना के अनुसार जनपद गाजीपुर के थाना शादियाबाद के ग्राम मजुई के अन्तर्गत दिनांक 15–16–10–77 को नहीं वरन्, दिनांक 16–9–77 की सुबह एक अज्ञात व्यक्ति जिसके दाहिने हाथ पर 'केदार' लिखा था, का शव मजुई ग्राम के पूरब पुलिया से सटे पश्चिम सड़क पर पड़े होने की सूचना चौकीदार चतुरी ग्राम खुटही थाना शादियाबाद ने थाना शादियाबाद में दी। इस सूचना पर दिनांक 16–9–77 के पुलिस द्वारा लाश को प्राप्त करके पंचायतनामा कराया गया और दिनांक 17–9–77 को लाश का पोस्टमार्टम हुआ। पोस्टमार्टम से मृत्यु का कारण स्पष्ट न हो सकने के कारण मृतक का बिसरा कैमिकल जांच हेतु भेजा गय है। मामला विवेचनाधीन है।

*30—श्री देव राम—

क्या मुख्य मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि मृतक केदार दिनांक 15 अक्तूबर, 1977 को शादियाबाद थाने में सुरक्षा हेतु गया था ? यदि हां, तो पुलिस शादियाबाद ने किस प्रकार की सुरक्षा प्रदान की ?

श्री राम नरेश यादव—

प्राप्त सूचना के अनुसार मृतक दिनांक 15–9–77 को थाना शादियाबाद पुलिस संरक्षण हेतु नहीं गया था। इसे सर्व प्रथम मरे हुए अवस्था में पुलिया के पास देखा गया।

जिला पीलीभीत के आजादनगर निवासी श्री प्रहलाद सिंह का, वन भूमि पर बसाये जाने संबंधी प्रार्थना-पत्र

*31—मुहम्मद रफी खां (जिला शाहजहांपुर)—

क्या सरकार बताएगी कि आजाद नगर कालोनी, तहसील पूरनपुर, जिला पीलीभीत को शारदा नदी के कटाओं के कारण दूसरी जगह सिगाही खुर्द व बसही गांव में जंगल की

जमीन पर बसाने और आजाद नगर की भूमि पर जंगल लगाने से सम्बन्धित गांव वासियों के तरफ से प्रह्लाद सिंह प्रतिनिधि आजाद नगर का कोई प्रार्थना-पत्र श्री मुहम्मद शमसुल हसन खां, एम0 पी0, पीलीभीत के पत्र के साथ माननीय मुख्य मंत्री जी को सितम्बर, 1977 में आखिरी हफ्ते में या अक्तूबर, 1977 के पहले हफ्ते में मिला ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी या की जा रही है ?

श्री श्रीचन्द—

जी हां ।

श्री प्रह्लाद सिंह के प्रार्थना-पत्र पर, वन भूमि की उपलब्धता आदि के बारे में सम्बन्धित अधिकारियों की रिपोर्ट प्राप्त की गई और इस पर अब विचार किया जा रहा है ।

*33—श्री सन्त बख्श रावत—

[माननीय सदस्य ने वापस लिया] ।

मेसर्स रईस ब्रदर्स एण्ड संस, रामपुर के कर्मचारी के साथ राहजनी की घटना एवं पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध जांच

*34—श्री मंजूर अली खां (जिला रामपुर)—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 21 जून, 1976 को श्री हबीब अहमद एण्ड सन्स, रामपुर के लेखाकार से 24,000 रुपए की राहजनी की धनराशि पुलिस अधीक्षक तथा इंस्पेक्टर कोतवाली द्वारा प्राप्त किये जाने के सम्बन्ध में इन दोनों अधिकारियों के कार्यों की जांच गुप्तचर विभाग द्वारा की जा रही है? क्या इस सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता के पत्रांक 2 फरवरी, 3 अगस्त, 1977 व 15 अक्तूबर, 1977 शासन को प्राप्त हुए हैं? यदि हां, तो उन पत्रों में उल्लिखित बातों पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री राम नरेश यादव—

दिनांक 21–6–76 को थाना कोतवाली रामपुर पर मेसर्स रईस ब्रदर्स एंड संस रामपुर के कर्मचारी, श्री मोहम्मद अफजल द्वारा लिखाई गई रिपोर्ट के अनुसार श्री मोहम्मद अफजल, जो फर्म का 24623 रु0 लेकर स्टेट बैंक जा रहे थे, से रईस और इफ्तिखार नामक व्यक्तियों द्वारा राहजनी करके उक्त धनराशि लूट ली गई। राहजनी के इस मामले की जांच में अनियमितताएं किये जाने और संबंधित अधिकारियों द्वारा बरामद की गई धनराशि का कुछ भाग गबन कर लिए जाने की शिकायतें मिलने पर पूरे मामले की जांच अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा कराई गई।

प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 2 फरवरी, तथा 3 अगस्त, 1977 शासन को संबंधित अनुभाग में प्राप्त हुए हैं किन्तु दिनांक 15–10–77 का पत्र प्राप्त हुआ प्रतीत नहीं होता। उक्त शिकायती पत्रों की वही विषयवस्तु थी जिसकी अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा जांच की जा रही थी। अपराध अनुसंधान विभाग की जांच रपोर्ट, जो शासन को प्राप्त हो गई है, के आधार पर तत्कालीन पुलिस अधीक्षक रामपुर के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही किये जाने के प्रश्न पर विचार हो रहा है। तत्कालीन निरीक्षक प्रभारी, थाना कोतवाली रामपुर के विरुद्ध दिनांक 18–1–78 को अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा धारा 201/409/166/217 भा0 द0 वि0 तथा 5(2) भा0 नि0 अ0 के अन्तगत अभियोग पंजीकृत कराया जा चुका है और अभियोग की विवेचना अपराध शाखा, अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा की जा रही है।

सहारनपुर जिले के आसफनगर स्कूल की अध्यापिका श्रीमती रविकान्ता की हत्या

*35—श्री सुमेर चन्द्र गोयल (जिला सहारनपुर)—

क्या गृह मन्त्री उत्तर प्रदेश यह बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 2 सितम्बर, 1977 को आसफ नगर, थाना मंगलौर, जिला सहारनपुर में सहायक अध्यापिका (श्रीमती रविकान्ता चुन्नी) की कुछ गुन्डों द्वारा निर्मम हत्या के सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ? यदि कोई कार्यवाही अभी तक नहीं की गयी तो क्यों ?

श्री राम नरेश यादव—

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 3-9-77 को श्री सूर्य प्रकाश शर्मा ने अपनी पत्नी श्रीमती रविकान्ता, सहायक अध्यापिका, आसफनगर स्कूल के दिनांक 2-9-77 से गुम होने के सम्बन्ध में थाना मंगलौर, जिला सहारनपुर पर लिखित सूचना दी। इस सूचना के आधार पर थाने पर दरयाफ्तहाल जारी करके जांच तुरन्त प्रारम्भ की गई। दिनांक 4-9-77 को उक्त श्री सूर्य प्रकाश शर्मा द्वारा अपनी पत्नी की लाश मोहम्मदपुर झील पर मिलने की लिखित सूचना थाने पर दी गई, जिसके आधार पर मुकदमा अन्तर्गत धारा 302/201 भा0 द0 वि0 में तरमीम करके विवेचना प्रारम्भ की गई। उक्त मुकदमें की विवेचना अपराध अनुसंधान विभाग को सौंप दी गई है।

उत्तर प्रदेश निवासी, नई दिल्ली के रेजीडेन्ट कमिश्नर तथा अतिरिक्त रेजीडेन्ट कमिश्नर द्वारा प्रयोग की गयी स्टाफ कारों पर व्यय

*36—श्री डी0 पी0 बोरा (जिला लखनऊ)—

क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश निवास नई दिल्ली में रेजीडेण्ट कमिश्नर और अतिरिक्त कमिश्नर की दो स्टाफ कारों पर प्रति माह प्रति गाड़ी 500 से 700 लीटर पेट्रोल खर्च होता है ? यदि हां, तो अप्रैल, 1976 से 31 अक्तूबर, 1976 तक प्रति माह कितना-कितना पेट्रोल प्रति गाड़ी खर्च किया है और सरकारी यात्राएं कितनी की गई है ? निर्धारित दर से अधिक पेट्रोल खर्च होने का क्या कारण है ?

श्री राम नरेश यादव—

रेजीडेन्ट कमिश्नर तथा एडीशनल रेजीडेन्ट कमिश्नर को सरकारी कार्य के निष्पादन हेतु आवश्यकता पड़ने पर उत्तर प्रदेश निवास के पूल से गाड़ियां दी जाती हैं। सरकारी कार्य से पूल की गाड़ियों की प्रयोग हेतु पूल की गाड़ियों के लिये पेट्रोल की खपत की प्रतिमाह सीमा निर्धारित नहीं है। 1-4-76 से 31-10-76 तक की अवधि में उपर्युक्त अधिकारियों के प्रयोग में विभिन्न स्टाफ कारों से की गयी सरकारी यात्रा एवं खर्च हुए पेट्रोल की मात्रा का विवरण संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ पर 701 पर)

रेजीडेन्ट आफिस का किराया तथा साज-सज्जा पर व्यय

*37—श्री डी0 पी0 बोरा—

क्या सरकार बताएगी कि उत्तर प्रदेश निवास रेजिडेण्ट आफिस के लिए 12 खम्भा रोड, नई दिल्ली हाउस किराया पर लिया गया है ? यदि हां, तो उसका प्रति माह कितना किराया है और कितना खर्च उसकी साज-सज्जा में किया गया है, क्या सरकार बताएगी कि आफिस को रेजिडेन्स से इतनी दूर किराये पर लेने का क्या कारण है तथा उसमें इस समय कितना स्टाफ काम करता है ?

श्री राम नरेश यादव—

जी हां।

उसका प्रतिमाह रु0 5,112.50 रु0 किराया है। उसकी साज-सज्जा पर गत वर्ष 1,65,000 रु0 व्यय हुए थे और चालू वित्तीय वर्ष में रु078,000 रु0 व्यय हो जाने का अनुमान है।

रेजीडेन्ट आयुक्त के आवास के समीप में कोई अन्य उपयुक्त स्थान उपलब्ध नहीं था। उक्त कार्यालय में 11 कर्मचारियों का स्टाफ काम करता है।

प्रदेश के पूर्वी जिलों में ग्रामीण औद्योगीकरण के अन्तर्गत किये गये कार्य

*38--श्री कल्पनाथ सिंह--

क्या उद्योग मन्त्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश के पूर्वी जिलों में ग्रामीण औद्योगीकरण और छोटे उद्योग धन्धों को प्रोत्साहन देने में कौन-कौन से कदम सरकार द्वारा उठाए गए हैं और किन-किन स्थानों पर नए उद्योग धन्धों को स्थापित करने की कौन-कौन सी योजना सरकार ने वर्ष 1977-78 में लागू की है ?

श्री राम प्रकाश--

प्रदेश के पूर्वी जिलों में ग्रामीण औद्योगीकरण के क्षेत्र में हथकरघा एवं हस्तशिल्प के विकास की विशेष सम्भावनायें हैं इसको दृष्टिगत रखते हुए उत्तर प्रदेश राज्य हथकरघा निगम, गोरखपुर, बस्ती तथा आजमगढ़ जनपदों में हथकरघा सघन विकास की योजना संचालित की गई है। हथकरघा विकास हेतु खलीलाबाद तथा मऊनाथ भंजन में दो प्रोसेस हाउस भी स्थापित किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश निर्यात निगम द्वारा कालीन उद्योग के विकास हेतु बहुत बड़े स्तर पर प्रयास किया जा रहा है जिसमें बुनकरों के प्रशिक्षण एवं उत्पादन केन्द्र स्थापित किये जा रहे हैं और उनकी देश व विदेश में विपणन की व्यवस्था भी कराई जा रही है। भारत सरकार द्वारा संचालित ग्रामीण उद्योग परियोजना गाजीपुर, बलिया, इलाहाबाद तथा देवरिया के जिलों में चल रही है। इस योजना में ग्रामोद्योगों को विशेष रूप से सहायता दी जाती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में 12 जनपद औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े घोषित हैं। अतः इन्हें सरल शर्तों पर वित्तीय सहायता पूंजी विनियोजन के लिए मिलती है।

2--ग्रामीण क्षेत्रों में औद्योगिक विकास हेतु कुटीर एवं लघु स्तर उद्योगों को समूह के रूप में प्रेरित किये जाने की योजना बनाई गई है जिसे विकास केन्द्र योजना का नाम दिया गया है और इस पर कार्यान्वयन प्रारम्भ कर दिया गया है। इस योजना के अन्तर्गत 19 केन्द्र पूर्वी उत्तर प्रदेश में चुने गये हैं।

3--उपर्युक्त के अतिरिक्त औद्योगिक प्रशिक्षण विकसित-भू-खंडों एवं शेडों की उपलब्धता, पूंजी उत्पादान, विद्युत् उपादान तथा प्राविधिक सलाह हेतु उपादान की योजनायें भी कार्यान्वित की जा रही हैं। पूंजी उपादान की योजना केवल बलिया, बस्ती व फैजाबाद में केन्द्रीय सहायता से चलाई जा रही है, शेष योजनाएं सभी जनपदों में कार्यान्वित हो रही हैं। औद्योगिक काम्प्लेक्सेज की योजना के अन्तर्गत फैजाबाद में होजरी काम्प्लेक्स, बस्ती में प्लास्टिक काम्प्लेक्स तथा वाराणसी एवं मऊ में हैण्डलूम काम्प्लेक्स स्थापित किये गये हैं। मिर्जापुर में कजराहट-चुनार सीमेन्ट प्रोजेक्ट की योजना कार्यान्वित की जा रही है। विभिन्न स्थानों पर जो योजनाएं लागू है उनकी सूची भी सुविधार्थ संलग्न है।

(देखिए नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ 704 पर)

पी0 सी0 एस0 संवर्ग को प्रोन्नति संबंधी नियमावली में कथित परिवर्तन

*39--श्री कल्पनाथ सिंह--

क्या सरकार कृपया बताएगी कि पी0 सी0 एस0 संवर्ग की प्रोन्नति सम्बन्धी नियमावली में कोई परिवर्तन इस समय किया गया है ? यदि हां, तो पहला नियम क्या और अब संशोधित नियम क्या है ?

श्री राम नरेश यादव—

जी नहीं।

आजमगढ़ के पहाड़पुर निवासी श्री अब्दुल सत्तार का पुलिस के विरुद्ध शिकायती-पत्र

*40—श्री गिरीश चन्द्र तिवारी (जिला फर्रुखाबाद)—

क्या मुख्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि दिनांक 4 अक्तूबर, 1977 को श्री अब्दुल सत्तार, निवासी मु0 पहाड़पुर, नगर आजमगढ़ का यह शिकायती-पत्र मिला है कि दिनांक 27 मई, 1977 को आवेदक ने धारा 307, 324, 325, 323 में रिपोर्ट लिखाई जिसमें 4 व्यक्ति गम्भीर रूप से घायल हुए किन्तु आज तक पुलिस ने कोई जांच नहीं की और न किसी गवाह के बयान ही लिये गये ? यदि हां, तो उसकी जांच किसके द्वारा और कब कराई गई ? पुलिस की इस कर्तव्य हीनता के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री राम नरेश यादव—

प्राप्त सूचना के आधार पर श्री अब्दुल सत्तार, निवासी आजमगढ़ का एक दिनांक रहित शिकायती-पत्र प्राप्त हुआ था। किन्तु यह कथन सही नहीं है कि 27-5-77 को आवेदक द्वारा धारा 323, 324, 307 भारतीय दण्ड विधान के अन्तर्गत लिखाई गई रिपोर्ट जिसमें 4 व्यक्ति गम्भीर रूप से घायल हुए थे की जांच पुलिस ने नहीं की। इसके विपरीत दिनांक 27-5-77 को ही जांच पुलिस उप निरीक्षक द्वारा प्रारम्भ कर दी गई और उसी दिन विवेचक द्वारा दो बयान भी लिये गये थे। बाद में उक्त पुलिस उप निरीक्षक का स्थानान्तरण हो जाने के कारण दूसरे ए0 एस0 आई0 द्वारा जांच पूरी की गई। अतएव कर्तव्यहीनता के सम्बद्ध कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता। दिनांक रहित पत्र पर भी उप पुलिस अधीक्षक द्वारा जांच की जा चुकी है। जांचो परान्त आरोप सत्य नहीं पाये गये।

श्री चतर सिंह, सैनिक, निवासी ग्राम कसमोली, जिला टिहरी गढ़वाल का पाया गया शव

*41—श्री इन्द्र मणी बड़ौनी—

क्या गृह मन्त्री को यह मालूम है कि दिनांक 10 अक्तूबर, 1977 को टिहरी गढ़वाल में नरेन्द्र नगर के पास एक सैनिक का अस्थि-पंजर मिला है ? यदि हां, तो उसका नाम क्या था और इस विषय में पुलिस ने क्या जांच की तथा अस्थि-पंजर के अतिरिक्त सामान को किस तिथि को पुलिस ने बरामद किया ?

श्री राम नरेश यादव—

प्राप्त सूचना के अनुसार श्री कृपाल सिंह-निवासी ग्राम डागर पट्टी धमानस्यूं, थाना नरेन्द्र नगर, टिहरी गढ़वाल द्वारा उसके गांव के निकट एक लाश पड़े होने की दिनांक 10-10-77 को 12.10 बजे दिन में थाना नरेन्द्रनगर में दी गई लिखित सूचना पर दरयाफ्तहाल अंकित करके दिनांक 10-10-77 को पुलिस द्वारा नरेन्द्रनगर से लगभग सात किलोमीटर दूर सड़क से लगभग दो फर्लांग नीचे खड्डे में क्षत विक्षत व शिनाख्त के अयोग्य दशा में एक अज्ञात व्यक्ति का अस्थिपंजर प्राप्त करके पंचायतनामा कराया गया और दिनांक 11-10-77 को लाश का पोस्टमार्टम हुआ। पोस्टमार्टम से मृत्यु का कारण ज्ञात नहीं हो सका। विवेचना से उक्त शव श्री चतर सिंह, सैनिक, भारतीय सेना, निवासी ग्राम कसमोली पट्टी धमानस्यूं का ज्ञात हुआ। संबंधित दरयाफ्त-हाल दिनांक 26-1-78 को मुकदमा धारा 302/201 भा0 द0 वि0 के अन्तर्गत थाना नरेन्द्र नगर पर कायम किया गया। जिसमें पुनः धारा 394 भारतीय दण्ड विधान भी जोड़ा गया। दिनांक 17-10-77 को घटनास्थल पर छानबीन हेतु गये जांचकर्ता को एक छाता, जूता, जुराब व एक कागज प्राप्त हुआ। विवेचना से प्रकाश में आये अभियुक्तों के विरुद्ध उपरोक्त धाराओं के अन्तर्गत आरोप पत्र दिनांक 7-3-78 को अभियोजन अधिकारी को प्रस्तुत किया गया है।

बांदा जिले में श्री शिवदयाल की पुलिस हवालात में मृत्यु और मृतक के भाई श्री महावीर द्वारा भेजा गया तार

*42—श्री देवकुमार यादव (जिला बांदा)—

क्या यह सही है कि 17/18 अक्तूबर, 1977 की दरमियानी रात हरिजन हवालाती शिव दयाल ठेकेदार की हत्या उसके दुश्मनों द्वारा कर्वी लाकअप जिला बांदा में कर दी गयी ? यदि हां, तो घटना का पूरा विवरण क्या है और सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ? नहीं, तो क्यों ?

श्री राम नरेश यादव—

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 17-10-77 को हरिजन हवालाती श्री शिव दयाल ठेकेदार को ठीक ठाक हालत में भोजन के पश्चात् नियमानुसार 15-16 अभियुक्तों के साथ रात्रि में बैरक में बन्द किया गया। दिनांक 18-10-77 को 6 बजे प्रतिदिन की तरह बैरक खोलने पर उपरोक्त हवालाती मरा पाया गया। पुलिस हिरासत में शिवदयाल की मृत्यु की मजिस्टीरियल जांच कराई जा रही है।

*43—श्री देव कुमार—

क्या यह भी सही है कि उपरोक्त मृतक के वारिसों को मृत्यु की सूचना न देकर शव को खुर्द-बुर्द करके शहादत नष्ट की गयी है ? क्या मृत्यु की खबर पाने के बाद मृतक के बड़े भाई महावीर हरिजन ने 20 अक्तूबर, 1977 को कोई तार शासन को भेजा है ? यदि हां, तो आरोपों का विवरण क्या है और सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ? नहीं, तो क्यों ?

श्री राम नरेश यादव—

यह सही नहीं है कि मृतक के वारिसों को मृत्यु की सूचना न देकर शव को खुर्द-बुर्द करके शहादत नष्ट की गई। मृत्यु की सूचना प्रातःकाल मृतक के बड़े भाई महावीर को दी गई थी जब शाम तक कोई सम्बन्धी नहीं आया तो लाश को बिगड़ने से बचाने के लिए पोस्ट मार्टम के पश्चात् मृत्यु का कारण अज्ञात होने पर वीसरा सुरक्षित रखकर मृतक का संस्कार कर दिया गया। जी हां मृतक के बड़े भाई का तार शासन को दिनांक 20-10-77 को प्राप्त हुआ जिसमें करवी लाकअप के अधिकारी व दुश्मन बलदेव व जर्नादन तथा एस0 ओ0 बढ़ोसा के सांठ-गांठ से विष देकर हत्या के आरोप लगाये गये थे। इस सम्बन्ध में मजिस्टीरियल जांच प्रचलित है।

एग्रो कारपोरेशन, लार, जिला देवरिया के सहायक विक्रेता, श्री कैलाश प्रसाद के गायब होने के संबंध में पत्र

*44—श्री श्री नारायण (जिला देवरिया)—

क्या सरकार को यह जानकारी है कि उत्तर प्रदेश एग्रो कारपोरेशन लार, जिला देवरिया के नवयुवक सहायक विक्रेता एवं स्टोर इंचार्ज खाद्य गोदाम (श्री कैलाश प्रसाद) को 12 अप्रैल, 1977 को कारपोरेशन से गायब कर दिया गया है अथवा जान से मार दिया गया ? क्या यह सही है कि थाने पर रिपोर्ट दर्ज होने पर कैलाश प्रसाद के पिता (श्री विक्रम प्रसाद) ग्राम पकड़ी बुजुर्ग, थानाध्यक्ष पडरौना को मई, 1977 में दिये गये रजिस्टर्ड पत्र तथा श्रीमती सावित्री देवी, पत्नी श्री कैलाश प्रसाद द्वारा जून, 1977 में राज्यपाल महोदय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को दिये गये रजिस्टर्ड पत्र पर इस की सूचना दी ? यदि हां, तो उस पर कौन सी कार्यवाही की जा रही है ? क्या सरकार पूरे मामले को गुप्तचर विभाग द्वारा जांच कराने की कृपा करेगी ?

श्री राम नरेश यादव—
सूचना एकत्रित की जा रही है ।

उत्तर प्रदेश अभियोजन शाखा की सेवा नियमावली और सहायक लोक अभियोजक संघ को मान्यता

*45—श्री हुकुम चन्द्र तिवारी—
क्या मुख्यमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अप्रैल, 1974 से उत्तर प्रदेश के अभियोजन विभाग को पुलिस विभाग से अलग कर दिया गया है ? यदि हां, तो अभियोजन विभाग में कार्यरत कर्मचारियों एवं अधिकारियों के लिये नियमावली सरकार द्वारा बना दी गयी है जिसमें उनकी सेवा, पदोन्नति एवं नियुक्तियों का विवरण अंकित हो ? यदि हां, तो उसे सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री राम नरेश यादव—
जी हां, दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 में आवश्यक संशोधन किये जाने पर विचार करने हेतु शासन द्वारा माहाधिवक्ता, उत्तर प्रदेश की अध्यक्षता में दिनांक, 19 दिसम्बर, 1977 को गठित समिति से, उत्तर प्रदेश अभियोजन शाखा के भावी स्वरूप जिसमें निदेशालय की स्थापना का प्रश्न भी सम्मिलित है, के सम्बन्ध में भी विचार कर अपनी संस्तुति देने का अनुरोध किया गया है । अभियोजन शाखा के विषय पर सिमिति की संस्तुतियां, जो अभी प्राप्त नहीं हुई, हैं, प्राप्त होने पर शासन द्वारा विचार कर निर्णय लिया जायगा तथा सेवानियमावली भी तद्नुसार बनाई जायेगी ।

श्री हुकुम चन्द तिवारी—
क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उनके द्वारा 26 जून, 1977 को उत्तर प्रदेश सहायक अभियोजन अधिकारी संघ का उद्घाटन किया गया था तथा उद्घाटन के समय उन्होंने यह आश्वासन दिया था कि सरकार इस संघ को मान्यता प्रदान करेगी ? यह भी आश्वासन दिया था कि सरक र एक अभियोजन निदेशालय की स्थापना भी करेगी? यदि हां, तो अब तक इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही हो चुकी है ?

श्री राम नरेश यादव—
जहां तक उत्तर प्रदेश के सहायक लोग अभियोजकों के प्रस्तावित संघ को मान्यता देने का प्रश्न है, यह मामला शासन के विचाराधीन है ।

सुल्तानपुर जिले में कुटीर उद्योग बान के विकास योजना की मांग

*47—डाक्टर जितेन्द्र कुमार अग्रवाल (जिला सुल्तानपुर)—
क्या उद्योग मन्त्री को जानकारी है कि सुल्तानपुर एक पिछड़ा जिला है जहां का प्रमुख कुटीर उद्योग बान (चारपाई बिनने के प्रयोग में आने वाला) बनाना है, जिसे लगभग 5,000 मल्लाह परिवार बनाते हैं, यदि हां, तो क्या सरकार इस उद्योग के विकास के लिये शीघ्र सुनिश्चित योजना बनायेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री राम प्रकाश—
जी हां ।

राज्य खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड उक्त उद्योग के विकास हेतु खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग द्वारा आवंटित बजट एवं राष्ट्रीयकृत बकों की सहायता से विकास करने हेतु प्रयत्नशील है ।

वन विभाग द्वारा विद्युत् विभाग से, विद्युत् पोल्स की आपूर्ति पर लिया जाने वाला कमीशन

*48—श्री बाबू लाल विद्यार्थी (जिला गोरखपुर)—

क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1968 से वन विभाग जो जंगल की लकड़ी का ठेका ठेकेदारों को देता है तथा 4 प्रतिशत कमीशन लेकर ठेकेदारों से खरीद कर बिजली विभाग को पुनः सप्लाई करता है, इसका आधार क्या है ?

श्री श्रीचन्द्र—

वन विभाग कोई कमीशन नहीं लेता है । केवल 4 प्रतिशत ओवर हेड चार्जेज विद्युत् पोल्स की पार्सिग व सप्लाई की व्यवस्था हेतु लेता है । पार्सिग एवं सप्लाई की व्ययस्था सुचारु रूप से चलाने हेतु, इसका लिया जाना आवश्यक है । इस कार्य के लिये अतिरिक्त स्टाफ की आवश्यकता होती है । वे नियुक्त भी है । स्टाफ के अलावा कुछ कार्यालय व्यय भी पार्सिग एवं सप्लाई के कार्य के लिये आवश्यक होता है । उसे भी इसी श्रोत से वहन किया जाता है ।

जनता एक्सप्रेस में दादरी व भारीपत रेलवे स्टेशन पर दुधिया लोगों तथा छात्र छात्राओं के साथ मारपीट की घटना

*49—श्री रवीन्द्र सिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि नवम्बर, 1977 में जनता एक्सप्रेस में दादरी व भारीपत स्टेशनों के बीच एन0 सी0 सी0 की छात्राओं को लूट लिया गया था ? क्या उनकी रिपोर्ट कई स्थान पर लिखाने के प्रयास के बावजूद0 भी नहीं लिखी गयी ? यदि हां, तो सरकार इस विषय में क्या कर रही है?

श्री राम नरेश यादव—

जी नहीं ।

शासन को प्राप्त सूचनानुसार दिल्ली से कलकत्ता जाने वाली गाड़ी नं0 40 डाऊन जनता एक्सप्रेस में भारोपत रेलवे स्टेशन पर दिनांक 5-11-1977 को दूधिया लोगों ने गाड़ी में सफर कर रहे छात्र एवं छात्राओं से मारपीट एवं अभद्र व्यवहार किया था ।

वादी बाघनदास ने जी0आर0पी0 खुर्जा में रिपोर्ट लिखाना चाहा था परन्तु समय अभाव के कारण वह ऐसा नहीं कर सके । पुनः उन्होंने अलीगढ़ पहुंचने पर जी0आर0 पी0 को सूचना दे दी परन्तु ट्रेन से उतरने को सहमत नहीं हुए । अतः जी0 आर0 पी0, अलीगढ़ के सब-इंसपेक्टर, श्री तुलाराम शर्मा उनके साथ गये और चलती ट्रेन में उनसे लिखित रिपोर्ट प्राप्त की । रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद भा0 द0 बि0 की धारा 354/323 रेलवे ऐक्ट की धारा 120 के अधीन जी0 आर0 पी0 अलीगढ़ में अपराध दर्ज किया गया है । अभी तक कोई अभियुक्त पकड़ा नहीं जा सका है मामला विवेचनाधीन है ।

फैजाबाद जिले के थाना भीटी के थानाध्यक्ष, श्री अमरनाथ सिंह के विरुद्ध जांच

*50—श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी (जिला फैजाबाद)—

क्या गृह मंत्री को जानकारी है कि जनपद फैजाबाद के थाना भीटी के थानाध्यक्ष (श्री अमरनाथ सिंह) के विरुद्ध एस0 डी0 एम0, अकबरपुर (श्री एम0 कुलश्रेष्ठ) कोई मैजिस्टीरियल जांच कर रहे हैं ? यदि हां, तो आरोप क्या हैं और अब तक की जांच से सरकार किस नतीजे पर पहुंची ? क्या सरकार निष्पक्ष जांच हेतु उक्त थानाध्यक्ष का स्थानान्तरण करने की कृपा करेगी ?

श्री राम नरेश यादव—

जी हां। एक शिकायत की जांच परगना मजिस्ट्रेट द्वारा की जा रही है। शिकायत के प्रमुख बिन्दु निम्नवत् हैं।

1—पुलिस दलालों के सहयोग से कार्य कर रही है।

2—12/13-7-77 को भीटी की पुलिस ने ग्राम मदार के कुछ लोगों के साथ मारपीट की।

3—जिन लोगों को पीटा गया उनसे 500 रु0 रिश्वत भी पुलिस ने ले लिये।

जांच अभी प्रचलित है पूर्ण नहीं हो पायी। थानाध्यक्ष के स्थानान्तरण का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

देवरिया जिले के ग्राम पगार टोला, छपरा निवासी श्री मोती लाल के घर में आगजनी की घटना

*51—श्री श्रीनारायण—

क्या सरकार को यह पता है कि ग्राम पगार टोला, छपरा, जनपद देवरिया के मोती हरिजन, हरिजन का घर सवर्णों द्वारा 10-11 नवम्बर, 1977 की रात को फूंक दिया गया? यदि हां, तो क्यों? क्या यह भी बताने की कृपा करेगी कि मोती हरिजन थाने पर जब रिपोर्ट देने गये तथा उनके रिपोर्ट पर कार्यवाही करने में क्यों बिलम्ब हुआ तथा कौन-कौन अभियुक्त पकड़े गये और उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की जा रही है?

श्री राम नरेश यादव

जी हां। जांच से ज्ञात हुआ कि घर फूंकने का कोई स्पष्ट कारण नहीं, बल्कि रंजिशवश ऐसा हुआ प्रतीत होता है। दिनांक 11-11-77 समय 8.30 बजे सुबह वादी श्री मोती लाल रिपोर्ट लिखाने गये उक्त संबंध में कार्यवाही में कोई विलम्ब नहीं हुआ। वादी की रिपोर्ट पर मु0अ0सं0 158/77 धारा 436 भा0द0वि0 कायम हुआ। चन्द्रभान पुत्र राम प्रताप, गंगा प्रसाद पुत्र हेमा प्रसाद, कपिल देव पुत्र गनेश तथा बैजनाथ पुत्र गंगा चारों अभियुक्त अपने घर से फरार थे इसलिये कोई गिरफ्तार नहीं हुआ। चारों अभियुक्तों ने हाजिर अदालत होकर मुन्सिफ मजिस्ट्रेट कसया के यहां से जमानत करा ली है। चारों अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप-पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया है।

ग्राम मोहब्वा वाला, देहरादून में पेयजल हेतु निर्मित नलकूप

*52—श्री रणजीत सिंह (जिला देहरादून)—

क्या पर्वतीय विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि पेयजल योजना के अन्तर्गत ग्राम मोहब्वा वाला (देहरादून) में एक नलकूप बोर करने का कार्य 1973 में पूर्ण हो चुका था? यदि हां, तो उक्त नलकूप द्वारा ग्रामवासियों को पेयजल की सुविधा उपलब्ध है?

पर्वतीय विकास मंत्री (श्री शोबन सिंह जीना)—

ग्राम मोहब्वावाला (देहरादून) में यद्यपि नलकूप 1974 में बोर हो गया था, उसका विकास कार्य 1975 में पूर्ण हो सका तथा उसके लिये विद्युत मार्च 1977 में मिल सकी।

चूंकि उक्त निर्मित नलकूप से पानी वांछित मात्रा में प्राप्त नहीं हो सका अतः एक अतिरिक्त नलकूप बनाने का प्रस्ताव है। उक्त स्थिति में ग्रामवासियों को पानी नियमित रूप से उपलब्ध कराना संभव नहीं हो सका है।

मिर्जापुर जिले में बीना परियोजना हेतु अधिग्रहीत भूमि का मुआवजा

*53—श्री ईश्वर प्रसाद (जिला मिर्जापुर)—

क्या उद्योग मन्त्री को जानकारी है कि बीना प्रोजेक्ट (मिर्जापुर) के अन्तर्गत जिन काश्तकारों की जमीन अधिग्रहीत की गयी थी क्या सरकार उनको प्राथमिकता के आधार पर नौकरी दे रही है ?उस क्षेत्र के कितने लोग काम कर रहे हैं ?क्या काश्तकारों की जमीन का मुआवजा दे दिया गया है ? यदि नहीं दिया गया, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश—

बीना परियोजना के अन्तर्गत 234 परिवारों की भूमि ली गई थी । विस्थापित परिवारो के लोगों में से कुशल एवं अकुशल व्यक्तियों को नौकरी प्राथमिकता के आधार पर दी गयी है । इस क्षेत्र के कुल मिलाकर 203 स्थानीय व्यक्ति कार्य कर रहे हैं । अवर मुख्य रेवेन्यू पदाधिकारी, सेन्ट्रल कोल-फील्ड लिमिटेड, रांची, द्वारा प्रस्तुत आकड़ों के अनुसार भूमि, मकान, पेड़ आदि कुल को मिलाकर 29,64,665·00रु0 का प्रतिकर बना था जिसमें से 20,14,394.00रु0 का वितरण किया जा चुका है । शेष 9,50,271.00 रुपये वितरण हेतु अवशेष है । इसका शीघ्रातिशीघ्र वितरण कराने हेतु जिलाधिकारी प्रयत्न कर रहे हैं ।

अधीक्षक के पदों पर जेलरों की पदोन्नति

*54—श्री देवबहादुर सिंह—

क्या कारागार मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 15 जुलाई, 1977 को जिन 16 जेलरों को अधीक्षक बनाया गया है उन्हें पदोन्नति किस आधार पर दी गयी ? क्या इस सम्बन्ध में वरीयता का ध्यान रखा गया ? वरिष्ठ जेलर जो पदोन्नति नहीं पाये हैं उसका क्या कारण है? क्या वर्तमान पदोन्नति पाए हुए जेलरों में किसी पर कोई चार्ज-शीट पेंडिग है ?

न्याय मन्त्री (श्री ओम प्रकाश सिंह)—

उस प्रोन्नति का आधार अनुपयुक्तों को छोड़कर वरिष्ठता का था । जो कारापाल अनुपयुक्त पाये गये उनकी पदोन्नति नहीं की गयी थी । 13–7–77 के आदेश के अन्तर्गत प्रोन्नति पाये जेलरों में एक के विरुद्ध प्रशासनिक कार्यवाही चल रही है और उसे प्रत्यावर्तित भी किया जा चुका है ।

झांसी जिले के ग्राम बरधारी के हरिजन स्त्री के दाह संस्कार में सवर्णों द्वारा कथित रुकावट

*55—श्री रणजीत सिंह 'जूदेव' (जिला झांसी)—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार को ऐसी शिकायत मिली है कि झांसी जिले के ग्राम बरधारी में नवम्बर, 1977 में एक हरिजन स्त्री को जो वहां के सवर्णों ने दाह संस्कार नहीं करने दिया जिसके फलस्वरूप उस स्त्री को नदी में बहाया गया ? यदि हां, तो सरकार उन सवर्णों के खिलाफ क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री राम नरेश यादव—

इस प्रकार का कोई शिकायती-पत्र प्राप्त हुआ नहीं, प्रतीत होता है कि झांसी जिले के ग्राम बरधारी में नवम्बर, 1977 में एक हरिजन स्त्री का वहां के सवर्णों ने दाह संस्कार नहीं करने दिया तथा मृतक को नदी में बहाया गया । प्राप्त सूचना के आधार पर घटना इस प्रकार है कि ग्राम बरधारी के निवासी बदलू के लड़के की पत्नी की मृत्यु गर्भावस्था में बीमारी के कारण हुई दाह संस्कार किये जाने के सम्बन्ध में ग्राम के समस्त हरिजन एवं सवर्ण परिवारों द्वारा यह कहा गया कि हिन्दू धर्म में धार्मिक प्रथा के अनुसार गर्भवती स्त्री को जलाना अनुचित है । अतः सर्व सम्मति से मृतक का जल प्रवाह किया गया । यह असत्य है कि सवर्णों द्वारा दाह संस्कार न करने देने पर मृतक की नदी में बहाया गया । सवर्णों के विरुद्ध कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता ।

*56—श्री श्रीनारायण—

[4थे मंगलवार में तारांकित प्रश्न संख्या 48 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

आगरा जिले के श्री प्रेम सिंह, निवासी ग्राम चमरौली की थाना मटसेना में मृत्यु

*57—श्री श्यामदत्त पालीवाल—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार को जानकारी है कि आगरा जनपद के मटसेना थाना में पुलिस की हिरासत में एक व्यक्ति की मृत्यु अक्तूबर, 1977 के अन्तिम सप्ताह में हुई ? यदि हां, तो मृत्यु के बारे में तथ्य क्या है ?

श्री राम नरेश यादव—

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 24–10–77 को थाना मटसेना जनपद, आगरा पर कायम एक मुकदमा अन्तर्गत धारा 396 भा0 दं0 वि0 के सम्बन्ध में श्री प्रेमसिंह पुत्र श्री देव राम यादव, निवासी चमरोली, थाना शिकोहाबाद, जिला मैनपुरी को पूछताछ के लिये थाना मटसेना लाया गया था। उसको दिनांक 25/26–10–77 की रात्रि को थाने में मृत पाया गया।

इस सम्बन्ध में दिनांक 26–10–77 को मृतक के पिता श्री देवराम, निवासी ग्राम चमरौली, थाना शिकोहाबाद, जिला मैनपुरी ने थाना मटसेना की पुलिस के विरुद्ध उसके पुत्र, प्रेम सिंह को दिनांक 24–10–77 को पकड़ के ले जाने, उससे रिश्वत मांगने एवं थाने पर पुलिस द्वारा उसके पुत्र को मार डालने आदि के आरोपों के सम्बन्ध में एक प्रार्थना-पत्र थाना फिरोजाबाद पर दिया ।

उक्त प्रार्थना-पत्र के आधार पर थाना फिरोजाबाद पर मुकदमा अन्तर्गत धारा 302/147/323/161 भा0 दं0 वि0 व 5 (2) पी0 सी0 ऐक्ट अंकित किया गया । अभियोग की विवेचना क्षेत्राधिकारी द्वारा की जा रही है । उक्त घटना की मैजिस्टीरियल जांच भी की जा रही है । इस सम्बन्ध में थानाध्यक्ष मटसेना, सब-इन्सपेक्टर द्वितीय व चार कान्सटेबिलों को निलम्बित किया जा चुका है । मैजिस्टीरियल जांच एवं विवचना पूरी होने पर ही मृत्यु के सम्बन्ध में तथ्य ज्ञात हो सकेंगे ।

राजकीय अधिवक्ताओं के पद पर पिछड़े वर्ग के आरक्षण की मांग

*58—श्री नरेश चन्द्र वर्मा—

क्या न्याय मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि निकट भविष्य में होने वाले जिला स्तर पर राजकीय अधिवक्ताओं के चयन में पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण रखा जायेगा ? यदि हां, तो किस सीमा तक ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

जिला स्तर पर राजकीय अधिवक्ताओं के चयन में कोई औपचारिक आरक्षण तो नहीं है, किन्तु अनुसूचित जातियों व जनजातियों व पिछड़ी जातियों के व्यक्तियों को प्रोत्साहन देने की शासन की नीति है । प्रश्न नहीं उठता ।

फर्रुखाबाद जिले के ग्राम डुड़वा बुजुर्ग निवासी श्री रफीक खां व श्री शफरुद्दीन की हत्या

*59—श्री रणजीत सिंह 'जूदेव'—

क्या सरकार बताने की कृपा करगे कि जनपद फर्रुखाबाद क ग्राम डुड़वा बुजुर्ग में 11/12–6–77 की रात्रि को रफीक खां व शफरुद्दीन का कत्ल कर दिया गया था? वहां क ग्राम निवासियों ने दिनांक 25 जून, 1977 को समस्त उच्च अधिकारियों व मन्त्रियों को प्रार्थना-पत्र भी दिया है ? यदि हां, तो इस पर सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम नरेश यादव—

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 12–6–77 श्री मुख्तयार निवासी ग्राम डुडवा बुजुर्ग (फर्रुखाबाद) ने थाना गुरसहायगंज पर सूचना दी कि दिनांक 11/12–6–77 की रात में दो नामांकित व 3 अन्य लोग रंजिशवश उनके एक रिश्तेदार रफीक खाँ व उनके पिता को जब वे बाग में रखवाली कर रहे थे, मार डालने की नियत से पकड़ ले गये। इस सूचना पर पहले एक मुकदमा धारा 147/148/364 भारतीय दण्ड विधान के अधीन कायम किया गया। उसी दिन पुनः उपरोक्त दोनों व्यक्तियों के मार डालने व उनकी लाश नदी के किनारे जंगल में पाये जाने की सूचना प्राप्त होने पर उपरोक्त मुकदमें में धारा 147/148/364 के अतिरिक्त धारा 302/201 भारतीय दण्ड विधान भी जोड़ा गया। नामांकित दो अभियुक्तों में से एक को पुलिस ने गिरफ्तार किया तथा दूसरे ने न्यायालय में आत्मसमर्पण किया। विवेचना के उपरान्त इन दोनों अभियुक्तों के विरुद्ध प्रस्तुत आरोप-पत्र न्यायालय में विचाराधीन हैं।

उपलब्ध सूचना के अनुसार ग्राम डुड़वा बुजुर्ग के निवासियों का दिनांकित 25–6–77 का प्रार्थना-पत्र प्राप्त होना प्रतीत नहीं होता है। मुकदमा न्यायालय में विचाराधीन है अतः कुछ और कहना उचित न होगा।

*60—श्री राम आसरे वर्मा—

[स्पष्टीकरण के अभाव में निरस्त]

पुलिस कर्मचरियों के आवास-गृहों का निर्माण

*61—श्री अठई राम (जिला इलाहाबाद)—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में अधिकांश थानों पर पुलिस कर्मचारियों के निवास-स्थान के साधन वही है जो अंग्रेजों के जमाने में थे? क्या यह सही है कि पुलिस फोर्स में पहले से दूनी वृद्धि की गयी है? यदि हां, तो क्या सरकार पुलिस के निवास-स्थानों में वृद्धि करने पर विचार करेंगी ?

श्री राम नरेश यादव—

जी हां। फिर भी पुलिस कर्मचारियों के आवास-गृहों में अधिकाधिक वृद्धि किये जाने पर विचार किया जा चुका है एवं इस समय प्रायः समस्त प्रदेश में कई आवासीय योजनायें निर्माणाधीन है।

पुलिस थानेदारों का मोटर साइकिल भत्ता

*62—श्री अठई राम—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में थानेंदारों के लिए मोटर साइकिल सम्बन्धी भत्ते अब भी सिर्फ 30 रु0 (तीस रु0) प्रति माह दिया जाता है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस भत्ते में बढ़ोत्तरी करने की कृपा करे गी ?

श्री राम नरेश यादव—

प्रदेश के मैदानी क्षेत्र में नियुक्त नागरिक पुलिस के थानेदारों को रुपया 30.00 प्रति-माह की दर से मोटर साइकिल भत्ता दिया जाता है। मोटर साइकिल भत्ते में वृद्धि किये जाने का प्रश्न शासन के विचाराधीन है और वित्तीय संसाधनों एवं औचित्य को देखते हुए इस पर निर्णय लिया जायगा।

पिथौरागढ़ जिले के वन विभाग के मोटर मार्गों का सार्वजनिक निर्माण विभाग को स्थानान्तरण

*63—श्री नारायण सिंह भैंसोरा—

क्या शासन बताने की कृपा करेगा कि जनपद पिथौरागढ़ के अन्तर्गत वन विभाग द्वारा निर्मित मोटर मार्गों का यातायात की सुविधा के लिए सार्वजनिक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण

करने पर विचार किया जा रहा है, क्या इस सम्बन्ध में जनता एवं विधायकों द्वारा सम्बन्धित विभाग से प्रार्थना की गयी है ? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गयी है और हस्तान्तरण कब तक कर दिया जायगा ?

श्री श्रीचन्द—

जी हां ।

समय-समय पर जनता एवं विधायकों से प्राप्त सुझावों पर विचार करने के उपरान्त अभी तक पिथौरागढ़ जनपद से निम्नलिखित पांच मोटर मार्गों का हस्तान्तरण सार्वजनिक निर्माण-विभाग को किया जा चुका है:—

1—धूनाघाट–भिंगराडा

2—भिंगराडा—रीठा साहब

3—लोहाघाट—बाराकोट

4—सात सिलिंग–सिंगोली

5—धोरपाटा–भवानी मार्ग

कुछ और सड़कों को सार्वजनिक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण करने के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा इस सम्बन्ध में औपचारिकतायें पूरी की जा रही हैं तथा उनसे आवश्यक प्रस्ताव एवं आख्या प्राप्त होने पर शासन द्वारा मामले में निर्णय लिया जायगा ।

आपातकाल में गोंडा जिले के पद का दुरुपयोग करने वाले पुलिस सब-इन्सपेक्टर

*64—श्री दीपनारायन (जिला गोंडा)—

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गोण्डा जिले में वर्तमान समय में कितने पुलिस इन्सपेक्टर ऐसे हैं जिनके विरुद्ध आपातकालीन स्थिति में पद के दुरुपयोग के विषय में जांच हुयी थी तथा क्या उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही अब तक की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम नरेश यादव—

गोण्डा जिले में ऐसा कोई पुलिस इन्सपेक्टर नहीं है जिसके विरुद्ध आपातकालीन स्थिति में पद की दुरुपयोग के विषय में कोई जांच हुई थी ।

ग्राम मुनिया पुरवा तथा धनी पुरवा व रीवा में नहर के पानी के संबंध में मारपीट की घटना

*65—श्री श्याम नारायण तिवारी (जिला गोरखपुर)—

क्या शासन को पता है कि दिनांक 3 जुलाई, 1977 को ग्राम मुनिया पुरवा मजरे करनपुर, थाना देवा के हरिजनों को तासपुर व रीवा के अहिरों ने बुरी तरह से मारा-पीटा और उनका पानी नहर का जाने से बन्द कर रखा है और इस आशय का विवरण सहित प्रार्थना-पत्र हरिजनों द्वारा दिनांक 2 जुलाई, 1977 को जिलाधीश को देने के बावजूद भी कोई रोक-थाम की कार्यवाही नहीं की गयी ? यदि हां, तो शासन द्वारा क्या ठोस कार्यवाही की गई है ?

श्री राम नरेश यादव—

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 3–7–77 को नहर के पानी के बारे में ग्राम मुनिया पुरवा तथा ग्राम धनी पुरवा और रीवा निवासियों के बीच कहा सुनी व मारपीट हुयी । इस संबंध में 13 सवर्गों के विरुद्ध मु0 अ0 सं0-151/77-धारा 147/323/336 भा0 दं0 वि0 के अन्तर्गत मुकदमा कायम करके विवेचना की गयी दिनांक 21-7-77 को सभी अभियुक्तों

के विरुद्ध आरोप-पत्र न्यायालय भेजा गया। उपरोक्त मामले में 9 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया तथा 4 अभियुक्तों ने दिनांक 21-7-77 को आत्म समर्पण किया। मुकदमा न्यायालय के विचाराधीन है। जिला मजिस्ट्रेट, बाराबंकी के अनुसार गांव में पुलिस तैनात कर दी गयी है तथा हरिजनों को प्रति सप्ताह ढाई दिन नहर से पानी देने की व्यवस्था कर दी गयी है।

*66---श्री सोहन वीर सिंह तोमर---

[माननीय सदस्य की प्रार्थना पर स्थगित।]

*67---श्री कृष्णा राय---

[4थे सोमवार में तारांकित प्रश्न संख्या 38 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

आपातकाल में अनिवार्य रूप से सेवा निवृत्त कर्मचारियों की पुनर्नियुक्ति की मांग

श्री प्रदीप कुमार यादव (जिला बाराबंकी)---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि शासन की ओर से कोई ऐसे निर्देश उच्च अधिकारियों को दिये गये हैं कि आपात स्थिति के दौरान जिन राज्य कर्मचारियों को अनिवार्य रूप से सेवा निवृत कर दिया गया है। उन्हें पुन: काम पर लगा लिया जावेगा ? यदि हां, तो क्या उक्त आदेशों का पालन किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम नरेश यादव---

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

नैनीताल क्लब में अग्निकाड एवं गोली काण्ड

*69---श्री गोविन्द सिंह नेगी---

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जंगलों की नीलामी के अवसर पर गत नवम्बर में नैनीताल में छात्रों पर गोलीबारी की गयी ? यदि हां, तो उसमें कितने लोग घायल हुए या मारे गये ?

श्री राम नरेश यादव---

दिनांक 28 नवम्बर, 77 को कुमायूं वृत्त के वनों की नीलामी के अवसर पर उपद्रवी छात्रों, उत्तराखंड संघर्ष वाहिनी के सदस्यों एवं असामाजिक तत्वों द्वारा नैनीताल क्लब में भयंकर आग लगाये जाने पर तथा और अधिक नुकसान को रोकने के उद्देश्य मे, जब फायर बिग्रेड द्वारा पानी फेंकने, टियर-गैस का प्रयोग करने तथा लाठी चार्ज करने के बावजूद नियंत्रण नहीं पाया जा सका, तो परगनाधिकारी, नैनीताल की आज्ञा से पुलिस को उपद्रवी भीड़ (दो ढ़ाई हजार) के तितर बितर करने के लिये गोली चलानी पड़ी।

उक्त गोली बारी से कोई भी उपद्रवकारी न तो घायल हुआ और न ही किसी की मृत्यु हुई।

पिथौरागढ़ जिले के गंगोलीहाट विकास खंड में विचाराधीन सीमेंट उद्योग की स्थापना

*70---श्री नारायण सिंह भैंसोरा---

क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि जनपद पिथौरागढ़ के विकास खंड, गंगोलीहाट में सीमेंट उद्योग कब तक लगाया जायगा और उसमें कुल लागत एवं प्रतिवर्ष उत्पादन कितना होने का अनुमान है ? क्या इसमें स्थानीय लोगों को रोजगार प्राथमिकता के आधार पर दिया जायगा ?

श्री राम प्रकाश—

जनपद पिथौरागढ़ के गंगोलीहाट विकास खंड में सीमेंट उद्योग स्थापित करने की तकनीकी सम्भावना एवं अर्थ क्षमता का विस्तृत परीक्षण प्रगति पर है। उसके पश्चात् ही कारखाने के आकार, लागत, आदि के संबंध में स्थिति निश्चित हो सकेगी। यदि कारखाना लग सका तो उपयुक्त योग्यता के स्थानीय लोग उपलब्ध होने पर उन्हें सेवा में प्राथमिकता देने का यथा-सम्भव प्रयास किया जायगा।

टिहरी-गढ़वाल के ग्राम धारकोट में हरिजनों के मकान जलाये जाने संबंधी मुकदमा

*71—श्री इन्द्रमणि बड़ोनी—

क्या मुख्य मंत्री को मालूम है कि दिनांक 11 अक्तूबर, 1976 को पट्टी सिलगढ़ टिहरी-गढ़वाल ग्राम धारकोट में हरिजनों के मकान जलाये गये ? यदि हां, तो सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की है ?

श्री राम नरेश यादव—

प्राप्त सूचना के अनुसार प्रश्न में उल्लिखित घटना की पुष्टि नहीं हुई। आरोपित घटना के संबंध में ग्राम धारकोट निवासी, श्री धूमलाल ने दिनांक 10 नवम्बर, 76 को तथा श्री धनपति ने दिनांक 11 नवम्बर, 1976 को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, टिहरी-गढ़वाल के न्यायालय में वाद धारा 147/149/436 भारतीय दण्ड विधान के अन्तर्गत दायर किया था। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, टिहरी-गढ़वाल द्वारा उक्त वाद सत्र न्यायालय, टिहरी-गढ़वाल को सुपुर्द किये गये किन्तु अपराध साबित न होने के कारण सत्र न्यायालय, टिहरी-गढ़वाल ने उक्त वादों से संबंधित अभियुक्तों को दिनांक 15 अक्तूबर, 1977 को रिहा कर दिया। प्रश्नगत मामलें में न्यायालय का निर्णय हो चुका है अतः कुछ और कहना उचित न होगा।

आपातकाल में वारन्ट के फलस्वरूप फरार रहने वाले कर्मचारियों की पुर्नानियुक्ति

*72—श्री श्यामदत्त पालीवाल—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या आपात स्थिति के दौरान मीसा तथा डी० आई० आर० के अन्तर्गत वारंट होने के कारण फरार होने की वजह से जिन व्यक्तियों की सेवाएं समाप्त कर दी गयीं थीं उनकी पुनः सेवा में लिये जाने के बारे में कोई राजाज्ञा जारी की गई है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार इस संबंध में राजाज्ञा जारी करने पर विचार करेगी ?

श्री राम नरेश यादव—

शासन द्वारा यह आदेश जारी किये जा चुके हैं कि जो सरकारी कर्मचारी, तथा शिक्षा विभाग के एवं शिक्षा संस्थाओं के कर्मचारी, आपातकालीन स्थित में "मीसा" के अन्तर्गत निरुद्ध किये गये अथवा अन्य राजनैतिक कारणों से दंडित किये गये उन्हें तत्काल जेल से रिहा किया जाय और जो अन्य दंड भोग रहे हों उसे समाप्त करके उन्हें यथापूर्व स्थिति पुनः सेवा में स्थापित किया जाय। इस शासनादेश के अनुक्रम में यह स्पष्ट करते हुये कि मीसा तथा डी० आई० आर० के अन्तर्गत राजनैतिक कारणों से वारंट जारी होने के कारण फरार रहने से सेवा से हटाये गये सरकारी कर्मचारियों को भी सेवा में यथापूर्व स्थापित किया जाय शासनादेश जारी कर दिये गये हैं।

सचिवालय के अनप्लेस्ड अपर वर्ग सहायकों की वरिष्ठता संबंधी मुकदमा

*73—श्री रियासत हुसैन—

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1977 के 7 वें मंगलवार (दिनांक 18-10-77) के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न संख्या 5 के उत्तर के क्रम में मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या 1972 से पूर्व की परीक्षाओं में उत्तीर्ण अनप्लेस्ड अपर वर्ग सहायकों की वरिष्ठता के संबंध में भी

क्या कोई विवाद माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है ? यदि नहीं, तो अभी तक उन समस्त अनप्लेस्ड अवर वर्ग सहायकों को स्थायी क्यों नहीं किया गया जो सचिवालय में 1972 के पहले से सेवा कर रहे हैं ? इन समस्त सहायकों को स्थायी करने के संबंध में शासन द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है?

श्री राम नरेश यादव—
जी, हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जिला कारागार, आजमगढ़ में माध्यमिक विद्यालय के अध्यापकों पर कथित लाठीचार्ज

*74—श्री गोविन्द सिंह नेगी तथा श्री मंजूर अहमद (जिला मेरठ)—
क्या कारागार मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि माह दिसम्बर, 1977 में आजमगढ़ जेल में माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों पर लाठी चार्ज करने के क्या कारण थे ? कितने शिक्षकों को इसमें चोटें आई ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—
माह दिसम्बर, 1977 में जिला कारागार, आजमगढ़ में माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों पर कोई लाठी चार्ज नहीं हुआ था वरन् कुछ बन्दियों और कुछ शिक्षकों के बीच दिनांक 15 दिसम्बर, 1977 को मारपीट हो गई थी जिसमें 10 अध्यापकों को तथा 3 बन्दियों तथा 1 बन्दी रक्षक को साधारण चोट आई ।

गाजियाबाद (नोयड़ा) नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण के शेडों का आवंटन और दिल्ली स्थित कार्यालय तथा अधिकारियों के आवास का किराया

*75—श्री नरेन्द्र सिंह (जिला मेरठ)—
क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि न्यू ओखला इन्डस्ट्रियल डेवलपमेंट आथोरिटी, गाजियाबाद में अब तक सरकार का लगभग 20 करोड़ रुपया खर्च हो चुका है ? क्या यह भी सत्य है कि लगभग एक हजार शेड्स वहां खाली पड़े हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार कारणों की जांच करायेगी ?

श्री राम प्रकाश—
नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण (नोयड़ा) को राज्य सरकार द्वारा अब तक कुल रु0 11 करोड़ की धनराशि ब्याज पर "रिवाल्विंग फंड" के रूप में उपलब्ध कराई गई है। कुल 1,082 प्रार्थना-पत्रों के विरुद्ध 1,010 शेड्स निर्माण किये जा रहे हैं । 31 दिसम्बर, 1977 तक 654 शेड्स तैयार हुये थे जिनमें 255 शेडों का वास्तविक कब्जा आवंटी उद्यमियों द्वारा लिया जा चुका है । शेष पर कब्जा देने की औपचारिक प्रक्रिया चल रही है और उसमें कोई अनावश्यक विलम्ब नहीं हुआ है ।

*76—श्री नरेन्द्र सिंह—
क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि न्यू ओ0 इन्ड 0 डेव 0 ओ0 (नोभडा), गाजियाबाद का आफिस नई दिल्ली मे है और 12,000 रुपया प्रतिमाह उसका किराया दिया जा रहा है ? क्या यह भी सत्य है कि नोभडा में कार्य करने वाले अधिकारियों पर दिल्ली में उन्हें रखने पर 25,000 रुपये से अधिक प्रतिमाह खर्च किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस संबंध में कार्यवाही करेगी ?

श्री राम प्रकाश—

"नोयड़ा" का मुख्य कार्यालय उसके कार्यस्थल पर है किन्तु दिल्ली और देश की अन्य महानगरियों तथा देश के भारतीय उद्यमियों की सुविधा के लिये एक कार्यालय दिल्ली में रक्खा गया है जिसका मासिक किराया रु0 16,000 प्रतिमाह है ।

नोयड़ा क्षेत्र में समुचित आवासीय सुविधा उपलब्ध न होने के कारण कर्मचारियों हेतु किराये पर लिये गये मकानों के किराये अथवा उन्हें दिये जाने वाले किराये भत्ते के रूप में लगभग 47,000रु0 मासिक व्यय करना पड़ रहा है । प्राधिकरण ने अब अपने कर्मचारियों के लिये नोयड़ा क्षेत्र में मकान निर्माण करने का निर्णय ले लिया है और इस बारे में अग्रिम कार्यवाही की जा रही है ।

गोविन्द बल्लभ पन्त शुगर फैक्ट्री, किच्छा के गोदामों में कथित चोरी

*77—श्री रामदत्त जोशी—

क्या गृह मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि दिनांक 15/16 अगस्त, 1976 को किच्छा शुगर फैक्ट्री किच्छा की ओर से थाना किच्छा (नैनीताल) में फैक्ट्री के स्टोर से काफी सामान की कथित चोरी हो जाने की कोई रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी ? यदि हां, तो कथित चोरी में कुल कितन अदद सामान चोरी चला गया और वह कुल सामान कितने वजन का था ? क्या यह सही है कि उपरोक्त रिपोर्ट की जांच के बाद पुलिस ने उस पर फाइनल रिपोर्ट लगा दी ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री राम नरेश यादव—

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 15/16 अगस्त, 1976 की रात्रि में गोविन्द बल्लभ पन्त शुगर फैक्ट्री, किच्छा के गोदाम मे हुई कथित चोरी की घटना के संबंध में दिनांक 16 अगस्त, 1976 को उक्त शुगर फैक्ट्री के डिप्टी जनरल मैनेजर द्वारा थाना किच्छा पर रिपोर्ट लिखाई गई थी जिसमें, 231.545 किलोग्राम वजन क तांबे के तार के साथ-साथ अन्य सामान चोरी जाने का उल्लेख था । प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतिलिपि संलग्न है जिसमें चोरी गई सामान का पूर्ण विवरण दिया हुआ है। उक्त रिपोर्ट के आधार पर अभियोग अन्तर्गत धारा 457/390 भा0 दं0 वि0 पंजीकृत कर विवेचना की गई । माल व मुलजिम का पता न चलने पर विवेचना अन्तिम रिपोर्ट द्वारा समाप्त की गई ।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ 706 पर)

अभिरक्षा में रखे गये बन्दियों के भोजन पर व्यय की जाने वाली धनराशि

*78—श्री बाबू लाल सरोज (जिला प्रतापगढ़) तथा श्री रामआधार (जिला आजमगढ़)—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फी मुल्जिमान को थाने पर जो 6 आना खुराक फी दिन के हिसाब से दी जाती है, उसमें कोई संशोधन करेंगे ?

श्री रामनरेश यादव—

प्रदेश के मदानी क्षेत्रों में पुलिस अभिरक्षा में रखे गये विचाराधीन बन्दियों के भोजन पर 1.25 पैसे प्रति दिन प्रति बन्दी तथा पर्वतीय क्षेत्रों में विचाराधीन बन्दियों के भोजन पर 1.50 पैसे प्रतिदिन प्रतिबन्दी के हिसाब से व्यय किया जाता है । इन दरों को पुनरीक्षित किये जाने का कोई प्रस्ताव शासन के विचाराधीन नहीं है ।

पुलिस चौकी, नीमसार, जिला सीतापुर के विरुद्ध भ्रष्टाचार संबंधी शिकायती-पत्र

*79—श्री चन्द्र सेन सिंह (जिला जौनपुर)—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पुलिस चौकी नीमसार, जिला सीतापुर के विरुद्ध जुलाई, 1977 से अब तक कितनी भ्रष्टाचर की शिकायतें शासन को प्राप्त

हुई है क्या यह भी सही है कि उक्त चौकी के थानेदार का स्थानान्तरण उन्हीं शिकायतों के आधार पर पुलिस अधीक्षक, सीतापुर ने थोड़े दिन पूर्व वहां से कर दिया गया था परन्तु शासन ने उस आदेश को निरस्त कर दिया ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री राम नरेश यादव—

पुलिस चौकी नीमासार, जिला सीतापुर के विरुद्ध भ्रष्टाचार से संबंधित इस अवधि में चार प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुये थे । संबंधित शिकायतों पर पुलिस अधीक्षक, सीतापुर से जांच कराई गई जो असत्य पायी गयी । उक्त चौकी के संबंधित सब-इन्सपेक्टर पुलिस अधीक्षक, सीतापुर द्वारा किया गया स्थानान्तरण शासन द्वारा निरस्त नहीं किया गया।

जिला जेल, मेरठ के कतिपय सामानों के साथ पकड़ी गयी ट्रक

*80—श्री मंजूर अहमद—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 19 मई, 1977 की रात ढ़ाई बजे जिला जेल मेरठ के अधिकारियों की साजिस से जेल खोलकर गोदाम से घी के टीन, दाल, आटा, आलू, तेल, सीमेन्ट, खाद की बोरियां आदि ट्रक में लादी गयी जिसकी सूचना डी0 एम0, एस0 एस0 पी0, डी0 एस0 पी0 तथा डी0 आई0 जी0 जेल की मिली और सिविल लाइन, जिला मेरठ में ट्रक पकड़ी गयी ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही हुई ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

इस प्रकार का एक लेख मेरठ स्थानीय साप्ताहिक पत्र 'राष्ट्रीय सम्मुख' में छपा था जिसकी एक प्रति शासन को उसके सम्पादक द्वारा भेजी गयी थी। इस प्रकरण में जिला अधिकारी, मेरठ के माध्यम से जांच कराई जा रही है।

अतारांकित प्रश्न

हर्षा ट्रैक्टर लि0, गाजीपुर के ट्रेक्टर्स की कीमत में दी गयी छूट

1—श्री सोहन लाल (जिला रामपुर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गाजियाबाद स्थित "हर्षा ट्रैक्टर्स लि0" कम्पनी ने जनवरी, 1977 से हर्षा ट्रैक्टर का मूल्य 800 रु0 कम कर दिया परन्तु उसके प्राभिन्न अंगों की कीमत अलग लगाकर 1,100 रु0 अधिक वसूल की जा रही है। क्या सरकार इसकी जांच कराके कार्यवाही करने की कृपा करेगी ?

श्री राम प्रकाश—

"हर्षा ट्रक्टर्स लि0" गाजियाबाद में अपने रुके हुये स्टाक की निकासी के उद्देश्य से हर्षा ट्रैक्टर संख्या 25-ए–1 का मूल्य, जो दिसम्बर, 1976 में 35,922 रु0 था, अस्थायी तौर पर घटाकर 4 जनवरी, 1977 से 34,922 रु0 कर दिया था। उक्त दोनों ही मूल्यों पर 15 प्राभिन्न अंग ट्रैक्टर के साथ नि: शुल्क दिये गये थे। अत: इसकी जांच कराने का प्रश्न नहीं उठता है ।

ग्राम सभा लाल ढांग, रामनगर, जिला नैनीताल के किसानों का, वन भूमि के आवंटन संबंधी प्रार्थना-पत्र

2—श्रीराम दत्त जोशी :—

क्या वन मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि माह अगस्त, 1977 तथा सितम्बर, 1977 में रामनगर डिवीजन के अन्तर्गत लालढांक नामक गांव के किसानों द्वारा उपरोक्त

गांव की भूमि वन विभाग द्वारा ले लिये जाने तथा बदले में उतनी ही भूमि उन्हें वन विभाग द्वारा दिये जाने सम्बन्धी कोई प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुये है ? यदि ह, तो उन पर अभी तक क्या कार्यवाही हुई है।

श्री श्रीचन्द्र —

जी हां। ग्राम सभा लालढांग, रामनगर, जिला नैनीताल का एक प्रार्थना-पत्र माह अगस्त, 1977 में प्राप्त हुआ था जिसमें यह अनुरोध किया गया था कि वन विभाग उक्त ग्राम की सम्पूर्ण भूमि अपने अधिकार में ले ले तथा बदले में उतनी ही वन भूमि हल्दुवा नामक स्थान के समीप आवंटित कर दे। किन्तु हल्दुवा के समीप वन भूमि पर ग्राम धारा, झिरना आदि के ग्रामवासियों जिनकी कृषि भूमि को कार्बेट नेशनल पार्क के अन्य वन्य जन्तुओं द्वारा बहुत क्षति पहुंचाई जा रही है, को बसाने के प्रश्न पर विचार करके, रिपोर्ट देने हेतु शासन द्वारा एक समिति गठित की गयी है। उक्त समिति की रिपोर्ट प्रतीक्षित है। समिति की रिपोर्ट प्राप्त होने पर ही स्थिति स्पष्ट होगी और तभी लालढांग के निवासियो की उक्त प्रार्थना पर विचार किया जाना सम्भव होगा।

पर्वतीय क्षेत्र में आयोजनागत धनराशि का आवंटन तथा अनुमानित व्यय

3—श्री इन्द्रमणि बड़ौनी :—

क्या पर्वतीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पर्वतीय जिलों के विकास के लिये सन् 1974–75 व सन् 1975–76 व सन् 1976–77 में प्रतिवर्ष कितना धन मिला उसमें से कितना व्यय हुआ तथा आठ पर्वतीय जिलों में प्रत्येक जिले को प्रतिवर्ष कितना धन किस आधार पर आवंटित हुआ ?

श्री शोबन सिंह जीना —

पर्वतीय जिलों के आयोजनागत विकास के लिये वर्ष 1974–75, 1975–76 तथा 1976–77 में क्रमशः 21 करोड़ रु0, 23 करोड़ रु0 तथा 37.75 करोड़ रुपये का परिव्यय निर्धारित हुआ जिसके विपरीत वर्ष 1974–75 ,1975–76 तथा 1976–77 में अनुमानित व्यय क्रमशः 26.36 करोड़, 26.68 करोड़ रु0 तथा 43.95 करोड़ रु0 है।

जहां तक जिलेवार आवंटन का प्रश्न है, वह शासन स्तर पर नहीं किया जाता है। विकास विभागों को विकास मदवार (सेक्टरवार) परिव्यय का आवंटन किया जाता है। जो चालू कार्यक्रमों की आवश्यकताओं तथा क्षेत्र की विशिष्ट समस्याओं आदि के आधार पर जिलों की योजनाओं के लिये आवंटन करते हैं। विभागों से प्राप्त सूचना के आधार पर आयोजनगत धन का आवंटन तथा उसके समक्ष व्यय का विवरण जिलेवार संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'छ' उत्तर आगे पृष्ठ 707 पर।)

आपात स्थिति में प्रदेश की जेलों में मृतक राजनैतिक बन्दियों की सूची एवं आश्रितों को प्रदान की गयी आर्थिक सहायता

4—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या कारागार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आपातकालीन स्थिति के दौरान प्रदेश की किस-किस जेल में किस-किस तिथि को किन-किन राजनैतिक बन्दियों की मृत्यु हुई तथा उनके आश्रितों को कितनी कितनी आर्थिक सहायता दी गयी ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

आपातकालीन स्थिति के दौरान प्रदेश में मीसा/डी० आई० एस० आई० आर० के अन्तर्गत निरुद्ध ऐसे राजनैतिक/प्रतिबन्धित संस्थाओं से सम्बद्ध बन्दियों, जिनकी मृत्यु उनकी निरुद्धि के दौरान प्रदेश की जेलों में अथवा जिला अस्पतालों में भिन्न-भिन्न तिथियों में हुई, उनकी सूची संलग्न तालिका में प्रस्तुत है ।

इन मृतक राजनैतिक बन्दियों में स्व० श्री बाबू राम मल के आश्रितों को शासन द्वारा रु० 866.15 अनुरक्षण भत्ता का भुगतान किया जा चुका है ।

इसके अतिरिक्त इन मृतक बन्दियों के आश्रितों को आर्थिक सहायता दिये जाने की एक योजना राज्य सरकार ने स्वीकार की है जिसके अनुसार राजनैतिक आधार पर 'मीसा' तथा 'डिसिर' के अन्तर्गत नजरबन्द ऐसे बन्दियों जिनकी मृत्यु हिरासत के दौरान हो गई थी, के आश्रित व्यक्ति जो दयनीय स्थिति में हैं, को एकमुश्त अनुदान जिसकी धनराशि कम से कम रु० 5,000 तथा अधिकतम 10,000 रु० की सीमा तक होगी, प्रदान की जायगी । राज्य सरकारके समस्त जिला मजिस्ट्रेटों को यह आदेश भेज दिये हैं कि वह इस योजना का अपने जिले में व्यापक प्रचार करायें तथा पात्र व्यक्तियों के आवेदन-पत्रों को पूर्ण तथ्यों एवं विवरणों के साथ शासन को अग्रसारित करें । जैसे-जैसे प्रार्थनायें प्राप्त होंगी उनका परीक्षण कर योजना के अन्तर्गत नियमानुसार सहायता स्वीकृत की जायगी ।

(देखिए नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ 708 पर)

शाहजहांपुर जिले की छठवीं योजना पर विचारार्थ हुयी बैठक एवं सड़कों के निर्माण का लक्ष्य

5—श्री कल्पनाथ सिंह—

क्या सरकार को पता है कि शाहजहांपुर जनपद की छठवीं योजना के प्रारूप पर विचार-विमर्श हेतु संसद सदस्यों की अध्यक्षता में 15 व 28 अक्तूबर, 1977 को बैठकें हुई और जिला अधिकारी एवं सभी विभागाध्यक्ष भी उपस्थित रहे ? यदि हां, तो इन बैठकों में कौन-कौन से निर्माण-कार्यों को प्राथमिकता दी गई? जनपद में छठी योजना में कितनी किलो मीटर सड़कें बननी हैं, उनमें प्रमुख कौन-कौन हैं ?

श्री राम नरेश यादव—

जी हां । लोक सभा सदस्य श्री सुरेन्द्र विक्रम सिंह की अध्यक्षता में दिनांक 15 तथा 26 अक्तूबर, 1977 को बैठकें हुई थीं । योजना में कृषि, सिचाई उद्योग बिजली, पेयजल सड़कों को प्राथमिकता दी गयी है । छठी योजना में जन प्रतिनिधियों की समिति से प्राथमिकता के आधार पर 249 किलोमीटर नई सड़कों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया था तथा प्रमुख सड़कों का विवरण संलग्न तालिका 'क' में दिया गया है ।

(देखिए नत्थी 'झ' आगे पृष्ठ 710 पर)

प्रदेश में हुये साम्प्रदायिक दंगों में जन-धन की क्षति

6—श्री हरिकेवल प्रसाद (जिला देवरिया)—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में सितम्बर, 1977 से 4 नवम्बर, 1977 तक किन-किन स्थानों पर साम्प्रदायिक दंगे हुए तथा दंगों में जन-धन की कितनी क्षति हुई तथा दंगा होने का मुख्य कारण क्या है ?

श्री राम नरेश यादव—

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 4 सितम्बर, 1977 से 4 नवम्बर, 1977 तक की अवधि में चार जिलों अर्थात् रामपुर, सीतापुर, बरेली तथा वाराणसी में साम्प्रदायिक दंगे हुए।

इन दंगों में कुल 8 (आठ) व्यक्ति मरे तथा 103 व्यक्ति और 14 पुलिस कर्मचारी घायल हुए। इन दंगों में कवल वाराणसी जिले में एक निजी मोटर कार जलाई गई तथा दुकानों तथा मकानों से जेवरात, नकद रुपये तथा बनारसी साड़ियां लुटने की बात कही गई। कुछ मस्जिदों की इमारतों को भी नुकसान पहुंचाया गया। वाराणसी जिले में हुए दंगे के सम्बन्ध में उच्च स्तरीय न्यायिक जांच के आदेश शासन ने दिये हैं। रामपुर जिले में किसी प्रकार की सम्पत्ति की बड़ी हानि नहीं हुई है। बरेली तथा सीतापुर जिले में किसी प्रकार की धन की क्षति नहीं हुई है।

विभिन्न जिलों में साम्प्रदायिक दंगों के कारण निम्नलिखित हैं —

1—रामपुर जिले में दिनांक 5/6-9-77 की रात्रि में मुसलमानों द्वारा रमजान के मौके पर तराबी नमाज पढ़ते समय हरिजनों द्वारा लाउड स्पीकर से रामयण के अखण्ड पाठ किये जाने के कारण हरिजनों तथा मुसलमानों के बीच साम्प्रदायिक दंगा हो गया।

2—बरेली जिले में जन्माष्ठमी के अवसर पर एक दंगल में एक हिन्दू तथा एक मुसलमान के बीच हो रही कुश्ती में कुश्ती के कुछ बिन्दुओं पर वहां पर एकत्रित हिन्दू तथा मुस्लिम पार्टी में झगड़ा हो गया।

3—सीतपुर जिले में दिनांक 25 सितम्बर, 1977 को जल बिहार सिहांसन उठने के सम्बन्ध में खैराबाद में हिन्दुओं द्वारा निर्णीत रास्ते से सिहांसन न ले जाने के कारण हिन्दू और मुसलमान में सम्प्रदायिक दंगा हो गया।

4—वाराणसी जिले में दुर्गा देवी की मूर्ति विसर्जन के जुलूस के मार्ग के सम्बन्ध में विवाद हो गया। इस मामले की न्यायिक जांच की जा रही है।

7—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त।]

मिर्जापुर जिले की वन भूमि का क्षेत्रफल एवं वृक्षारोपण पर व्यय

8—श्री ईश्वर प्रसाद—

क्या वन मत्री बताने की कृपा करेंगे कि मिर्जापुर जिले में वन विभाग के पास मौके पर उपलब्ध वन भूमि का विवरण क्या है? इन वनों की दशा को उन्नत बनाने के लिये पुनवर्धन हेतु प्राकृतिक वनों का जो पालन कराया गया अथवा वृक्षारोपण के मद के करोड़ों रुपया जो व्यय किया गया उसका परिणाम क्या है?

श्री श्रीचन्द—

मिर्जापुर जिले में वन विभाग को 5,36,255 हेक्टेयर भूमि निहित हुई है, वन बन्दोबस्त की कार्यवाही चल रही है। इस कार्यवाई के समाप्त हो जाने के बाद ही यह निश्चित हो सकेगा कि वास्तव में कितनी भूमि मौके पर वन विभाग को मिलेगी। प्रारम्भिक सीमांकन के अनुसार वन विभाग के पास 4,96,372 हेक्टेयर भूमि है। इस भूमि पर स्थित वनों की दशा को सुधारने हेतु प्राकृतिक वनों का जो पालन किया गया उसमें मुख्यत: प्राकृतिक पुनरोत्पादन किया गया। वृक्षारोपण का कार्य खाली स्थानों व उन वनों में किया जाता है जहां प्राकृतिक पुनरोत्पादन की प्रगति सन्तोषजनक नहीं होती है। 1967-68 से 1976-77 तक 10 वर्षों में 31,246 हेक्टेयर भूमि पर वृक्षारोपण कार्य किया गया जिसमें लगभग 60 प्रतिशत सफलता मिली है।

वन भूमि के क्षेत्रों में सीमा स्तम्भ

9—श्री ईश्वर प्रसाद—

क्या भारतीय वन अधिनियम की धारा 20 के अन्तर्गत प्रकाशित क्षेत्रों में सीमा स्तम्भ आज भी सही नहीं लगे हैं और अधिकांश क्षेत्र में अवैध कब्जा है ?

श्री श्रीचन्द—

भारतीय वन अधिनियम की धारा 20 के अन्तर्गत प्रकाशित क्षेत्रों में सीमा स्तम्भ सही लगे हैं और अधिकांश क्षेत्र में अवैध कब्जा नहीं है ।

क्षेत्रीय निवासियों को वन भूमि से मिलने वाली सुविधाएं

10—श्री ईश्वर प्रसाद—

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्षेत्रीय निवासियों को कृषि कार्य अथवा घरेलू कार्य हेतु वन विभाग द्वारा अनुसूचित दरों अथवा मुफ्त में वन उपज नहीं दी गई है ? यदि नहीं दी गई, तो क्षेत्रीय निवासियों द्वारा सरकारी वनों से प्रयुक्त लकड़ी का लेखा किस प्रकार रखा गया है ?

श्री श्रीचन्द—

क्षेत्रीय निवासियों को कृषि अथवा घरेलू कार्य हेतु वन विभाग द्वारा उनकी मांग तथा उपलब्धि के अनुसार अनुसूचित दरों एवं मुफ्त जैसी प्रथा जमीन्दारी उन्मूलन के पहले थी, पर उपज दी जाती है ।

जिला निर्वाचन कार्यालयों के कर्मचारियों का पर्वतीय जिलों में स्थानान्तरण

11—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला निर्वाचन कार्यालयों के समूह 'ग' में कितने अधिकारी/कर्मचारी जो मैदानी जिलों के निवासी हैं पर्वतीय जिलों में स्थानान्तरित किए गए हैं ? तथा शासनादेश संख्या 19/13/1977-कार्मिक-1, दिनांक 30 जून, 1977 के अनुसार जिन्होंने एक वर्ष की सेवा अवधि पर्वतीय क्षेत्र में पूरी कर ली है उसमें से कितने अधिकारी/कर्मचारी ऐसे हैं जो शासनादेश संख्या 19/13/1977—कार्मिक—1, दिनांक 30 मई, 1977 के अनुसार मैदानी क्षेत्रों में अपने मण्डलों में वापस स्थानान्तरित किए गए हैं ?

श्री राम नरेश यादव—

जिला निर्वाचन कार्यालयों के समूह 'ग' के दो कर्मचारी जो मैदानी जिलों के निवासी हैं पर्वतीय जिलों में स्थानान्तरित किए गए हैं । जिला निर्वाचन कार्यालयों के कर्मचारी सामान्य निदेशों के अनुसार स्थानान्तरित नहीं किए जाते, अपितु स्थानान्तरण केवल तभी किया जाता है जब रिक्ति की पूर्ति अन्य जिले के कर्मचारी की पदोन्नति द्वारा की जाती है अथवा किसी कर्मचारी को जनहित में स्थानान्तरित करना पड़ता है । अतः पर्वतीय जिलों में एक वर्ष की अवधि पूरी होने पर स्थानान्तरित कर्मचारी को मैदानी जिले में वापस स्थानान्तरित करना सामान्यतया सम्भव नहीं है ।

गाजियाबाद नगर में अधिक समय से कार्यरत हेड कांस्टेबिल तथा कांस्टेबिल

12—श्री रेवती शरण मौर्य (जिला मेरठ)—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि गाजियाबाद नगर के थानों एवं पुलिस चौकियों पर आज के उन हेड—कान्सटेबिलों और कान्सटेबिलों की संख्या क्या है, जोकि गत पांच वर्षों से गाजियाबाद ही में विभिन्न चौकियों और थानों ही में फिर-फिर कर कार्यरत हैं ?

श्री रामनरेश यादव—

प्राप्त सूचना के अनुसार गाजियाबाद नगर के विभिन्न थानों एवं चौकियों पर गत पांच वर्षों से नियुक्त प्रश्नगत श्रेणी के 3 हेड कान्सटेबिल तथा 3 कान्सटेबिल कार्यरत हैं।

श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव, सहायक चकबन्दी अधिकारी, बांदा की रिश्वत के संबंध में गिरफ्तारी एवं उप पुलिस अधीक्षक के विरुद्ध शिकायती-पत्र

13—श्री राजेंद्र कुमार गुप्त—

क्या मुख्य मंत्री को इसकी जानकारी है कि बांदा जिले के किसी सर्किल आफिसर पुलिस के विरुद्ध अप्रैल, 1977 के दूसरे पखवारे में कोई इस आशय की सूचना उनके (मुख्यमंत्री) कार्यालय में मिली कि उन्होंने चकबन्दी विभाग के किसी अधिकारी को निर्ममता पूर्वक पिटाई करके उसे घायल कर दिया (सूचना श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव, निवासी कोरम, डा0 साथी, तहसील बबेरा, जिला बांदा ने दी थी) ? यदि हां, तो शिकायत क्या थी तथा उस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

श्री राम नरेश यादव—

जिलाधिकारी बांदा से प्राप्त सूचनानुसार श्री विमल कुमार बाजपेई, उप पुलिस अधीक्षक ने जिलाधिकारी के आदेशानुसार 14-4-1977 को आकस्मिक छापा मारकर श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव, सहायक चकबन्दी अधिकारी को रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए पकड़ा । श्री श्रीवास्तव के विरुद्ध भ्रष्टाचार के मुकदमें की अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा विवेचना की गई और आरोप पत्र न्यायालय भेजा गया । यद्यपि श्री श्रीवास्तव का कोई शिकायती-पत्र मेरे कार्यालय में प्राप्त हुआ नहीं प्रतीत होता, तथापि श्री श्रीवास्तव का एक प्रार्थना-पत्र दिनांक 5-5-1977 शासन को प्राप्त हुआ था जिसमें पुलिस उपाधीक्षक, श्री बाजपेयी के विरुद्ध प्रार्थी को मारने पीटने के आरोप लगाये गये थे । अपराध अनुसंधान विभाग ने इस विषय में भी जांच की और यह आख्या दी कि प्रार्थी की गिरफ्तारी से संबंधित तथ्य जिसमें उनकी चोटें भी सम्मिलित हैं, के संबंध में उसके विरुद्ध भ्रष्टाचार का मुकदमा न्यायालय में विचाराधीन हो जाने पर न्यायालय द्वारा ही विचार किया जायेगा ।

उत्तर प्रदेश समग्रक्रान्ति की दिशा में "यादव मंत्रि मंडल के चार माह" नामक लेख का समाचार-पत्रों में प्रकाशन

14—श्री ऊदल तथा श्री श्यामदत्त पालीवाल—

क्या सूचना मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश समग्र क्रांति की दिशा में 'यादव मंत्रि-मंडल के चार माह' नामक लेख का विज्ञापन जो तारीख 8 नवम्बर, 1977 को दैनिक "आज" वाराणसी, 'गांडीव' वाराणसी 'जनवार्ता' वाराणसी में छपा है उसका कितना रुपया उपरोक्त अखबारों को भुगतान किया गया ? इसके अलावा प्रदेश व देश के जिन अखबारों में इसको छपवाया गया उनके नाम क्या हैं और अलग-अलग उन्हें कितना रुपया इसका भुगतान किया गया ?

श्री अवधेश प्रसाद—

सूचना संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ञ' आगे पृष्ठ 714 पर)

सहायक स्टेशन मास्टर, श्री जयराम सिंह, दर्शन नगर रेलवे स्टेशन, जिला फैजाबाद की हत्या

15—श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 16 नवम्बर, 1976 को अपराध संख्या 345 पर फैजाबाद जनपद के अयोध्या कोतवाली में दर्शन नगर रेलवे स्टेशन के

सहायक स्टेशन मास्टर (श्री जयराम सिंह) की हत्या की रिपोर्ट दर्ज को गयी थी? यदि हां, तो पूरा विवरण क्या है और उसमें आज तक क्या कार्यवाही हुई है ?

श्री रामनरेश यादव—

जी हां । श्री जयराम सिंह के भाई श्री श्रीनाथ सिंह ने दिनांक 16-11-76 को थाना अयोध्या में इस आशय की रिपोर्ट अंकित कराई कि रात में लगभग साढ़े 12 बजे उसका भाई जयराम सिंह, सहायक स्टेशन मास्टर, रेलवे स्टेशन दर्शन नगर को जब कि वे अपने क्वार्टर के अन्दर सोये हुए थे, को 4 बदमाशों ने जान से मार डाला तथा उनके लड़के अखिलेश सिंह, को गम्भीर रूप से घायल कर दिया । शोर सुनने पर वादी अपनी कोठरी से निकल कर उन्हें बचाने गया तो बदमाशों ने उसे भी मारा । क्वार्टर के बरामदे व कमरे में बिजली के बल्ब जल रहे थे । वादी व मृतक की पत्नी ने बदमाशों को देखा और उनमें से मधुबन वर्मा, वाटर मैन, रेलवे स्टेशन, दर्शन नगर को पहचाना तथा शेष बदमाशों को शकल से पहचान लिया किन्तु उन बदमाशों का नाम उन्हें नहीं मालूम था । बदमाशों को सामने आने पर पहचान सकते हैं । शोर सुनने पर पड़ोस के क्वार्टर के लोग भी आ गये तथा उन्होंने बदमाशों को भागते हुए बिजली की रोशनी में देखा और शकल से पहचाना । बदमाश अपने साथ एक कलाई घड़ी, डायरी व कुछ कागजात ले गये । घायल अखिलेश सिंह को सदर अस्पताल, फैजाबाद में दाखिल कराया गया । वहां से उसे गम्भीर घायल अवस्था में गवर्नमेंट मेडिकल एण्ड एसोसिएटेड हास्पिटल, लखनऊ में भरती कराया गया, जहां पर दिनांक 22-11-76 को अखिलेश सिंह उर्फ संजय सिंह की मृत्यु हो गयी।

इस अभियोग की प्रारम्भिक विवेचना स्थानीय पुलिस जनपद फैजाबाद द्वारा बाद में अपराध शाखा अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा की गई जिससे ज्ञात हुआ कि इस कांड में दर्शन नगर स्टेशन के स्टेशन मास्टर श्री हुब लाल वर्मा का हाथ है और इन्हीं के इशारे पर, श्री मधुबन वर्मा वाटर मैन, रेलवे स्टेशन दर्शन नगर ने यह कुकृत्य किया है। श्री हुब लाल वर्मा स्टेशन मास्टर का दिनांक 11-11-77 को निधन हो चुका । अभियुक्त मधुवन वर्मा के विरुद्ध धारा 302/307/394 भा0दं0वि0 के अन्तर्गत अभियोग न्यायालय में चलाने की कार्यवाही अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा की जा रही है ।

लखनऊ में पुलिस विभाग के राजपत्रित अधिकारियों को आवंटित आवासगृह

16—श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ में पुलिस विभाग के कितने अधिकारीगण ऐसे विभागीय आसास गृहों में रह रहें है जो उनसे निम्न श्रणी के विभागीय कर्मचारियों के लिए बनाए गए हैं और उनमें से कितने अधिकारी ऐसे हैं जिन्होंन अपने निजी मकानों को ऊंचे किरायों पर उठा रखा है ।

श्री राम नरेश यादव—

लखनऊ में पुलिस विभाग के 32 राजपत्रित अधिकारी ऐसे विभागीय आवास गृहों में रह रहें हैं जो उनसे निम्न श्रेणी के विभागीय कर्मचारियों के लिए बनाये गए हैं क्योंकि उनके लिए अनुमन्य आवास गृह निर्मित नहीं कराये जा सके हैं और उनमें से केवल सात राजपत्रित अधिकारी ऐसे हैं जिन्होंने अपने निजी मकानों को ऊंचे किराये पर उठा रखा है ।

श्री सरदार भगत सिंह, उप सचिव, हरिजन समाज कल्याण विभाग के विरुद्ध उनके मथुरा के कार्यकाल में बालू काण्ड की शिकायत

17—श्री हुकम चन्द्र तिवारी—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि मोट तहसील के तत्कालीन परगना अधिकारी (श्री सरदार भगत सिंह) की चरित्र पंजिका में 'सत्यनिष्ठा संदिग्ध है', का उल्लेख किया गया

है ? यदि हां, तो उन्ह उत्तर प्रदेश सचिवालय के हरिजन समाज कल्याण विभाग में उप सचिव किसकी संस्तुति पर नियुक्त किया गया ? क्या यह सही है कि मथुरा में 1974–75 में बालू काण्ड में उनके खिलाफ 50 हजार रुपये के भ्रष्टाचार की शिकायत की गयी थी ? यदि हां, तो इसका क्या हुआ ?

श्री राम नरेश यादव—

चरित्र पंजिका एक गोपनीय अभिलेख है अतः इसमें रखी गई प्रविष्टियो के बारे में सूचना देना जनहित में नहीं है।

उन्हें उत्तर प्रदेश सचिवालय के हरिजन सहायक तथा समाज कल्याण विभाग मे उप सचिव के पद पर तत्कालीन मुख्य मंत्री के आदेशानुसार नियुक्त किया गया था।

यह सही है कि मथुरा में 1974-75 में बालू काण्ड में उनके खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायत की गई थी। इस मामले में सतर्कता अधिष्ठान द्वारा जांच की जा रही है।

इलाहाबाद जिले के ग्राम सैदाबाद में श्री घनश्याम मिश्र की मृत्यु संबंधी रिपोर्ट

18—श्री संगम लाल—

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जनपद इलाहाबाद, थाना हंडिया गांव सैदाबाद में श्रीमती श्यामादेवी के निवास स्थान पर श्री घनश्याम मिश्र की मृत्यु संदेहास्पद स्थिति में आपातकालीन स्थिति में दिनांक 23 सितम्बर, 1976 को हुई थी जिसकी रिपोर्ट थाने में भी हुई थी ? अगर हां, तो उसमें पुलिस ने अब तक क्या कार्यवाही की ?

श्री राम नरेश यादव—

प्राप्त सूचना के अनुसार प्रश्न में उल्लिखित घटना की दरयाफ्त हाल विवेचना की गई तथा साक्ष्य के अभाव में दिनांक 15–9–77 को प्रस्तुत अंतिम रिपोर्ट दिनांक 22–2–78 को न्यायालय द्वारा स्वीकृत की गई।

जिला खीरी में बन्दूक के लाइसेंस के प्रार्थना-पत्रों का निस्तारण

19—श्री नरेश चन्द्र—

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला खीरी में एस0 डी0 एम0 लखीमपुर व जिलाधिकारी खीरी के समक्ष, थाना खीरी, कोतवाली धरधान, व नीमगांव थानों क बन्दूकों के लाइसेन्स के प्रार्थना-पत्र सन् 1974 से कितने विचाराधीन हैं और इनमें से कितने प्रार्थना-पत्र हैं जिनमें तहसील, पुलिस व सी0आई0डी0की रिपोर्ट आ चुकी है फिर भी उनका निस्तारण क्यों नहीं हुआ है और ऐसे कितने प्रार्थना-पत्र हैं जिनमें प्रार्थीगण के यहां डकैतियां पड़ चुकी हैं और उनके भी प्रार्थना-पत्र स्वीकृत नहीं हुए है, ऐसा क्यों ?

श्री राम नरेश यादव—

सूचना संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ट' आगे पृष्ठ 716 पर)

बहराइच जिले के ग्राम मंझरा, श्री अनन्त राम के घर पर डकैती

20—श्री फजलुर्रहमान अन्सारी (जिला बहराइच)—

क्या गृह मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद बहराइच, थाना मोतीपुर, ग्राम मंझरा के भूतपूर्व प्रधान श्री अनन्त राम के के यहां 20/21 अक्तूबर सन् 1977 को भीषण डकैती पड़ी, डाकुओं ने फायर किया और लगभग 20 किलो सोना-चांदी तथा नगदी उठा ले गए ? यदि हां, तो क्या डाकुओं को गिरफ्तार किया गया ?

श्री राम नरेश यादव—

जी हां, जनपद बहराइच थाना मोतीपुर ग्राम मंझरा के भूतपर्व प्रधान श्री अनन्त राम के पुत्र राम नरेश के यहां दिनांक 20/21 अक्टूबर, सन् 77 को भीषण डकैती पड़ने की रिपोर्ट थाना मोतीपुर पर पंजीकृत कराई गई थी जिसमें डाकुओं द्वारा फायर करने व सोना चांदी तथा नगदी उठाने की बात लिखाई गई है।

इस संबंध में अ0 सं0 332 धारा 395/397 भा0 दं0 वि0 कायम किया गया। विवेचनोपरान्त प्रथम सूचना में की गयी नामजदगी गलत पाई गई और निम्न अपराधी प्रकाश में आये:—

1—मेवालाल, पुत्र सुरजी, थाना धौर हरा, खीरी।

2—हरद्वारी, पुत्र घनश्याम, थाना ईसा नगर, खीरी।

3—रामदास, पुत्र शीतल प्रसाद, थाना ईसानगर, खीरी।

4—मतई, पुत्र माधालोनिया, थाना ईसानगर, खीरी।

5—गया दत्त, पुत्र तोमन अहीर, थाना ईसानगर, खीरी।

6—सरदार कृपाल सिंह, पुत्र करम सिंह, थाना लहरापुर, सीतापुर।

उपर्युक्त व्यक्तियों में से सर्वश्री मेवालाल, हरद्वारी, रामदत्त, मतई की सिनाख्त सही की गई अतः उनके विरुद्ध आरोप-पत्र न्यायालय में भेजा जा चुका है जिनका मुकदमा न्यायालय में विचाराधीन है। अभी विवेचना प्रचलित है।

21—श्री शिवानन्द नौटियाल—

[दिनांक 1-11-77 को अतारांकित प्रश्न संख्या 8 के अन्तर्गत उत्तरित।]

अवध वन विभाग के मुख्य कार्यालय के फारेस्टर एवं फारेस्ट गार्ड के स्थानान्तरण की मांग

22—श्री मोहन सिंह (जिला रायबरेली)—

क्या वन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि अवध वन प्रभाग के मुख्य कार्यालय के अन्तर्गत 5 वर्ष से अधिक कार्यरत फारेस्टर तथा फारेस्ट गार्डों के स्थानान्तरण न करने का क्या कारण है?

श्री श्रीचन्द्र—

अवध वन प्रभाग के मुख्य कार्यालय के अन्तर्गत 5 वर्ष से अधिक कार्यरत एक फारेस्टर और एक फारेस्ट गार्ड का स्थानान्तरण राजकीय कार्यों के हित में नहीं किये गये है।

मंत्रियों द्वारा फैजाबाद जिले में की गयी यात्राओं पर व्यय की धनराशि

23—श्री मित्रसेन (जिला फैजाबाद)—

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत 9 नवम्बर से 5 दिसम्बर 1977 तक फैजाबाद जनपद में उत्तर प्रदेश के कितने मन्त्रियों नें यात्राएं की और उनके यात्रा व्यय पर कितनी धनराशि सरकार को वहन करना पड़ा तथा इन मन्त्रियों के यात्रा का क्या उद्देश्य था?

श्री राम नरेश यादव—

गत 9 नवम्बर से 5 दिसम्बर, 1977 तक फैजाबाद जनपद में उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री सहित 18 मंत्रियों ने यात्रायें की। मुख्य मंत्री की यात्रा निजी थी उस पर कोई व्यय शासन द्वारा नहीं किया गया। अन्य सत्रह मंत्रियों की यात्राएं राजकीय कार्य से हुई और उन पर सरकार को 4,555.68 रु0 की धनराशि वहन करनी पड़ी।

श्री ए0 के0 सिंह, भूतपूर्व सर्किल आफ़िसर, बरेली का निलम्बन एवं बहाली

24—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (जिला गोरखपुर)—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बताने की कृपा करेंगे कि बरेली के सी0 ओ0 (सी0 टी0 डा0 ए0 के0 सिंह) को अभी हाल में ही निलम्बित कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री राम नरेश यादव—

श्री ए0 के0 सिंह, भूतपूर्व सर्किल आफिसर (सिटी) बरेली, को माह अगस्त, 1977 से निलम्बित किया गया था। क्षेत्राधिकारी (नगर) बरेली की हैसियत से इन्होंने 28 अक्तूबर, 75 को गिरफ्तार हुए दो विद्यार्थियों को कोतवाल द्वारा पीटे जाने की शिकायत की जांच की। इनकी जांच आख्या अपूर्ण तथा भ्रामक मानते हुए इनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही हो रही है। दिनांक 21-2-1978 से इन्हें सेवा में पुनः स्थापित कर दिया गया है।

थानाध्यक्ष, सोरांव, जिला इलाहाबाद के विरुद्ध भूतपूर्व उप-मंत्री, श्री राम पूजन पटेल द्वारा की गयी जांच और श्री राम पूजन पटेल के विरुद्ध कायम किया गया मुकदमा

25—श्री गिरीश चन्द्र तिवारी—

क्या मुख्य मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या श्री राम पूजन पटेल, भूतपूर्व उपमन्त्री, इलाहाबाद की दिनांक 28 जुलाई, 1976 की थानाध्यक्ष सोरांव के विरुद्ध शिकायत पर की गई जांच रिपोर्ट जो सितम्बर, 1976 में एस0 एस0 पी0, इलाहाबाद द्वारा भेजी गई थी, शासन को मिल चुकी है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ?

श्री राम नरेश यादव—

श्री राम पूजन पटेल, भू0 पू0 उपमंत्री द्वारा थानाध्यक्ष, सोरांव के विरुद्ध दिनांक 28-7-76 के उनके पत्र के सम्बन्ध में ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक, इलाहाबाद द्वारा की गई जांच की रिपोर्ट सहायक पुलिस महानिरीक्षक के माध्यम से अक्तूबर, 1976 में प्राप्त हुई थी। जांच आख्या में कुछ आरोपों पर भ्रष्टाचार निवारण संगठन से जांच कराने हेतु संस्तुति की गई थी अतः पूरे प्रकरण की जांच भ्रष्टाचार निवारण संगठन को सौंप दी गई जो अभी तक पूर्ण नहीं हो सकी है। जांच समाप्त होने के पूर्व कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

26—श्री गिरीश चन्द्र तिवारी—

क्या सरकार कृपया बतायेंगी कि क्या यह सही है कि कुम्भ मेला 1977 में इलाहाबाद से श्री रामपूजन पटेल के विरुद्ध धारा 353, 332 में मुकदमा कायम किया गया था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री राम नरेश यादव—

प्राप्त सूचना के अनुसार श्री रामपूजन पटेल पुत्र श्री राम किशोर पटेल के विरुद्ध धारा 353 भारतीय दण्ड विधान के अन्तर्गत कायम मुकदमें में दिनांक 9-7-77 को प्रेषित अन्तिम रिपोर्ट न्यायालय द्वारा दिनांक 24-8-77 को स्वीकृत हुई तथा धारा 186/189 भारतीय दण्ड विधान के अन्तर्गत कायम मुकदमें में लगाया गया आरोप-पत्र विचाराधीन न्यायालय है और धारा 36/6 डी0 आई0 आर0 का मुकदमा वापस ले लिया गया।

इलाहाबाद जिले के ग्राम मातादीन का पुरा के हरिजनों द्वारा मारपीट की रिपोर्ट

27—श्री गिरिश चन्द्र तिवारी—

क्या मुख्य मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि ग्राम मातादीन का पुरा फाफामऊ, थाना सोरांव, जिला इलाहाबाद के हरिजनों द्वारा दिनांक 10 अगस्त, 1976 को गैर हरिजनों पर अत्याचार और मार-पीट करने की रिपोर्ट थाने में लिखाई गई ? यदि हां, तो उक्त रिपोर्ट में क्या कार्यवाही की गई ?

श्री राम नरेश यादव—

प्राप्त सूचना के अनुसार ग्राम मातादीन का पुरा, थाना सोरांव जिला इलाहाबाद के हरिजनों द्वारा दिनांक 10-8-76 को अत्याचार और मारपीट की लिखाई गई रिपोर्ट के अनुसार धारा 323 / 504 / 506 भारतीय दण्ड विधान का कायम मुकदमा विवेचनाधीन है।

विद्युत् विभाग को वन निगम व ठेकेदारों द्वारा आपूर्ति की गयी बल्लियों की दर

28—श्री बाबू लाल विद्यार्थी—

क्या वन मंत्री को जानकारी है कि वर्ष 1976–77 में बिजली विभाग से वन निगम ने बल्ली सप्लाई का आदेश किस दर पर प्राप्त किया है ? क्या यह सही है कि वन विभाग के ठेकेदारों द्वारा विद्युत् विभाग को सप्लाई करने की दरों तथा वन निगम की दरों में काफी अन्तर है ? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्री श्रीचन्द—

जी हां। यह सही है कि वन निगम और ठेकेदारों द्वारा विद्युत् विभाग को सप्लाई की गयी बल्ली की दरों में अन्तर था। इसका कारण यह है कि वन निगम द्वारा सप्लाई की गयी बल्लियों की मात्रा से विद्युत् विभाग की आवश्यकता पूरी नहीं होती थी। अत: विद्युत् विभाग द्वारा बल्लियों की मांग वन विभाग से भी की गयी किन्तु उस समय तक वन विभाग के ठेके नीलाम हो चुके थे तथा वन विभाग के पास अपना कोई स्टाक भी नहीं था। ऐसी स्थिति में बल्लियों की सप्लाई हेतु ठेकेदारों से कोटेशन मांगे गए तथा प्राप्त कोटेशनों पर वन विभाग एवं विद्युत् विभाग की संयुक्त बैठक में विचार करके रेट तय किए गये। चूंकि परिस्थितिवश रेट का निर्धारण ठेकेदारों से आमंत्रित कोटेशन के आधार पर किया गया, अत: वह वन निगम की रेट से अधिक था।

लखीमपुर खीरी के श्री ओंमकार नाथ, होमगार्ड रनर की सेवा समाप्ति

29—श्री नरेश चन्द्र—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 26 अगस्त, 1977 को ओंमकार होमगार्ड रनर जिला कमांडेन्ड कार्यालय लखीमपुर खीरी जिसकी आपातकाल में सेवायें समाप्त हुई थीं, ने प्रार्थना-पत्र प्रश्नकर्ता के माध्यम से तथा अन्य कई प्रार्थना-पत्र स्वयं अपनी सेवाओं की बहाली के लिए दिया था ? यदि हां, तो बहाली न होने का क्या कारण है ?

श्री राम नरेश यादव—

जी हां। श्री ओंमकार नाथ को सेवा समाप्ति के आदेश आपातकालीन स्थिति में पारित हुए थे परन्तु उस सेवा समाप्ति का आपातकालीन स्थिति से कोई सम्बन्ध नहीं था। श्री ओंमकार नाथ के प्रत्यावेदनों पर शासन ने गम्भीरतापूर्वक विचार किया और यह पाया कि उनकी सेवा समाप्ति उचित एवं नियमित थी। अत: उनके प्रत्यावेदनों को शासन ने अस्वीकार कर दिया तथा श्री ओंमकार नाथ को सूचित भी कर दिया। इस परिपेक्ष्य में इनकी बहाली का प्रश्न नहीं उठता है।

30—श्री सुदामा प्रसाद गोस्वामी—

[9वें सोमवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 29 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

समाचार-पत्रों को राजकीय विज्ञापन देने संबंधी मानक

31—श्री राजेन्द कुमार गुप्त—

क्या सूचना मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में सभी स्तरों के समाचार-पत्रों को राजकीय विज्ञापन देने के सम्बन्ध में कोई मानक निर्धारित किए गए हैं ? यदि हां, तो वह क्या हैं तथा उनको कब से लागू किया गया है ?

श्री अवधेश प्रसाद—

जी हां।

निर्धारित मानक निम्न प्रकार हैं :—

(1) दैनिक पत्रों का आकार 50×38 सेन्टीमीटर और पृष्ठ संख्या चार से कम न हो। साप्ताहिक पत्र का आकार 35×25 सेन्टीमीटर और पृष्ठ संख्या 4 (चार) से कम न हो। दैनिक पत्र की स शुल्क प्रसार संख्या 1,000 से कम न हो और साप्ताहिक पत्र की सशुल्क प्रसार संख्या 500 से कम न हो।

(2) समाचार-पत्रों में अश्लील, व्यक्तिगत आक्षेप, चरित्र हनन और साम्प्रदायिकता फैलाने वाले उत्तेजनात्मक समाचार व लेख प्रकाशिन न होते हों। पत्र का प्रकाशन विगत छः माह से नियमित हो रहा हो।

दैनिक/साप्ताहिक पत्र जो उपरोक्त मापदण्डों की पूर्ति नहीं करते हैं तथा पाक्षिक और मासिक पत्रों की सूचना निदेशक अपने विवेक से विज्ञापन देते हैं। स्मारिकाओं और व्यावसायिक होम जर्नल को माह नवम्बर, 1977 से विज्ञापन नहीं दिये जाते हैं और शेष व्यवस्था 21 दिस बर, 1970 से लागू है।

प्रश्नों के संबंध में व्यवस्था के प्रश्न

श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया)—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है और वह यह है कि इस सदन में यही एक मात्र ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा प्रदेश की समस्याओं की अभिव्यक्ति माननीय सदस्य करते हैं। केवल 6 प्रश्नों में ही सारा प्रश्नोत्तर काल समाप्त हो गया। पहले भी इस प्रकार के निर्णय हो चुके हैं। अतः क्या आप एक प्रश्न की अवधि निश्चित करेंगे कि एक प्रश्नके लिये इतना ही समय दिया जायेगा? यदि कोई विशेष महत्व का प्रश्न सामने आये तो उसके लिये अलग से समय निर्धारित किया जाय। इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—

आपने तो प्रश्न उठाया है वह अपनी जगह पर उचित है लेकिन उसका पालन बिना आपके सहयोग के नहीं किया जा सकता। अगर माननीय सदस्य किसी महत्वपूर्ण प्रश्न पर अधिक दिलचस्पी लेते हैं तो मेरे लिये मुश्किल हो जाता है कि उसमें अनुपूरक प्रश्नों की अनुमति न दी जाय। प्रायः 12/15 प्रश्न एक दिन में हो जाते हैं। मैं अनुरोध कर चुका हूं कि प्रश्नकर्त्ता केवल दो अनुपूरक प्रश्न ही पूछें और अन्य माननीय सदस्य 1 अनुपूरक प्रश्न पूछें। मेरे लिये बड़ी मुश्किल हो जाता है जब सदस्य इसका ध्यान न रखकर बार-बार खड़े हो जाते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि अधिक से अधिक प्रश्नों को लिया जा सके। इसमें मैं आप सभी का सहयोग चाहता हूं।

श्री सुखपाल पाण्डेय (जिला बस्ती)—

सदन की बैठक 10 बजे से कर ली जाया करे।

श्री अध्यक्ष—

इसके लिये नियमावली बदलनी पड़ेगी और निर्णय करना पड़ेगा। यह भी मैं बतला देना चाहता हूं कि इंग्लैंड में केवल 45 मिनट और कनाडा में भी केवल 45 मिनट का समय इसके लिये निर्धारित है। संसार के किसी भी देश में और लोक सभा तथा राज्य सभा में और देश के किसी भी विधान सभा में एक घंटे से अधिक का समय प्रश्नोत्तर के लिये नहीं है।

सदस्य—

मान्यवर, प्रदेश और देश बहुत बड़ा है....

श्री अध्यक्ष---

आप बैठें, प्रदेश के बटवारे की बात नहीं हो रही है ।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (जिला सीतापुर)---

मान्यवर, आज की कार्यसूची के पृष्ठ 16 पर अतारांकित प्रश्न संख्या 4 की ओर मैं ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं । मैंने एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न से यह जानना चाहा था कि आपात-कालीन स्थिति के दौरान प्रदेश की किस-किस जेल में किस-किस तिथि को किन-किन राजनैतिक बन्दियों की मृत्यु हुई तथा उनके आश्रितों को कितनी-कितनी आर्थिक सहायता दी गयी? यह एक महत्वपूर्ण सवाल था लेकिन अधिक उस पर टिप्पणी नहीं करूंगा लेकिन मेरे प्रश्न को अतारांकित प्रश्न में झोंक दिया गया । इसका माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया है और उसमें एक लिस्ट दे दी है कि कौन-कौन से 16 व्यक्ति जेलों में मर गये । मैंने जानना चाहता था कि उनके सब आश्रितों को निर्धारित धनराशि दी जायेगी । आज तक धनराशि देने का प्रश्न ही पैदा नहीं हुआ, एक हास्यास्पद बात उसमें यह लिख दी गई है कि 'राज्य सरकार ने समस्त जिला मजिस्ट्रेटों को यह आदेश भेज दिये हैं कि वह इस योजना का अपने जिले में व्यापक प्रचार करायें तथा पात्र व्यक्तियों के आवेदन-पत्रों को पूर्ण तथ्यों एवं विवरणों के साथ शासन को अग्रसारित करें, मान्यवर, क्या आवश्यकता है कि उसमें इस बात के आवेदन-पत्र लिये जायेंगे । मैं आपके माध्यम से शासन से इस बात का आश्वासन चाहूंगा कि जिनकी सूची उनके पास आ गई है और जेलों में प्रमाणित रिकार्ड होगा ही जो राजनीतिक कारणों से बन्दी बनाये गये थे क्या उनके आश्रितों को धनराशि देने की कृपा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष---

माननीय राजेन्द्र कुमार जी ने व्यवस्था के रूप में इस प्रश्न को उठाया है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त---

मान्यवर, मैंने ध्यान आकर्षित किया ।

श्री अध्यक्ष---

इसकी तो आपने कोई पूर्व सूचना नहीं दी इसलिए मैं इसकी इस समय अनुमति नहीं दे सकता हूं । वैसे आपने कह ही दिया है और शासन के ध्यान में इस प्रश्न को ला दिया है । लेकिन और पृथक से कोई सूचना नियम 51 में या शून्य प्रहर में लायेंगे तो मैं इस पर विचार करूंगा ।

गोरखपुर विश्वविद्यालय में छात्र आन्दोलन से उत्पन्न स्थिति के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्री रवीन्द्र सिंह (जिला गोरखपुर)---

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान गोरखपुर विश्वविद्यालय की ओर आकर्षित करना चाहता हूं । 19 जनवरी से गोरखपुर विश्वविद्यालय में छात्र आन्दोलन के पथ पर हैं । पठन-पाठन अवरुद्ध है । कई बार लाठी-चार्ज हो चुका है । कई बार प्रांगण में आगजनी की घटनायें हो चुकी हैं । दो बार विश्वविद्यालय को अनिश्चित कालके लिए बन्द किया जा चुका है । एक बार पुलिस रात्रि में 12 बजे बल प्रयोग करके छात्रावासों को खाली कराया है । तमाम छात्रों को गिरफ्तार किया गया । अब तक 17 विभागाध्यक्षों ने अपने पद से त्याग-पत्र दे दिया है । छात्रों द्वारा अपनी मांगों के समर्थन में विभागाध्यक्षों का घेराव जारी है । विश्वविद्यालय में पुलिस तैनात है । एक बार विश्वविद्यालय की संपूर्ण पुलिस नियंत्रण

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री रवीन्द्र सिंह]

में दे दिया गया था। छात्र अपनी मांगों के लिए संघर्ष चलाने के लिए कटिबद्ध है। विश्व-विद्यालय प्रशासन उनकी मांगों की उपेक्षा कर रहा है। अब भी तमाम छात्र नेताओं पर गिरफ्तारी के वारंट जारी हैं। छात्र संघ के अध्यक्ष के विरुद्ध अनुशासन की कार्यवाही की अकारण नोटिस जारी की गई है। स्थिति तनावपूर्ण है। छात्र और सामान्यजन में असंतोष है।

अतः अनुरोध है कि सरकार छात्रों की मांगों को पूरा करने तथा विश्वविद्यालय में पठन-पाठन का वातावरण स्थापित करने के लिए अविलम्ब प्रभावी कदम उठावें।

फिरोजाबाद, आगरा में बढ़ते हुये अपराध तथा पुलिस की अकर्मण्यता के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

श्री रघुवीर दयाल वर्मा (जिला आगरा)—

मान्यवर, आपक माध्यम से माननीय सदन का ध्यान इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं कि जनपद आगरा के नगर फिरोजाबाद में दिनांक 24-3-78 को सरे आम दो हत्यायें, अनेकों लूट की बारदातें और एक संगीन बल्वे की घटना हुई। जिससे फिरोजाबाद के नागरिकोंका जनमानस हिल उठा और संपूर्ण जनजीवन अस्तव्यस्तहो गया जिससे जनमानस में भय, असुरक्षा व्याप्त हो गई है। उच्छृंखल, असामाजिक, अपराधी आवारा तत्व खुल कर बारदातें करने में लगा हुआ है।

मान्यवर, फिरोजाबाद दक्षिण थाने के सदर दरवाजे के सामने बड़ा चौराहा बजरिया बाजार में 24–3–78 को कतिपय पन्द्रह बीस उच्छृंखल नौजवानों के एक समूह ने जिनके हाथों में चाकू बताये गये, ने बाजार को आते जाते नागरिकों को लूटा, मारा-पीटा, और विभिन्न प्रकार के ठेलों पर सामान बेचने वालों को मारा-पीटा और लूटा। गश्त पर तैनात पुलिस मूक दर्शक बनी रही।

श्रीमन्, बजरिया के छोटे लाल हलवाई के पुत्र प्रमोद कुमार उर्फ कल्लू को मारा-पीटा और उपरोक्त युवकों ने उसकी दुकान लूट ली, कल्लू ने थाना पर शिकायत की, पुलिस ने उन युवकों में से एक को पकड़ा और थाना ले आये इस पर सैकड़ों की संख्या पर युवक थाने पर चढ़ बैठे और होहल्ला कर उस गिरफ्तार युवक को छुड़ा कर ले गये। थाने से निकलते ही इन युवकों ने चाकू खोल कर बाजार में लूट शुरू कर दी और प्रमोद उर्फ कल्लू को चाकुओं से गोद कर उसकी दुकान पर उसकी हत्या कर दी। इस पर बाजार में कुहराम मच गया। नागरिक भाग खड़े हुए जबकि उच्छृंखल तत्व स्वच्छन्द गति से घूमते रहे। प्रमोद के चाचा बालकिशन के भी चाकू मारे।

मान्यवर, यही नहीं आर्य नगर में श्री वीरेन्द्र उर्फ टिल्लू की चाकुओं से उसी समय हत्या कर दी और वह घटनास्थल पर ही मर गये, जिससे फिरोजाबाद का सम्पूर्ण नगर परसों तथा कल बन्द रहा।

अस्तु आप के माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि फिरोजाबाद में शान्ति एवं सुरक्षा की स्थिति को तुरन्त सुदृढ़ करें और नागरिकों को उच्छृंखल तत्वों के आतंकों से बचावें, घटना के नामजद युवकों को तत्काल गिरफ्तार किया जाय। तथा पुलिस को उसकी अकमर्ण्यता तथा विवेकहीनता के लिये दंडित किया जाय।

बरेली में श्री घासीराम गौतम पान की दुकान पर लगी डाक्टर अम्बेदकर की मूर्ति को कोतवाली के इन्सपेक्टर द्वारा तोड़ने से जनता में असन्तोष के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

श्री गुलाब सेहरा (जिला आगरा)—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से एक दुखद घटना का जिक्र कर रहा हूं। यह बरेली जिले में दिनांक 7-2-78 को सायंकाल की दुखद घटना है। श्री घासीराम गौतम पान की दुकान में श्रद्धेय डाक्टर अम्बेदकर का चित्र लगा था। इस चित्र को बरेली कोतवाली के इन्सपेक्टर ने सैकड़ों नागरिकों की उपस्थिति में अपने पुलिस फोर्स के साथ बेंत प्रहार के द्वारा तोड़-फोड़ कर अपमानित किया। डाक्टर अम्बेदकर की प्रतिमा के पुन: स्थापित करने की मांग को लेकर वहां आमरण अनशन किया जा रहा था। इसी आन्दोलन को दबाने की कोशिश करते हुए ऐसा घृणित कार्य किया गया। इस दुर्घटना के फलस्वरूप विशाल जनसमूह सर्किट हाउस पहुंच गया। उस समय वहां उपस्थित उसी इन्सपेक्टर ने डाक्टर अम्बेदकर के सम्बन्ध में अपमानजनक अपशब्द कहे तथा जनसमूह के प्रतिनिधियों को मंत्री जी से मिलने से रोक दिया।

इसी सन्दर्भ में 26–2–78 को मोती पार्क में विशाल आम सभा हुई तथा 5–3–78 को सहस्त्रों स्त्री पुरुषों ने इस घटना के विरोध में विराट जुलूस निकाला। परन्तु प्रशासन की ओर से कोई उचित कार्यवाही नहीं की गयी। अनेकों तार एवं प्रार्थना-पत्र भी शासन के पास पहुंच चुके हैं। किन्तु अभी तक उक्त इन्सपेक्टर के विरुद्ध कोई भी कार्यवाही नहीं की गयी है। सारे शहर में अनुसूचित जाति व हरिजन समुदाय में असंतोष व्याप्त है। शासन से अनुरोध है कि इस विषय में तुरंत कार्यवाही करें।

भूतपूर्व विधायक श्री राम लखन सिंह द्वारा कस्बा बभनान, बस्ती में गरीबों की भूमि पर अनधिकृत कब्जा किये जाने तथा पुलिस की निष्क्रियता के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

श्री ओम प्रकाश (जिला बस्ती)—

बस्ती जनपद के अन्तर्गत बभनान बाजार में इंदिरा कांग्रेस के नेता भूतपूर्व विधायक श्री राम लखन सिंह कस्बा के अन्दर लगभग एक एकड़ भूमि जिसमें बहुत से गरीबों की झोपड़ियां भी हैं जिसकी कीमत 4 लाख रुपये से कम नहीं है, शराब, रिवाल्वर, बन्दूक आदि के बल पर दिनांक 23–3–78 से कब्जा करने की नीयत से रात दिन 400–500 मजदूर लगाकर चारों तरफ से घेर रहे हैं, उनके इस आतंक से पूर्ण बाजार शराबियों तथा बन्दूकधारियों के भय से बन्द है ,कोई घर से बाहर नहीं निकल रहा है। परगना अधिकारी हरैया, उप पुलिस अधीक्षक आदि के घटनास्थल पर पहुंचने एवं निर्माण रोकने के लिखित आदेश देने पर भी निर्माण-कार्य रोका नहीं है। फिर भी पुलिस ने अब तलक इन शराबियों बन्दूकधारियों को न गिरफ्तार किया और न श्री राम लखन सिंह के घर में जो दर्जनों असलहे है उसे थाना में रखवाया, पुलिस की इस निष्क्रियता एवं उदासीनता से पूरे क्षेत्र में आतंक एवं क्षोभ का वातावरण व्याप्त है। किसी भी समय विस्फोटक स्थिति पैदा हो सकती है। शासन को तत्काल इस गम्भीर एवं विस्फोटक स्थिति को सम्भालने की कार्यवाही करनी चाहिये।

लालगंज जिला रायबरेली में एक छात्र की ट्रक से कुचल कर मृत्यु पर प्रदर्शन कारी छात्रों पर पुलिस द्वारा लाठी चार्ज एवं गोलीकाण्ड के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

मान्यवर, 14 मार्च, 1978 को एक छात्र की ट्रक से कुचल जाने की रिपोर्ट लालगंज थाना, जिला रायबरेली में बैसवारा डिग्री कालेज व इन्टर कालेज के छात्रों ने लिखाने हेतु प्रदर्शन किया।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

[श्री ऊदल—]

इस शान्तिपूर्ण विद्यार्थियों के प्रदर्शन पर पुलिस ने बर्बर गोली वर्षा कर दी जिससे काफी लोग घायल हो गये । पांच घायल छात्र अब भी अस्पताल में हैं । उस दिन 16 छात्रों को गिरफ्तार किया गया जो 12 वर्ष से 16 वर्ष की आयु के हैं । उस दिन की गोली वर्षा से पचासों घायल हो गये । लोग अस्पताल इस लिये नहीं गये कि पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर लेगी । लालगंज रायबरेली गोली कांड के संबंध में एक दर्जन अध्यापक तथा बड़ी संख्या में छात्र अपने-अपने घरों से आज तक लापता हैं । लापता लोगों में चार पत्रकार चन्द्र प्रकाश पान्डेय (दैनिक जागरण) रमाकान्त मिश्र, मंगल प्रसाद शर्मा, गंगा विष्णु द्विवेदी भी हैं । इनका कसूर यह है कि इन लोगों ने जो अपनी आखों से घटना देखी थी अखबारों में प्रकाशित कर दिया । छात्र, अध्यापक तथा पत्रकार एवं लाल गंज के आस-पास के नागरिक पुलिस की ज्यादती के अभी तक शिकार हैं । आस-पास क्षेत्रों में आतंक एवं खौफ समा गयी है । स्थानीय लालगंज थाने की पुलिस ने 25 व्यक्तियों पर हत्या के प्रयास में नामजद रिपोर्ट किया है और उपरोक्त चारों पत्रकारों की गिरफ्तारी के वारंट जारी हो चुके हैं । लालगंज के एस0 ओ0 का कहना है कि एक हजार लोगों की पहचान सकते हैं और उन्हें चालान करने की बात कर रहे हैं । लालगंज तथा आस पास के लोगों के ऊपर भय की तलवार लटक रही है । बैसवारा डिग्री कालेज व इन्टर कालेज अभी तक बन्द है । परीक्षा का समय आ गया है हजारों छात्रों का भविष्य अन्धकार में हो गया है । अभिभावकों में चिन्ता व्याप्त है कि टाइम से परीक्षा न होने से उनके बच्चों का क्या होगा । इस संबंध में मैं आपकी आज्ञा से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि अब शांति स्थापित करने हेतु हर संभव प्रयास किया जाय । कालेजों को खुलवाया जाय । परीक्षा सही वक्त पर कराने की व्यवस्था की जावे । आतंक का जो वातावरण चारों तरफ व्याप्त है उसे दूर किया जाय और परगनाधीश, डलमऊ तथा लालगंज के थानेदारों को वहां से तुरन्त हटाकर इस मामले की न्यायिक जांच की जावे ।

जनपद मेरठ में बढ़ते हुए अपराध तथा हरिजनों के साथ अमानुषिक व्यवहार के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

इस विषय का मेरा भी है, इसलिये इसमें मेरा भी जोड़ लिया जाय ।

श्री अध्यक्ष—

एक ही आदमी पढ़ सकता है । इनका भी नाम जोड़ दिया जाय ।

श्री आरिफ मोहम्मद खां (जिला बुलन्दशहर)—

उत्तर प्रदेश के जनपद मेरठ का नगरीय तथा ग्रामीण जीवन बढ़ते हुये अपराधों से आतंकित है । डकैती, राहजनी, कत्ल तथा हरिजन बालिकाओं के साथ जबरन बलात्कार की घटनाओं से प्रशासन में जनता का विश्वास क्षीण होता चला जा रहा है । वर्ष 1977 में जनपद में 120 डकैतियां, 189 लूटें 126 हत्यायें, 462 बलवों, 1079 गृहभेदन, 132 ट्रांसफारमर चोरी, 4 रोड होल्डअप, 51 टेलीफोन तारों तथा 308 नल कूपों के इन्जनों की चोरी के साथ 27 बलात्कार तथा 349 सड़क दुर्घटनायें हुई । स्वयं उप पुलिस महानिरीक्षक के अनुसार परिक्षेत्र में गत वर्षों की तुलना में लूट में 3.9 प्रतिशत बलात्कार में 1.2प्रतिशत तथा सड़क घटनाओं में 24.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई है ।

हरिजनों पर अभूतपूर्व अत्याचारों का अन्दाज निम्न घटनाओं से लगाया जा सकता है :—

1—थाना इचौली ग्राम बना में हरिजन बालिका का बला कार व हत्या ।

2—थाना सकरपुर ग्राम चुनी में बाला नामक बालिका का बलात्कार व हत्या ।

3—सरधना थाने के ग्राम में एक हरिजन मां और बेटी का बलात्कार ।

4—सरधना में हरिजनों के मुर्दों के दाह-संस्कार का सवर्णों द्वारा रोका जाना ।

5—मेरठ कोषागार के लिपिक द्वारा हरिजनों का खुला अपमान ।

इन सब अपराधों के होते हुये प्रशासन मौन है । अपराधी राजनैतिक संरक्षण प्राप्त होने के कारण बचे घूम रहे हैं और मेरठ तथा आस-पास के जनपदों के लिये एक संकट बन गये हैं । अतः यह विषय सरकार के ध्यानाकर्षण और वक्तव्य के लिये प्रस्तुत बन गये हैं । मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वह स्थिति को काबू में लाने की कोशिश करे जिससे कानून और शान्ति व्यवस्था बनी रह सके और वहां की जनता का विश्वास बना रहे ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टेहरी गढ़वाल)—

मान्यवर, एक निवेदन करना चाहता हूं । अभी जितनी भी सूचनायें सदन में पढ़ी गयी, वे सारी की सारी ला एण्ड आर्डर के बारे में हैं । अतः आपसे अनुरोध है कि आप कम से कम 2 घंटे की चर्चा इस सदन में करवा दें ?

श्री अध्यक्ष—

आपके सामने सामान्य प्रशासन जिले के प्रशासन का बजट है और बजट पर सामान्य विवाद 5 दिन तक होगा । महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर भी यह प्रश्न अन्तर्ग्रस्त है । इसलिये जब बजट अधिवेशन हो रहा हो 2 घंटे का वाद विवाद इस पर मांग करना उचित नहीं है ।

विधान परिषद् से प्राप्त उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) विधेयक, 1977 को वापस लेने की अनुमति की सूचना

अनु सचिव, विधान सभा—

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं सूचना देना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद से 23 मार्च, 1978 को यह संदेश प्राप्त हुआ है कि विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 22 मार्च, 1978 की बैठक में निम्नलिखित प्रस्ताव पारित किया:—

"यह सदन विधान सभा से यह सिफारिश करता है कि वह विधान सभा द्वारा पारित तथा इस सदन में लम्बित उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) विधेयक, 1977 को वापस लेने की अनुमति देने पर अपनी सहमति दे"।

और उक्त प्रस्ताव पर इस सदन की सहमति मांगी है ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टेहरी गढ़वाल)—

मान्यवर, कारण तो बता दें कि आखिर क्यों वापस लिया जा रहा है ।

श्री अध्यक्ष—

यह तो विधान परिषद् से सूचना आई है ।

निदेशक, आकाशवाणी तथा उससे संबंधित कर्मचारियों के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष—

माननीय शतरुद्र प्रकाश ने विशेषाधिकार की एक सूचना दी है जो इस प्रकार है:—

"आकाशवाणी द्वारा 27 मार्च 1978 को प्रादेशिक समाचार की बुलेटिन में विधान

[श्री अध्यक्ष]

सभा के एक सदस्य, श्री भाभी यादव, का गलत नाम प्रसारित किये जाने के आधार पर उत्तर प्रदेश आकाशवाणी के निदेशक तथा अन्य संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध विशेषाधिकार भंग सदन की अवमानना की सूचना दी है ।

प्राग्दर्शन में उक्त प्रसारण में श्री भाभी यादव को 'श्री मामी यादव' कहे जाने की त्रुटि जानबूझकर हुई नहीं प्रतीत होती और माननीय शतरुद्ध प्रकाश ने अपनी सूचना में ऐसा कोई आधार भी नहीं बताया है जिससे यह निष्कर्ष निकल सके कि सदन की कार्यवाही को जानबूझ कर तोड़ा मरोड़ा गया हो ।

अतः मैं इसे विशेषाधिकार के प्रश्न के रूप में उठाये जाने की अनुमति नहीं देता, परन्तु यह अपेक्षा करता हूं कि आकाशवाणी द्वारा प्रादेशिक समाचार की 27 मार्च, 1978 की बुलेटिन में जो गलती हुई है उसका निराकरण आगामी बुलेटिन में यथाशीघ्र कर दिया जायगा। मैं यह भी चाहूंगा कि आकाशवाणी भविष्य में इस बात का ध्यान रखे कि सदन की कार्यवाही सारवान रूप से ज्यों की त्यों प्रसारित की जाय ।

दिनांक 1 नवम्बर, 1977 के पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या 9–10 के अनुपूरक प्रश्न के उत्तर का शोधन

कृषि राज्य मंत्री (श्री धीरेंद्र सहाय)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, दिनांक 1 नवम्बर, 1977 को श्री श्याम नारायण तिवारी, सदस्य विधान सभा द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या 9 तथा 10 के संबंध में श्री राजेंद्र कुमार, सदस्य, विधान सभा ने जो अनुपूरक प्रश्न पूछा था और उस समय सदन में जो उत्तर दिया गया था वह ठीक नहीं था, जिसका पता बाद में चला । पूछा गया अनुपूरक प्रश्न, उस समय सदन में दिया गया उत्तर तथा सही उत्तर निम्न प्रकार है :

किया गया प्रश्न—

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि जो 14 नक्सलपंथी के आधार पर जेल में पड़े हैं, उनके ऊपर कई मुकदमें चल रहे हैं ? यदि हां, तो किन दफाओं में और कितनी-कितनी सजा उनको हुई है । यदि मुकदमें अभी नहीं चलाये गये तो कब तक वे चालू कर दिये जायेंगे ?

दिया गया उत्तर—

मान्यवर, 10 आदमी हरदोई जिले में हैं, उन पर मुकदमें चल चुके हैं और उन पर अपराध भी सिद्ध हो चुका है । चार आदमी गाजीपुर में हैं । उन पर भी अपराध सिद्ध हो चुका है ।

सही उत्तर—

मान्यवर, 10 आदमी हरदोई जिले के हैं, उन पर मुकदमें चल चुके हैं और उन पर अपराध भी सिद्ध हो चुका है । चार आदमी गाजीपुर के हैं जिनके मामले न्यायालय में विचाराधीन हैं ।

मूल प्रश्न तथा उसका उत्तर संलग्न है ।

(मूल प्रश्न तथा उसके उत्तर के लिये देखिये नत्थी 'ठ' आगे पृष्ठ. 717. पर)

प्रश्न के उत्तर का शोधन

श्री श्याम नारायण तिवारी (जिला गोरखपुर)—

मान्यवर, मैं इस सम्बन्ध में एक सूचना देना चाहता हूं.....

श्री अध्यक्ष—

आप बैठिये। अभी मंत्री जी को शोधन वक्तव्य देना है, आपकी सूचना का अभी कोई अवसर नहीं है।

श्री श्यामनारायण तिवारी—

मान्यवर, मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। यह प्रश्न बार-बार नक्सलपन्थी बन्दियों के सिलसिले में इस सदन में उठाया गया। मंशा सिर्फ यही था कि सत्य संख्या आ सके। बार-बार जो उत्तर आया उसमें यह था कि 14 बन्दी हैं, नक्सलपंथी। अभी पता चला कि सरकार ने साथी घनश्याम शुक्ल को भी नक्सलपंथी माना है। इस तरह से संख्या 15 हुई। इनके अलावा 28 बन्दी और भी बन्द हैं। मैं जानता हूं और मेरी निश्चित जानकारी है कि पूरे प्रदेश में 53 बन्दी नक्सलपंथी हैं। मैं अनुरोध करूंगा कि माननीय मुख्य मंत्री जी के शोधन वक्तव्य को पुनः संशोधित किया जाय ताकि सही संख्या आ सके नक्सलपन्थी बंदियों की और उनकी रिहाई के सम्बन्ध में वह एक मरम दृष्टिकोण अपनावें।

श्री अध्यक्ष—

इसका कोई अवसर तो था नहीं। मंत्री जी ने संशोधित वक्तव्य दिया और फिर अगर आप चाहते हैं तो लिख कर देंगे। अगर कोई त्रुटि होगी तो पुनः संशोधित कर दिया जायगा।

5 अक्तूबर, 1977 को पूछे गये अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या 1 के अनुपूरक प्रश्न के उत्तर का शोधन

कृषि राज्य मन्त्री (श्री धीरेन्द्र सहाय)—

अध्यक्ष महोदय, दिनांक 5 अक्तूबर, 1977 को सर्वश्री हिम्मत सिंह, मन्नू राम, वीरेन्द्र चतुर्वेदी, श्री राम द्विवेदी तथा भाभी यादव द्वारा पूछे गये अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या 1 के सम्बन्ध में श्री राजेन्द्र कुमार ने यह अनुपूरक प्रश्न पूछा था कि "मैं इसको दूसरे रूप में पूछ रहा हूं इस तरह की कार्यवाही न करने का क्या कारण है ?"

उस समय सदन में उत्तर दिया गया था कि "जिस नियम के अनुसार सूची बननी चाहिये थी वह नहीं बनी। इसमें क्या गलती थी यह कहना कठिन है। शासन की गलती थी। पब्लिक सर्विस कमीशन की गलती नहीं निकाल सकते। किसी कारण से निगाह स्लिप कर गयी।"

उक्त उत्तर ठीक नहीं था, जिसको बाद में पता चला। सही उत्तर इस प्रकार है। जिस नियम के अनुसार सूची बननी चाहिये थी वह नहीं बनी है। मूल प्रश्न तथा उत्तर संलग्न है।

(मूल प्रश्न तथा उत्तर के लिये देखिये नत्थी 'ड' आगे पृष्ठ 718 पर)

उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1977 को वापसी का प्रस्ताव

स्वायत्त शासन उप मंत्री (श्री भगौती सिंह)—

मान्यवर, आपकी आज्ञा से मैं उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1977, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा में दिनांक 1 नवम्बर, 1977 को पुरःस्थापित किया गया था, को वापस लेने की अनुमति दी जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1977, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा में दिनांक 1 नवम्बर, 1977 को पुर:स्थापित किया गया था, को वापस लेने की अनुमति दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1978†

कृषि राज्य मंत्री (श्री धीरेंद्र सहाय)—

मैं आपकी आज्ञा स सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण (उत्तर प्रदेश संशोधन), 1978 को पुर:स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1978 को पुर:स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री धीरेंद्र सहाय—

श्रीमन्, आपकी आज्ञा से मैं सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1978 को पुर:स्थापित करता हूं ।

उत्तर प्रदेश ऋण अनुतोष (संशोधन) विधेयक, 1978†

* राजस्व मंत्री (श्री शारदा भक्त सिंह)—

अध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर प्रदेश ऋण अनुतोष (संशोधन), विधेयक, 1978 को पुर:स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश ऋण अनुतोष (संशोधन) विधेयक, 1978 को पुर:स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री शारदा भक्त सिंह—

श्रीमन् आपकी आज्ञा से मैं उत्तर प्रदेश ऋण अनुतोष (संशोधन) विधेयक, 1978 को पुर:स्थापित करता हूं ।

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी विधि (संशोधन) विधेयक, 1978†

* कृषि राज्य मंत्री (श्री धीरेंद्र सहाय)—

श्रीमन, मैं उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मडी विधि (संशोधन) विधेयक, 1978 को पुर:स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी विधि (संशोधन) विधेयक, 1978 को पुर:स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

---

†दिनांक 28 मार्च, 1978 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट म छपा है ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री धीरेन्द्र सहाय—

अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी विधि (संशोधन) विधेयक, 1978 को पुर:स्थापित करता हूं।

कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष—

सर्वश्री राम सजीवन व ऊदल ने एक कार्य-स्थगन प्रस्ताव बी0 एच0 ई0 एल0, हरिद्वार स्थित केन्द्रीय सीक्योरिटी फोर्स द्वारा मजदूरों पर फायरिंग तथा लाठी चार्ज करने के कारण 40 मजदूरों के घायल होने के सम्बन्ध में दिया है। इसको मैंने अस्वीकार किया है। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर तथा बजट पर सामान्य विवाद के समय इस पर भी चर्चा की जा सकती हैं। उस समय वे अपनी बात कह सकते हैं।

तीन वर्षों से अधिक सेवारत राजकीय कर्मचारियों को अविलम्ब स्थायी किये जाने के सम्बन्ध में संकल्प

श्री उदय नारायण सिंह (जिला वाराणसी)—

श्रीमन्, मैं यह संकल्प प्रस्तुत करता हूं—"इस सदन का यह निश्चित मत है कि तीन वर्षों से अधिक सेवारत राजकीय कर्मचारियों की सेवाओं को अविलम्ब स्थायी किया जाय।" मान्यवर, विगत सत्र में 12 सितम्बर को मैंने एक लोक महत्व का संकल्प दिया था सहकारिता विभाग में भ्रष्टाचार समापन के लिये। यह दूसरा महत्व का संकल्प राजकीय कर्मचारियों के बारे में है। विभिन्न विभागों में बहुत से ऐसे कर्मचारी हैं जो 10–10, 15–15 वर्षों से राजकीय सेवा में हैं किन्तु आज भी उनकी सेवायें अस्थायी हैं, उनका भविष्य अन्धकारमय है।

अध्यक्ष जी, यह दुर्भाग्य है हमारे देश का और हमारे देश की शासन व्यवस्था के चलाने वाले जिम्मेदार नेतृत्व का, जो बराबर इन बातों की उपेक्षा करते रहे। मेरी यह निश्चित मान्यता है कि भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने में यह भी एक बड़ा ही घृणास्पद अध्याय शेष रह गया है। अस्थायी सेवा में जितने भी कर्मचारी हैं, उनके ऊपरी अधिकारी साजिश करके ऐसा चाहते हैं कि वे बराबर भ्रष्टाचार के तरीकों को अपनाते रहें जिससे वे उनका तथा समाज का शोषण करते रहें। यह इतना घातक है, इतना शर्मनाक है कि मैं यह कहना चाहता हूं बड़े स्पष्ट शब्दों में कि अपने अंधकारमय भविष्य को देखते हुए किस तरह कर्मचारी धन, धर्म, इज्जत-आबरू अपनी दे डालता है केवल अपनी रोजी-रोटी के मोह में। लेकिन दुःख है मान्यवर, कि हम जनता पार्टी वाले लोक नायक जय प्रकाश नारायण के नेतृत्व में भ्रष्टाचार को समाप्त करने का संकल्प लेकर आंदोलन किये, जेलों में गये और उसके बाद हमारी बातों का विश्वास करके जनता ने हमें विकल्प के रूप में यहां भेजा। मगर यह एक वर्ष बीत रहा है और मैं यह नहीं देखता कि भ्रष्टाचार की समाप्ति की तरफ हम किस प्रतिशत तक आगे बढ़े हैं। अगर मैं यह कहूं कि वह शून्य है। बल्कि और भी बढ़ता जा रहा है तो अतिशयोक्ति न होगा। हमारे एक वर्ष के शासन में हम कुर्सी पर आकर इतने अहमवादी बन गये हैं कि हम अपने रूप को देखना नहीं चाहते हैं, हम अपनी आलोचना को सुनना नहीं चाहते हैं, जो इस लोकतन्त्र के लिये घातक है।

मान्यवर, सही बात को कहना गुनाह माना जाता है। सच कहना अगर गुनाह है, अगर बगावत है, तो मैं उस बगावत को मंजूर करता हूं। मैं बागी हूं, क्योंकि लोक नायक जय प्रकाश नारायण की सम्पूर्ण क्रांति पर चलाने का मैंने व्रत लिया और मैं उसी विचार-धारा का पोषक हूं और उसी को मान्यता देने वाला हूं। लेकिन बड़ा अफसोस है कि हमारे मित्र जिन्होंने नेतृत्व की जिम्मेदारी ली है, प्रदेश में जिन लोगों के कंधे पर जनता का भविष्य

(इस समय 12 बजकर 38 मिनट पर अधिष्ठाता, श्री वीरेन्द्र पति यादव पीठासीन हुए।)

[श्री उदय नारायण सिंह]

निर्भर है, यहां के अमन-चैन को बरकरार करने के लिये, सुख-शांति की स्थापना के लिए, जो हमने दायित्व लिया है, उस दायित्व का निर्वहन नहीं कर रहे हैं। जनता पार्टी बन गयी, एक निश्चित जीवन मूल्य को लेकर हम संकल्प करके आये, यातना भोगी आपात् काल की, और जनता ने हमें अपना विश्वास दिया। हम कुर्सी पर आने के बाद बदगुमानियत के शिकार हो गये। जिसने मुझे इन आसनों पर बैठने का मौका दिया, हम उसी लोक शक्ति को विकृत करने की हर साजिश कर रहे हैं। यह बड़ा ही घातक है इस प्रदेश की जनता के लिए, देश की जनता के लिये और जनता पार्टी के लिये। मगर सत्ता का मोह ऐसा है कि इतनी बड़ी संख्या में जनता पार्टी के लोग हैं, मगर पार्टी के हितों को भूल गये हैं, अहमवाद और जाति-वाद में इस तरह से फंस गये हैं कि सही बात को कहना नहीं चाहते।

यह लोकतन्त्र के लिये और मानव मूल्यों के लिये कितना घातक है इसको कहा नहीं जा सकता। यह कल्पना के परे की वस्तु हो गयी है। लेकिन मैं यह दृढ़ शब्दों में कहना चाहता हूं कि यह कुर्सी किसी की नहीं है। यह कुर्सी 30 वर्षों की कांग्रेसी हुकूमत में जिसमें श्रीमती इन्दिरा गांधी को यह गरूर हो गया था कि मैं इस कुर्सी पर से जाने वाली नहीं हूं, यह कुर्सी हमारी बपौती है। लेकिन 30 वर्षों तक शासन ने रहने वाली पार्टी और 11 वर्ष तक प्रधान मंत्री के पद पर रहने वाली श्रीमती गांधी का पद समाप्त हो गया। जनता पार्टी को आये हुए अभी बहुत दिन नहीं हुए हैं। मंत्री लोग भूल गये हैं कि हमें जनता ने किस विश्वास से किस उम्मीद से किस काम के लिये यहां भेजा है। एक साल बीत रहा है। मंत्री लोग दौरा करते हैं, जिलों में जाते हैं, रोज दौरा करते हैं, मैं पूछना चाहता हूं सदन से कि उनके इस दौरों से इस प्रदेश की जनता को और गरीबों को क्या लाभ हुआ है? कोई लाभ नहीं हुआ है। मंत्री लोग, दावतें खायें और घूमें।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय सदस्य अपने प्रस्ताव के विषय पर आयें।

श्री उदय नारायण सिंह—

मैं मूल विषय पर बोल रहा हूं कि भ्रष्टाचार को समाप्त करके रहेंगे। भ्रष्टाचार के समापन की तरफ से हम बिल्कुल आंख बंद कर रहे हैं, हम खाली भ्रष्टाचार कर रहे हैं।

(मेजों को थपथपाने की आवाजें)

मैं इस बात से ज्यादा और कुछ कहना नहीं चाहता हूं कि अगर भ्रष्टाचार को समाप्त नहीं किया गया तो निश्चित जानिये कि इस देश की जनता जिसने 30 वर्षों की हुकूमत को उखाड़ कर फेंक दिया है यह जनता पार्टी जो अभी आई है, यह ज्यादा दिन नहीं चल सकती।

(मेजों को थपथपाने की आवाजें।)

श्री श्रीराम द्विवेदी (जिला फैजाबाद)—

मान्यवर, इस सदन में जो संकल्प प्रस्तुत है, भाई उदय नारायण सिंह ने रखा है, मैं समझता हूं कि आज के हालात में, हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल उन्होंने उठाया है। हमारे देश में जिस जनतन्त्र में हम इस देश के राजकाज चला रहे है, जिन कानूनों के तहत, जिन मान्यताओं के तहत हम अपने देश की शासन व्यवस्था को चला रहे हैं, उसमें यह जो प्रश्न उठाया गया है कि जो 3 वर्ष के हमारे राजकीय कर्मचारी हैं उनको स्थायी किया जाय, तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि जो राजकीय कर्मचारी हैं और जो अस्थायी रूप से सेवारत हैं, उनका कोई ठिकाना नहीं है, जब चाहते हैं उच्च प्रशासन के लोग उनको निलंबित कर देते हैं। उनको नौकरियों से हटा देते हैं या

टरमिनेट कर देते हैं। उनको कोई कानूनी संरक्षण नहीं मिलता है। अफसोश इस बात का है कि ऐसे बहुत से विभाग हैं जहां पर 10–15 साल से लगातार लोग सरकारी सेवा में लगे हुए हैं लेकिन उनको अभी तक स्थायी नहीं किया गया है। यह बहुत अहम सवाल है। इस संकल्प को जो मंशा है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है।

जिस व्यवस्था के लिये हमने संकल्प लिया है, इस माननीय सदन ने संकल्प लिया है, इस देश की 60 करोड़ जनता ने संकल्प लिया है कि हम देश को विधि के अनुसार चलायेंगे और लोकतांत्रिक मान्यताओं को मजबूत बनायेंगे। इन मान्यताओं को मजबूत बनाने के लिये हमारे देश म जो भी लोग इस काम में लगे हुए हैं, शासन को चलाने में जो हमारे निचले पाये हैं, छोटे-छोटे कर्मचारी हैं जिनके ऊपर हमारे देश की जिम्मेदारी है और जो देश का कार्य संचालन कर रहे हैं उनको संरक्षण देने के लिये और उनको स्थायी बनाने के लिये मैं चाहता हूं कि सदन इस संकल्प को सर्व-सम्मति से पूरी ताकत के साथ, बहुमत के साथ पारित करे और इस बात की हिदायत दे कि जो भी कर्मचारी हैं, जिन्होंने अपनी सेवाओं के तीन वर्ष पूरे कर लिये हैं उनको स्थायी कर दिया जाना चाहिये। उनके लिये निश्चित सेवा शर्तें, जो भविष्य निधि जमा होती है या जो पेंशन की योजना है इन सबके लिये निश्चित रूप से एक नियमावली लिपिबद्ध की जानी चाहिये।

मान्यवर, इस सदन के जरिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय सदस्य ने जो संकल्प रखा है उसकी बुनियाद में जो बातें हैं, जिसका उन्होंने संकेत किया है, भ्रष्टाचार की तरफ, उससें सदन इन्कार नहीं कर सकता है। जो अस्थायी राजकीय कर्मचारी हैं उनके होते भ्रष्टाचार को बल मिलता है। अधिकारी जब मन चाहे जब नियुक्तियां कर लेते है और तरह-तरह की रिश्वतखोरी और गलत धंधे शुरू होते हैं। नव जवान लड़के जो शिक्षित और योग्य होते हैं उनको स्थान नहीं मिलता है बल्कि सिफारिश के आधार पर गलत तत्वों को इस तरह अस्थायी नौकरियों में घुसने का मौका मिल जाता है और परिणामस्वरूप भ्रष्टाचार का मौका मिलता है। जैसा कि माननीय सदस्य उदय नारायण सिंह ने कहा है मैं उनकी राय से सहमत हूं। जो संकल्प सदन के सामने रखा गया है उसे पारित होना इसलिये जरूरी है कि आने वाले समय में जो हमारे राजकीय कर्मचारी हैं, जो प्रशासन में लगे हैं, उनको पूरी तरह संरक्षण देने में यह संकल्प मदद करेगा। इसके द्वारा हम अपने प्रदेश में कानून के सामने सभी को बराबर का दर्जा दें सकेंगे जैसा कि संविधान में कहा गया है।

इसी तरह राजकीय कर्मचारियों को एक दर्जा देने के लिये, कानूनी संरक्षण देने के लिये इस संकल्प का पारित होना, जो इसकी प्रस्तावना है उसके अनुकूल काम होना जरूरी हैं। इतना ही नहीं आज की परिस्थितियों में इस संकल्प से हमारे राजकीय कर्मचारियों के अन्दर एक मनोबल पैदा होगा, उनकी कार्य क्षमता पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा क्योंकि जब तक कर्मचारी अस्थायी रहता है वह बेमन से काम करता है और उसका भविष्य हमेशा खतरे में बना रहता है। जब वह स्थायी कर दिया जाता है तो उसके मन में गारन्टी हो जाती है कि हमको यह काम निश्चित रूप से करना है और जो प्रशासन में उसको काम दिये गये हैं उनको वह मन स करता है। इस तरह प्रशासन को काम करवाने में मदद मिलती है। इसलिये मान्यवर, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय सदस्य इस लोक महत्व के प्रश्न को पूरी शक्ति के साथ, बहुमत के साथ पारित करके सरकार को इस बात के लिये बाध्य करना चाहिये कि जो हमारे प्रदेश में राजकीय कर्मचारी हैं जिनको सेवा करते हुए 3 साल पूरे हो गये हैं उनको स्थायी सेवा करने का मौका दिया जाना चाहिये। उनकी निश्चित सेवा की योजना, सेवा नियमावली और भविष्य निधि तथा पेन्शन की जो शर्तें हैं

[श्री श्रीराम द्विवेदी]

वह स्पष्ट रूप से लिपिबद्ध होना चाहिये जैसी कि मान्यता है जनतन्त्र में कि कानून का राज्य चलाने के लिये जरूरी है कि जो भी मान्यतायें हैं, सेवा शर्तें हैं वह सब लिखित रूप से हमारे नियमों के तहत होनी चाहिये। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो संकल्प इस सदन के सामने विचाराधीन है वह बड़े महत्व का है, उसकी मंशा राज्य के कर्मचारियों के मनोबल को ऊंचा उठाने है, उनकी काम की शक्ति को बढ़ाने वाला है। इसलिये इस संकल्प को पूरी शक्ति से सदन पारित करे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूं।

*श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

मान्यवर, माननीय उदय नारायण जी ने जो संकल्प माननीय सदन के सामने प्रस्तुत किया उसका मैं समर्थन करता हूं। इस संकल्प से प्रदेश की बेरोजगारी और व्यापक रूप से फैला हुआ भ्रष्टाचार का भी सीधा-सीधा सम्बन्ध है। देखने में यह आया है कि जब कोई पढ़े-लिखा या वगैर पढ़ा-लिखा व्यक्ति नौकरी हांसिल करने के लिये जाता है तो दरख्वास्त देता है और अगर उसको नौकरी मिल जाती है तो इब्तदा में ही उसके एपाइन्टमेंट लेटर में लिखा होता है कि यह अस्थायी है और किसी भी वक्त एक महीने का नोटिस देकर एक महीने की तनख्वाह देकर उसको नौकरी से अलग किया जा सकता है। क्योंकि बेरोजगारी इस कदर है कि नौकरी मिलने के बाद वह सोचता है कि उसको किस को खुश करना पड़ेगा जिससे कि वह एक महीने के नोटिस से बचा रहे। इसके साथ ही जब वह नौकरी में आ जाता है तो उसके ऊपर उसके परिवार और समाज की भी जिम्मेदारी आ जाती है।

तीन साल की अवधि एक ऐसी अवधि है जो मैं समझता हूं कि किसी भी आदमी के लिये जो सरकारी नौकरी में आता है काफी यह देखने के लिये कि आया वह आदमी उस पद के योग्य है अथवा नहीं। लेकिन देखने में यह आता है कि बाज-बाज आदमी की तीस साल की आयु हो गयी और वह मुस्तकिल नहीं हो पाया। ऐसी मिसाल तो बहुत मिलेंगी कि दस-दस पन्द्रह-पन्द्रह साल हो गये और वह अस्थायी हैं। उसका भविष्य कुछ नहीं। उसकी नौकरी इस पर कायम है कि उसके अधिकारी तहसीलदार या सी० ओ० या जो भी हों वह खुश हैं। अगर कहीं वह इस पर नाराज हो गया कि तुमने मेरे घर का काम क्यों नहीं किया या बच्चों को क्यों नहीं खिलाया तो उसको एक महीने का नोटिस देकर अलग कर दिया जाता है और वह बेचारा सोचता है कि उसने क्या कसूर कर दिया। जब यह राजाज्ञा जारी नहीं हुई थी उसके पहले बिना एक महीने की तनख्वाह दिये और वगैर कोई वजह बतलाये नौकरी से निकाल दिया जाता था तो वह अपील में जा सकता था और जब तक उस पर लगाये इलजाम सिद्ध न हो जायं उसको नौकरी से नहीं निकाला जा सकता था। हमारे आई० ए० एस० के अधिकारी जिनके हाथ में सारी बागडोर है उन्होंने सेक्रेटरी के पद को कमिश्नर की रैंक का करा लिया और उसके नियम भी बन गये। मुझे याद है पहले यह ऐसा नहीं था। सन् 62 से मैं हाउस का मेम्बर चला आ रहा हूं। उन्होंने तो अपने हित की बात कर ली लेकिन बहुत से विभाग हैं जहां कर्मचारियों की सेवा नियमावली आज तक नहीं बनी है। पूरी सेवाओं में असन्तोष है और कर्मचारी समझते हैं कि मालूम नहीं कब उनकी छुट्टी हो जाय। तारीफ की बात यह है कि मैंने असेम्बली में प्रश्न उठाया था और उसका जबाव भी हुआ। ऐस लोग होते है जिनको पांच-छः साल बाद निकाल दिया जाता है, वह कहीं का भी नही रहता है। किसी दूसरी नौकरी के लिये दरख्वास्त दिया तो पता चला कि ओवर एज हो गया। उमर निकल गयी या वहां के लोगों को पता चला कि इसके पहले नौकरी में रह चुका है, तो यहां से सीक्रेट रिपोर्ट आती है कि

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इस-इस कारण निकाला गया। तो यहां भी उससे कह दिया जाता है कि चूंकि वह पिछली नौकरी में निकाला गया है, इसलिये यहां से भी जाइये। इसलियें पूरे प्रदेश में कर्मचारियों में एक अनिश्चितता का वातावरण फैला हुआ है। जब यह हो रहा है, जब इस तरह का माहौल आता है, तो उससे बड़ी दिक्कतें उनको हो रही हैं। 10/10 साल हो गये लेकिन वह कनफर्म नहीं हुआ। इसका नतीजा यह होता है कि जब 20–25 साल की उम्र में कोई आदमी नौकरी में आता है तो इस बात को कोई नहीं सोचता, उसकी शादी, व्याह आदि के मामले में, कि उसकी नौकरी पक्की रहेगी। वह सोचता है कि आज उसकी नौकरी चन्द लोगों की खुशी के कारण है, कल को वे नाराज हुये तो उसे छुट्टी मिल जायगी। इसके अलावा जब उसका रोजगार हो जाता है, तो उसकी लायबिलिटीजघ रवार की बढ़ जाती हैं।

लेकिन जब यह चीज सामने आती है कि चूंकि उसकी नौकरी मुश्तकिल नहीं है, उसे एक महीने की नोटिस देकर छुट्टी दे दी जायेगी, तो उसके सामने व्यापक रूप से समस्या आ जाती है। इसलिये यह जो संकल्प है कि वह पूरे प्रदेश के जितने भी कर्मचारी है,चाहे वे किसी भी मुहकमें के हों---इर्रीगेशन, पी0 डब्लू0 डी0, पुलिस, प्लानिंग--किसी भी विभाग के हों, उनके लिये पूरी तरह से बनना चाहिये। माननीय सदन इस बात की सिफारिश करें कि तीन साल की अवधि के अन्दर हर राज्य कर्मचारी को मुश्तकिल कर दिया जायेगा। इस अवधि में उसकी अच्छाई, बुराई, डिसिप्लिन आदि सभी चीजें तैयार हो सकती है। यदि वह तीन साल पूरे कर लेता है तो चौथे साल उसको अपने आप मुश्तकिल हो जाना चाहिये ताकि रिटायरमेंट के टाइम में पेंशन तथा तरक्की आदि उन सारी चीजों का एड-वान्टेज उसे मिल सके। लेकिन जब यह नहीं होता है, नौकरी तो उसे मिल गयी लेकिन मालूम नहीं कि कब तक रहेगी, तो यह दोनों हाथ से खीचने की कोशिश करता है क्योंकि मालूम नहीं कल को क्या हो। हमारे अधिकारी कल को नाखुश हो गये तो लिख दिया कि और सर्विसेज आर नो मोर रिक्वायर्ड---आपकी सर्विसेज की जरूरत नहीं है। एक महीने की तनख्वाह लेकर घर जाइये। तो यह मनोवृत्ति कायम हो जाती है। तो वह सोचता है कि नौकरी तो सही मिल गयी, लेकिन पता नहीं कब निकाल दिये जायेंगे, इसलिये जितनी आमदनी कर सकते हो, कर लो ताकि भविष्य में खाने पीने के लिये, कुछ रहने के लिये, कुछ पैसा जेब में आ जाय। उसके लिये वह आदमी मजबूर हो जाता है कि भ्रष्टाचार का तरीका वह अख्तयार कर ले। इसलिये वह इस तरह का माहौल पैदा करता है कि पैसा दोगे तो काम होगा, पैसा नहीं दोगे तो काम नहीं होगा।

श्रीमन्, बाज-बाज कर्मचारी तो यह कहते हैं कि साहब क्या करें---आपका काम तो हो जायेगा और आप चले जायेंगे लेकिन हमारी नौकरी मुश्तिकल नहीं है, पता नहीं कब क्या हो जाय। इसलिये जो भी इस दौरान में इकट्ठा कर लेंगे, वही आने वाले दिनों में बच्चों की लिखाई-पढ़ाई में काम आयेगा। इसलिये 100/50 रुपये, जो भी हो ले लें। तो इस संकल्प के पीछे यह बात है तो अनइम्प्लायमेंट के कारण व्यापक रूप से पूरे प्रदेश में फैला हुआ है। कोई आदमी यह नहीं सोचता कि मेरी नौकरी मुश्तकिल है। इसलिये एकजगह की डिमान्ड है तो 200–300 लोग उसके लिये भागते हैं कि कहीं हमको बैठने की जगह मिल जाय। अगर यह हो जायेगा, तो वह भ्रष्टाचार के तरीके इस्तेमाल नहीं करेगा। तीन साल में उसकी कार्यकुशलता को देखते हुये मुश्तकिल कर दिया जाय तो उसे कोई खतरा नहीं रहेगा। इसलिये यह जो संकल्प है, इसके बारे में माननीय सदन से अनुरोध है कि इसको पास करें ताकि प्रशासन और सरकार के ऊपर एक दबाव एख्लाक का पड़े। तीन साल अच्छी तरह जांच-पड़ताल कर लेने के बाद फिर उसको यह खतरा खत्म हो जाना चाहिए कि अब आपकी सेवाओं की जरूरत नहीं है लिहाजा एक महीने की तनख्वाह लीजिये और घर बैठिये। स्थायी करने से सरकारी कर्मचारियों में बिश्वास पैदा होगी, भ्रष्टाचार में कुछ कमी होगी। इन सारी मूल वजूहातों को देखते हुये मैं इस संकल्प का समर्थन करता हूं।

श्री अधिष्ठाता—

बोलने वाले माननीय सदस्यों की उपस्थिति इस समय कम है इसलिए समय की सीमा बढ़ाना उचित नहीं है। उचित समय मैं समझता हूं बोलने के लिए 15–20 मिनट के बीच हो।

*श्री गिरीश चन्द्र तिवारी (जिला फर्रुखाबाद)—

अधिष्ठाता जी, माननीय उदय नारायण सिंह जी द्वारा प्रस्तुत संकल्प का मैं समर्थन करत हूं। यह बड़ा सामयकी है और अतिआवश्यक भी। श्रीमान्, जी मुझे बहुत से विभागों का अध्ययन करने का मौका मिला है। पुलिस विभाग के 60 प्रतिशत ऐसे कर्मचारी जिनकी सेवा दस वर्ष से अधिक हो गयी है लेकिन अभी तक स्थायी नहीं हुई, शिक्षा विभाग में ऐसे कर्मचारी हैं जिनकी सेवा 17 वर्ष होगयी है लेकिन स्थायी नहीं हुए, बाद में सेवा से मुक्त कर दिये गये, परिवहन विभाग में 70 प्रतिशत ऐसे कर्मचारी हैं जिनकी सेवा 10 वर्ष से अधिक हो गयी है लेकिन स्थायी नहीं हा सके। पी0 डब्लू0 डी0 सिचाई विभाग में इतने सरकारी कर्मचारी है जिनके गर्दन परअस्थायी होने के कारण तलवार लटक रही हैं। उनके मन में अस्थिरता बनी रहती है ओर भ्रष्टाचार के शिकार बने रहते है। अस्थाई होने के कारण उन के उच्च अधिकारी उन परदबाव डालते है भ्रष्टाचार करने के लिए मजबूर करते हैं। मुझे ऐसा एक उदाहरण अच्छी तरह मालूम हैं। एक पुलिस का सब इन्सपेक्टर जो 8–9 साल से सेवारत था एस0 पी0 के चक्कर में पड़ गया। उसने कहा इतना दो अन्यथा तुमको सस्पेन्ड किया जायगा। सेउ सस्पेन्ड नहीं बरखास्त कर दिया गया। हाई कोर्ट पहुंचा। हाई क़ोर्ट ने इस आधार पर उसका पिटीशन रिजेक्ट कर दिया कि तुम्हारा स्थायीकरण नहीं है। इस प्रकार स्थायीकरण नहीं होना चाहिये जिससे एक और कर्मचारी के मन में अव्यवस्था फैलती है, उसे हर वक्त दुविधा में रहना पड़ता है और दूसरी तरफ भ्रष्टाचार फैलता है। इस प्रकार की बीमारी श्रीमन् इस प्रदेश में फैल गयी है। यह दुर्भाग्य ही है।

श्रीमन्, मुझे याद है तत्कालीन मुख्य मंत्री, श्री बहुगुणा जी ने यह कहा था कि तीन साल से अधिक के जो सेवारत कर्मचारी हैं उनको स्थायी कर दिया जायगा। बाद में इस पर काफी जोर डाला प्रश्नों के माध्यम से लेकिन आज तक इस संबंध में कुछ नहीं हुआ है। सरकार बदल गयी है। यह मौजूदा सरकार के लिए बहुत सामयकी है, एक मौका है कि इस बात को घोषणा करेगी कि तीन साल की जिनकी सेवा हो गयी है और उस अवधि में जिनका काम संतोषजनक रहा है उनको तुरन्त स्थायी किया जाय। यह बड़ा महत्वपूर्ण कदम होगा। इससे भ्रष्टाचार दूर होगा, सरकारी कर्मचारियों को लगन से काम करने का मौका मिलेगा। मैं इस संकल्प का जोरदार समर्थन करते हुये यह निवेदन करता हूं कि इसे सर्वसम्मति से पास किया जाय और इस पर तुरन्त कार्यवाही करने के लिए व्यवस्था होनी चाहिए।

श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)—

मान्यवर, अधिष्ठाता जी, मुझे इस बात की बड़ी प्रसन्नता है कि माननीय उदय नारायण सिंह जी ने इस सदन के समक्ष एक ऐसा प्रस्ताव प्रस्तुत किया है जो कि मैं समझता हूं निर्विवाद है। विवाद केवल इतना हो सकता है सरकार की ओर से सदन की ओर से नहीं कि तीन वर्ष से पांच वर्ष बढ़ाया जाय, सात वर्ष बढ़ाया जाय, लेकिन जहां तक इस प्रस्ताव की मूलभूत प्रश्नों, बुनियादी बातों और अन्तरात्मा की बात है उसमें कोई भी दो राय नहीं हो सकती। जो प्रस्ताव है उसका एक निश्चित मत है। तीन वर्ष से अधिक सेवारत राज्य कर्मचारियों की सेवाओं क़ो अविलम्ब स्थायी किया जाय।

श्रीमन्, देखा जाय इस प्रदेश में मेरे सामने पूर आंकड़े नहीं है स्टेटिस्टिकल सिस्टम में है। एक नीली सी किताब ह स्टेटिस्टिक्स की, जो यहां बटा ह, उसमें यह सब है। मुझे संख्या तो ठीक

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

से याद नहीं है लेकिन इतना याद है कि अस्थायी कर्मचारियों की संख्या तमाम विभागों के लाखों में पहुंचती है और इससे न केवल अस्थायी कर्मचारियों में भ्रष्टाचार है बल्कि भ्रष्टाचार उनमें भी है जो अस्थायी कर्मचारी नियुक्त करते हैं। अस्थायी कर्मचारी नियुक्त इसलिये किया जाता है कि वह भ्रष्टाचार का स्रोत वह बने। उनकी हटा कर नियुक्तियां की जाती हैं जिससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है और वह भ्रष्टाचार का स्रोत बनता है।

यह एक साल की कहानी नहीं है, यह वर्षों वर्ष की कहानी शासन की है। मैं तो यहां तक जानता हूं कि लाखों लोग इस प्रदेश में सेवारत हो गये और सेवा करते करते रिटायर हो गये उनको पेंशन नहीं मिली। जीवन भर कार्य करते रहे और अस्थायी रहे। कहीं-कहीं यह विभाग करते यह हैं दो और तीन अथवा पांच वर्ष में गेप दे दिया जाय एक महीने अथवा 15 दिन का और फिर उनको नियुक्त कर लिया जाता है। कभी-कभी तो साल भर के बाद नियुक्ति की जाती है। इससे कर्मचारी और जनता दोनो को परेशानी होती है। अधिकारी जानबूझ कर दो, चार साल के बाद अस्थायी कर्मचारी को हटा देता है। फिर नये लोगों को सिखाया जाता है। फिर उनको हटा देता है। तो हटाने की यह प्रक्रिया लगातार जारी रहती है। इससे जहां जनता के कामों पर प्रभाव पड़ता है वहां शासन की क्षमता पर भी पड़ता है। शासन कमजोर होता है और जनता उत्पीड़ित होती है। उसका उत्पीड़न कर्मचारी के परिवार पर जाता है, कर्मचारी पर भी जाता है जो सेवा से निकाला जाता है। शिक्षा विभाग में नियम है कि एक साल के लिये अध्यापकों की नियुक्ति कर दी जाती है प्रोबेशन पर और अगर एक साल के बाद एक दिन भी बढ़ गया तो स्वतः वह कन्फर्म समझा जाता है। एक ओर तो इसी शासन का यह नियम है, दूसरी ओर अन्य विभागों में जैसे सार्वजनिक विभाग तथा कचेहरी वगैरह में, सेक्रेटेरियट में तथा इसी सचिवालय में आप देख लें कितने ही ऐसे लोग हैं जो अस्थायी रूप से कार्य कर रहे हैं। अब समय आ गया है जब इन तमाम बातों पर निश्चित रूप से एक नीति निश्चित होनी चाहिये। लिहाजा जो प्रस्ताव उदित नारायण जी ने प्रस्तुत किया है वह बड़ा सामयिक है और शासन को इस पर विचार करना चाहिये, इसे स्वीकार करना चाहिये। मैं जानता हूं शासन का दृष्टिकोण एक रहता है कि एक तलवार इन कर्मचारियों पर सदैव लटकती रहनी चाहिये ताकि जब जिसे चाहा हटा दिया और जिसको चाहा रख लिया। मैं वाराणसी की बात कहता हूं, माननीय प्रस्तावक महोदय भी उसी जिले से आते हैं! वहां कचहरियों में जो अमीन हैं, लेखपाल हैं, उन्हें साल भर के लिये लगा हैं। दिया जाता है और साल भर के बाद हटा दिया जाता है। फिर साल भर में उन्हें रख लेते हैं और फिर हटा देते हैं कितनी पैरवी उनकी होती है। उसमें पैसा भी अधिक लगता है। उन बेचारों का दिमाग इस बात पर लगा रहता है कि हमारी नौकरी रहगी या नहीं रहगी। इसलिये यदि आप इसे पास कर देंगे तो शासन के काम में, जनता के काम में और शासन की कार्यक्षमता में काफी वृद्धि होगी। अतः मैं इस प्रस्ताव का पूरी तौर पर समर्थन करता हूं साथ ही मैं यह भी समझता हूं कि सरकार को इसे स्वीकार करना चाहिये। मतभेद इसमें केवल इतना ही हो सकता है कि 3 साल के बजाय 4 साल या 5 साल कर दें। इस पर मंत्रि-मंडल में आप विचार करें और उसमें निर्णय लें।

एक बात मैं यह भी बता देना चाहता हूं कि अस्थायी नौकरियों के सम्बन्ध में मेरा अनुभव केवल इस प्रदेश का ही नहीं बल्कि पूरे देश का रहा है कि एक दिमाग बन गया है कि अस्थायी नौकरियां देने का मतलब यह है कि उसे अनियमित करना, अयोग्य लोगों को भरती करना वा ऐसे लोगों का चुनाव करना जो किसी अन्य चुनाव में न आये हों। इस दशा में मैं चाहता हूं कि जैसे नौकरियों को देने के लिये नियम बने हैं, स्थायी नौकरियों के नियम हैं, उनके पेंशन, ग्रेच्युटी और कन्फरमेशन आदि के नियम हैं उसी प्रकार इसके लिये भी नियम लागू हों।

[श्री श्यामधर मिश्र]
मैं उन माननीय सदस्य को पुनः बधाई देता हूं जिन्होंने इस प्रस्ताव को लाकर न केवल इस सदन की बल्कि पूरे प्रदेश के कर्मचारियों की सेवा की है।

*श्री राम अधार (जिला आजमगढ़)—

माननीय अध्यिष्ठाता महोदय, हमारे सिंह साहब ने जो प्रस्ताव रखा है कि 3 साल से सेवारत कर्मचारियों को स्थायी कर दिया जाय, मान्यवर, यह संकल्प बहुत महत्वपूर्ण है और मैं आपके माध्यम से पूरे सदन से निवेदन करना चाहूंगा कि इसको पूर्ण बहुमत से पास करें। उत्तर प्रदेश के अन्दर लाखों कर्मचारी ऐसे हैं जो स्थायी नहीं हो पाते। पिछले दिनों में जब विधान सभा का अधिवेशन चल रहा था उस समय कृषि अमीन और कृषि कर्मचारी उत्तर प्रदेश विधान सभा के सामने धरना दिये हुये थे। उनकी मांग थी कि जीवन भर काम करने के बाद भी कृषि अमीन और कृषि चपरासी की सेवायें स्थायी नहीं हुई। उस समय कृषि मंत्री न उन्हें आश्वासन भी दिया था। मैं भी उस समय मौजूद था। मुझे मालूम हुआ कि अभी तक ऐसे कर्मचारी स्थायी नहीं किये गये और मंत्री जी का आश्वासन कोरा ही रहा और उनका वायदा पूरा नहीं हुआ। मैं समझता हूं कि यदि यह प्रस्ताव यहां पास हो जाता ह तो इस संकल्प स उनका वायदा भी पूरा हो जायेगा जो उन्होंने उनके धरना देते समय उन्हें दिया था। मैं यह भी जानता हूं कि बहुत से अधिकारी ऐसे हैं जो अपनी इच्छा के अनुसार माली और चपरासियों के नाम पर 8–8 और 9–9 नौकरों को रख लेते हैं और दो-दो सौ और ढाई-ढाई सौ रुपये में अपने घर का काम उनसे कराते हैं। इसके अलावा जो नौकर खाना नहीं बना पाता, बागबानी नहीं करा पाता तो उसे नौकरी से निकाल दिया जाता है। अगर यह संकल्प पास हो जाय तो जो समाज के अन्दर भूखे नंगे लोग घूम रहे हैं, जिनका कोई सोर्स नहीं है, जो भोजन नहीं बना पाते या बागबानी नहीं कर पाते उन्हें भी स्थायी नौकरी करने का अवसर प्राप्त होगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि यह संकल्प पास होना चाहिये।

इसी तरीके से लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के अन्दर सन् 1972 से लेकर अब तक हजारों कर्मचारी रहे हैं जो अस्थाई हैं। मुझे खुशी है कि अभी कैबिनेट ने फैसला किया है कि तीन साल तक जो लोग काम कर चुके हैं उन्हें स्थायी रूप से नियुक्त किया जायेगा। इसी तरह से सार्वजनिक निर्माण मंत्री जी बता रहे हैं कि 14 हजार कर्मचारी स्थायी किये गये हैं। लेकिन हमें जहां तक मालूम हुआ है अभी भी बहुत से कर्मचारी हैं जो अस्थाई हैं। हम इसे तभी मानेंगे कि जब सारे मंत्री अपने-अपने विभागों में काम करने वाले कर्मचारियों को स्थायी करने की घोषणा करेंगे जिन्होंने 3 साल तक काम कर लिया है तब हम समझेंगे कि इस प्रस्ताव की जरूरत नहीं है। मुझे उम्मीद है कि इस प्रस्ताव के पास होने के पूर्व माननीय मुख्य मंत्री या कोई भी मंत्री इस बात की घोषणा कर दें कि सभी ऐसे अस्थायी कर्मचारी स्थायी कर दिये गये हैं। मान्यवर, उत्तर प्रदेश में हजारों लाखों कर्मचारियों के सिर पर आज अस्थाई होने की तलवार लटकती रहती है। अभी मुझे मालूम है गाजीपुर के अन्दर बी0 डी0 ओ0 ने अपने क्लर्क को जिसके साथ एक छोटी सी बात पर झगड़ा हुआ तो कहा कि साले से अभी इस्तीफा लिखा लिया जाय। इस तरह से अस्थायी कर्मचारियों के साथ व्यवहार होता है। जब भी अधिकारी चाहता है उसे निकाल देता है।

मान्यवर, यह बहुत महत्वपूर्ण प्रस्ताव है। जनता पार्टी ने जिम्मेदारी के साथ अपने आश्वासनों को पूरा करने का बचन दिया है। इस दिशा में भी सरकार पुरानी सरकार की नकल नहीं करेगी जो कि कांग्रेस सरकार ने 30 साल तक किया। चुनाव के समय वायदे किये और उनको पूरा नहीं किया। लेकिन जनता पार्टी में ऐसे सैकड़ों लोग हैं जो इस बात को

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नहीं होने देंगे। इस बात के लिए हम विधान सभा और बाहर भी लड़ेंगे अगर कांग्रेस पार्टी की तरह तानाशाही या जो चुनाव के समय घोषणा होती थी लेकिन चुनाव होने के बाद वे वायदे पूरे नहीं होते थे। लेकिन जनता पार्टी लोकतंत्रीय प्रणाली को कायम करेगी जिसका उसने बचन दिया है। अगर वायदों को पूरा नहीं किया गया तो मेरे जैसे बहुत से लोग इसका विरोध करेंगे। मैं सदन से निवेदन करूंगा कि इस संकल्प को पास किया जाय।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय सदस्य अधिक समय नहीं ले रहे हैं इसलिए समय आने पर मैं संबंधित मंत्री को बोलने के लिए कहूंगा।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया)—

अधिष्ठाता महोदय, इस सदन के माध्यम से जो संकल्प माननीय उदय नारायण सिंह जी ने प्रस्तुत किया है वह बहुत शुभ संकल्प है और मुझे विश्वास भी है कि शासन का शुभ संकल्प के अनुसार सेवारत अस्थायी कर्मचारी जो अनिश्चय के वातावरण में जीवन यापन कर रहे हैं उनको स्थायी किया जायेगा। ऐसे अस्थायी कर्मचारियों के सामने सहज ही कठिनाइयां आती रहती हैं। इस देश में ऐसे प्रतिभावान सिविल इंजीनियर हैं, वैज्ञानिक दृष्टि से भले ही अनेक देश आगे बढ़ चुके हैं फिर भी संसार के विकसित देश इस देश के सिविल इंजीनियरिंग का लोहा मानते हैं जैसे विश्व विभूति इंजीनियर जैसे एम0 जी0 विश्वश्वरैय्या थे। जिनके पद चिन्हों पर चलने वाले सैकड़ों अभियंता हैं। इसी तरह से यहां पर तदर्थ नियुक्तियां सहायक अभियंताओं की सिंचाई विभाग में करने की एक सामान्य नीति रही है।

मान्यवर, लोक सेवा आयोग से हर 6 महीने में या साल भर में ऐसे लोगों का साक्षात्कार करने के बाद स्थायी रूप से नियुक्त किया जाता था लेकिन 1973 के बाद से एक लम्बा अन्तराल गैप पड़ा और ऐसे अनेक सहायक अभियन्ता वहां एक अनिश्चय के वातावरण में पड़े हुए हैं। श्रीमन्, यही कारण है कि इस देश के लगभग 22 हजार लोग जो प्रतिभाशाली हैं, जो अपनी प्रखर प्रतिभा के धनी थे, इस देश को छोड़कर बाहर चले गये हैं। इनमें अच्छे-अच्छे वैज्ञानिक हैं, चिकित्सक हैं, तथा अभियन्ता और इंजीनियर हैं। इन लोगों को सम्बन्धित शिक्षा संस्थाओं विश्वविद्यालयों आदि ने छात्रवृत्ति प्रदान की थी, केन्द्र और प्रदेश सरकारों ने तथा अन्य व्यक्तियों ने छात्रवृत्ति तथा अन्य प्रकार से मदद पहुंचाई थी। लेकिन वे लोग देश के बाहर चले गये, इसलिये चले गये कि इस देश में उस प्रतिभा का कोई सम्मान नहीं रहा। मैं आपको बताऊं, यही कारण है कि एक अनिश्चय की स्थिति में पड़े हुए—डूबते—उतरते हुये तमाम लोग अरब कन्ट्रीज को चले गये। यद्यपि वे हमारे मित्र देश हैं, लेकिन ये प्रतिभावान आदमी हमारे देश से चले गये। उनसे यह देश बड़ी उम्मीद लगाये हुये था, वह हस्तियां बेबसी की हालत में बाहर चली गयी हैं।

श्रीमन्, इसका एक कारण और भी है, मैं उसकी ओर संकेत करूं, इस देश में बड़े पदों का निरन्तर सृजन किया जा रहा है उनको तब तक अवसर नहीं मिलेगा जब तक यहां पर पदों के सृजन को कड़ाई से रोका नहीं जाएगा। कभी एक जमाना था, जब एक चीफ इंजीनियर होता था, फिर कार्य बढ़े, योजनाएं बढ़ी, एक के बाद दो चीफ इंजीनियर हुए, दो से तीन हुए और अब स्थिति यह है कि आज तो सैकड़ों हैं। एक पद बड़ा विचित्र है 'एडिशनल'—चाहे प्रशासन हो, चाहे शिक्षा हो, सार्वजनिक निर्माण विभाग हो सभी विभागों में यह 'एडिशनल' पद, अपने आप में बड़ा विचित्र है। जैसे मनुष्य के शरीर में बड़ी आंत और छोटी आंत के मिलने के स्थान पर एपेन्डिक्स अर्थात् अन्तरपुच्छ होता है। यह एक फालतू और बेकार का अंग है, उसी तरह से यह 'एडिशनल' पद भी बेकार और फालतू किस्म का है। इसके कारण छोटे कर्मचारी, जो वर्ग दो और तीन के हैं, व बुरी तरह मारे और कुचले जा रहे हैं। मैं सिंचाई विभाग की बात बता रहा हूं, सिंचाई मंत्री सदन

[श्री पुरुषोत्तम कौशिक]
में उपस्थित हैं---गंडक प्रोजेक्ट या शारदा सहायक या राम गंगा प्रोजेक्ट हो---इन सब में बड़े पदों का निरन्तर सृजन किया जा रहा है और आज भी किया जा रहा है। लेकिन मामूली आदमी---मेट, पतरौल, सुपरवाइजर तथा जूनियर इंजीनियर आदि जो छोटे-छोटे कर्मचारी हैं, उनकी यह दशा है कि 10-10, 12-12 वर्ष से सेवारत कर्मचारियों को हजारों की तादाद में नोटिसें जारी की जा रही हैं, उनकी सेवाएं समाप्त की जा रही हैं। एक तरफ तो नये नये डिवीजन खोले जा रहे हैं और दूसरी तरफ यह सेवा समाप्ति की नोटिसें। सेवा समाप्ति की भयावह स्थिति के कारण ये लोग अपने अधिकारियों की व्यक्तिगत गुलामी करने के लिए विवश हैं और एक अपमानित जीवन व्यतीत कर रहे हैं। कारण यह है कि आए दिन उनको सेवा समाप्ति करने की धमकी दी जा रही है। तो यह जो चीजें हैं वह बहुत ही भयावह हैं।

गन्ना विभाग में एक बहुत ही विचित्र बात है। गन्ना विकास परिषद् है उनके कर्मचारियों की जिनकी सेवा की अवधि 30-30 और 40-40 वर्ष हो गयी है, उनकी स्थिति बहुत ही दयनीय है। सारी सेवा नियमावली उन पर लागू है, लेकिन प्राप्त होने वाली सुविधाओं से बराबर वंचित रहते हैं---ग्रेच्युटी नहीं मिलती है और न पेंशन मिलती है। इस प्रकार की कोई सुविधा नहीं है। उनकी सेवा अवधि में ऐसे तमाम सेवाकाल छोड़ दिए जाते हैं जो उनकी सेवा में जुड़ने चाहिये। जो सुविधायें उन्हें मिलनी चाहिये वह नहीं मिलती है। वह इस समय बड़ी घोर विपत्ति में पड़े हुए हैं। उनके साथ कुछ अर्द्धशासकीय और शासकीय लोग भी हैं। इसी सन्दर्भ में मैं यह भी अपील कर दूं कि राजकीय कर्मचारियों के साथ ही साथ जो प्राइवेट प्रतिष्ठान के कर्मचारी हैं अगर उनको भी जोड़ दिया जाये तो अच्छा होगा। लोगों का आज तक स्थायीकरण नहीं हुआ है। इन शब्दों के साथ मैं इस संकल्प का समर्थन करता हूं।

*श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी (जिला लखनऊ)---

मैं आपको हार्दिक धन्यवाद देती हूं कि आपने इस संकल्प पर भाषण देने का अवसर प्रदान किया। पहले इसके कि मैं इस संकल्प पर कुछ कहूं, मैं आपकी आज्ञा से मैं अपने माननीय सदस्य श्री राय साहब के माध्यम से यह कहना चाहूंगी कि उन्होंने अपनी स्पीच में कांग्रेस सरकार के ऊपर जो दोषारोपण किया है, तो यह पुरानी बातें उठाने से क्या फायदा। अजी साहैब, यह कांग्रेस की सरकार को गये एक साल हो गये। एक साल में आपके माध्यम से, राय साहेब से पूछना चाहती हूं कि जनता सरकार ने जो वादे किये थे वह कौन पूरे किया। जो वादे उन्होंने किये थे। यह जो वह अपनी नियमावली में, उनकी पार्टी की नियमावली में जो उनके वादे हैं उन में से कितने वादे पूरे किये हैं और कितनी गरीबी लोगों की दूर की है। मैं जानना चाहती हूं कि इन्होंने देश की गरीबी दूर करने की क्या कोशिश की और क्या भ्रष्टाचार दूर करने का प्रयास किया। खैर मैं यह कहती हूं कि यह संकल्प बहुत ही आकर्षक है और मैं भी यह चाहूंगी कि जितने भी अस्थायी कर्मचारी हैं जो विभिन्न क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं चाहे वह सरकारी हो या गैर सरकारी हों हैं या गवर्नमेंट से अनुदान प्राप्त संस्थान हों या प्राइवेट संस्थान हों उनमें जहां पर कोई कर्मचारी अस्थायी हो उसको स्थायी किया जाय। 3 वर्ष के बजाय 2 वर्ष का समय मिलना चाहिये। अगर पहले वर्ष उसका काम अच्छा है और उसका काम पसन्द किया गया है तो उसे 2 वर्ष में स्थायी कर दिया जाना चाहिये। लेकिन मैं यह कहना चाहूंगी कि मैं अपना एक किस्सा बताऊं कि यहां के इकोनामिक्स तथा स्टेटिटिक्स विभाग में 18 व्यक्ति ऐसे थे जो 17-17 वर्ष की सेवा पूरी कर चुके थे लेकिन उनको स्थायी नहीं किया गया था। मैं 3-4 साल लड़ती रही लेकिन वहां के जो अधिकारी थे वे अपने कैन्डीडेट्स को मौका देना चाहते थे। तो मैं बड़ी मुश्किल से लगातार 4 वर्ष की लड़ायी के बाद उनको स्थायी करा पाई।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मैं तो यहां तक कहती हूं कि "अस्थायी नियुक्ति" का आर्डर होना ही नहीं चाहिये क्योंकि यह भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी का एक जरिया है। हमारी सरकार को एक ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि जो भी नियुक्तियां हों वे आरम्भ से स्थायी होनी चाहिये न कि अस्थायी क्योंकि यदि ऐसा न किया गया तो हमारे देश और प्रदेश में अस्थायी कर्मचारियों की बहुत बड़ी संख्या हो जायगी। जो भी नियुक्तियां हों, वे सब नियमानुकूल होनी चाहिये और जिस जौब पर जिस योग्यता के व्यक्ति की आवश्यकता हो उस पर उसी व्यक्ति की प्रोपर चैनल से नियुक्ति होनी चाहिये। कभी कभी कहा जाता है कि बहुत आवश्यकता के कारण फौरन ही अमुक व्यक्ति की नियुक्ति करनी पड़ी तो मेरा निवेदन है कि पी0एस0सी0 के द्वारा चुनाव की जो बाकायदा सूची हो, जिन के नाम उस सूची में आयें, उनमें से ही सम्बन्धित व्यक्ति को नियुक्त किया जाय और एक या 2 वर्ष के प्रोबेशन के बाद उसको स्थायी कर दिया जाय। अस्थायी कर्मचारियों की नियुक्ति बिल्कुल ही बन्द कर देनी चाहिये क्योंकि यह भ्रष्टाचार का जरिया बन जाता है। हमारे प्रदेश में ही विभिन्न कालेजों और स्कूलों में हजारों की संख्या में एडहाक एप्वाइन्टमेंट कर दिया जाता है। जो प्रिंसिपल होते हैं वे अपने रिश्तेदारों को या जिन से उसे पैसे मिलते है, एडहाक एप्इंटमेंट कर लेता है और जब वे 3 साल तक काम करते रहते हैं तो कह दिया जाता है कि ये हमारे कर्मचारी 3 वर्ष से कार्य कर रहे हैं उनको स्थायी करना आवश्यक है। इससे जो योग्य व्यक्ति होते हैं उनको मौका नहीं मिलता है कि उनका चयन हो सके।

लखनऊ यूनिवर्सिटी या अन्य यूनिवर्सिटी जो हैं वे बुद्धिजीवियों की संस्थायें हैं। लखनऊ यूनिवर्सिटी में एक फिजिक्स विभाग है। जब से यह आरम्भ हुआ है वर्ष 1975–76 तक इसमें कभी भी कोई महिला लेक्चरर का एप्वाइन्टमेंट नहीं हुआ है क्योंकि जो हेड आफ दि डिपार्टमेंट हैं, वे नहीं चाहते हैं कि किसी महिला को नियुक्त किया जाय लेकिन वर्ष 1976 में बड़ी लड़ाई झगड़ा करने के उपरान्त एक महिला की नियुक्ति हो पाई लेकिन बाद में फिर उसका दरवाजा बन्द कर दिया गया।

श्री शतरुद्ध प्रकाश (जिला वाराणसी)––

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। लखनऊ यूनिवर्सिटी में महिला रजिस्ट्रार के बारे में कहा गया है।श्रीमन्, यह एक स्वायत्त संस्था है, उसमें नियुक्ति का प्रश्न इस सरकार की परिधि में नहीं आता है। अतः प्रार्थना है कि यदि इन्हें उदाहरण देना है तो किसी दूसरे स्थान का दें।

श्री अधिष्ठाता––

विषय से दूर तो अवश्य जा रही है, लेकिन आपका यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। आप कृपा करके चेयर को ही सम्बोधित करके जो कहना चाहें, कहें।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी––

मान्यवर, आपके माध्यम से माननीय सदस्य को यह उत्तर देना चाहती हूं कि जो भी एडडाक एप्वाइंटमेंट्स होते हैं चाहे वे विश्वविद्यालय में हों या सचिवालय में हों, या अन्य संस्थाओं में हों, वे नहीं होने चाहिये। यूनिवर्सिटीज में अपनी-अपनी सलेक्शन कमेटीज है। उनके चयन के आधार पर ही स्थायी नियुक्ति होनी चाहिये और यदि किसी की नियुक्ति अस्थायी तौर पर करनी हो तो वह भी सलेक्शन कमेटी के आधार पर या पब्लिक सर्विस कमीशन की चयन सूची के आधार पर ही होनी चाहिये, तभी हम भ्रष्टाचार को रोक सकेंगे। इस संकल्प के द्वारा मैं सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहती हूं कि वे इस विषय पर गौर करें और

[श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी]

एक ऐसा नियम बनाये कि यह जो अस्थायी टीम है फौज है, इसको समाप्त कर दिया जाय और जो भी नियुक्तियां हों वे नियमानुसार पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा यह जैसे यूनिवर्सिटीज में जो सलेक्शन कमेटीज है, उनकी चयन-सूची के आधार पर होनी चाहिये, तभी हम करप्शन को दूर कर सकेंग और मान्यवर, यह एक ध्यान दिलाना चाहती हूं कि जो सर्विसेज हैं उनमें दो प्रकार के वर्ग उत्पन्न हो गये हैं—एक स्थायी और दूसरा अस्थायी। इससे दोनों में बड़ा संघर्ष होता है। अस्थायी वर्ग में हीन भावना होती है। वह कहते हैं कि मेहनत हम करते हैं और तमाम फैसिलिटीज स्थायी लोगों को मिलती हैं, यह गलत है। यदि इस पर गौर करके अस्थायी कैडर को समाप्त करने की स्कीम बनावें तो जो हमारी सर्विसेज का करप्शन है, सर्विसेज पर जो रेड-टेपिज्म का चार्ज है वह 30 परसेंट तक हम दूर कर सकते हैं।

इन बातों के साथ मैं आपसे आज्ञा चाहती हूं और धन्यवाद देती हूं।

श्री अधिष्ठाता—

मंत्री महोदय ने एक सूचना चाही है। मुझे खेद भी है, इस कार्यालय में नहीं है। लेकिन फिर भी मैं बता देना चाहता हूं। जो सूचना मांगी है वह यह है कि "क्या मैं जान सकता हूं कि श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी जी अभी तक "कुंवारी" है क्योंकि उनके नाम के साथ "कुमारी" शब्द जुड़ा हुआ है। मैं समझता हूं कि आपका नाम "स्वरूप कुमारी बख्शी' में "कुमारी" नाम का भाग है। वह "कुमारी" हैं, "श्रीमती" भी है, इस प्रकार की सूचना कार्यालय में नहीं है!

श्रीमती स्वरूप कुमारी बक्शी—

आपकी आज्ञा हो तो मैं स्पष्ट कर दूं....

श्री राम अधार—

"कुमारी" हैं या "श्रीमती" यह स्पष्ट होना चाहिए।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बक्शी—

मेरा नाम "स्वरूप कुमारी" है। "कुमारी" के बाद "बख्शी" भी है। "श्रीमती" पहले है। "कुमारी" नाम का एक अंग है। अक्सर कश्मीरियों में "स्वरूप रानी" होता है। हमारे मोती लाल जी की धर्मपत्नी का नाम "स्वरूप रानी" था। मुझे "रानी" शब्द से घृणा है। इसलिए मैंने "कुमारी" ही रहने दिया।

*श्री खान गुफरान जाहिदी (जिला फतेहपुर)—

मान्यवर, मैं इस संकल्प का जो उदय नारायण जी ने पेश किया, उस अहद की ताईद करता हूं और इस शेर के साथ—

हजार बार के धोखे के बावजूद यह दिल,
अजीब बात है फिर एतबार लाया है।

मान्यवर, 1947 के बाद इस मुल्क की आबादी 64 करोड़ तक पहुंच गयी। एक लाख आदमी, एक लाख गजटेड आफिसर्स 1947 में इस मुल्क के निजाम को चलाया करते थे। आज इंडिस्ट्रियल ऐक्टिविटीज बढ़ीं, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज बढ़ी लेकिन 1 करोड़ गजटेड आफिसर्स जो हर महीने 3–4 हजार तक तनख्वाह उठाते हैं वह इस मुल्क के निजाम को चलाते हैं। सन् 47 से जो प्रथा अंग्रेजों के जमाने में शुरू हुई उसके कारण दूसरी, तीसरी

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

और चौथी श्रेणी के जो कर्मचारी हैं उनके साथ जो जुल्म ऊपर की क्लास के आफिसर्स करते चले आ रहे हैं उसकी वजह ही है कि आज भ्रष्टाचार खत्म नहीं हो रहा है। मैं महसूस करता हूं और मेरे साथी भी करेंगे कि जो भी हुकूमत तबदील हुई और जो इत्मिनान और आरजुओं के साथ हम आये थे कि यह भ्रष्टाचार खत्म होगा, यह रिश्वतखोरी खत्म होगी, बद-उनवानियां खत्म होंगी, चोर-बाजारी नहीं होगी लेकिन जब बाजार में, मैदान में, गलियों में सड़कों में, कचेहरियों में जाते है तो कोई तबदीली हम महसूस नहीं करते। वही रिश्वत का आलम, वही बद-उनवानियों का आलम। हमें तबदीलियों के लिये सख्ती से अमल करना होगा और इस अफसरशाही के जाल को जब तक नहीं तोड़ा जायगा, उसके कब्जे को खत्म नहीं किया जायगा तब तक भ्रष्टाचार और बद–उनवानियों का सिलसिला खत्म नहीं होगा।

मान्यवर, सरकारी कर्मचारियों को मुस्तकिल करने की जो बात है यह एक बुनियादी सवाल है। इस सवाल के साथ मैं उस अहमद का भी मुकाबला करता हूं, उस बात का भी मुकाबला करता हूं जो नौकरी के वक्त उनको लिख कर दी जाती है। उनको कहा जाता है कि उनकी नौकरी किसी भी समय बिना नोटिस के समाप्त की जा सकती है। नौकरी करने वाले की मजबूरी के साथ एक यह बहुत बड़ा मजाक है। सरकार को ऐसा मजाक नहीं करना चाहिय, इस तरह का कान्ट्रैक्ट गैर कानूनी है क्योंकि उस वक्त वह इन्सान भूखा होता है नौकरी को उसको तलास होती है, आपकी हर बात को वह मान लेता है। मगर ऐसा नहीं होना चाहिये। आपने कामर्शियल ऐक्ट भी तो बनाया है, इन्डस्ट्रियल ऐक्ट भी तो बनाया है उनके अन्तर्गत 120 दिन अगर कोई कर्मचारी काम कर लता है तो वह स्थायी कर दिया, जाता है।

यहां 30 साल की पाबन्दी क्यों है। यहां 30 साल तक भी मुस्तिकल क्यों नहीं बनाया जाता। प्राइवेट कम्पनियों में काम करने वालों की तरह इन सरकारी मुलाजिमों को भी उतने ही वक्त के अन्दर मुस्तकिल किया जाना चाहिये। यह डबल स्टैन्डर्ड की बात मेरी समझ में नहीं आती। यह देख कर बड़ी हैरत होती है। इसके कारण मुलाजिमों में हर वक्त डर और खौफ बना रहता है। आप इस दोहरे मयार को खत्म कीजिये। इस डर को खत्म कीजिये। जो आपने तरह-तरह के निगम बनाये हैं। उनमें भी आपके सरकारी मुलाजिम ही हैं। उनके साथ भी यही पालिसी अख्तियार कीजिये। जनता पार्टी की आज सरकार है। उसने कुछ वायदे किये हैं। उससे कुछ उम्मीद की जा सकती है। निगमों में भी जो कर्मचारी काम करते हैं उन पर भी आपका ही असर है, आपके हुकुम से ही वे काम करते हैं। वहां आपका ही हुकुम चलता है। इसलिये उनके प्रश्न को यह कह कर न टाला जाय कि वे सरकारी मशीनरी से अलग हैं।

एक बात मैं और कहना चाहता हूं। 30–30 साल तक काम करने के बाद जब कर्मचारी रिटायर होता है तो मुस्तिकिल न होने के कारण अपनी पेन्शन आदि के लिये उसको 3–4 साल तक ए0 जी0 आफिस के चक्कर लगाना पड़ते हैं। कभी कभी तो उस कर्मचारी की मौत भी हो जाती है और उसकी पेन्शन मंजूर नहीं हो पाती। यह एक बड़ी दर्दनाक हकीकत है। प्राविडेंट फंड के बारे में पता चला है कि करीब 17 करोड़ रुपया अन-क्लेम्ड पड़ा हुआ है। यही पता नहीं है कि यह किसका है। मैं अपनी इस जनता पार्टी की सरकार से कहना चाहता हूं कि वह इसको भी देखे। इसके लिये वह नियमावली जो जरूरी हो बनवाये। जिस वक्त जो कर्मचारी रिटायर हो, रिटायर होने के साथ ही उसे पेन्शन पेपर्स मिल जाय और उसे पेन्शन मिलने लगे। इन अल्फाज के साथ में इस संकल्प की ताईद करता हूं। एक बार फिर वह शेर कहता हूं—

हजार बार के धोखे के बावजूद यह दिल,
अजीब बात है फिर ऐतबार लाया है।

श्री खान गुफरान जाहिदी--
मैंने अपनी बात सरकार के सामने रख दी है। मुझे उम्मीद है सरकार उस पर गौर करेगी।

श्री श्यामदत्त पालीवाल (जिला आगरा)—
अधिष्ठाता महोदय, अन्य महत्वपूर्ण प्रस्ताव आये हुए है....

श्री अधिष्ठाता—
आप क्या कह रहे हैं ?

श्री श्याम दत्त पालीवाल—
मैं बोल नहीं रहा हूं, क्लोजर मूव कर रहा हूं।

श्री अधिष्ठाता—
यह माननीय सदस्यों के ऊपर निर्भर हैं, आप क्लोजर मूव कर रहे हैं, तो आपको आजादी है।

माननीय सदस्य क्लोजर मूव करने वाले हैं, मैं समझ रहा था कि बोलने जा रहे हैं बाद में सुना, वह क्लोजर मूव करने जा रहे हैं। क्या इस क्लोजर मूव करने पर आप इंसिस्ट करते हैं कि अन्य महत्वपूर्ण प्रस्ताव तीन और आये हुए हैं, जो इस प्रदेश के पिछड़ेपन से संबंधित हैं और इसके अतिरिक्त बेरोजगारी भत्ता से संबंधित एक प्रस्ताव आया हुआ है। यदि इस पर विवाद चलता रहेगा तो अन्य प्रस्ताव पर विचार नहीं हो सकेगा। संवैधानिक स्थिति ऐसी है, क्योंकि और प्रस्ताव है, इसलिए क्लोजर मूव कर देना चाहिये। परन्तु यह कोई अधिक उचित नहीं हैं, मेरी व्यक्तिगत राय है, इसको थोड़ा और चलना चाहिए। अगर आप क्लोजर मूव करने के लिये इंसिस्ट करते हैं, तो वह अभी ले लिया जायगा।

श्री रियासत हुसैन—
यह जो तीन साल की नौकरी वाला प्रस्ताव है, माननीय सदस्यों की राय आ गयी हैं, सभी इसकी राय में है। इसको क्लोज करके दूसरा ले लिया जाय।

श्री अधिष्ठाता—
जो क्लोजर मूव कर रहे हैं, वह परसिस्ट कर रहे हैं ?

श्री रियासत हुसैन—
मैं प्रस्ताव करता हूं कि उदय नारायण सिंह जी ने जो संकल्प माननीय सदन के सामने उपस्थित किया है, अब इसके ऊपर और चर्चा स्थगित कर दी जाय।

श्री अधिष्ठाता—
अगर यह क्लोजर मोशन क्लीयर हो जाता है, तो उसके बाद माननीय मंत्री जी उसका उत्तर देंगे। उससे पहले एक क्लोजर माननीय पालीवाल जी का है, उसको लिया जा रहा है।

प्रश्न यह है कि अब इस विषय पर विवाद समाप्त किया जाय।
(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री शतरुद्र प्रकाश—
मान्यवर, अगर आप काम रोको प्रस्ताव कहें तो ज्यादा अच्छा हैं, क्लोजर मूव तो समझ में नहीं आता है।

श्री अधिष्ठाता—

मंत्री जी अब जवाब देंगे ।

श्री काली चरण—

माननीय मंत्री जी आप से अनुमति लेकर गये हैं वोट डालने के लिए ।

श्री अधिष्ठाता—

जो हाउस ने परमिशन दी है, वह ठीक है ।

यह प्रस्ताव थोड़ी देर के लिए स्थगित किया जा सकता है । आधा घंटे के लिए स्थगित किया जा सकता है ।

*श्री श्यामदत्त पालीवाल—

अधिष्ठाता महोदय, इस सदन का अपमान है मंत्रियों के द्वारा । यह तो संयुक्त उत्तर-दायित्व होता है । इसलिए सरकार का कोई भी प्रतिनिधि उत्तर दे सकता है ।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि इस विषय को आध घंटे के लिए स्थगित कर दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री रियासत हुसैन—

मान्यवर, मुझे एक आपत्ति है ।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय सदस्य, एक प्रश्न हाउस के समक्ष उपस्थित कर दिया गया है । उस पर सहमति भी हो गयी, आध घंटे के लिये स्थगित हो गया । अब दूसरा प्रस्ताव आपके सामने आ रहा है ।"

जनता अथवा गैर सरकारी क्षेत्र से किसी प्रकार का धन एकत्रित करने का कार्य सरकारी अधिकारियों अथवा कर्मचारियों को न सौंपे जाने के सम्बन्ध में संकल्प

श्री अधिष्ठाता—

श्री मित्र सेन यादव अब अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे ।

*श्री मित्र सेन (जिला फैजाबाद)—

मान्यवर, मैं सदन के सामने प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं कि "इस सदन का यह निश्चित मत है कि किसी प्रकार का धन जनता अथवा गैर सरकारी क्षेत्र से एकत्र करने का कार्य किसी भी दशा में सरकारी अधिकारियों अथवा कर्मचारियों को न सौंपा जाय ।"

मान्यवर, इस संकल्प का संबंध देश और प्रदेश से है । प्रदेश में तमाम राजनैतिक पार्टियों द्वारा सरकारी अधिकारियों से चंदा वसूलवाने की एक पुरानी परिपाटी चली आ रही है इस संबंध में तमाम जगहों पर भ्रष्टाचार होता है । यह मान्यवर, सरकारी पक्ष से दबाव डालकर चंदा वसूल कराया जाता है । इसके आधार पर तमाम पैसा चुनावों में लगाया जाता है । अभी पिछले दिनों, आपतकाल, में जब संजय जी के दौरे होते थे तो बड़े-बड़े अधिकारियों द्वारा फर्जी चंदा वसूल कराया जाता था । उसकी न कहीं कोई इंटरी होती थी और न कहीं कोई हिसाब होता था और न कोई फंड, या योजना होती थी । इस तरह से सरकारी अधिकारियों से चंदा वसूलवाने से समाज में भ्रष्टाचार फैलता है । यह चंदा जो सरकारी स्तर

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री मित्रसेन---]

से वसूल कराया जाता है, सत्ता पक्ष में रहने वालों के माध्यम से इसका बड़ा दुरुपयोग होता है। और तो मेरा मत है कि इस तरीके की कोई नियमावली होनी चाहिये कि सरकारी स्तर से किसी किस्म का, गैर सरकारी संस्थाओं से या जनता से चंदा वसल न किया जा सके। देश प्रदेश में इस तरह की तमाम शिकायतों की जांच हो रही है कि कितने मंत्रियों या नेताओं ने कितना पैसा इकट्ठा कर लिया है, वह सरकारी धन है या गैर सरकारी धन है और वह किस माध्यम से इकट्ठा किया गया है। तो इस संबंध में यह संकल्प बहुत महत्वपूर्ण है कि जो सरकारी कर्मचारी या अधिकारी हैं उनको चंदा वसूलने के लिये बाध्य किया जाय, क्योंकि उनके पद का दुरुपयोग कराया जाता है। यह नहीं होना चाहिये।

जनतंत्र के अंदर यह भावना भ्रष्टाचार को जन्म देती है, इस पर जब कोई अंकुश नहीं लगाया जाता है तो इससे ज्यादातर सामान्य जनता ही पीड़ित होती है। क्योंकि उनका दफ्तरों से सम्पर्क होता है। हर तरह के दफ्तर चाहे वह जिला स्तर के हों या और जो भी दफ्तर हो वहां पर इस तरह से चंदा न वसूल किया जाय, कोई भी सरकारी कर्मचारी या अधिकारी हो उनके ऊपर यह बोझ न डाल जाय और उनके प्रभाव का प्रयोग न किया जाय जब तक ऐसी कोई चीज नहीं होगी तब तक असरदार लोग और जो प्रभावी लोग होते हैं सरकारी माध्यम से अपने पद का दुरुपयोग करेंगे। सरकारी तरीके से जो पैसा वसूल किया जाता है उसको गलत तरीके से इस समाज में फैलाया जाता है। राजनीतिक पार्टियां किसी सामाजिक या राजनीतिक आयोजन पर चंदा वसूल करें तो वह अलग बात है, जैसे बिहार आन्दोलन और उत्तर प्रदेश आन्दोलन में चंदा वसूल हुआ है। जनता की सद्भावना से चंदा वसूल करें तो आपत्ति नहीं है। लेकिन यदि यह चंदा वसूली राजनैतिक पार्टियां अपने प्रभाव से सरकारी माध्यम से वसूल करती हैं तो उसका गलत प्रभाव पड़ता है। उसका बोझ सामान्य जनता पर पड़ता है इसलिये इस प्रकार की एक नियमावली सदन की तरफ से पास होनी चाहिये कि कोई भी राजनीतिक पार्टी या नेता या सत्ता पक्ष के मंत्रीगण अपने प्रभाव से सरकारी माध्यमों से कोई चंदा वसूल न करें। यदि ऐसा नहीं होता है तो भ्रष्टाचार का रास्ता खुला हुआ है। इससे सरकारी कर्मचारियों पर गलत प्रभाव डालकर सत्ता पक्ष समाज में भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहा है। इसका प्रभाव ग्रामीण जनता पर, सामाजिक कार्यों पर पड़ेगा। मेरा प्रस्ताव स्पष्ट है इसलिये मैं चाहता हूं कि इसे पारित किया जाय।

श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)--

श्रीमन्, मैं मित्र सेन जी का जो प्रस्ताव है उसको पढ़ता हूं तो लगता है कि बड़ा व्यापक है। लेकिन जो उन्होने भाषण दिया वह बड़ा ही सीमित दिया। मैं ढूंढ़ रहा था कि इसमें राजनीतिक शब्द कहां है? मैंने इस प्रस्ताव का अर्थ लगाया यदि मेरा अर्थ सही है तो मैं इसके शब्द पढ़ दूं 'कि किसी प्रकार का धन जनता अथवा गैर सरकारी क्षेत्र से एकत्र करने का कार्य किसी भी दशा में सरकारी अधिकारियों अथवा कर्मचारियों को न सौंपा जाय' तो वह केवल राजनीतिज्ञों के लिये रुपया एकत्र नही करते हैं। मेरा अनुभव तो यह है कि यह अधिकारीगण काफी समय अपना रुपया एकत्र करने में देते हैं। और राजनीतिक रुपया एकत्र करने में काफी समय में देते हैं। इस संबंध में माननीय सदस्यों ने चर्चा की। मैं यह भी जानता हूं कि अधिकारीगण इस बात में लगे रहते हैं जैसे कि स्माल सेविंग्स या कहीं उत्सव हो रहे हैं जो बजट में नहीं शामिल है जैसे ब्लाकों में उत्सव हो रहे हैं। हमारे यहां एक पशुओं का मेला हुआ। उसमें 10 हजार रुपये खर्च हुये उसको किसी तरह अधिकारियों ने वसूल किया है। मैं उसके खिलाफ नहीं हूं लेकिन उसके प्रयोग के तरीके से मैं खिलाफ हूं। इसमें अनावश्यक समय लगता है।

मान्यवर, स्माल सेविंग्स है जिसके बड़े-बड़े आंकड़े हैं। चाहे आज की सरकार हो या पिछली सरकार लेकिन उनके आंकड़े बड़े-बड़े निकलते हैं। इस समय देखा जाय तो इस सरकार के कर्मचारी और अधिकारी अधिकतर अपना समय चीनी के कोटे, सीमेंट के कोटे के समय

बन्दूक के लाइसेंस के समय और कचेहरी में देकर चंदा वसूल करते हैं और उसकी थैली मंत्रियों को दी जाती हैं । चाहे यह सरकार हो या पिछली सरकार हो दोनों एक दूसरे के चट्टे-बट्टे हैं ।

श्री शिव लाल मित्तल (जिला बस्ती)--
आपका पुराना अनुभव है ।

श्री श्याम धर मिश्र---
इन लोगों को पुराना इतिहास ही सवार है । पुराना तो पुराना हो गया, उसको भूल जायं ।

मैं एक बात और कहूंगा जिसे मैं जरूरी समझता हूं । जहां राजनीतिक चर्चा आयी तो मैं कहना जरूरी समझता हूं और वह बात यह है कि समय आ गया है कि हमें इस बात पर मौलिक विचार करना चाहिये । श्रीमन्, यह मांग आज नहीं पांच वर्ष पहले, कम से कम तीन वर्ष पहले, विरोधी दलों ने जो आज जनता पार्टी में यहां भी और केन्द्र में भी हैं राष्ट्रपति को लिखित ज्ञापन देकर की थी । तो अब समय आ गया है कि फैलने वाले भ्रष्टाचार को मिटाने के लिये जैसा कि स्वीडन में, यूरोप में, जर्मनी में हो रहा है वैसा कुछ किया जाय । वहां हो यह रहा है कि राष्ट्रीय या प्रांतीय दल को जितने अनुपात में, जितनी संख्या में, जितनी फीसदी वोट पिछले चुनाव में मिले हों उसी का एक सीमित धन सरकार पांचवे या छठे वर्ष जैसे भी चुनाव की व्यवस्था हो हर दल को चाहे वह कम्युनिस्ट पार्टी हो या सोशलिस्ट पार्टी हो या कोई और पार्टी हो को द दिया जाता है । कम से कम उतना बेसिक धन, बुनियादी धन मिल जाता है । मेरी मांग यह होगी कम से कम अपने यहां भी इस पर चिन्तन शुरू हो जाय । यह कोई नई मांग मैं नहीं रख रहा हूं । जनता पार्टी में बैठने वाले दलों ने जब वह विरोध में थे यह मांग राष्ट्रपति को ज्ञापन देकर की थी कि सरकारी अधिकारियों को चंदा न मांगने पड़े । आज आप दोष देते हैं कांग्रेस को कि उनको बड़ी-बड़ी थैलियां मिलती थीं लेकिन आज यदि आप वही करेंगें तो कल लोग आपको भी दोष देंगे । इसलिये एक बुनियादी व्यवस्था होनी चाहिये कि आवश्यकता की 25 प्रतिशत तक पूर्ति कर दें चुनाव के लिये जैसा कि जर्मनी, स्वीडन डेनमार्क आदि देशों में हो रहा है । अगर ऐसा हो जाय तो न तो अधिकारियों को और न मंत्री को चन्दे के लिये कहना पड़ेगा और मैं समझता हूं इससे भ्रष्टाचार कम होगा । मैं श्रीमन्, इससे सन्तुष्ट हो जाऊंगा कि भ्रष्टाचार न्यूनतम हो जाय ।

श्री राज ब्रजराज सिंह (जिला खीरी)--
आपकी आज्ञा से एक प्रश्न कर लूं । माननीय विधायक पहले भी सदस्य रह चुके हैं ।

श्री अधिष्ठाता--
मैं इजाजत नहीं देता । कोई प्रश्न नहीं ।

श्री श्याम धर मिश्र---
मैं प्रश्न को स्पष्टत: नहीं समझ सका क्या प्रश्न था ?

श्री अधिष्ठाता---
मैंने इजाजत नहीं दी । आप बोलें । कोई प्रश्न नहीं है ।

श्री श्यामधर मिश्र--
आपने मेरे कहने पर भी कहा कि मैं अनसुनी कर दूं इसके लिये धन्यवाद ।

*श्री राज कुमार शर्मा (जिला सहारनपुर)—

अधिष्ठाता महोदय, श्री मित्र सैन जी ने जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया है मैं उसकी भावनाओं का स्वागत करता हूं। यह रोग है जो यहां प्रस्ताव के रूप में प्रस्तुत हुआ है। यह पिछले तीस सालों से बढ़ते बढ़ते आज महामारी के रूप में प्रदेश भर में व्याप्त हो गया है। पिछली सरकार ने, कांग्रेसी सरकार ने जब यह कार्यक्रम शुरू किया या अधिकारी वर्ग से कर्मचारी वर्ग से जब चन्दा कांग्रेसियों ने वसूल किया पब्लिक से तो उस पर एतराज किया गया था लेकिन बहुमत के आधार पर उस बात को माना नहीं गया और हमारी आवाज शून्य में रह गयी। आज जब कि सब तरफ से शिकायतें आ रही हैं सरकारी कर्मचारी अपने प्रभाव से जनता से एप्रोच करते हैं और जबरन चन्दा वसूल करते है। इसी के साथ में यह भी कहना चाहूंगा कि बहुत से ऐसे चन्दे होते है जो सरकार के द्वारा वसूल किये जाते है। सरकार माने सरकार के कर्मचारी, सरकार के अधिकारी वर्ग जसे पिछले दिनों तूफान पीड़ितों की सहायता के लिये देश भर में चन्दा इकट्ठा किया गया और वह सरकारी स्तर पर किया गया, मजिस्ट्रेटों ने किया, तहसीलदारों ने किया। सरकार की तरफ से उनके पास रसीद बुकें थी।

मेरे हरिद्वार क्षेत्र में रेजिडेन्ट मैजिस्ट्रेट ने चन्दा लिया और सरकार के मुख्य मंत्री या प्रधान मंत्री के कोष में दिया। चन्दा गैर सरकारी स्तर पर भी होता है। हमने भी गैर सरकारी स्तर पर चन्दा इकट्ठा किया और आन्ध्र के तूफान पीड़ितों के सहायतार्थ भेजा। इसी प्रकार रेड क्रास का चन्दा होता है। वह सरकार की तरफ से वसूल किया जाता है और सरकार माने जैसा मैंने कहा सरकारी कर्मचारी, मैजिस्ट्रेट, तहसीलदार। ये उसको वसूल करते हैं। इसी प्रकार इस प्रस्ताव के संदर्भ में हमें यह भी विचार करना होगा कि इस प्रकार चन्दा भविष्य में सरकार की ओर से प्रस्तावित किया जाय, जारी किया जाय तो वह सरकारी कर्मचारी वसूल नहीं कर पायेंगे बल्कि उसे जनता के आदमी या पार्टी के आदमी वसूल करेंगे। इसी प्रकार और भी बहुत से चन्दा हो सकते हैं।

इसलिये प्रस्ताव के संदर्भ में मैं यह कहना चाहूंगा जैसा अभी माननीय श्याम धर मिश्र जी ने कहा बिल्कुल ठीक हैं कि बन्दूक के लाइसेन्स तब दिये जाते है जब नाजायज दबाव देकर चन्दा वसूल करते है और वह मिनिस्टरों की, डी0एम0की तथा और अधिकारियों की खुशी हासिल करने के लिये दबाव देते है और यह शो करना चाहते हैं कि इस साल में इतना चन्दा लाइसेन्स देते समय मैंने इकट्ठा किया। मेरे क्षेत्र के बन्दूक के लाइसेन्स प्राप्त करने वाले से एक हजार रुपया मांगा गया। जब एक हजार रुपय नहीं दिये तो एस0 डी0 एम0 ने एक गलत रिपोर्ट दे दी और वह परेशानी में पड़ गया। मैं बीच में पड़ा और उसका मामला ठीक कराया। मैंने कहा कि ऐसा कोई आदेश गवर्नमेंट की ओर से नहीं है कि आप लाइसेन्स देते समय चन्दा मांगें और अगर है तो मुझे आप दिखाये। इस प्रकार यह जो नाजायज दबाव पड़ता है उसे हटाने के लिये यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। दबाव से ही भष्टाचार पनपता है इस में दो राय नहीं हैं।

श्रीमन्, एक सुझाव का अनुमोदन करना चाहूंगा। वह यह है कि जो राजनैतिक दल प्रान्तीय स्तर पर या अखिल भारतीय स्तर पर है उन्हें सरकार की ओर से किसी अनुपात में अनुदान मिलना चाहिये ताकि उन के खर्च पर अंकुश लगाया जा सके और वे जो अनाप शनाप चन्दा इकट्ठा करते हैं उस पर अंकुश लगाया जा सकें। चुनाव के समय भी चन्दे पर अंकुश लगे।

इस प्रस्ताव की भावनाओं का समर्थन करते हुए यह संशोधन उसमें रखता हूं यदि आपकी अनुमति हो कि सरकारी स्तर पर चन्दा इकट्ठा होता है तो जैसा मैन उदाहरण दिया रेडक्रास सोसाइटी को या दैवी प्रकोप समय चन्दे को इससे विमुक्त कर दिया जाय।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय रियासत हुसैन जी, आप कृपया 20 मिनट में समाप्त कर दें।

*श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)

मान्यवर, मैं 2.15 तक समाप्त कर दूंगा।

मान्यवर, जो प्रस्ताव माननीय मित्रसेन जी ने रखा है,बुनियादी तौर पर जो इस तरीके के चंदे इक्ट्ठे किये गये हैं, उनमें दुर्पयोग बहुत हुआ है। गड़बड़ियां भी हुयी हैं। इसी माननीय सदन में बराबर इस प्रकार के प्रश्न उठे हैं कि नेचुरल कैलेमिटी पर तो इस तरह से चंदे इकट्ठे किये गये, उनमें गल्तियां हुयीं। उन्हीं के आधार पर यह संकल्प माननीय सदन के सामने ह। श्रीमन्, यह बात साफ है कि पैसा तो जिसके पास हैं, वही देता हैं। फर्क यह है कि कुछ लोग इस देश के अंदर जो चंदा देते है, वे इस भावना से देते है कि यह उनका इनवेस्टमेन्ट है। वे ऐडवांस में पैसा खर्च कर रहे हैं कि आगे स कोई लाभ उठायेंगे। मिसाल के तौर पर इस देश के जितने भी पूंजीपति हैं, वे सभी चंदा देते हैं। जो शासक दल हैं उसको चंदा देते हैं या कुछ विरोधी पक्ष को भी इसलिये देते हैं कि पार्लियामेंट या असेम्बली में कोई मामला उनसे मुतल्लिक उठे तो विरोधी पक्ष की जवान पर ताला लगा रहे। तो वे तो इनवेस्टमेंट समझकर देते हैं। चंदा नहीं देते हैं बल्कि अपनी पूंजी में लगाते है, अपनी विजनेस में लगाते हैं उसे।

दूसरी तरफ जो इस तरीके के चंदे समय-समय पर होते हैं जो सरकारी आदमियों के द्वारा किये जाते हैं जिसके कारण यह संकल्प इस माननीय सदन में आया उसमें होता है कि बी0 एल0 डब्लू0 का अलग कोटा लेखपाल का अलग कोटा होगा, एस0 डी0 ओ0 का अलग कोटा होगा। इतना रुपया इसमें करना हैं। इतना रुपये इसमें करना हैं। उसके अंदर जो होता है उसमें हैं कि बंदूक का लाइसेंस देना हैं, या रिन्यूवल का मामला है तो कह दिया कि 500 रुपये की रसीद कटाइये नहीं तो फाइल अलग पड़ी हुयी हैं। इसी तरह से डी0 एस0 ओ0 के यहां भट्ठे वाले हैं, कोयले वाले ह, दूकानदारों के लोग है, परमिट वाले है, उनसे कह दिया कि इतने की रसीद कटाइये नहीं तो फाइल अलग रखी हैं। कभी ऐसा होता है कि नेचुरल केलेमिटी के नाम पर सरकारी कर्मचारयों द्वारा इकट्ठा होता है या स्पोर्टस् के नाम पर सरकारी कर्मचारियों कर्मचारियों और अधिकारियों के जरिये टिकट की बिक्री होती है। उसमें, मान्यवर, देखने में आया है कि साधारण जनता के लोग ही उस टिकट को खरीदते हैं और जो अधिकारीगण बगैरह होते है, उनके लिये पासेज फ्री चलते हैं या कम्पनी पासेज चलते हैं। उन पर न इण्टरटेनमेंट टैक्स लागे और न कोई टैक्स लागू। वे कम्प्लीमेंट्री पासेस से देखते हैं और अगली सीटों पर बैठकर देखते है। वह भी, मान्यवर, एक किस्म का भ्रष्टाचार या अनियमितता ही हैं। साधारण आदमी जो जाय, वह तो इण्टरटेनमेंट टैक्स भी दे और टिकट भी खरीदे लेकिन उसी बीज को हमारे अधिकारियों की फेमिली और बाल-बच्चे देखने जांय तो कम्प्लीमेंट्री पासेस से देखने जांय। उनके लिये न टिकट न मनोरंजन कर। इसलिये असली कर से भी वे मुक्त हो गये। इसलिये यह जो सिस्टम चल निकला है, उसमें देखना है कि सरकारी मशीनरी का उसमें कहां तक इस्तेमाल किया जाय।

अब कोई नेचुरल कैलेमिटी होती है। मिसाल के तौर पर इसी सदन के अन्दर जब 20 अक्तूबर, 1962 को चीन का हमला इस देश पर हुआ तो रेज्योल्यूशन पारित किया गया कि हम एक एक दिन की तनख्वाह (रकम ठीक से याद नहीं है) इस चीज के लिये वार फंड में यू0 पी0 असेस्बली से देंगे और इतने रुपये देंगे।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रियासत हुसैन]

पिछले दिनों में आन्ध्र प्रदेश में साइक्लोन आया जिसमें देश से ही नहीं विदेश से भी लोग मदद के लिये दौड़े और हर तरह का चन्दा हुआ और इसमें किसी को एतराज भी नहीं है—इस किस्म की दैवी आपत्ति के सम्बन्ध में चन्दा अगर जमा कराया जाता है तो उसमे सरकारी मशीनरी इस्तेमाल होनी चाहिये लेकिन उसमें जांच पड़ताल तथा आडिट की व्यवस्था अवश्य होनी चाहिये। अगर हम किसी चन्दे की वसूली इस परव्यु में नहीं लाते तो फिर सरकारी मशीनरी के जरिये किसी भी पैसे का संग्रह नहीं कराया जाना चाहिये। प्रस्ताव की मूल बुनियाद ही यह है कि पैसे की गड़बड़ी होना और सही हिसाब किताब का न दिया जाना-इस पर कैसे अंकुश लगे इसलिये यह प्रस्ताव रखा गया है। कांग्रेसी शासन में मिनिस्टरों के दौरे होते थे और 40 लाख तथा 50 लाख की थैली भेट होती थी यह प्रेक्टिस थैली भेट करने की खत्म होनी चाहिये चाहे किसी भी राजनैतिक दल की सरकार हो। जायज काम के लिये जो चन्दा जमा किया जाय उसे सरकारी खजाने में जमा किया जाना चाहिये लेकिन फलां मंत्री के स्वागत में थैली जाबते का भेट किया जाना और उसमें सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल किया जाना अनुचित है। इससे गड़बड़ी होती है। यह कह कर मैं माननीय मित्र मित्रसेन के संकल्प का समर्थन करता हूं।

श्री विद्याशंकर (जिला प्रतापगढ़)—

इस समय कोरम नहीं है।

श्री अधिष्ठाता—

देखने के बाद मालूम हुआ कि कोरम पूरा है। क्लोजर मूव हुआ था और तय हुआ था कि 2.20 पर माननीय मंत्री जी जवाब देंगे। जवाब देने के बाद मद नं0 3 चल रहा है उस पर निर्णय हो जायगा और उसके बाद जो स्थगित इस समय हो रहा है उसे लिया जायगा।

तीन वर्षों से अधिक सेवारत राजकीय कर्मचारियों को अविलम्ब स्थायी किये जाने के संबंध में संकल्प (क्रमागत)

सूचना राज्य मंत्री (श्री अवधेश प्रसाद)—

अधिष्ठाता महोदय, में माननीय सदस्य को सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने इस लोकमहत्व के प्रश्न को शासन के सामने रखा। मैं अन्य माननीय सदस्यों को भी धन्यवाद देता हूं। जिन्होंने इस लोक महत्व के मामले पर शासन का ध्यान आकर्षित किया। जहां तक मूल प्रश्न का सम्बन्ध है कि तीन साल से अधिक कार्य करने वाले कर्मचारियों को स्थायी किया जाय उस सम्बन्ध में मैं आदरणीय सदन को बतलाना चाहता हूं कि जहां तक नियुक्ति का प्रश्न है तीन तरह की नियुक्तियां होती है। एक नियुक्ति रेगुलर बेसिस पर होती है। दूसरी नियुक्ति तदर्थ नियुक्ति होती है और तीसरी अस्थायी नियुक्ति होती है। लोक सेवा आयोग के माध्यम से नियुक्तियां होती हैं। कुछ ऐसी नियुक्तियां होती हैं जो उसके परव्यू में होती है और कुछ नियुक्तियां ऐसी होती हैं जो उसके परव्यू में नहीं होती है। जहां तक राज्य कर्मचारियों की बात कही गई शासन उस दिशा में बहुत ही सहानुभूतिपूर्वक विचार कर रहा है क्यों कि हम समझते हैं कि जितन भी हमार राज्य कर्मचारी है वे शासन के एक अवश्यक अंग हैं। जब तक शासन का यह आवश्यक अंग शांति से नहीं रहेगा, उनकी सुख सुविधा का ध्यान नहीं रखा जायेगा तब तक शासन की नीतियों का सही रूप से पालन नहीं हो सकता हैं ऐसा शासन को विश्वास है। माननीय मिश्रा जी ने और माननीय रियासत हुसैन ने भ्रष्टाचार और बेरोजगारी की बात कही। मैं बताना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार और बेरोजगारी हमें पिछली सरकार से विरासत के तौर पर मिली है। हमारा ध्यान इस तरफ भी आकर्षित किया गया है कि प्रदेश में हजारों और लाखों लोग बेरोजगार हैं। मैं इस आदरणीय सदन को बताना चाहता हूं कि यह बरोजगारी और भ्रष्टाचार हमें पिछली कांग्रेस सरकार से

विरासत के रूप में मिली है। मैं माननीय रियासत साहब को और माननीय मिश्र जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने यह कहा कि बेरोजगारी की समस्या और भ्रष्टाचार की समस्या बहुत पहल की है। इसको उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया है ।

3 वर्ष में स्थायीकरण की बात जो माननीय सदस्यों ने रखी है उसके बारे में मैं इस आदरणीय सदन को बताना चाहता हूं कि यह एक बहुत बड़ा प्रदेश है जिसमें लाखों कर्मचारी ह और हजारों ऐसे कर्मचारी हैं जो अस्थायी पदों पर हैं। जहां यह बात कही जाती है कि उन्हें स्थाई किया जाय वहां यह बात भी आती है कि उन्हें स्थायी करने के पहले हमें यह भी देखना पड़ेगा कि जिस काम पर वे लगे हुये हैं उसकी क्या प्रकृति है और कितने समय के लिये उस पद की व्यवस्था की गई है। स्थायी करने के लिए वित्तीय मामला भी सामने आता है कि आया हमारे पास वित्तीय साधन हैं या नहीं । इस सम्बन्ध में शासन बिलकुल सचेत और जागरूक है कि वह अपने कर्मचारियों के बारे में सहानुभूतिपूर्वक विचार करें। जहां तक मूल प्रश्न का सम्बन्ध है मैं सदन को बताना चाहता हूं कि इस बारे में मंत्रि मंडल की एक उप-समिति बन गई है जिसमें इन सारे मामलों का विश्लेषण होगा। ऐसा तो नहीं किया जा सकता कि सभी कर्मचारी जो 3 साल से ज्यादा समय से काम कर रहे हों उनको रख ही लिया जायगा किन्तु ऐसे कर्मचारी जो योग्य हैं, संक्षम हैं,जिनमें क्षमता है आदि सभी बातों को ध्यान में रखते हुये उस उप-समिति में विचार किया जायगा और सारी बातों पर विश्लेषण होगा । इसके अलावा जैसा कि मैं निवेदन कर चुका हूं कि आर्थिक और वित्तीय पहलुओं पर भी हमें ध्यान देना होगा। जो मंत्रि-मंडल की यह उप-समिति बनी है उसमें इन सारी चीजों की समीक्षा करते हुये लोक हित में सारी बाते सामने आ जायंगी। ऐसा कहा गया कि बहुत से ऐसे कर्मचारी हैं जो 30, 30 और 40–40 साल से लगे हुए हैं उनके साथ अस्थायी होने के कारण अन्याय हो रहा है। में इस दिशा में भी बताना चाहता हूं कि यह भी हमें पिछली सरकार से विरासत में मिला है।

जहां तक कर्मचारियों के साथ सहानुभूतिपूर्वक व्यवहार करने की बात है इस दिशा में शासन बिलकुल जागरूक है और इस दिशा में भी कार्यवाही हो रही है। किसी भी कर्मचारी के साथ अन्याय नहीं होने पायेगा इसके लिये समितियां गठित की गई है। इन समितियों के रहते हुए यहीं अपेक्षा की जाती है कि हमारे कर्मचारियों के साथ न्याय होगा और उनकी समस्याओं का निराकरण होगा। जैसा मैने निवेदन किया माननीय उदय नारायण सिंह जी की भावनाओं का और माननीय सदस्यों की भावनाओं का ध्यान रखा गया है। यह एक बहुत लोकमहत्व का प्रश्न है और जैसा मैने निवेदन किया कि राजकर्मचारियों के साथ हमारी सहानुभूति है लेकिन जैसा मैने निवेदन किया वित्तीय मामले भी इसमें आते हैं। हजारों कर्मचारी ऐसे हैं जो अस्थायी हैं उनको स्थायी करने के लिये वित्तीय मामले भी सामने रखने होगें। तो ऐसी स्थिति में जैसा मैने अर्ज कर दिया है कि मंत्रिमंडल की एक उस समिति बन गई है जिसमें सारे मामलों पर विचार होगा और लोक हित को सामने रखते हुए कर्मचारियों के स्थायीकरण का फैसला हो जायेगा लेकिन जैसा कि मैने निवेदन किया कि एक मुस्त सबको स्थायी नहीं किया जा सकता है। जो योग्य कर्मचारी होगा उसे कानून के तहत सारी बातें सामने रख कर स्थायी किया जायगा।

माननीय उदयनारायणसिंह जी से मेरा विनम्र निवेदन है कि उनकी भावनाओं का स्वागत करते हुए जो उनकी मंशा थी वह पूरी हो गई है। शासन की तरफ से पहले ही यह मामला विचाराधीन है और कर्मचारियों के साथ अच्छा व्यवहार होगा और उनकी समस्यायें सुलझाई जायेंगी। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वह इसे वापस ले लें।

*श्री देवकुमार (जिला बांदा)--

मान्यवर, माननीय सदस्य वापस लें या न लें माननीय मंत्री जी ने शासन की बात बताई है। लेकिन मान्यवर, सचिवालय में ही बहुत से कर्मचारी हैं जो डेली वेजेज में हैं और कई वर्षों से कार्य कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि सरकार इस संबंध में क्या कार्यवाही कर रही है ? मुझे इस पर बोलने का समय नहीं मिला।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय सदस्य नजो प्रश्न उठाया है इस संबंध में यह समय नहीं है। जो स्थिति है वह यह है कि माननीय सदस्य उदयनारायण जी वापस लेंगे या नहीं ? उनके जवाब देने का प्रश्न है। माननीय मंत्री जी ने शासन की बात रख दी है।

श्री देव कुमार—

इसका उत्तर मंत्री जी से दिला दें।

श्री अधिष्ठाता--

आपके विचारों को शासन ध्यान में रखेगा (व्यवधान) मैं भी आपके विचारों को शासन तक पहुंचा दूंगा।

श्री उदय नारायण सिंह--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मेरे प्रस्ताव पर माननीय सदन ने अपनी राय व्यक्त की सदन का पूरा समर्थन इसे प्राप्त हुआ। इसके बाद सरकार की तरफ से जो आश्वासन दिया गया है, मैं उसे केवल कोरा आश्वासन नहीं मानता हूं, मैं यह विश्वास करता हूं कि सदन की गरिमा और भावना का आदर किया जाएगा और इस लोक महत्व के प्रस्ताव को अमल में लाया जाएगा। मंत्री महोदय के विचार जानने के बाद और उनके अनुरोध पर मैं इस सदन से अपने प्रस्ताव को वापस लेने की अनुज्ञा चाहता हूं।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि माननीय सदस्य —श्री उदय नारायण सिंह को अपना संकल्प वापस लेने की अनुज्ञा प्रदान की जाए।

(सदन की अनुमति से संकल्प वापस हुआ।)

श्री रियासत हुसैन—

नहीं, नहीं श्रीमन्, 'नहीं' की संख्या अधिक है।

श्री अधिष्ठाता--

मुझे 'हां' की संख्या अधिक मालूम पड़ी और 'नहीं' की कम। इसलिये इसे वापस लेने की अनुमति दी गई। प्रस्ताव पर निर्णय हुआ कि यह वापस हुआ।

जनता अथवा गैर सरकारी क्षेत्र से किसी प्रकार का धन एकत्रित करने का कार्य सरकारी अधिकारियों अथवा कर्मचारियों को न सौंपे जाने के संबंध में संकल्प (क्रमागत)

श्री अधिष्ठाता—

अब मद नं० तीन पर बहस जारी रहेगी, जो स्थगित हो गया था।

श्री देवकुमार (जिला बांदा)—

मान्यवर, मैं माननीय मित्रसेन जी द्वारा प्रस्तुत संकल्प का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। उन्होंने इस संकल्प के मध्यम से इस प्रदेश और देश में सरकार और सरकारी कर्म-

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

चारियों के बीचके कर्त्तव्यों और रिश्तों के संबंधमें एक मौलिक सवाल प्रस्तुत किया है। मान्यवर यह प्रति दिन की जीवन में देखा जाता है कि जो भी सरकारें प्रदेश में आती ह,वह राज्य सरकारें बिना किसी राज्य कर्मचारियों की सहमति के अपनी नीतियों को तय करके उनके माध्यम से काम लेना चाहती हैं। किसी भी शासन का यह हक है कि वह अपने कर्मचारियों से काम ले, लेकिन कौन से काम शासकीय हैं और कौन से जनहित के हैं और किनके करने में प्रशासन के अधिकारियों का इस्तेमाल किया जा सकता है और उसका क्या असर पड़ेगा, इस पर बहुत मौलिक रूप से और गम्भीरतापूर्वक विचार होना चाहिये माननीय सदन ने अपने संकल्प के माध्यम से इसे यो रखा है कि किसी भी सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों से धन इकट्ठा कराने का काम नहीं कराया जाना चाहिए। इससे न केवल भ्रष्टाचार पनपता है, बल्कि ईमानदार अफसरो के सामने बड़े भारी संकट और दुविधा की स्थिति पैदा हो जाती है।

अभी अल्प बचतों के जरिए और नेशनल सेविंग्स के जरिए धन इकट्ठा करने की बात कही गयी। बहुत से ऐसे अधिकारी जो शासन में बहुत अक्षम होते हैं और उनकी इन्टीग्रिटी अच्छी नहीं होती है,लेकिन वे ज्यादा धन इकट्ठा कर सकते हैं और मान्यवर, उनको ईमानदार कर्मचारियों को सुपरसीड करके तरक्की दी जाती है उनको अच्छे जिले दिये जाते हैं। इस प्रकार से अधिकारियों में वे दुविधा की भावना पैदा हो जाती है. बहुत से अधिकारी इस बात को पसन्द नहीं करते हैं। चूंकि अधिकारी कुछ कह नहीं सकते हैं, इसलिए जो चीज उन्हें अच्छी न भी लगे उसे करनी पड़ती है। अभी मान्यवर, रियासत हुसैन ने 1962 के चीनी हमले की बात कही और आन्ध्र प्रदेश के तूफान की बात कही। रुपया एकत्र करने में सरकारी कर्मचारिओं का इस्तेमाल किया जाता है और कुछ अधिकारियों ने बहुत गलत फायदा उठाया है। मुझे 1962 की बात अपने जिले की मालूम है। अपील जारी की गयी थी रुपया एकत्र करने के लिए। इस अपील के फलस्वरूप लोगों ने बहुत सा रुपया दिया और यहां तक महिलाओं ने अपनी चूड़ियां उतार कर दे दीं, लेकिन वहां के जो जिलाधिकारी थे उन्होंने लगभग 4 लाख रुपये का गबन किया था। जब जनता ने इसके विरुद्ध आवाज उठायी तो उनका स्थानान्तरण कर दिया गया, उस रुपये का क्या हुआ इसका पता आज तक भी नहीं लगा।

इसी तरह से बहुत से सांस्कृति कार्य किए जाते हैं, जिनके लिए धन एकत्र किया जाता है। जिसको जनता पसन्द नहीं करती है। लाइसेंस देने के नाम पर, परमिट देने के नाम पर रुपया इकट्ठा किया जाता है। इसी प्रकार से बन्दूक के लाइसेंस के नाम पर बहुत सा रुपया इकट्ठा किया जाता है। हजारों-हजारों रुपया एकत्र किया जाता है और उसमें से बहुत सा ऐसा रुपया होता है जिसका कोई हिसाब-किताब नहीं होता है। मंत्रियों को आमंत्रित किये जाने का कार्यक्रम किया जाता है। जिसके लिए भी सरकारी कर्मचारियों के माध्यम से रुपया इकट्ठा कराया जाता है। मान्यवर, मैं ज्यादा समय न लेकर माननीय सदस्य द्वारा प्रस्तुत संकल्प का समर्थन करता हूं।

एक बात मैं और कह देना चाहता हूं कि कई माननीय सदस्यों ने यह कहा कि बहुत सी चीजें उन्हें कांग्रेस शासन से विरासत मिली हैं। क्या आप ऐसी विरासत को जनता के हित में न हो उनको लेने के लिए तैयार हैं। क्या आप उनको उसी तरीके से करना चाहते हैं जैसा कि अभी तक किया जाता है। आपको इसपर गंभीर चिन्तन की आवश्यकता है। आप ऐसे नियम बनावे जिससे राजकीय कर्मचारियों का दुरुपयोग न हो सके। आज आवश्यकता इस बात की है कि आप एसे नियम बनावे जिससे आने वाली सरकार उसको दुहरा न सके और प्रशासन ठीक प्रकार से चलता रहे।

(श्री राज बृजराज सिंह के खड़े होकर बोलना शुरू करने पर)

श्री अधिष्ठाता—

ऐसा मालूम पड़ता है कि आपका माइक खराब है। आप कृपया अगले माइक पर अपने विचार व्यक्त करने का कष्ट करें।

*श्री राज बृज राज सिंह (जिला खीरी)—

मान्यवर, यह चीज जो अभी माननीय श्यामधर जी ने कही ठीक ही है कि इस चन्दे की वजह से कांग्रेस की सरकार बदनाम हुई और खुले आम उसकी आलोचना हुई और उसका भुगतान भी उसे देना पड़ा। यह सही है कि 30 वर्ष के दौरान कांग्रेस शासन को खुले हाथ से चंदा लेने का बहुत बड़ा प्रिविलेज प्राप्त था। साथ ही साथ उनको सहूलियत थी जिसकी वजह से अरबों रुपया चन्दे के रूप में लिया गया। जनता पार्टी ने भी इसकी आलोचना की थी भले ही हम विरोधी पक्ष में बैठें हों या सत्ता पक्ष में। बुरी बात बुरी ही होती है और अच्छी बात अच्छी ही होती है। जो खराबियां हैं उनको हम स्वीकार करते हैं। चन्दा जो वसूला गया उसको हमने देखा और निश्चय किया कि हम इस प्रकार से चन्दा इक्ट्ठा न करें और विशेष रूप से व्यापारियों से और फर्मों से। उनके लिए एक निश्चय होना चाहिये, सीमा निर्धारित होनी चाहिये कि वे इतना चन्दा दे सकते हैं, उससे अधिक नहीं। और जो उस सीमा से अधिक चन्दा देगा उसे अनुचित माना जायगा। मैं चाहूंगा कि इस प्रकार का एक कानून बन जाय।

हमारे लोक नायक जय प्रकाश जी ने भी कहा था कि सौ रुपये से अधिक चन्दा नहीं लेना चाहिए और न देना चाहिये। हम उनके इस विचार को अक्षरश: मानते हैं। अगर राष्ट्रीय विकास के लिये या राष्ट्रीय बचत की जो योजनायें हैं, उनके लिये रुपया इकठ्ठा किया जाय तो उसकी कोई लिमिट नहीं होनी चाहिये लेकिन राजनीतिक पार्टी के गठन के लिये उसको बढ़ावा देने के लिये जो सीमा निर्धारित होनी चाहिये इस विचार पर दोनों पक्षों के लोग एक राय के हैं कि चन्दे की वसूली के लिये या लेने देने के लिये सरकारी मशीनरी का कमसे कम उपयोग किया जाय पर बहुत से काम ऐसे हैं जैसे हमारी पंचवर्षीय बचत योजनायें हैं, या 12 वर्षीय बचत योजनायें हैं, वे सरकारी मशीनरी के माध्यम से ज्यादा सफल होती हैं और सुगमतापूर्वक हो सकती हैं क्योंकि वे लोग जन-सम्पर्क में आते हैं और जानते हैं कि कौन किस स्थिति में है जो उनको पैसा दे सकता है। उनको नाटकों के लिये रामलीला के लिये या मेले ठेलों के लिए पैसा चन्दे के रूप में नहीं इकठ्ठा करना चाहिये। केवल राष्ट्रीय बचत जैसे कार्यों के लिये यदि चन्दा एकत्रित करना हो ती उसके लिये यदि सरकारी लोगों को उपयोग किया जाय तो अनुचित न होगा लेकिन उन पर अंकुश होने चाहिये ताकि साधन का वे दुरुपयोग न कर सकें चन्दा वसूल करने का एक धंधा हर जगह देखा गया है। कहीं पर आश्रमों के लिए, अनाथालयों के लिये या अन्य अनेक संस्थायें जो खुल गयी हैं, जिन्होंने चन्दे की रसीदें छपवा ली हैं, उन पर सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिये। इस कार्य के लिये जिलाधिकारी या किसी सक्षम मैजिस्ट्रेट की नियुक्ति करके दी जाय ताकि वे यह देख सकें कि जिले में वही संस्थायें, या चैरिटेबिल इन्सटीट्यूशन्स जो पंजीकृत हों चन्दा वसूल कर सकें, सब नहीं। इस प्रकार आपका सरकार का और डी0एम0 का नियंत्रण होना चाहिये।

दूसरी चीज। हमारे हर जिले में एक सक्षम अधिकारी बना दिया जाय? जो चन्दे की रकम मासिक या इस प्रकार इकट्ठी होती है उसके व्यय का पूरा लेखा-जोखा जो आये उसकी जांच करे कि कितना चन्दा वसूल हुआ है जितनी रकम दिखाई जा रही है उतनी है या कोई गोल-माल तो नहीं किया गया है। इसलिये चन्दे की वसूली पर हम बिलकुल पाबन्दी न लगा दें, समाप्त न कर दें पर उसका नियंत्रण सजग होकर, उसके लिये कानून

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बनावें जिससे सही नियंत्रण हो सके । यदि खत्म किया गया तो, पार्टी चलाने के लिये जो अभियान किया जाता है वह सब खत्म हो जायगा, संस्था का एक सदस्य नहीं बन पायेगा । इसलिये इसको खत्म नहीं किया जा सकता है पर सरकारी नियंत्रण जरूरी किया जा सकता है और ऐसे नियम बनाये जा सकते हैं जिससे चन्दा "धंधा" न बन जाय, बल्कि चन्दा वसूली का राष्ट्रीय हित में और सामाजिक उत्थान के लिये सदुपयोग किया जा सके, संस्था के विकास के लिये उपयोग किया जा सके ।

श्री विक्रमा राय (जिला आजमगढ़)—

माननीय यादव जी ने जो संकल्प सदन के समक्ष रखा है, मैं उनकी भावनाओं के साथ अपने को संबद्ध करते हुए कुछ सुझाव देना चाहता हूं । जैस कि अभी माननीय श्यामधर जी ने और रियासत हुसेन साहब ने कुछ सरकारी अधिकारियों का चन्दा लेने का उदाहरण प्रस्तुत किया, जहांतक नेशनल सेविंग्स सार्टिफिकेट देने का प्रश्न है, बन्दूकों पर और लाइसेंसों पर जो अधिकारी चन्दा लेते हैं वह एक तरह से सरकारी चन्दे होते हैं जिसे सरकार अपने माध्यम से कराकर कहीं सूखा पीड़ितों को, बाढ़ पीड़ितों को, कहीं अकाल-ग्रस्त को देती है । तो वह सरकारी अधिकारियों द्वारा लेने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये, लेकिन मैं उस साथी की भावना को समझता हूं जिस भावना से उन्होंने इस संकल्प को प्रस्तुत किया है । अपने भाषण के दौरान वह उसको ठीक तरह से नहीं रख पाये । जो राजनीतिक चन्दे अधिकारियों के माध्यम से वसूल होते हैं वे प्रतिबंधित होने चाहिये । लेकिन जहां तक मैं समझता हूं, यह सदन इस प्रस्ताव को पारित भी कर दे तब भी उसे हम कानून का रूप नहीं दे पायेंगे । क्योंकि अगर हम चाहते हैं कि राजनैतिक चन्दों पर प्रतिबन्ध लग जाय तो हमें इसे राष्ट्रीय संकल्प के रूप में, राष्ट्रीय कानून के रूप में बनाने की आवश्यकता होगी।

जनता पार्टी की सरकार आज दिल्ली और लखनऊ में दोनों जगह बैठी हुई है । इसके पहले उन्होंने इस बात का वादा किया था कि जो लाखों लाख की थैली चाहे संस्था के नाम पर, चाहे किसी सांस्कृतिक संस्था के नाम पर या राष्ट्रीय जन संगठन के नाम पर इकट्ठा करने की प्रणाली है उसे प्रतिबंधित करना चाहिये । आज आप देखें कि जो काला धन है जिसको पूंजीपति, सरमायादार मार्केट में नहीं ला पाता है वह किसी न किसी तरह से अपने उस कालेधन को सफेद धन बनाकर थैली के रूप में अनुदान संस्थाओं और इस तरह की सांस्कृतिक संस्थाओं को देकर उस धन को बाजार के अन्दर लाता है। माननीय सदस्य की मंशा यही थी इस तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करते हुए चाहता हूं कि सदन इस बात का संकल्प ले कि केंद्रीय सरकार इस तरह का कानून बनाये कि इस तरह से जो लाखों और करोड़ों रुपयों की थैलियां बांटी जाती हैं उस पर सरकार को प्रतिबन्ध लगाना चाहिये । सारे भारतवर्ष में आज यह विषय चिन्ता का विषय बना हुआ है ।

अभी एक हजार रुपयों के नोटों का प्रचलन बन्द हुआ । उस पर प्रतिबन्ध लगा । मगर लाखों रुपया चन्दे में देकर ब्लैक मनी को सफेद मनी में तब्दील कर लिया गया । अभी भूतपूर्व प्रधान मंत्री को, उनके दौरे के समय, चांदी से तौलने की योजना बनायी जा रही है । मुझे विश्वस्त जानकारी कांग्रेसी सुत्रों से ही मिली कि यह सारा का सारा पैसा किसी न किसी माध्यम से उन थैली देने वालों को दे दिया जायेगा । मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि वह इस पर कड़ी निगाह रखें कि आखिर यह पैसा कहां से आता है । कांग्रेसियों के ही पास से आता है, या गरीब जनता के पास से आता है । या धनीमानी व्यक्तियों के पास से आता है ।

यह संकल्प जो सदन के सामने है बड़ा अच्छा है और इस ओर सरकार को कदम उठाना चाहिये ताकि काला धन बाजार में न आ सके, मूल्यों पर नियंत्रण रखा जा सके और भ्रष्टाचार

[श्री विक्रम राय]—
जो राजनीतिक जीवन में फैल रहा है वह रोका जा सके। अभी माननीय श्यामधर जी न जो बात कही, अपने 30 साल के तजुर्बे से कही है, 30 वर्ष तक वे शासन में रह चुके हैं। उनकी बात पर विचार करना चाहिये । जो लोग आज राजनीतिक जीवन स्वच्छता के साथ बिताना चाहते हैं उनके लिये यह जरूरी है कि सरकार इस संकल्प को स्वीकार करे । जो लोग आज जनता पार्टी में हैं, कल को उनके विचार भी बदल सकते हैं। इसलिये आज ही इस संकल्प को प्राथमिकता देकर इस पर कार्यवाही करनी चाहिये। जब यह विरोध पक्ष वाले शासन में थे, तब भी यह कोई आदेश देकर सरकारी अधिकारियों से चन्दा वसूल नहीं कर पाते थ। यह तो इनका प्रभाव था, अपने प्रभाव से और सत्ता का इस्तेमाल करके ऐसा उनसे करवाते थे। यदि जनता पार्टी के लोग भी उसी रास्ते पर चलेंगे तो फिर राजनीतिक जीवन स्वच्छ नहीं रह पायेगा जिसको स्वच्छ बनाने के लिये हम प्रयत्नशील है । अगर राजनैतिक जीवन स्वच्छ नहीं होगा तो जनता पार्टी भी एक दिन बदनाम हो जायेगी।

मैं जनता पार्टी के एक सिपाही के नाते कह सकता हूं कि आज राज्य सभा के चुनाव ने यह सिद्ध कर दिया है कि जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद राजनैतिक जीवन कितना स्वच्छ बना है। पहले जब राज्य सभा का चुनाव होता था तो दो हफ्ते पहले से ही लखनऊ के सारे होटल भर जाया करते थे, वोटों के सौदागर विधायकों को संकट में डाल दिया करते थे । किस तरह से वोट खरीदे जाते थे हमें सबको मालूम है । लेकिन आज जनता पार्टी की सरकार ने इस चुनाव में यह दिखा दिया कि इस तरह की बातें अब संभव नहीं हैं । आज कहीं किसी खरीद फरोख्त की बात सुनायी, नहीं देगी। जो राजनीतिज्ञों के खरीद फरोख्त की बात करते थे वे आज सामने नहीं आये। मैदान से वे हट गये हैं। कुछ खींचातानी हुयी, मगर वह प्रभावकारी नहीं हो पायी।

मान्यवर, जनता पार्टी ने प्रदेश की जनता से वायदा कर रखा है राजनैतिक जीवन में स्वच्छता लाने का । उसके लिये आपको कुछ प्रयास करना पड़ेगा, कुछ कदम उठाने पड़ेंगे, जिससे वह राजनैतिक जीवन में स्वच्छता ला सकें । इसके लिये कुछ बाध्यता भी करनी पड़ेगी, ताकि वह स्वच्छ राजनैतिक जीवन बिता सकें । मुझे विश्वास है कि जनता पार्टी की सरकार इसकी भावना का आदर करते हुए केन्द्रीय सरकार से निवेदन करेगी कि कोई राष्ट्रीय स्तर पर इस तरह का नियम प्रतिपादित करे कि स्वच्छ राजनैतिक जीवन चल सके, क्योंकि वह केवल उपदेश से नहीं हो सकता । भूतपूर्व प्रधान मंत्री जो अपने दौरे में थैलियां ले रही हैं, सरकार उस पर कड़ी निगाह रखे कि क्या वह गरीब जनता से चन्दा ले रही है या अपने काले धन को बाजार में लाने के लिये चन्दा का बहाना ले रही है।

*श्री भगवती प्रसाद सिंह (जिला फैजाबाद)—
मान्यवर, यह देखने में संकल्प बड़ा छोटा है, लेकिन अपने में पूर्ण है । इस संकल्प से मतलब जनहित का है, लेकिन जो भाषण हुए हैं, जो हमारे माननीय श्यामधर जी ने दिया है, वह अजीब भाषण है। इधर के जो माननीय सदस्यों ने भाषण दिया है, वह साफ है। इसकी मंशा उससे नहीं है। इसकी मंशा सरकारी कर्मचारी, अधिकारी जनता से जो चन्दा लेते हैं, उस पर प्रतिबन्ध होना चाहिये । कोई कानूनी व्यवस्था होनी चाहिये।

मान्यवर, किसी दल के लोग जो सत्ता में हैं, सरकारी कर्मचारी अधिकारी के द्वारा चन्दा लेते हैं, वह कर्मचारी, अधिकारी दोषी नहीं हैं अगर वसूली के लिये कलेक्टर को भेज देते हैं, तो उसके लिये कलेक्टर दोषी नहीं है । हमारी मंशा जो है वह स्पष्ट नहीं है। मैं तो प्रस्ताव करने वाला था कि इसको बन्द कर दिया जाय । आप देखें जो राजनैतिक लोग नहीं

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हैं, उनसे सरकारी कर्मचारी द्वारा जो चन्दा लिया जाता है, वह केवल करप्शन पर परदा डालने के लिये लिया जाता है । जैसे धार्मिक जलसा होता है, अभी अयोध्या में जैसे हुआ था, जय गुरु देव का । इमरजेन्सी लगी हुई थी, बड़ी बुरी थी, सारी बातें थीं । लेकिन मान्यवर, यह जो अमेरिका के 'प्रोजेक्ट' हैं, जय गुरुदेव या अन्य लोग, जो मठाधीश चल रहे हैं, कोई मथुरा का है, कोई कहीं का है, इनके दलों का जो कुछ अमेरिका से संबंध है, जितने आपके गजटेड अधिकारी या ऐसे लोग हैं, जो आपके सचिवालय से कलेक्टर तक हैं, एस0 पी0 आई0जी0, डी0 आई0जी0 तक हैं, सभी उन प्रोजेक्टों से कनेक्टेड हैं । इनका तरीका यह है कि यह चन्दा लाखों-लाखों की तादाद में अयोध्या में इकट्ठा हुआ है ।

हमारे जिले में, हमारे क्षेत्र में सुरहुरपुर एक छोटा सा गांव है, शंकराचार्य के आगमन के संबध में कलेक्टर के अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत पेट्रोल आदि पर तमाम रुपया खर्च हुआ। इसको हमारे मंत्री महोदय सुन लें । वहां पर सोने के कलश, सोने के क्षत्र के लिये आठ करोड़ रुपया इकट्ठा किया गया । उस आठ करोड़ रुपये का क्या होगा ? मंदिर बनेगा। हमारे स्वायत्त शासन मंत्री जी, मैं तो चाहूंगा कि अगर ऐसी व्यवस्था है, तो आप अपने माध्यम से इस कैबिनेट पर दबाव डालें कि जो कांग्रेस के जमाने में विदेश का पैसा खर्च होता था, राष्ट्रीय निगम में आप पैसा खर्च करिये, लेकिन धार्मिक कुकृत्यों में जो पैसा जनता का और अन्य सोर्स से इकट्ठा करके खर्च हो रहा है, वह इस देश और प्रदेश के लिये और समाजवादी अपने को कहलाने वाली सरकार के लिये कलंक है । मैं प्रमाण के लिए बता दूं कि कोई थानेदार चाहे किसी मजहब का हो ऐसा नही है कि उस थाने के अन्दर मंदिर या मस्जिद खड़ी करने की परम्परा का न हो ।

अभी मैंने सदन में एक सवाल उठाया था । एक शर्मा नाम के थानेदार हैं सिकन्दरपुर में । हमारे जिले के विधायकों ने एप्रोच किया सरकार से कि उसको वहां से हटा दीजिये । अभी उसने कम से कम 60 हजार रुपये का मंदिर खड़ा किया है । कहां पर? थाने के सामने । तो क्या आवश्यकता थी मदिर की ? इसके अलावा अकबरपुर में हाइडिल सेंटर पर उसकी बाउन्डरी के अन्दर मंदिर खड़ा किया गया है । एस0पी0 चाहता है तो उसके बगल में मंदिर या मस्जिद खड़ी कर दी जाती है । तो जो इस तरह के प्रशासनिक अधिकारी हैं अपने कुकृत्यों और अपने पाप को छिपाने के लिये इलाके की जनता को गुमराह करके जनता पर दबाव डालकर अपने रिसोर्सेज का दुरुपयोग करके, जनता से धर्म के नाम पर चन्दा वसूलते हैं। इस मजहबी मुल्क के लोगों को गुमराह करके अपने कुकृत्यों को छिपाने के लिये पैसा वसूलते हैं। इस प्रस्ताव की यही मंशा है राजनीतिक प्वाइंट इसमें नहीं लाना चाहिए। किसी दल ने इकट्ठा किया है तो दल तो करेंगे ही।

पूंजीवादी व्यवस्था में तो यही होगा। राजनीतिक बात को इस प्रस्ताव में लाना अशोभनीय है। बल्कि होना यह चाहिये कि जो धार्मिक, मजहब के नाम पर मंदिर और मस्जिद के नाम पर सरकारी कर्मचारी अपने पाप को छिपाने के लिये जनता को गुमराह करके दबाव से पैसा लेते हैं उस पर प्रतिबन्ध होना चाहिये। जो थानेदार या एस0 पी0 या डी0 वाई0एस0पी0 सरकारी बाउन्डरी में चंदा लेकर मंदिर या मस्जिद बनवाते हैं तत्काल सरकार को चाहिये कि उनके ऊपर वह प्रतिबन्ध लगाये। जांच करे कि पैसा कहां से मिला है ? भ्रष्टाचार करके, जनता से आया है या उनका बैंक बैलेंस था। सेंसर करके, जांच बैठाकर उन्हें उनके पद से निलंबित किया जाय यह मेरी मंशा है और इस संकल्प की मंशा थी। मैंने ज्यादा समय ले लिया, क्षमा करेंगे, जो मैंने कहा है वह अक्षरशः सही है। मंदिर और मस्जिद सरकारी बाउन्डरी में नहीं कायम होने चाहिये। लेकिन जो सरकार समाजवादी अपने को कहती है, हमारे सोशलिस्ट भाई, चाहे द्विवेदी जी हों या

[श्री भगवती प्रसाद सिंह]--
हमारे सोशलिस्ट मंत्री जी हों, मुझे फुरसत नहीं है, नहीं तो मैं जानना चाहता हूं, आप देखें कि बाहर क्या हो रहा है इसकी जानकारी आप करें। आर0 एस0 एस0 के बड़े मजबूत लोग और आनंदमार्गी और जो तमाम मठाधीश हैं उनको पनपायेंगे सरकारी कर्मचारी या अधिकारी जो हैं उनको चंदा नहीं उसूलने देना चाहिये। मेरे साथ आनंद मार्गी जेल में था वह कहता था कि 80 फीसदी लोग मेरे साथ हैं लेकिन वह लोकेड नहीं होते हैं। तो सरकार को इस पर पूरा ध्यान देना चाहिये और इस लूट को और सरकारी कर्मचारियों में करप्शन को बन्द कराने के लिये इस प्वाइंट को काट देना चाहिये, क्योंकि इस संकल्प की जो मंशा है वह बहुत अच्छी है, सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिये।

श्री शिवलाल मित्तल (जिला बस्ती)---
मान्यवर, मैं माननीय सदस्य से प्रमाण लेना चाहता हूं कि जय गुरुदेव, आर0एस0 एस0 को अमेरिका से पैसा मिलता है? उनकी अपनी पार्टी में जो रूस और चीन के पैसे पर पलती है, उसकी बात वह कहते हैं। जय गुरुदेव, जिन्होंने जेल की यातना भोगी है, जय गुरुदेव ने हमसे कम यातना नहीं भोगी है।

उनको आप बताते हैं कि वह अमेरिका के हैं। आर0 एस0 एस0 के बारे में कहना चाहता हूं कि यदि कोई साबित कर दे कि वह चन्दा लेते हैं तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। आर0 एस0 एस0 कोई चंदा नहीं लेता है।

माननीय सदस्य का कहना है कि कर्मचारी बन्दूक के लाइसेंस के समय जनता से चंदा वसूल करते हैं। तो इस सम्बन्ध में मुझे कहना है कि 30 साल से जो नींव पड़ी है उसी के मुताबिक काम हो रहा है लेकिन जनता सरकार ने तानाशाही को खत्म करके जनतांत्रिक ढंग से आगे बढ़ रही है। सरकारी कर्मचारियों ने भी तानाशाही को खत्म करने में सहयोग दिया है। इसलिये बन्दूक के नोक पर काम नहीं लिया जा सकता धीरे-धीरे रास्ते पर लाये जायेंगे लाइसेंस के समय जो चंदा लिया जाता है यदि वह अल्प बचत का चंदा है तो वह ठीक है लेकिन यदि दबाव से लिया जाता है तो वह नाजायज है जिसको बन्द होना चाहिये।

मान्यवर, माननीय सदस्य का यह भी कहना है कि मंदिर और मस्जिद के लिये कर्मचारी चंदा वसूल करते हैं। तो इस सम्बन्ध में कहना है कि थानों पर जो कर्मचारी रहते हैं वह क्या पूजा दूसरी जगह करने जायेंगे। इसलिये यदि मंदिर या मस्जिद की मरम्मत करानी है या निर्माण कराना है तो क्या वह उसको नहीं बनवा सकते हैं। यह तो कम्युनिस्ट भाई ही कर सकते हैं। अमेरिकन व्यवस्था वही ही बनायेंगे। जनता पार्टी के लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं। लेकिन कुछ लोग जनता पार्टी के अन्दर भी ऐसे बने हैं जो कि जनता पार्टी का विघटन कर रहे हैं। इसलिये जनता पार्टी को सावधान होकर काम करना चाहिये। मान्यवर, नाना प्रकार की भावनायें जोड़ी जाती हैं लेकिन आर0 एस0 एस0 ने न मालूम कितनी यातनायें भोगी और जेल गये। आज आर0 एस0 एस0 के खिलाफ जनता पार्टी के कुछ घटक बोलते हैं लेकिन जब इन्दिरा गान्धी और पं0 जवाहर लाल नेहरू ऐसे लोग आर0 एस0 एस0 को पीछे नहीं कर पाये तो यह क्या कर पायेंगे आर0 एस0 एस0 को मैं मानता हूं लेकिन आर0 एस0 एस0 चंदा लेता है इसको कोई साबित नहीं कर सकता है। जय गुरुदेव अमेरिका के नहीं हैं और वह किसी से चंदा नहीं मांगते हैं।

श्री रवींद्र नाथ तिवारी (जिला फैजाबाद)---
मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। मान्यवर, यह एक संकल्प है और उसके तहत निश्चित डाइरेक्शन है कि इस संकल्प पर बहस होना चाहिये। आर0 एस0 एस0 के बारे

में संकल्प नहीं है, और उसमें चाहे भगवती प्रसाद जी ने कहा या जो माननीय सदस्य कह रहे हैं । इसलिये यह नहीं होना चाहिये ।

श्री शिव लाल मित्तल---

मान्यवर, यदि वह संकल्प के बाहर जायेंगे तो मैं भी जाऊंगा ।

श्री अधिष्ठाता---

आप संकल्प पर ही बोलें ।

श्री शिव लाल मित्तल---

मान्यवर, मैं कह रहा था कि जो कर्मचारी चन्दा गलत वसूलते हैं वह बन्द होना चाहिये लेकिन अल्प बचत योजना में जो वसूल होता है वह सरकारी बंधू ही करेंगे । यह अलग बात है कि किस तरह से किन परिस्थितियों में वसूल किया जाय इस पर विचार किया जा सकता है सदन इस पर विचार करे, मुझे इस पर कोई आपत्ति नहीं है लेकिन माननीय भगवती प्रसाद सिंह ने प्रस्ताव पर न बोलकर उसके बाहर जो बातें कहीं और आर0एस0एस0 का नाम लिया मैं उसकी निन्दा करता हूं ।

श्री अधिष्ठाता---

निन्दा करने का कोई सवाल नहीं है । उनको अधिकार है, वह बोल सकते हैं ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा (जिला आगरा)---

अधिष्ठाता महोदय, मैं इस प्रस्ताव पर बहस बन्दी का प्रस्ताव करता हूं ।

श्री अधिष्ठाता---

प्रश्न यह है कि अब विवाद समाप्त किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

सूचना राज्य मंत्री (श्री अवधेश प्रसाद)---

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय सदस्य को मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस तरह का प्रस्ताव लाकर पिछले दिनों में जो गल्तियां हुई हैं वह गल्तियां अब न हों उस ओर ध्यान आकर्षित किया है । पिछले दिनों में बहुत से चन्दे ऐसे वसूले गये हैं जो कानून और नियमों का उल्लंघन करके वसूले गये है । लेकिन मान्यवर, मैं बताना चाहता हूं कि चंदा वसूलने का जो मुख्य प्रश्न है जिसमें सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों से चन्दा वसूलवाने की बात कही गयी है वह कार्य नियम और कानून के तहत ही कराया जाता है ।

मैं आदरणीय सदन को उन नियमों के बारे में बताना चाहता हूं जिनके तहत सरकारी अधिकारी और कर्मचारी चन्दा वसूल कर सकते हैं । सरकारी कर्मचारियों की आचरण नियमावली, 1956 के नियम 10 में यह व्यवस्था है कि कोई सरकारी कर्मचारी सरकार से पूर्व स्वीकृत प्राप्त करके किसी ऐसे धर्मार्थ प्रयोजन के लिये चन्दा या अन्य वित्तीय सहायता मांग सकता है या स्वीकार कर सकता है जिसका संबंध डाक्टरी या शिक्षा या अन्य सार्व-

(इस समय 3 बजकर 13 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए)

जनिक उद्देश्यों से हो । किन्तु उसे इस बात की अनुमति नहीं है कि किसी अन्य प्रयोजन के लिये चन्दा मांगे । उदाहरण के लिए मैं बताना चाहता हूं कि किसी नलकूप के वे धन के लिये कि किसी सार्वजनिक घाट के निर्माण के लिये चन्दा वसूल कर सकते हैं । इसलिये कोई चन्दा सरकारी अधिकारी या कर्मचारी के माध्यम से वसूल करने की बात कही जाती है तो वह नियमों के तहत वसूल किया जाता है । इससे कोई इंकार नहीं कर सकता कि

[श्री अवधेश प्रसाद]

कल्याणकारी राज्य में जिस तरह से सरकार और शासन की जिम्मेदारी होती है वहीं पर सभी नागरिकों की भी जिम्मेदारी होती है । कभी-कभी देश और समाज में ऐसी स्थिति आ जाती है जिसका निराकरण एक कल्याणकारी राज्य से अपेक्षित होता है और उम्मीद की जाती है कि ऐसी समस्याओं का समाधान शीघ्रतापूर्वक किया जाय । उदाहरण के तौर पर बताना चाहता हूं कि सन्, 1962 में चाइना वार के टाइम पर स्थिति ऐसी आ गयी कि जिसका निदान यदि तुरन्त न होता तो बड़ी विकट स्थिति पैदा हो जाती । तब हमारे कर्मचारियों और अधिकारियों के माध्यम से चन्दा वसूला गया । यही नहीं, अभी हाल में आन्ध्र प्रदेश में तूफान आ गया जिसका निदान, मान्यवर, करना एक कल्याणकारी राज्य के लिये परमावश्यक है । तो जहां पर ऐसा तूफान आ जाय या कोई ऐसी दैवी प्रकोप आ जाय तो उसमें शासन के माध्यम से चन्दा इकट्ठा किया जा सकता है । ऐसी स्थिति में जहां एक ओर कल्याणकारी राज्य और शासन की जिम्मेदारी होती है, वहीं पर वहां के नागरिकों की भी जिम्मेदारी होती है । इन स्थितियों में चन्दा वसूल किया जा सकता है ।

कुछ माननीय सदस्यों ने पार्टी के लिये चन्दा वसूलने की बात कही । उस संबंध में, मान्यवर, मैं इस माननीय सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जो चन्दा किसी स्थिति और प्रयोजन के लिये वसूल किया जाता है, वह चन्दा सरकारी कर्मचारियों/अधिकारियों द्वारा पार्टी के लिये नहीं वसूल हो सकता है । नियमों में कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है । मान्यवर, पिछले दिनों जरूर ऐसा हुआ कि पार्टी के नाम पर चन्दा वसूल किया जाता था । कुछ माननीय सदस्यों ने ऐसे भी सुझाव दिये कि पार्टी के स्तर पर चन्दा वसूल किया जाय । मैं बताना चाहता हूं कि इस दिशा में ऐसा करने पर बहुत बड़ी बदनामी आ सकती है, कलंक आ सकता है और हमारे विपक्षी साथी कह सकते हैं कि पार्टी की इमेज को बनाने के लिये कार्यकर्ताओं पर यह जिम्मेदारी थोपी गयी है । तो मान्यवर, समाज के सामने और देश के सामने एक ऐसी स्थिति आ गयी है कि जबरन वसूली और जबरन चन्दा लेने का कितना कड़ुवा अनुभव हुआ, उसके बारे में माननीय मिश्रा जी ने बता दिया और क्लियरली बता दिया क्योंकि उनका इस दिशा में काफी अनुभव है ।

अभी एक माननीय सदस्य ने मंत्रियों के आगमन में चन्दा वसूली की बात कही । तो मान्यवर, इस दिशा में मैं आदरणीय सदन को बताना चाहता हूं, जैसा कि मैंने नियमों के बारे में अभी बताया, माननीय मंत्री के किसी भी दौरे पर सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के द्वारा चन्दा नहीं वसूला जा सकता है और न वसूल किया जा रहा है । जैसा कि मैंने अभी बताया कि यह चन्दा किसी काम के लिये वसूल किया जायेगा । उसका उद्देश्य क्या है, उसका प्रयोजन क्या है, वह चन्दा कहां पर लगाया जायेगा यह उसमें मुख्य बात है । तो, मान्यवर, जहां एक कल्याणकारी राज्य और शासन की जिम्मेदारी होता है, वहीं पर वहां के नागरिकों की भी जिम्मेदारी होती है कि वे ऐसे पुनीत काम के लिये सहयोग दें । यह चन्दा वसूलने की बात जो नियमों के तहत रखी गयी है, मैं समझता हूं कि इसमें कोई जबरन की बात नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है । यह तो एक अच्छे काम के लिये चन्दा वसूलने की बात है ।

अब मैं, मान्यवर, माननीय मित्रसेन जी, जिन्होंने इस संकल्प को इस आदरणीय सदन के सामने रखा है, निवेदन करना चाहता हूं कि जैसा कि मैंने निवेदन कर दिया कि चन्दा जो वसूला जाता है, वह नियमों और कानून के तहत वसूला जाता है, उसमें कोई जबरन की बात नहीं है, कि अच्छे और कल्याणकारी काम के लिये वसूली होती है, मेरा विश्वास है कि मेरे मित्र माननीय मित्रसेन यादव भी इंकार नहीं कर सकते कि लोकहित या जिन नियमों और सिद्धान्तों के तहत यह चन्दा वसूल किया जाता है मैं समझता हूं कि माननीय मित्र सेन जी इससे सहमत होंगे कि यह अच्छा काम है और किसी तरह जबरन वसूल नहीं होता है ।

ऐसी स्थिति में उन्होंने यह सवाल रखा और माननीय सदस्यों ने इस पर चर्चा की । मैं उनसे कहना चाहता हूं कि उन्होंने इस पर चर्चा करके शासन का ध्यान इस ओर आकर्षित किया है । मैं उनकी भावनाओं का स्वागत करता हूं जैसा कि मैंने निवेदन कर दिया है कि नियम बने हुए हैं, कानून बने हुए हैं चन्दा वसूल करने के लिये, किसी प्रयोजन के लिये चन्दा वसूल करने के लिये । कोई पार्टी की इमेज बनाने के लिये चन्दा वसूल नहीं किया जाता । ऐसी स्थिति में मैं श्री मित्र सेन यादव जी से निवेदन करना चाहता हूं कि वह अपना संकल्प वापस ले लें ।

श्री अध्यक्ष—

श्री यादव जी क्या आप यह प्रस्ताव वापस लेना चाहते हैं ?

श्री मित्र सेन—

मान्यवर, मेरा तो प्रस्ताव सदन की मन्शा . . .

श्री अध्यक्ष—

आपका प्रस्ताव ठीक है । मंत्री जी ने आप से अनुरोध किया है, आप से दरख्वास्त की है कि आप अपने संकल्प को वापस ले लें । तो मुझे यह बतायें कि आप वापस लेना चाहते हैं ?

श्री मित्र सेन—

मान्यवर, वापस लेने का कोई प्रश्न ही नहीं है ।

श्री अध्यक्ष—

मैं प्रश्न उपस्थित करता हूं. . . .

प्रश्न यह है कि इस सदन का यह निश्चित मत है कि किसी प्रकार का धन जनता अथवा गैर सरकारी क्षेत्र से एकत्र करने का कार्य किसी भी दशा में सरकारी अधिकारियों अथवा कर्मचारियों को न सौंपा जाय ।

श्री श्यामधर मिश्र—

श्रीमन्, व्यवस्था का प्रश्न है । जैसा मैंने माननीय मंत्री जी को समझा । उन्होंने ऐसी बात कही है या मेरे सुनने में भ्रम हो सकता है । उन्होंने आश्वासन दिया कि इस पर विचार करेंगे और नियमों की बात भी है । अगर जैसा कि यह संकल्प है कि "इस सदन का यह निश्चित मत है कि किसी प्रकार का धन जनता अथवा गैर सरकारी क्षेत्र से एकत्र करने का कार्य किसी भी दशा में सरकारी अधिकारियों अथवा कर्मचारियों को न सौंपा जाय," अगर यह पास हो जाता है तब तो वही बात है जो सरकार की व्यवस्था चल रही है और जिसके लिये माननीय मंत्री जी आश्वासन दे रहें है लेकिन अगर पास नहीं होता तब बिल्कुल विपरीत बात हो जायगी । तब स्थिति क्या निकलेगी । इसलिये या तो माननीय मित्र सेन जी माननीय मंत्री जी की बात मान लें या माननीय मंत्री जी पूरी तरह से आश्वासन दें । इस पर आपकी व्यवस्था चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष—

श्याम धर जी ने जो प्रश्न उपस्थित किया है इस में व्यवस्था का कोई प्रश्न अन्तर्ग्रस्त नहीं है । माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया है कि सार्वजनिक कार्यों के लिये सरकारी नौकर चन्दा वसूल करते हैं और माननीय श्याम धर जी शायद जानते होंगे कि कोई सरकारी

[श्री अध्यक्ष]
कर्मचारी बिना गवर्नमेंट की पूर्व अनुमति के चन्दा वसूल नहीं कर सकता है । अगर यह प्रस्ताव स्वीकृत नहीं होता है तो इसका मतलब यह है कि सरकारी कर्मचारी चन्दा वसूल कर सकते हैं लेकिन सरकार की अनुमति के बिना नहीं कर सकते । अब आप ने प्रस्ताव वापस नहीं लिया इसलिये मैं प्रश्न उपस्थिति कर रहा हूं ।

प्रश्न यह है कि इस सदन का यह निश्चित मत है कि किसी प्रकार का धन जनता अथवा गैर सरसारी क्षेत्र से एकत्र करने का कार्य किसी भी दशा में सरकारी अधिकारियों अथवा कर्मचारियों को न सौंपा जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

प्रदेश के पिछड़े हुये क्षेत्रों के विकास के सम्बन्ध में एक सुनिश्चित एवं समय बद्ध नीति की घोषणा तथा इन क्षेत्रों को वरीयता देने के सम्बन्ध में संकल्प

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी (जिला फैजाबाद)—

अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि, "इस सदन का यह निश्चित मत है कि राज्य सरकार प्रदेश के पिछड़े हुए क्षेत्रों के विकास के संबंध में एक सुनिश्चित, स्पष्ट एवं समयबद्ध नीति की घोषणा करे और भविष्य में बनने वाली सभी योजनाओं और बजट प्राविधानों (में विशेष रूप से कृषि विकास संबंधी कार्यों, सड़कों तथा सम्पर्क मार्गों, सिचाई साधनों, स्कूलों, अस्पतालों, पुलों और बांधों आदि के निर्माण कार्यों एवं उद्योगों की स्थापना के मामलों में)ऐसे क्षेत्रों को वरीयता प्रदान करें ।"

मान्यवर, मुझे इस प्रस्ताव को लाने की आवश्यकता इसलिये महसूस हुई कि केवल पिछले तीस वर्षों की योजनाओं का अध्ययन करने के बाद यह स्पष्ट पूरी तौर से हो जाता है कि जितनी भी योजनायें बनी है वे मंत्रियों तथा प्रभावशाली सत्तारूढ़ दल के नेताओं के इर्दगिर्द घूमती रही है । होता यह है कि किसी जिले का जो मंत्री हो जाता है और जो विभाग उस मंत्री को मिलता था उस विभाग की सारी योजनायें उस जिले के आसपास मंडराने लगती थी। उस विभाग की सारी उपलब्धियां तथा फल उस जिले के आस-पास के लोगों को मिलने लगता था और ज्योंही वह व्यक्ति या वह दल सत्ता में नहीं रहा वे योजनायें अधर में लटक जाती थी और पूरी नहीं हो पाती थीं । हमारी सरकार बनने के बाद भी यह विषमता की खाई एक जिले से दूसरे जिले के बीच में बढ़ती गयी । इस प्रदेश में केवल दो विभागों के संबंध मे निवेदन करना चाहता हूं । वे हैं शिक्षा तथा सार्वजनिक निर्माण विभाग । आंकड़ों क आधार पर आपके सामने स्पष्ट हो जायगा कि किस तरह से जिलों के बीच में विषमता की खाई बढ़ती गयी ।

मैं पहले शिक्षा को लेता हूं । 46–47 में इस प्रदेश में कुल 5 विश्वविद्यालय थे, आज वे 19 हो गये हैं । कुल 16 डिग्री कालेज थे आज उनकी संख्या बढ़ कर 346 हो गयी है । इसी तरह से उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों की संख्या 561 थी वह बढ़कर आज 72,223 हो गयी है । सीनियर बेसिक स्कूलों की संख्या 46–47 में 3049 थी वह बढ़कर 19,072 हो गयी हैं । जूनियर बेसिक स्कूलों की संख्या पहले 36,549 थी वह आज बढ़ कर 1,25,162 हो गयी है । इस तरह से आप को ज्ञात हो जायगा कि शिक्षा के क्षेत्र में चाहे विश्वविद्यालय हों अथवा डिग्री कालेज, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हों अथवा सीनियर बेसिक स्कूल और जूनियर बेसिक स्कूल सबकी संख्या में निरन्तर बढोत्तरी हुई लेकिन दूसरी तरफ अगर आप साक्षरता के प्रतिशत पर ध्यान देंगे तो आप देखेंगे कि जिस रफ्तार से इन विद्यालयों की संख्या में वृद्धि हुई है और चूंकि उस वृद्धि में जिले को साक्षरता का ध्यान रखते हुए, उस अनुपात में उनका आवंटन नहीं किया गया है जिससे जिलों की साक्षरता क प्रतिशत में

आपको बहुत बड़ी खाई दिखाई पड़ेगी। उत्तर प्रदेश में जहां साक्षरता का औसत 21.70 प्रतिशत है वहां आगरा में यह प्रतिशत 27.97 है, वाराणसी में 27.27, अलीगढ़ में 24.89 है, मैनपुरी में 24.24 है, इलाहाबाद में 23.88 है, एटा और बलिया में 21.69 तथा 21.67 क्रमशः है। बुलन्दशहर में 21.92, जौनपुर में 21.23, गोरखपुर में 19.77, आजमगढ़ में 19.11, उन्नाव में 19.63, गाजीपुर में 20.14, फैजाबाद में 19.32, शाहजहांपुर में 17.09 तथा रामपुर में 12.90 हो जाता है।

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो अन्तर दिखाई पड़ता है उसके बारे में मुझ जैसे आदमी को जनता पार्टी की सरकार से आशा बंधी थी, हमारा नारा तो यह था कि गांवों की ओर चलो, हमने यह सोचा था कि हमारे लिये बजट में जो एलाटमेंट होगा, जो शिक्षण संस्थायें खुलेंगी उसमें इस बात का ध्यान रखा जायगा कि किस जिले की कितनी आबादी है और वहां पर कितनी आबादी के बच्चे पढ़ते हैं, इस बात को ध्यान में रखते हुए नई शिक्षण संस्थायें खोली जायेंगी लेकिन इन आंकड़ों से पता चलता है कि प्रदेश में 1977-78 में खुलने वाले मिश्रित जूनियर बेसिक स्कूलों की संख्या 3000 हैं। आगरा में साक्षरता का औसत प्रतिशत जहां 27.97 है वहां पर 77-78 में नये खुलने वाले सीनियर बेसिक स्कूलों की संख्या 9 है और रामपुर में जहां कि साक्षरता का औसत 12.90 हैं वहां पर नये खुलने वाले मिश्रित जूनियर बेसिक स्कूलों की संख्या 45 है और सीनियर बेसिक स्कूलों की संख्या 9 है। इसी तरह से आप देखेंगे कि इस बात का कतई ध्यान नहीं रखा गया कि किस जिले में साक्षरता का औसत कम हैं और किस जिले में ज्यादा हैं। होना यह चाहिये था कि जहां साक्षरता का औसत ज्यादा था वहां कम खोले जाते और जहां साक्षरता का औसत कम था वहां ज्यादा स्कूल खोले जाते। चाहिये यह था कि जो जिले साक्षरता के मामले में बहुत ही पिछड़े हुए हैं उनको शिक्षण संस्थाओं का आवंटन करते समय प्राथमिकता दी जाती, वहां ज्यादा स्कूल खोले जाते और दूसरे जिलों के बराबर उनको लाया जाता। समान किया जाता। लेकिन हुआ वही है जैसे पहले होता था। जिन जिलों का प्रभाव ज्यादा हैं, जो पहले से ही सुदृढ़ हालत में है उनका औसत ज्यादा हो गया। जहां के लोग नैतिकता के आधार पर समझते थे कि उनको प्राथमिकता दी जायेगी, वे हल्ला नहीं मचाते लेकिन जनता पार्टी भी वही काम कर रही है जो कांग्रेस सरकार करती आई है।

पी0 डब्लू0 डी0 के बारे में कहना चाहूंगा और पिछले सत्र में भी मैंने इस सम्बन्ध में निवेदन किया था कि हमारे जिले में एक नई सड़क बंसखारी हंसवर 7.80 किलोमीटर की पिछले बजट में रखी गई थी। इसकी अनुमानित लागत 10 लाख 50 हजार रुपया थी। 1976-77 में इस सड़क पर कुल 16,955 रुपया व्यय हुआ था। इसी अवधि में जबकि आजमगढ़ में जो सड़क रखी गई जिन्हें बजट के पूंजीगत परिव्यय और अनुमानों के पृष्ठ 153 के सीरियल नं0 48 से 56 तक में दिखाया गया है जिक्र किया गया था उसका टोटल इक्सपेंडिचर 8,13,500 रुपया है। पिछले बजट में इन जिलों को बाम्बे प्लान के तहत सन् 81 तक जितना लक्ष्य निर्धारित किया गया था उससे कई गुना ज्यादा खर्च हो गया जबकि हमारे इस उपेक्षित जिले की यह नई सड़क जो कि केवल 7.80 कि0मी0 की है उस पर 10 लाख रुपये अनुमानित खर्च करने की बात हुई और उसका टोटल खर्च 16,955 रुपया ही हुआ।

दूसरी तरफ वहीं बगल में मान्यवर, जैसा मैंने आपसे निवेदन किया आजमगढ़ के जो आंकड़े सामने आये थे 121.7 प्रतिशत का काम बम्बई प्लान के तरह हो चुका है और वही नई सड़कों पर 8,13,500 रु0 खर्च किया गया। तो इस तरह की नीति है जो यह दोहरा माप दंड है निर्माण कार्यों के लिए इसको किस तरह से मंत्री-मंडल के सहयोगी जस्टिफाई करना चाहते है। मैं चाहता हूं माननीय मुख्य मंत्री जी से और सार्वजनिक निर्माण मंत्री जी से कि इस रवैये को देखते हुए मुझ जैसे आदमी को यह समझने के लिए मजबूर होना पड़ता है कि

[श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी]

जनता पार्टी भी आश्वासन, भाषणों की पार्टी के आश्वासन बन कर रह गये हैं। इसकी सरकार की नैतिकतायें और मान्यतायें उतनी ही खोखली हैं जितनी कांग्रेस सरकारों की थी। हमारी सरकार की भी कथनी और करनी में उसी तरह से अन्तर है जिस तरह कांग्रेस सरकारों में था। मैं जानना चाहूंगा कि पिछली बार इसी सदन में मैंने फैजाबाद मंडल के पिछड़ेपन के सम्बन्ध में प्रस्ताव रखा था। माननीय मुख्य मन्त्री जी ने प्रस्ताव के बहस के अन्त में यह अनुरोध किया था और आश्वासन दिया था कि पिछड़े हुए इलाकों को प्राथमिकता दी जायगी, वरीयता दी जायगी तो माननीय मुख्य मंत्री जी इस प्रस्ताव की बहस का जब जवाब दें या जो भी दूसरे सम्मानित मंत्री जवाब दें मैं जानना चाहूंगा कि किस नैतिकता के आधार पर इस तरह का बजट एलोकेशन किया गया है, वह इसे किस तरह जस्टिफाई करते हैं, कैसे इसको सही ठहराते हैं उसका जवाब दें और जवाब से भागने के रवैये से पेश नहीं आयेंगे यह मैं शुरू में ही निवेदन कर चुका हूं।

मैंने आपसे मान्यवर, शिक्षा के बारे में बताया उसी तरह से पी0 डब्लू0 डी0 के बारे में जिक्र कर रहा हूं। पिछले बजट में जनता पार्टी की सरकार द्वारा हमारे पिछड़े जिले के साथ किस तरह सौतेला व्यवहार किया गया इसका उदाहरण मैंने दिया और अब की अनुपूरक मांगों के खण्ड दो में जो स्मृतिपत्र है उसके पृष्ठ 153 की ओर मैं माननीय सदन और अपने माननीय मंत्रिमण्डल के सदस्यों का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा इसमें जिला परिषद् आजमगढ़ की 12 सड़कों को सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा अनुरक्षित किये जाने का हेडिंग है इसमें 150.62 कि0 मी0 सड़कें ली गई हैं जो जिला परिषद् से स्थानान्तरित की गई हैं। पी0 डब्लू0डी0 का इस पर अनुमानित लागत 6.36 लाख रु0 वार्षिक अनुरक्षण में व्यय होगा। वर्ष 1978-79 में इस कार्य पर 6 लाख 36 हजार रु0 की आवश्यकता होगी जिसका उस वर्ष के आय-व्ययक में सीधा प्राविधान कर लिया गया है। जो भी माननीय मंत्रीगण इस प्रस्ताव के अन्त में जवाब देंगे मैं जानना चाहूंगा कि जहां पिछड़े आंकड़ों के अनुसार बम्बई प्लान के तहत आजमगढ़ में पहले ही 121.7 प्रतिशत काम हो चुका था जहां पर पिछले बजट में करीब 115 कि0 मी0 नई सड़कें भी ली गई थी उसके बावजूद भी इन 12 सड़कों को जिलापरिषद् से पी0 डब्लू0 डी0 को क्यों स्थानान्तरित किया गया और दूसरे जिले जो कई मानों में पिछड़े हैं उनकी ओर क्यों नहीं ध्यान दिया गया ?

मैं अभी आंकड़ों के आधार पर बताऊंगा, यह मेरे अपने आंकड़े नहीं हैं यह आप की सांख्यिकी डायरी मिली है उसी से निवेदन करूंगा कि इसका कौन सा आधार है कि आपने आजमगढ़ जिले की 12 नई सड़कों को जिला परिषद् से स्थानान्तरित करके सार्वजनिक निर्माण विभाग में ले लिया और वहीं दूसरे जिले की सड़कों को नहीं लिया। क्या यह इस बात का सबूत नहीं है कि सार्वजनिक निर्माण मंत्री आजमगढ़ जिले से आते हैं या मुख्य मंत्रीजी उस जिले से आते हैं इसलिये आज सारा फंड उसी तरह घसीटा जा रहा है जैसा कि कांग्रेसी हुकूमत में मंत्रिगण किया करते थे। मैं इस बात का जवाब चाहूंगा और अगर नैतिकता के आधार पर या और किसी आधार पर उसको मंत्री जी जस्टीफाई कर देंगे, तो मैं क्षमा चाहूंगा। मेरे शब्द कुछ कटोर हो रहे हों, तो मैं बिना हिचक के क्षमा मागूंगा इन पिछड़े हुए इलाकों में हुए कार्यों के बारे में मैं आंकड़ों के आधार पर अपनी बात कह रहा हूं।

श्री अध्यक्ष--

रवीन्द्र नाथ जी नियमों के अनुसार आपका 15 मिनट का समय है।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

25 मिनट का है, मैंने पढ़ा है। यदि गलत हो.....

श्री अध्यक्ष--

5 मिनट का समय अभी है।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

तो मान्यवर मैंने अपनी बात रखी, केवल दो उदाहरण आपके सामने रखे। अब मैं थोड़े में आंकड़े ही रख देना चाहूंगा। बाम्बे योजना के आधार पर विभिन्न जिलों में पी0 डब्लू0 डी0विभाग द्वारा जो सड़कें बनवाई गईं, उनका प्रतिशत देखने से विषमता की स्थिति स्पष्ट हो जाती है। लखनऊ में 123.4 प्रतिशत काम किया है तो दूसरी तरफ खीरी में 77.4 परसेन्ट, रायबरेली में 121.1 परसेन्ट तो हरदोई में केवल 77.9 परसेन्ट काम किया है। इसी तरह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आप देखें तो जहां एक तरफ बिजनौर में 110.1 परसेन्ट काम हुआ है, बदायूं में केवल 70 परसेन्ट काम हुआ है। इटावा में 105 परसेन्ट हुआ है, तो अलीगढ़ में केवल 76 परसेन्ट हुआ है और इसी तरह से रामपुर में 120.9 परसेन्ट हुआ है जबकि आगरा में 78.4 परसेन्ट हुआ है।

बुन्देलखण्ड में भी मान्यवर, एक तरफ झांसी और ललितपुर में बाम्बे योजना के तहत 101.8 परसेन्ट काम किया गया है, हमीरपुर में केवल 80.4 परसेन्ट काम हुआ है। पूर्वी क्षेत्र में एक तरफ वाराणसी में 126.9 परसेन्ट और बहराइच में 77.4 व गोंडा में 78.4 परसेन्ट काम हुआ है। इलाहाबाद में 125 और गाजीपुर में 89.5 परसेन्ट है, आजमगढ़ में 121.7 और फैजाबाद में 91.4 परसेन्ट है। यह विषमता पहाड़ी क्षेत्रों में भी है। जहां चमोली में यह 206.1 परसेन्ट है टिहरी में 132.2 परसेन्ट है। तो रचना, सृजन और निर्माण के कामों में जो विषमता है वह बड़ी खेदजनक और गम्भीर बात है। नियुक्ति और तबादले के मामले में आज हमारी न सुनें तो हमें कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि उसके लिये हम लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं। लेकिन जब इस तरह का आप एलाटमेन्ट करते हैं, विकसित जिलों के लिए ज्यादा फण्ड एलाट करते हैं और जो पिछड़े हुए जिले या इलाके हैं, जो कांग्रेस के जमाने से और आजादी के पहले के जमाने में पिछड़े और उपेक्षित हैं उनकी और उपेक्षा होती है तो हम जैसे लोगों के सामने मुसीबत पैदा हो जाती है। जब इसके बारे में जनता हमसे जवाब मांगती है, तो उसे हम क्या जवाब दें? जब मंत्री जी अपना जवाब देने उठें तो इसका भी जवाब अवश्य दे दें, बड़ी कृपा होगी।

इसी तरह स्वास्थ्य का प्रश्न है। पिछले वर्ष पूर्वी अंचल में एक भी अस्पताल नहीं खुला, सबके सब अस्पताल पश्चिम को चले गये, क्योंकि मंत्री जी पश्चिम के हैं।

यही स्थिति सिंचाई के साधनों के बारे में है। उस क्षेत्र का मंत्री हो तो ट्यूबवेल के एरिया में कैनाल चली जाती है और कैनाल एरिया में ट्यूबवेल बन जाते हैं।किन्तु मंत्री की कृपा नहीं हुई तो क्षेत्र कितना ही वीरान क्यों न हो,पानी के एक एक बूंद के लिए तड़पता और तरसता रह जाता है और उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। तो मेरा इस प्रस्ताव के माध्यम से निवेदन है और सरकार से मांग है कि प्रदेश के पिछड़े हुए क्षेत्रों के सम्बन्ध में अब केवल बायदे से कायम चलने वाला नहीं है। आपकी एक सुनिश्चित, साफ-साफ और समयबद्ध नीति होनी चाहिये, उसे आप अपनाइये और कहिये कि पिछड़े हुए इलाकों का विकसित इलाकों के समक्ष कब तक ले आयेंगे ?

इस प्रस्ताव के माध्यम से केवल इतनी ही मांग की गयी। मान्यवर, कृषि इस प्रदेश का मुख्य धन्धा है। जब तक संचार की व्यवस्था ठीक नहीं होती, जब तक, आवागमन के साधन ठीक नहीं होते, पुल और सड़कों का जाल नहीं बिछ जायेगा, जब तक सिंचाई के साधन उपलब्ध नहीं होते, इस प्रदेश की प्रगति अवरुद्ध रहेगी और यह प्रदेश प्रगति के रास्ते पर नहीं जा सकेगा। चूंकि पहले ही आपने कहा कि मेरा टाइम ज्यादा नहीं है।

श्री अध्यक्ष —

5 मिनट और बोल सकते हैं। मैंने देखा नहीं था।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—]

मान्यवर, इस तरह से मैं बजट को देख रहा था। पुलों के बारे में मैंने देखा उसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा, ऐसे बहुत से जिले हैं जिनको बिल्कुल छोड़ दिया गया है जो पहले से बहुत पिछड़े थे और जहां पर पुल नहीं थे। मैंने कम से कम दर्जनों चिट्ठियां सार्वजनिक निर्माण मंत्री जी को लिखी कि हमारे क्षेत्र में कई ऐसे इलाके हैं जहां पर बरसात के दिनों में पुल न होने कारण साधारण बाजार में जाने के लिये 10–15 मील का फासला घूमकर जाना पड़ता है उन इलाकों में पुल की व्यवस्था कीजिये। सड़कें दोनों ओर से बन गयी है लेकिन पुल न होने कारण ऐसी वह सड़कें बेकार हो गई हैं। उनके बारे में मैंने लिखा और चिट्ठियों के साथ नक्शा भेजा ताकि मंत्री जी की समझ में आ जावें। लेकिन एक भी पुल का जिक्र नहीं है। जबाब जब देते हैं तो यह आता है कि सूचना एकत्र की जा रही है। मैं जानना चाहता हूं कि सरकार किसी माने में इस प्रदेश के पिछड़े क्षेत्रों को विकसित करना चाहती है या नहीं। पिछड़ेपन को दूर करने के लिये ईमानदारी के साथ बजट में प्राविधान करना चाहिये। कोरे आश्वासन से काम नहीं चलेगा।

मान्यवर, स्थिति बड़ी विषम हो गयी है। मेरी चुनौती है कि एक भी मंत्री यह नहीं कह सकता है कि साल भर पूरे हो रहे हैं एक भी व्यक्तिगत काम के लिये मैं किसी मंत्री के पास गया हूं। ट्रान्सफर पर रोक लगाते हैं पाबन्दी लगाते है मैं उस पर दखल नहीं देता हूं लेकिन होता क्या है। यह सभी लोग जानते है। जिन लोगों को आपका आशीर्वाद प्राप्त है। जो आपके कृपा पात्र हैं आप उनको ओवलाइज करें लेकिन कम से कम जब क्षेत्र की जनता हम से यह पूछती है कि अमुक पुल का क्या होने वाला है तो मैं क्या बताऊं। अस्पताल की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है। अस्पताल खुल पावेगा या नहीं इसके बारे में हम जनता को क्या जबाब दें। यह भी नहीं कि फन्ड की कमी हो, सारी चीजें होती है। दूसरे लोग करा रहे है। दूसरे जिलों में हो रही है। स्कूलों की हालत यह है कि कुल हमारे जिले 1350 है जिनमें 476 की नींव नहीं पड़ी है। 422 की बिल्डिग नहीं है। सरकारी रिपोर्ट है जो मैंने शून्य प्रहर में दिया था। उसके जबाब में आया कि 422 भवन ऐसे हैं। जिनके नीचे जीवन को खतरा लेकर ही बैठा जा सकता है। हर जिले को एलाटमेंट बराबर करते हैं यह नही देखते हैं कि किस जिले में कम है और किस में ज्यादा है।

मान्यवर, अगर हमारी सरकारी अन्त्योदय सिद्धान्त को सफलीभूत करना चाहती है या पिछड़े हुये लोगों को उठाना चाहती है तो मैं समझता हूं कि सरकार की मेरा प्रस्ताव मानने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये। क्योंकि सरकार की जो घोषित नीति है उसी के अनुरूप मेरा प्रस्ताव है। मैंने अपने प्रस्ताव द्वारा सरकार पर एक नैतिक जिम्मेदारी डालने का प्रयास किया है।

इन शब्दों के साथ मै पुनः अपने साथियों और मंत्रि मंडल के सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि 'गांव की ओर चलों' और 'पिछड़ापन दूर करो' का जो उनका नारा है अगर उसे आप ईमानदारी के साथ साकार करना चाहते हो तो जो मेरा प्रस्ताव है उसको सर्वसम्मति से स्वीकार कर लो। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

*श्री जगदम्बा प्रसाद सिंह (जिला बस्ती)—

अध्यक्ष महोदय, जो संकल्प माननीय रवीन्द्र नाथ तिवारी जी ने इस सदन में उपस्थित किया है कि "इस सदन का यह निश्चित मत है कि राज्य सरकार प्रदेश के पिछड़े हुये क्षेत्रों के विकास के सम्बन्ध में एक सुनिश्चित स्पष्ट एवं समयबद्ध नीति की घोषणा करे' उससे कुछ भ्रान्ति पैदा हो गयी है। यह सारे प्रदेश के लिये सरकार की योजना है, न कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिये पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिये या मध्य उत्तर प्रदेश के लिये है, जैसा कि कहा जा रहा है। यह सारे प्रदेश के लिये है।

श्री अध्यक्ष—

यह तो किसी ने नहीं कहा। अभी तो अनौपचारिक बातें हैं।

श्री जगदम्बा प्रसाद सिंह—

मान्यवर, मेरा निवेदन है कि सारे प्रदेश में जो-जो इलाके पिछड़े हुये हैं, चाहे वे किसी भी क्षेत्र में पड़ते हों, उनकी प्रगति होनी चाहिये। जब बजट में आबंटन प्रायोजनायें बनाई जायं तो यह अवश्य देखा जाय कि किस-किस क्षेत्र में, किन-किन जिलों में जिन चीजों की प्रायोजनायें बनाई जायं, यह अवश्य देखा जाय कि आज तक उनमें कितना-कितना काम हुआ है और कितना बाकी है और उस क्षेत्र की आबादी और जनसंख्या का भी खयाल रखा जाय। अगर कुछ जिले छोटे हैं और कुछ बड़े हैं। उनका ध्यान न रखा गया तो विषमता बढ़ जायगी। तो जो प्रायोजनायें बने उनमें इस बात का अवश्य ध्यान रखा जाय कि कौन से जिले पिछड़े हुये हैं और कौन से जिले आगे हैं। सारा प्रदेश हमारा है, सारे प्रदेश की तरक्की हमारी तरक्की है हमें इस दृष्टिकोण से सोचना चाहिये। लेकिन जब हम अपनी बात कहते हैं। तो हमें मिसाल देनी पड़ती है। उस समय अपने जिले की मिसाल देनी पड़ती है। उसका तात्पर्य यह नहीं होना चाहिये, हम अपने पूरे प्रदेश की बात कर रहे हैं। यहां पर बहुत कमीशन्स बनाये गये, उनकी रिपोर्ट्स भी आयी हैं लेकिन वे रिपोर्ट्स केवल रिपोर्ट मात्र बन कर रह गयी, उन पर कोई कार्यवाही नहीं हुयी। तो कम से कम वह रवइया छोड़कर अब जो प्रयोजनायें ली जायं उनमें इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि जो इलाका पिछड़ा हुआ है उसको प्रगति के लिये अवश्य ध्यान रखा जाय।

अब मैं अपने जिले बस्ती की ओर, जो प्रदेश का पिछड़ा हुआ जिला है, शिक्षा के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। जब कि पूरे प्रदेश का शिक्षा का औसत 21.70 है तो बस्ती जिले का औसत 15.61 है। तो आप ही सोचें कि जो शिक्षा की बात कही गयी है या परियोजनाओं की बात कही गयी है वे जिले चाहे किसी भी क्षेत्र में पड़ते हों, अगर वहां पर बजट में कम आवंटन हुआ है तो वह ज्यादा होना चाहिये। शिक्षा के मामले में मैं आपका ध्यान अपने जनपद की ओर दिलाना चाहता हूं। वहां पर 287 गांव ऐसे हैं, जहां पर जूनियर हाई स्कूल 5 किलोमीटर की दूरी पर पड़ते हैं। इन गावों में 83 स्कूल हैं और 32 ऐसे स्कूलों की आवश्यकता है। वहां पर पर 115 हाई स्कूल एवं इण्टरमीडियेट कालेजज हैं, जिनमें 63,400 विद्यार्थी पढ़ते हैं। लेकिन इस जनपद के क्षेत्र में हाई स्कूल काफी दूरी पर है। अतः इसके समाधान के लिये कम से कम 55 हाई स्कूलों की और आवश्यकता है क्योंकि स्कूलों के दूरी पर होने के कारण शिक्षा के प्रसार में बड़ी रुकावट आती है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री जगदम्बा प्रसाद सिंह]

अब आप कृषि क्षेत्र में ले लें। कृषि का विकास सिंचाई से सामान्यत: प्रभावित होता है और जब तक उन जिलों में जहां पर सिंचाई के साधन कम हैं वह साधन मुनासिब तरीके से नहीं दिये जायेंगे तब तक वह इलाके पुर–सब्ज नहीं हो सकते। बस्ती में नलकूपों की संख्या 500 है और क्षेत्रफल, 7,301 स्क्वायर मील है जो कि इजराइल के बराबर है और आबादी 31.72 लाख है। जब कि मेरठ में 900 ट्यूबवेल हैं, उसका एरिया 5,944 वर्ग मील है जोकि बस्ती से बहुत ही कम है। बुलन्दशहर में 671 से ज्यादा ट्यूबबेल हैं, जबकि एरिया 4,895 स्क्यावर मील है। अलीगढ़ में 597 से ज्यादा ट्यूबबेल हैं जब कि एरिया 5029 स्का0 मील है। मुरादाबाद में करीब 900 है और एरिया 5,946 है। बदायूं में 700 है और एरिया 5,158, वाराणसी में 1 हजार ट्यूबवेल हैं जबकि एरिया 5,091 स्का0 मील है। इलाहाबाद। में 700 हैं और एरिया 7,255 जहां पर जितना क्षेत्रफल हो जहां पर जैसी आवश्यकता हो वह जिला प्रदेश का चाहे जिस क्षेत्रमें पड़ता हो, उसी के अनुसार उसका आबंटन होना चाहिये अगर यह नहीं किया गया तो जो तरक्की होगी उसमें विषमता आयेगी और यह सरकार के लिए मुनासिब नहीं है। यही बात यातायात के लिये और मेडिकल के लिये है।

पुल की बात कही गयी। वाकई जहां पर पुल बनना जरूरी है वहां पर बनना चहिये लेकिन एक ही जिले में बनते जायं और कुछ बिल्कुल छोड़ दिये जायें। यह कह तक मुनासिब होगा। इसलिये यह जो संकल्प है रवीन्द्र तिवारी जी का, मैं उसका समर्थन करता हूं और सरकार से मांग करता हूं कि जो योजनाएं बनायी जायें, स्कूल, अस्पताल, पुल के लिये, उनमें ख्याल रखा जाय कि पिछड़े हुये जिलों में बराबर आबंटन किया जाय। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष —

श्री श्यामधर मिश्र, आप ध्यान रखें समय 10 मिनट से अधिक नहीं मिल पायेगा।

श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)—

मान्यवर, यह प्रस्ताव जो माननीय तिवारी जी ने प्रस्तुत किया है वह ऐसा है जिसमें बहुत विवाद की बात नहीं हो सकती। इस प्रदेश में इस संबंध में लगभग 25 वर्ष से चर्चा होती रही है। इस प्रदेश के बहुत से भू-भाग ऐसे हैं जो बहुत पिछड़े हुये हैं। सही बात तो यह है कि इस देश में लगभग 300 जिले हैं उनमें 56–57 अपने यहां हैं और केन्द्रीय सरकार ने जो आकड़े लगाये हैं। 300 जिलों में 52 जिले बहुत पिछड़े इस देश में हैं और हमारा दुर्भाग्य यह है कि उन 52 जिलों में 28 जिले केवल उत्तर प्रदेश में पड़ते ह। ये केन्द्रीय सरकार के आकड़े हैं। अब इन 56–57 जिलों में 28 जिले अगर पिछड़े हों तो 50 प्रतिशत के करीब यह आ जाते हैं जोकि पिछड़े हैं और जो अगरे हैं उनकी कहानी क्या बताऊं? उनकी तुलना आपने समय बांध दिया वरना बताता कि अगरे जो हैं वह भी पिछड़े हैं। वह अगरे इसलिये हैं कि जो 28 जिले पिछड़े हैं उनकी तुलना में वे अगरे हैं, लेकिन देश की तुलना में, हरियाणा पंजाब की तुलना में, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और कर्नाटक की तुलना में सब जगह में नहीं। वह बहुत पिछड़े हैं।

जहां तक उत्तर प्रदेश बहुत चीजों में अगवा है, क्या कारण है कि हम इतने पिछड़े हुये हैं। इस तरह से श्रीमन्, मैं जानता हूं इस सदन में कई बार आया। कांग्रेस के शासन में आया अब भी आ रहा है। मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि पटेल आयोग बना। कुछ वर्ष चला, उसके बाद वह नहीं चला।

उस के बाद यहां जो प्रस्ताव आये हैं वे प्रदेश के पिछड़े क्षेत्रों के बारे में हैं। मैं माननीय सदस्य की तारीफ करता हूं कि उनकी मंशा यह कतई नहीं है कि केवल एक

फैजाबाद जिले या पूर्वी उत्तर प्रदेश से ही संबंधित यह हो। उनकी पूरी मंशा यह है कि पूरे प्रदेश में यह जानकारी की जाय कि कौन-कौन से क्षेत्र पिछड़े हुये हैं। पश्चिमी जिलों को भी मैं जानता हूं कि काफी इलाके पिछड़े हुये हैं बुन्देलखंड का भी इलाका पिछड़ा हुआ है। पर्वतीय जिलों के कुछ इलाके तो ठीक है, कुछ काफी पिछड़े हुये हैं। इसलिये एक डंडे से आप सब को नहीं नाप सकते। इसका कोई मापदंड होना चाहिये, वास्तव में नियमों का राज्य होना चाहिये, विधि का राज्य होना चाहिये, कानून का राज्य होना चहिये। योजनाओं में उसका राज्य होना चाहिये। मगर ऐसा नहीं लगता।

इस साल के बजट को देखिये, पिछले सालों के बजट को देखिये। मैंने पहले के कांग्रेसी शासन के बजटों को भी देखा है मुझे यह देखकर दुख होता है कि उसमें न कोई नियम लागू होता है और न कोई कानून मंत्रियों की इच्छा के अनुसार बजट बनता है। किसी भी विभाग का मंत्री हो, वह जो चाहता है उसके अनुसार बजट बनता है। अब मंत्री तो केवल 40 ही के करीब हैं। तो 40 कान्सटीटुएन्सीज में तो काम होगा, मगर बाकी जो 300 और रह जायेंगे वे क्या बेकार पड़ी रहेंगी, वहां कोई काम नहीं होगा ? आप कहेंगे कि कांग्रेसी जमाने में भी ऐसा हुआ है। मैं तो यहां पर उस समय बैठा नहीं था, अगर हुआ है तो वह गलत हुआ है। जो भी भुक्तभोगी हों वे कृपया बतायें। मैं तो अपने जिले का भुक्तभोगी हूं। इसलिये मेरा सुझाव यह है कि नियम के अनुसार हर कान्स्टीट्युएन्सी में काम होना चाहिये। श्रीमन्, आपका जिला भी पिछड़ा हुआ है।

श्री अध्यक्ष—

उद्योगों में पिछड़ा ही है।

श्री श्यामधर मिश्र —

बुलन्दशहर भी मान्यवर, पिछड़ा हुआ ही माना जाता है, उसमें भी सुधार होना चाहिये। वहां भी उद्योग लगना चाहिये। उद्योगों के लिये वहां 10 फीसदी सब्सिडी मिलती है।

श्री अध्यक्ष—

आप की सूचना गलत है।

श्री श्यामधर मिश्र—

हो सकती है। मेरे कहने का मतलब यह है कि इसमें कुछ सुधार होना चाहिये। नियमों के अनुसार काम होना चहिये।

मान्यवर, आज प्रदेश में करीब 15 हजार किलोमीटर लम्बी सड़कें ऐसी हैं जो केवल कागज में पक्की हैं, पर वे कच्ची हो गयी हैं। उनको पक्का करवाने की जरूरत है है। इन सड़कों को जिला परिषदों से लेकर पी0 डब्लू डी0 को पक्का कराना चाहिये। और इस कार्य को प्राथमिकता देनी चाहिये। पी0 डब्लू0 डी0 ने केवल आजमगढ़ का जिला तो ले लिया, बाकी को भी लेना चाहिये।

मान्यवर, इसमें सुधार हो कैसे, मेरा एक सुझाव है। मेरा निजी सुझाव नहीं है। यह प्रयोग कुछ प्रदेशों ने किया है जो मैं बता रहा हूं गुजरात और महाराष्ट्र ने किया है। वहां यह हुआ है कि कम से कम 50 फीसदी योजना का खर्च वहां की जिला परिषदों तथा ब्लाकों के जरिये होता है। अगर आप भी ऐसा करें तो बहुत सी चीजें तो अपने आप नीचे से हो जायेंगी।

[श्री श्यामधर मिश्र]

वहां तो आप देखते रहें, देखने के माने यह नहीं हैं, कि आप ऊपर से नियंत्रण करते रहें, ऊपर से डायरेक्शन देते रहें ,आप ऐसा करें कि कोई गलती होती रहे उसको सुधारते रहें। कोई बात छिपी नहीं है। इस प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आमदनी, प्रति व्यक्ति पूंजी, प्रति व्यक्ति नियोजन पूंजी, प्रति व्यक्ति बिजली निश्चित तौर से कम है। यह 28 जिलों की बात नहीं कह रहा हूं। 56 जिलों की बात कह रहा हूं। इसीलिये मेरा निवेदन माननीय मुख्य मंत्री जी से नियोजन मंत्री से मंत्रि-परिषद् से है। जब यहां इस बात को देखते हैं, बजट बनाते हैं, तो तमाम कांस्टीट्एंसी की राजनैतिक दृष्टि से नहीं, तमाम कस्टीट्यूएंसी को देख कर एक-एक करके जितने रुपये है जिला स्तर पर योजनायें लेकर लागू करें, तो उससे स्वयं पिछड़ापन दूर हो जायगा और मैं समझता हूं कि इस प्रस्ताव की मंशा पूरी हो जायगी इसलिये में इस प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं और बातें लालबत्ती होने से पहले मैं समाप्त करके बैठ जाता हूं।

श्री हुकम चन्द्र तिवारी (जिला मथुरा)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय तिवारी जी ने जो संकल्प प्रस्तुत किया है, मैं उसका बड़े सम्मान के साथ समर्थन करता हूं। पिछड़ा जिला कौन सा हो, उसकी क्या परिभाषा हो, उत्तर प्रदेश में 57 जिले हैं उनमें से यदि आप मथुरा की तरफ देखें, चिड़िया, पानी पीने से मर जाती हैं। अब आप कल्पना कर सकते हैं कि जहां, कुएं खोदे जाते हैं। वहां के पानी पीने से चिड़िया मर जाती है तो वहां पर फसल कैसी होगी 40 फीसदी जमीन में सिंचाई के साधन हैं और उनमें से एक फसल बड़ी मुश्किल से हो पाती है। मथुरा में राजस्थान, हरियाणा-अलीगढ़ इन तीनों दिशाओं से पानी आकर सारे मथुरा को बरबाद कर देता है। मथुरा में कोई उद्योग धंधा नहीं है। सात नाले इस जिले में अलीगढ़ से आते हैं। 4 नाले हरियाणा से आते हैं और 3 नाले राजस्थान से आते हैं। इन सब नालों का पानी मथुरा जनपद में आता है वहां पर आने के बाद वहां की सारी फसल नष्ट हो जाती है। मथुरा जिले का अगर मूल्यांकन किया जाय कोई विश्लेषण किया जाय, तो मैं यह बड़े सम्मान के साथ आश्वासन देता हूं व कहता हूं कि मथुरा उत्तर प्रदेश में सबसे पिछड़ा जिला है। वहां के लोग भीख मांगते हैं, भिखारी हैं। इतना ही नहीं जो खेती के लिये सुविधायें मिलनी चाहिये। वह नहीं मिल पा रही हैं। उद्योग धंधों की दृष्टि से वहां पर कोई धंधा नहीं हैं। मथुरा जिला गर्मी से पीड़ित, अभाव से पीड़ित, साधनों से पीड़ित होने के कारण वहां पर सरकार इस प्रकार के साधन जुटाये जिससे वहां पर पढ़ा-लिखा युवक बेकार न हो। मथुरा जिले में एक सादाबाद तहसील है जो कि जमुना के खादर पर बसा हुआ है। वहां पर यातायात के कोई साधन नहीं हैं। वहां के लोगों से बाहर के लोग, आने जाने की कठिनाई के कारण सम्बन्ध नहीं स्थापित करते हैं, क्योंकि मथुरा की सादाबाद तहसील बहुत पिछड़ी हुई है। मानागढ़ी में काफी मात्रा में बंजर पड़ा हुआ है। मान्यवर, मेरा निवेदन है कि मथुरा जिले को पिछड़ा जिला घोषित करें। वहां के बेकार शिक्षित युवकों को धंधा दें, पानी के साधन की और शिक्षा की सारी व्यवस्था करें। इन शब्दों के साथ मान्यवर, मैं तिवारी जी के उस संकल्प का समर्थन करता हूं।

एक सदस्य—

मान्यवर, इस पर अभी और समय मिलना चाहिये।

श्री अध्यक्ष—

अब इस पर और समय नहीं है।

श्री खान गुफरान जाहिदी (जिला फतेहपुर)—

अध्यक्ष महोदय, बहुत कुछ कहना है इस सिलसिले में हमारा क्षेत्र बहुत पिछड़ा है। इस प्रस्ताव को चलने दीजिये।

श्री लक्खी सिंह (जिला मथुरा)—

यह संकल्प बोलने लायक है। इस पर बोलने दिया जाय।

श्री अध्यक्ष —

आप देखें, समय का सवाल है।

श्री खान गुफरान जाहिदी —

हम लोग पिछड़े जिले के हैं।

श्री अध्यक्ष —

जी हां, कानपुर सबसे पिछड़ा है। (हंसी)।

एक सदस्य—

सदन का समय बढ़ा दीजिये।

एक अन्य सदस्य —

मान्यवर, मुझे भी थोड़ा समय दे दीजिये।

श्री अध्यक्ष —

अच्छा 5–5 मिनट समय दिया जाता है।

श्री गौरी शंकर भैय्या (जिला बलिया)—

अध्यक्ष महोदय, इस प्रदेश के जो पिछड़े जिले हैं उनके सुनियोजित विकास के लिये एक मान्यता प्राप्त योजना इस प्रदेश में चलायी जाय ताकि उनका विकास हो सके। मान्यवर, एक पटेल आयोग की योजना चली थी जिसमें पिछड़े जिलों के विकास के लिये कहा गया था। अगले बजट में हमने उम्मीद की थी कि जो बजट प्रस्तुत किया जायेगा उसमें इसका जिक्र होगा। इसके माध्यम से करोड़ों रुपये व्यय करने की बात थी। परन्तु खेद की बात यह है कि दूसरा बजट भी आ गया है लेकिन इस योजना का कहीं नामों निशान नहीं है।

दूसरी तरफ मैं सरकार का ध्यान आपके माध्यम से आकर्षित करना चाहता हूं। सरकार भूल गयी है कि उत्तर प्रदेश के पूर्वी छोर पर बलिया जिला भी है। कोई भी बजट बनता है उसमें हमारे जिले का नाम नहीं के बराबर होता है। स्कूल खोलने की बात होती है तो गाजीपुर, गोरखपुर में 150–200 स्कूल खोले जाते हैं लेकिन बलिया जिले में केवल 20 स्कूल खोल दिये जाते हैं। ट्यूबवेल लगाये जाते हैं तो जहां पर बड़े-बड़े मंत्री लोग हैं उनके जिले में 150 ट्यूबवेल लगाये जाते हैं लेकिन हमारे जिले में 15–20 ट्यूबवेल लगाये जाते हैं। सड़क बनाने की बात होती है तो मैं कहना चाहता हूं कि 30 वर्षों तक गांधी जी के नाम पर लूट की बात की गयी है। जयप्रकाश नारायण जी बलिया जिले के हैं उनका नाम हम घूम-2 कर लेते हैं। उनके गांव का उदाहरण मैं देना चाहता हूं। उनके गांव में एक भी प्राइमरी स्कूल नहीं है, हास्पिटल नहीं है। पोस्ट आफिस नहीं है कोई सड़क नहीं है। जय प्रकाश नारायण जी के गांव तक जाने के लिये रोडवेज मंत्री जी ने 2 बसें दी हैं। लेकिन वहां पर जो निजी बसें चलाते हैं रोडवेज को पैसा देकर बसें चलाने नहीं देते

[श्री गौरी शंकर भैय्या]

है। 40 हजार रुपये घूस दिया गया है। बलिया में ही बसें खड़ी कर दी जाती हैं और प्राइवेट बसें हीं उस रोड पर चलती हैं। चन्द्रशेखर जी भी इसी जिले के हैं वे जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं। उनका नाम यहां दावे से लिया जाता है। लेकिन उनके गांव में भी कोई सड़क नहीं है, पोस्ट आफिस नहीं है, कोई स्कूल नहीं है। जो बड़े-बड़े नेता हैं, जो अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति के हैं, इस जिले के हैं। लेकिन जब इस जिले की सम्यक विकास की बात की जाती है। तो मंत्री लोग सोने लगते हैं। तो मैं अर्ज करना चाहता हूं कि हमारे जिले में 48 कि0 मी0 सड़क निर्माण करने का जिम्मा मंत्री जी ने लिया था। लेकिन कुछ तकनीकी कारणों से जैसा मंत्री जी को सूचित किया है कि 6 कि0 मी0 सड़क छोड़ दी गयीं हैं।

गवर्नर साहब के भाषण में आंकड़े दिये गये हैं कि हम 15 हजार कि0 मी0 या इतने कि0 मी0 सड़कें बना रहे हैं। मैं सोचता हूं कि सरकार को इन आंकड़ों की जांच करनी चाहिये। मैं सभी मंत्रियों का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं सरकार के पास जो उत्तर प्रदेश का नक्शा मौजूद है, उसमें यदि बलिया जिला भी हो तो उसको देखने का प्रयास करें। पिछड़े जिलों पर जो धनराशि आबंटित कर रहें हैं यदि उसमें हमारे जिले को बहुत नहीं दे सकते हैं तो दो-चार आने का भाग जरूर खर्च करें। मान्यवर, जब दौरा करने की बात आती है तो बलिया जिले को भूल जाया करते हैं। मुख्य मंत्री का बाढ़ में दौरा हुआ लेकिन वह आजमगढ़ चले गये किन्तु बलिया जाने का उनको समय नहीं मिला। दूसरे मंत्रिगण दौरे पर जाते हैं वह बनारस, आजमगढ़, देवरिया आदि चले जाते हैं लेकिन बलिया नहीं आते हैं। कभी-कभी छोटे मंत्रीगण वहां जरूर आ जाते हैं। कारागार मंत्री बरेली चले जाते हैं चूंकि वह वहां की जेल में रहे थे यदि वह बलिया की जेल में रहे होते तो वहां भी जाते क्योंकि बार-बार अनुरोध करने पर भी वह वहां नहीं जाते हैं। इसलिये मेरा अनुरोध है कि सरकार उत्तर प्रदेश में ही बलिया जिले को मानकर चले चूंकि यह उपेक्षित जिला है, इसीलिये आज तक वहां सुनियोजित विकास की कोई योजना नहीं बनाई गयी है। बड़े-बड़े नेताओं का जिला है, उसके नाम पर चाहे जितना शोषण किया जाय लेकिन उसके जब विकास की बात आती है, वह चाहे स्कूल की बात हो या सड़कों की बात हो, तो वह मंत्रियों को सुनाई नहीं देती है। इसके साथ ही मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और एक बार पुनः फिर माननीय सदस्यों का और सरकार का ध्यान आकर्षित करता हूं कि मेहरबानी करके बलिया जनपद के विकास पर ध्यान दें।

*श्री हरी सिंह (जिला मेरठ)—

अध्यक्ष महोदय, बात यह है कि यह प्रदेश तो वैसे ही सारा पिछड़ा है। परन्तु एक नई बात इस बार चली है, जब से जनता सरकार आयी है, कि कोई पिछड़ी जाति की संरक्षण की बात करता है और कोई पिछड़े जिले की। तो मैं पूछना चाहता हूं कि इन जिलों की आय कितनी है और कितना टैक्स देते हैं बलिया, देवरिया और बस्ती जिले ? कितना पश्चिमी जिले देते हैं जिन्हें उन्नतिशील कहते हैं। दुख की बात कि पूर्वी जिलों को आदत पड़ गयी है कि पश्चिमी जिले कमायें और खायें पूर्वी जिले। वह आज भी गरीबों से कमवाते हैं और खुद नहीं कमाते हैं। जितने पिछड़े जिले हैं (पूर्वी) यदि वह गरीबों से न कमवाते होते तो ऐसा न होता।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

आप कृपया माइक से बोलें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री हरी सिंह—

पश्चिमी जिले के लोग अपने पैसे से अस्पताल स्थापित किये हैं । वह रात दिन मेहनत करते हैं लेकिन यह लोग मुफ्त का खाते हैं और आंख दिखाते हैं । मुझे अफसोस होता है कि नारायण दत्त तिवारी जी बैठे बैठे सुनते हैं । उपनेता भी बैठे हैं । वह भी प्रस्ताव का समर्थन करते हैं । श्री श्याम धर मिश्रा जी भी उस प्रस्ताव का समर्थन करते हैं । मैं कहता हूं कि यदि पूर्वी जिले मेहनत करें और जितना टैक्स पश्चिम वाले देते है अगर उतना पूर्वी जिले दें तो वह पिछड़े न रहें ।

श्री गुलाब सेहरा (जिला आगरा)—

माननीय सदस्य इधर हाथ कर-कर कह रहे हैं । प्रस्ताव हमारा नहीं, उनकी पार्टी का है ।

श्री अध्यक्ष—

इसलिये कि आपको महत्व देते हैं ।

श्री हरी सिंह—

मेरा एक निवेदन है कि ये अपने जिले के लोगों को काम करने के लिये बाध्य करें । जितना टैक्स पश्चिम के जिले देते हैं उतना ही अगर पूर्वी जिले दें तो वाकई उनकी उन्नति हो जाय । जितना टैक्स पश्चिम वाले देते हैं उसका एक चवन्नी भी उन पर खर्च नहीं होता चाहे मेरठ हो मुजफ्फरनगर हो, मथुरा हो या अलीगढ़ हो । इसलिये मजबूर होकर यह आवाज उठानी पड़ती है । यह मुफ्त का खाते हैं, तिलक लगाते हैं, मछली खाते हैं । यह मेहनत करके अपना उत्पादन बढ़ावें और जितना दें उतना वहां लगावें । दूसरों को उन्नतिशील न कहें । पूरा प्रदेश ही पिछड़ा है । यह स्वयं कामचोर हैं । इनको मेहनत करनी चाहिये ।

श्री श्याम धर मिश्र—

मेरा एक निवेदन है कि माननीय हरीसिंह और माननीय मान सिंह जब बोलें तो उनके लिए स्पेशल माइक या किसी मशीन की व्यवस्था करा दें जिससे कि हम उनको सुन सकें ।

श्री अध्यक्ष—

आप उनकी भावना समझें, शब्दों में जाने की जरूरत नहीं है ।

*श्री खान गुफरान जाहिदी—

मान्यवर, मैं एक जवाब देना चाहता हूं कि इसका मतलब यह हुआ कि जो अमीरी की तरफ जाने वाले कस्बात या शहर हैं उनको और अमीर बनाया जाय और जो गरीब और पिछड़े हुए हैं उनको और पिछड़ा हुआ बनाया जाय हालांकि हमारी जो मौजूदा कदायत ने फैसला लिया है वह यह कि गांव की तरफ जाना है तो क्या उनके कहने का मतलब है कि क्या गांव-गांव में फर्क होगा, या शहर-शहर में फर्क होगा। इसी को काटने के लिये हमारे तिवारी जी ने जो प्रस्ताव या संकल्प पेश किया है उस पर मुझे कहना है कि इसके दो तरीके हो सकते हैं ?

जैसा हमारे साथी ने कहा कि हम पिछड़े जिलों की या तो आबादी के आधार पर या उस इलाके आधार पर नीति बनायें हमारे साथियों ने जो कहा उसमें हकीकत है । जिस इलाके का कोई वजीर हो जाता है उस महकमे के अफसर अपने वजीर को खुश करने के लिए वहां मुसलसल काम करते हैं । अगर यह सच है तो मैं अपनी पार्टी

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

[श्री खान गुफरान जाहिदी]

के लोगों से और सदन से कहना चाहता हूं कि इस तरह हर वजीर का इलाका सुधर जाता है तो छः महीने या साल भर बाद 42 मंत्रियों को बदल दिया जाया करे। अगर यह बात मजाक है तो हकीकत यह है कि 28 जिले पिछड़े हुए हैं और 28 वे हैं जो थोड़ा सा सुधर गये हैं। उनको हमें देखना होगा। प्रोडक्शन या कर के हिसाब से नहीं क्योंकि अगर यह सिलसिला रहा तो हर वह शहर बड़े से बड़ा होता जायगा और जो पिछड़ा है वह कभी भी सुधर नहीं सकता। मान्यवर, यह जो रेज्योलूशन आया है इसकी पूरी ताईद करता हुआ चंद बातें कहना चाहता हूं। जिसका नाम अभी जिक्र में नहीं आया जिसको कहते हैं फतेहपुर। मान्यवर, यह जिला इलाहाबाद और कानपुर के बीच सैंड-विच होकर रह गया है। ऐसा मालूम होता है कि वहां कोई बसता ही नहीं है।

मान्यवर, वहां एक मशहूर सड़क है जिसका नाम है फतेहपुर जुनिया रोड। यह 17 किलोमीटर की सड़क है। हर साल उसमें एक किलोमीटर सड़क बनायी जाती है। जब दूसरे किलोमीटर की बात आती है, तो पहला किलोमीटर खत्म हो जाता है। जब तीसरा किलोमीटर बनायेंगे तो पहले के दोनों किलोमीटर खत्म हो जायेंगे। इसी तरह एजूकेशन की बात है। फतेहपुर आई० टी आई० बना था। वहां 300 सीटें दी गयी थीं। जब कोई दूसरे इलाके का मंत्री हुआ तो पिछड़े क्षेत्र चाहे वह झांसी हो या गाजीपुर हो, वहां की सीटें काट-काट कर अपने यहां ले गया रायबरेली में 32 सीटें और देवरिया में 60 सीटें दे दी गयीं और फतेहपुर में 100 रह गयीं। बहुत कोशिश के बाद 134 हुयीं। तो प्रश्न है कि ये 300 से 100 कैसे हो गयीं? पिछड़े जिलों में ट्रेनिंग के लिये ज्यादा व्यवस्था होनी चाहिये थी। इसी तरह से एजूकेशन की बात है। जहां-जहां असर होगा, जैसे प्रतापगढ़ और रायबरेली में हो सकता है वहां पर डबुल शिफ्ट हो सकती हैं। कई महीने की कोशिश के बावजूद भी जो मॉडल स्कूल कहलाता है, वहां डबल शिफ्ट नहीं दिया जा सका और इलाहाबाद और कानपुर हमारे यहां के लड़के नहीं जा सकते तो लड़कियां कैसे जा सकती हैं तो इस तरह की बात इन इलाकों के बारे में की जाती हैं।

दूसरी बात कि जो कहा जाता है कि एक वक्त के अंदर कहीं पर एक काम किया जाता है तो ज्यादा असर होता है, वह ठीक है अगर एक-एक पैसा हर जगह के लिये दे दिया गया, तो उससे असर नहीं पड़ेगा। इसमें या तो यह कर दिया जाय कि ये 4 जिले पिछड़े हैं और अगले टाइम में इनकी चीजें पूरी की जायेंगी और अगले 6 महीनों में उसकी की जायेंगी। उससे उस क्षेत्र की चीजें पूरी हो जायेंगी और यह नहीं होगा कि एक किलोमीटर सड़क बनी और अगले साल जब एक किलोमीटर बनेगी तो पिछली एक किलोमीटर सड़क खत्म हो जायेगी। यह बात तब नहीं होगी।

मान्यवर, इसी तरह से सेहत के सिलसिले में कहना चाहता हूं कि हास्पिटल बन रहे हैं। फतेहपुर में जहां बांदा तक के लोग आते हैं (क्योंकि बांदा में भी पूरी तरह से इसकी सुविधा नहीं है) और रायबरेली के मिले हुये इलाके के लोग भी आते हैं, वहां 17/18 लाख की आबादी के लिये 100 साल पुरानी इमारत है। वह आज भी ज्यों की त्यों पड़ी है लेकिन उसको बनाने का जिक्र नहीं है। ऐसा महसूस होता है कि वहां पर कोई है ही नहीं। एक मंत्री आसपाशी का वहां से दे दिया गया है। लेकिन वह बहुत छोटा मंत्री है। बड़ा मंत्री भी नहीं मिला। उस जिले के लिये अभी वहां ट्यूबवेल नहीं बने या पूरे नहीं हो पाये। ऐसा भी हो सकता है कि अफसरान खुश नहीं कर पाये। मैं तमाम मंत्रियों से निवेदन करना चाहता हूं कि जो 28 जिले पिछड़े हैं, पहले उनकी तरक्की की बात सोचें? उनकी सड़कों, उनकी सेहत और दूसरी बातों के बारे में सोचें। आप महसूस करेंगे कि एजूकेशन का सवाल ऐसा है कि प्रदेश में 9 प्राइवेट स्कूल हैं और एक सरकारी स्कूल है। नेशनलाइजेशन की बात तो दूर रही। 9 और एक का फर्क चल रहा है। कानपुर इतना बड़ा शहर है लेकिन मॉडल स्कूल गवर्नमेंट का

नहीं है। वहां पर माडल स्कूल खोलें और फिर डिग्री कालेज और नेशलाइजेशन की बात करते हैं। वहां माडल स्कूल खुलना चाहिये ताकि पता हो कि इस तरह की पढ़ाई होनी चाहिये आखिर कानपुर में यह क्यों नहीं हुआ? क्या एजूकेशन का नीलाम निजी हाथों में नहीं कर दिया? यह गलत तरीका है। इसलिये पहले 28 जिलों का पूरा किया जाय।

जहां तक सनतों का सवाल है रायबरेली में संनतें 16–17 हैं, उन्नाव में है। यह सब क्या है? पोलिटिकल मैन्यूवैरिंग है, इनफ्ल्यूएन्स की बात है, असर डाल कर किया जाता है। फतेहपुर में एक भी नहीं दिया गया। मान्यवर, एग्रीकल्चर के बुनियादी तौर पर यह होना चाहिये . . .

श्री अध्यक्ष—

गुफरान जी, अब आप समाप्त करें।

श्री खान गुफरान जाहिदी—

मान्यवर, सिर्फ एक शेर कह कर अपनी बात खत्म करता हूं।

तेरे वादे पर कहां तक भला क्यों फरेब खायें,
कोई ऐसा कर बहाना कि मेरी आश टूट जाये।

श्री अध्यक्ष—

अब इस संकल्प पर विवाद स्थगित होता है और फिर इस पर विवाद जारी रहेगा।

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष—

श्री गुलाब सेहरा, श्री अजीत सिंह सेठी, श्री राम देव यादव, श्री मोहन लाल त्रिपाठी, श्री मन्नू लाल द्विवेदी की एक सूचना कि 13 मार्च, 1978 को लालगंज और रायबरेली नगरों में छात्रों पर हुये गोली काण्ड और लाठी चार्ज के संबंध में पुलिस द्वारा कुछ पत्रकारों के विरुद्ध मुकदमे दायर किये जाने को मैंने स्वीकृत किया है। मुख्य मंत्री जी, आप इस पर किस तारीख को वक्तव्य देंगे?

मुख्य मंत्री (श्री राम नरेश यादव)—

4 अप्रैल रख दीजिए।

श्री अध्यक्ष—

4 अप्रैल को इस पर वक्तव्य होगा।

जनपद देवरिया में हरिजन छात्रावासों पर किये गये हिंसात्मक आक्रमण के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य

श्री अध्यक्ष—

नियम 51 के अन्तर्गत जनपद देवरिया के संबंध में मुख्य मंत्री जी अपना वक्तव्य देंगे।

मुख्य मंत्री (श्री राम नरेश यादव)—

मान्यवर, दिनांक 24–1–78 को वाराणसी में सम्पूर्णानन्द जी की मूर्ति के अनावरण के पश्चात् मूर्ति को पवित्र करने के उद्देश्य से गंगाजल से धोकर श्री जगजीवन राम के प्रति जो असम्मानपूर्ण व्यवहार किया गया उसके विरोध में दिनांक 15–2–78 को शोषित समाज दल देवरिया की ओर से 300–400 व्यक्तियों का जुलूस निकला गया जिसमें अधिकांशत: अनुसूचित जाति के लोग, कुछ छात्रगण या कुछ अन्य जातियों के लोग उक्त जुलूस प्रदर्शन करता

[श्री राम नरेश यादव]

हुआ तथा "ब्राह्मण वाद का नाश हो", "वर्ण व्यवस्था का नाश हो" आदि नारे लगाता हुआ कलेक्ट्रेट में आया और परगना मजिस्ट्रेट देवरिया को एक ज्ञापन दिया। इन नारों से सवर्ण लोगों में कुछ उत्तेजना हुई पर कोई अप्रिय घटना नहीं घटी। तत्पश्चात् जुलूस कलक्ट्रेट से चलकर टाउन हाल में एक सभा के रूप में परिणित हो गया। इस सभा में कुछ अनुसूचित जाति के नेताओं, छात्रों तथा कुछ अन्य लोगों ने जातिवाद के विरोध में भाषण दिए तथा उन लोगों ने वाराणसी में दिनांक 24 जनवरी को हुई अपमानजनक घटना का जिक्र किया।

2—इस घटना की प्रतिक्रिया में, दिनांक 16-2-78 को स्थानीय संत विनोबा भावे डिग्री कालेज खुलने पर वहां के सवर्ण छात्रों में हरिजन छात्रों के विरुद्ध रोष उत्पन्न हुआ तथा लगभग 1000 छात्रों नें प्रतिरक्षा मंत्री तथा अनुसूचित जाति के विरोध में नारे लगाते हुए एक जलूस निकाला जिसमें अन्य स्थानीय शिक्षा संस्थाओं के छात्र भी समिम्मित हो गए। इन लोगों ने श्री जगजीवन राम का पुतला भी जलाया। उक्त जुलूस नारे लगाता हुआ जिलाधिकारी के निवास स्थान पर 9.00 बजे पहुंचा। उस दिन जिलाधिकारी बाहर थे। वहां छात्रों ने कुछ देर नारेबाजी की। तत्पश्चात् छात्रों का एक बड़ा दल कलेक्ट्रेट की ओर गया और उन्होंने राजकीय सेवाओं में अनुसूचित जाति के लोगों के विशेष आरक्षण आदि देने के विरोध में भाषण दिया। इन लोगों द्वारा लगभग 10बजे दिन कलेक्ट्रेट में अतिरिक्त जिला मैजिस्ट्रेट को तीन ज्ञापन भी दिये गये। जिलाधिकारी के निवास स्थान से लौटते हुए छात्रों की भीड़ कई दिशाओं में बिखर गई। इनमें से एक दल चन्द्र लोक हरिजन छात्रावास की ओर गया और वहां तोड़ फोड़ प्रारम्भ कर दी। हरिजन छात्र उक्त छात्र दल को आता देखकर छात्रावास छोड़कर भाग गए। प्रदर्शनकारी छात्रों ने हरिजन छात्रों के फर्नीचर को तोड़ा किताबों व अन्य सामग्रियों को नुकसान पहुंचाया तथा दो दरियों और पांच रजाईयों को जला दिया। इसी बीच अधिकारियों को आता देखकर उपद्रवी छात्र भाग गए। जिलाधिकारी निवास से लौटने वाला छात्रों का दूसरा दल डाक्टर अम्बेदकर छात्रावास की तरफ गया। उक्त दल को आता देखकर हरिजन छात्र भाग खड़े हुए। एक हरिजन छात्र पकड़ में आ गया जिसे हाकी तथा हाथ पैर से चोट पहुंचाई गई। परन्तु उसे कोई गंभीर चोट नहीं आई। इस छात्रावास में रह रहे सभी 13 हरिजन छात्रों का सामान तितर बितर किया गया, फर्नीचर तोड़ा गया तथा किताबों आदि को निकट तालाब में फेंक दिया गया। यह सब काम तेजी से करने के बाद उपद्रवीदल अधिकारियों के पहुंचने से पहले ही भाग गया। जिलाधिकारी निवास से लौटने वाला तीसरा दल जगजीवन राम छात्रावास पहुंचा जिसमें कुल 14 हरिजन तथा 9 अन्य जातियों के छात्र निवास करते हैं। उक्त दल को आता देखकर हरिजन छात्र ऊपर की मंजिल पर चढ़ गए। उपद्रवीछात्रों ने नीचे से ढेले बाजी की तथा किसी प्रकार ऊपर पहुंचने में भी सफल हो गए और 5 हरिजन छात्रों को मारा पीटा जिसमें दो को सिर पर चोटें आयी किन्तु घाव गंभीर नहीं हैं। यहां पर भी हरिजन छात्रों का सामान तोड़ फोड़ कर नुकसान पहुंचाया गया और उनका बिस्तर एवं कपड़ों को जलाया गया। किन्तु उसी समय स्थानीय अधिकारियों के पहुंच जाने से उपद्रवी छात्र भाग निकले।

3—इन तीनों छात्रावासों में उपर्युक्त घटना लगभग एक ही साथ घटी। इस कार्य में समय का जो थोड़ा बहुत अन्तर पड़ा वह इसलिये कि चन्द्र लोक हरिजन छात्रावास तितर-बितर होने वाले स्थान से अपेक्षाकृत समीप था। इसलिये वहां घटना कुछ पहले घटी थी। चूंकि डा0 अम्बेदकर छात्रावास तथा जगजीवन राम छात्रावास अपेक्षाकृत दूर थे इसलिए यहां घटना उसके थोड़ी देर बाद हुई।

4—उक्त घटनाओं के फलस्वरूप तत्काल सभी हरिजन छात्रावासों एवं बस्तियों में सुरक्षात्मक व्यवस्था कर दी गई। उपरोक्त तीनों हरिजन छात्रावासों में घटित घटनाओं के संबंध में थाना कोतवाली, दवरिया पर दिनांक 16-2-78 को तीन अभियोग अपराध संख्या

83, 84 तथा 85 क्रमश: अन्तर्गत धारा 395/436 भारतीय दण्ड विधान धारा 147, 323, 427, 436 तथा 504 भा0 द0 वि0 और धारा 395/397 तथा 436 भा0 द0 वि0 कायम किए गए जिसमें क्रमश: 6, 6 तथा 5 कुल मिलाकर 17 उपद्रवी छात्रों के विरुद्ध नामजद रिपोर्ट लिखाई गई। प्राप्त सूचना के अनुसार 12 छात्र गिरफ्तार किए गए जिनमें से 10 को जमानत पर छोड़ दिया गया। उक्त उपद्रव से प्रभावित 45 छात्रों को 4,200 रु0 की धनराशि की आर्थिक सहायता प्रदान की गई और पूरे नगर में धारा 144 लागू कर दी गई।

5—दिनांक 18–2–78 को देवरिया नगर में छात्रों ने विभिन्न स्थानों पर रेलवे ट्रेनों को रोकने, रोडवेज की बसों में तोड़ फोड़ करने तथा धारा 144 का उल्लंघन करने का प्रयास किया और इस संबंध में 41 उपद्रवी छात्र उक्त तिथि को गिरफ्तार किए गए। दिनांक 19–2–78 को 11 बजे रात में रोडवेज बस स्टेशन देवरिया पर एक बस को जलाने का प्रयास किया गया किन्तु सफलता नहीं मिली। बनकटा रेलवे स्टेशन पर छात्रों द्वारा एक माल गाड़ी रोकी गई। पुलिस के हस्तक्षेप से कोई अप्रिय घटना नहीं घटी। दिनांक 20–2–78 को लगभग 500 छात्रों के एक जुलूस ने अनुसूचित जाति के एक प्राइवेट आयुर्वेदिक डाक्टर के दवाखाने में घुसकर तोड़फोड़ की तथा फर्नीचर एवं दवा को नुकसान पहुंचाया। मार्ग में डाक्टर अम्बेदकर प्राइमरी पाठशाला के अध्यापक को थप्पड़ मारकर चोट पहुंचाई तथा पाठशाले में पहुंचकर उसके दो झोपड़ों को जला दिया और कुछ फर्नीचर को तोड़कर क्षति पहुंचाई। इस घटना के सम्बन्ध में थाना तरकुलवा में धारा 147/452/427 तथा 188 भा0द0 वि0 के अन्तर्गत दो मुकदमें अपराध संख्या 21 तथा 22 पंजीकृत किए गए तथा नामांकित 7 उपद्रवकारियों में 5 की गिरफ्तारी की जा चुकी है। दिनांक 20-2–78 को ही लगभग 500 छात्र पडरौना बस स्टेशन पर एकत्र हुए। छात्रों की उत्तेजित भीड़ ने एक बस में आग लगाकर आंशिक रूप से क्षति पहुंचाई। इसके अतिरिक्त 3 अन्य बसों के शीशे भी तोड़ दिए गए। इस घटना के संबंध में थाना पडरौना में धारा 147/148/435/427 तथा 188 भा0 द0 वि0 के अन्तर्गत एक मुकदमा अपराध संख्या 49 पंजीकृत किया गया। अभी किसी की गिरफ्तारी संभव नहीं हो सकी है।

6—उपर्युक्त घटनाओं के बाद फिर कोई एतद् संबंधी घटना घटित नहीं हुई है, तथा स्थिति नियंत्रण में है। इन घटनाओं के सम्बन्ध में कुल आठ अपराध पंजीकृत हो चुके हैं जिनमें नियमानुसार कार्यवाही हो रही है। इस सम्बन्ध में एक सूचना और दे देना चाहता हूं कि जो क्षति हुई उन लोगों की इस सिलसिले में पहले कुछ सहायता दी गयी थी। फिर हमने 25 हजार रुपये की व्यवस्था की थी। 10 हजार रुपये पहले पहुंच चुके हैं और 15 हजार और भेजे जा रहे हैं।

श्री हरिकेवल प्रसाद (जिला देवरिया)—

मान्यवर, जो रिपोर्ट माननीय मुख्य मंत्री जी ने सदन के समक्ष प्रस्तुत की है मैं ऐसा महसूस करता हूं कि इसमें बहुत सी चीजों को छिपाने का प्रयास नीचे से किया गया है। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री से जानना चाहता हूं कि 15 फरवरी को जो जुलूस हरिजनों का निकला और जब वह जुलूस शांतिपूर्ण तरीके से नारा लगाता हुआ अपना ज्ञापन देकर वापस लौट रहा था तो ठीक उसी समय कचेहरी में दो वकीलों ने "ब्राह्मणवाद का नाश हो" के नारे लगाये और मारपीट हुई और यहां तक कि एक पक्ष ने कुर्सी चलाई और दूसरे पक्ष ने टेबुल चलाई। ठीक उसी समय इस तरह की चेतावनी दी गई कि कल हम एक-एक हरिजन को देखेंगे। तो इस सिलसिले में कौन सी कार्यवाही की गई? जो रिपोर्ट मुख्य मंत्री ने दी है उसमें 15 तारीख की घटना का जिक्र नहीं है।

श्री राम नरेश यादव---

मान्यवर, जुलस जब वहां पर गया और पत्रक वगैरह दिया गया तो उस समय उस जुलूस में लगे हुये नारे और जुलूस को लेकर वादविवाद अवश्य हुआ लेकिन वह स्थिति ऐसी नहीं थी और कोई इस तरह की सूचना नहीं है जिससे वहां पर कोई कार्यवाही करने की आवश्यकता प्रतीत होती । गरमा–गरमी हो गई, इस तरह की सूचना है ।

श्री हरिकेवल प्रसाद—

माननीय मंत्री जी का कहना है कि गरमा-गरमी हुई और हमारा कहना है कि मारपीट हुई . . .

श्री अध्यक्ष---

यह सूचना आप सरकार से प्राप्त कर सकते हैं । यह कोई वाद–विवाद का अवसर नहीं है कि आपका कहना क्या है और उनका कहना क्या है । अगर आप प्रश्न पूछेंगे तो मैं अनुमति दूंगा । जिसकी इत्तला मुख्य मंत्री को होगी वह आपको बतायेंगे ।

श्री हरिकेवल प्रसाद---

मै माननीय मुख्य मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि 9 बजे इस रिपोर्ट के अनुसार जुलूस सन्त विनोवा डिग्री कालेज से जिलाधिकारी के बंगले मैं पहुंच जाता है और मुतवातिर जैसे कि कहा जाता है वह जुलूस 3 हिस्सों में बंट गया । मैं जानना चाहता हूं कि यह जो रिपोर्ट है जिसमें कहा गया है कि वह एक साथ चन्द्रलोक छात्रावास, अम्बेदकर छात्रावास और जगजीवनराम छात्रावास पर गया, इसके अनुसार मैं जानकारी चाहता हूं कि यह जुलूस एक ही साथ चला, पहले चन्द्रलोक हास्टल में गया, वहां लूट मार की, अल्मारियों को तोड़ा फिर अम्बेदकर छात्रावास में गया और वहां भी लूट मार कर, वह जुलूस जगजीवन राम हास्टल पहुंचा और लड़कों को मारा पीटा और दूकानों की लूटता हुआ आगे चलता रहा . . . .

श्री अध्यक्ष---

आप पुनरावृत्ति कर रहे हैं ।

श्री हरिकेवल प्रसाद---

फिर भी वहां पर पुलिस नहीं आई । क्या यह सत्य है कि एक ही साथ जुलूस तीनों जगहों पर गया अथवा अलग–अलग हिस्सों में गया ?

श्री अध्यक्ष---

मुख्य मंत्री जी केवल प्रश्न यह है कि ज्ञापन देने के बाद जुलूस तीन हिस्सों में बंटा अथवा एक ही साथ तीनों होस्टलों में गया और लूटमार की ?

श्री राम नरेश यादव---

मान्यवर, मैंने बता दिया है कि ज्ञापन देने के बाद कुछ लोग जुलूस में से इधर-उधर चले गये और तीनों होस्टलों में चले गये । यही सूचना है ।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया)—

क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह जो नियम 51 के अन्तर्गत प्रस्ताव आया है . . . .

श्री अध्यक्ष—

इस सब की अवश्यकता नहीं है, आप प्रश्न पूछें ।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक---

जहां तक मेरी ज नकारी हुई है यह जुलूस जब निकला क्योंकि कुछ हरिजन बन्धुओं को गुमराह किया गया यह निर्विवाद सत्य है उन्होंने ब्राह्मणवाद का नाश हो, गंगा में थूक दो, गीता को जला दो इस प्रकार के नारे लगाये और दूसरा पक्ष अपने धैर्य और सहिष्णुता को नहीं बनाये रख सका और उसकी प्रतिक्रिया के फलस्वरूप यह घटना हुई। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि संत विनोबाभावे कालेज में जो तीन वर्षों से अराजक तत्व सक्रिय थे जिसके कारण वहां पर प्रशासक नियुक्त किया गया है इन सारी घटनाओं के पीछे उनका हाथ था। इसको समाप्त करने के लिये वह क्या कदम उठा रहे हैं क्या उनको इस बात की जानकारी भी है या नहीं ?

श्री अध्यक्ष---

यह केवल 15 फरवरी की घटना के बारे में है। अगर मुख्य मंत्री जी के पास ऐसी कोई सूचना हो तो वह बता सकते हैं।

श्री राम नरेश यादव---

वास्तविकता तो यह है कि जिस घटना के संबंध में यह प्रश्न है....

श्री अध्यक्ष---

इसी लिए मैंने इसकी अनुमति नहीं दी।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक---

इस सारी घटना के पीछे संत विनोबा डिग्री कालेज के उन तत्वों का हाथ है जिनके कारण वहां पर प्रशासक की नियुक्ति हुई है ....

श्री अध्यक्ष---

यह आप सूचना दे रहे हैं।

श्री श्रीनारायण (जिला देवरिया)---

माननीय अध्यक्ष जी 16 तारीख को यह घटना घटित हुई और जुलूस कोतवाली के रास्ते गया। जिलाधिकारी और कोतवाली के बीच 100 गज का फासला है। हरिजन छात्रावास चन्द्रलोक में जो है वह उससे 50 गज दूरी पर है और उससे एक किलोमीटर दूर अम्बेदकर छात्रावास है। जब जुलूस कोतवाली से निकला और हरिजन छात्रावास को फूंक दिया इसका न पुलिस ने ख्याल किया और न जिला अधिकारी ने ख्याल किया जब कि एक हजार लोगों का जुलूस था...

श्री अध्यक्ष---

आप प्रश्न पूछें।

श्री श्रीनारायण---

मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से जानना चहता हूं कि तीन छात्रावासों में 60 हरिजन छात्र रहते हैं और 9 पिछड़ी जाति के छात्र रहते ह कुल मिला कर 69 छात्र हैं जब कि 42 छात्रों को मदद दी गई है और वह भी 42 सौ रुपये की।

श्री अध्यक्ष---

आपने कोई प्रश्न तो पूछा नहीं।

श्री श्रीनारायण---

कुल कितनी संपत्ति जलाई गई और केवल 42 सौ रुपये दिया गया।

श्री अध्यक्ष—

इसका उत्तर उन्होंने दे दिया है ।

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—

क्या माननीय मुख्य मंत्री जी इस बात को देखते हुए कि यह कोई दलगत प्रश्न नहीं है और छुआछूत से लड़ना समाज का परम कर्त्तव्य है । समाज में सद्भावना बनाने और प्रदेश में वर्णव्यवस्था से छुटकारा मिले इसके लिये छात्रों में सद्भावना कायम करने के लिये अध्यापकों की सहायता लेकर और मैनेजमेंट से सहायता लेकर कोई विशेष अभियान चलाने का वह विचार कर रहे हैं ?

श्री राम नरेश यादव—

मान्यवर, वास्तव में तिवारी जी का प्रश्न इससे सम्बन्धित नहीं है, फिर भी मैं इस बात को स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जहां तक सद्भाव पूर्ण वातावरण बनाने की बात है-चाहे छात्रों के सम्बन्ध में हो दूसरे किसी वर्ग के सम्बन्ध में हो, हमने यह घोषणा की है कि छात्रों में जो असन्तोष व्याप्त है, जो असन्तोष और अशान्ति दिखाई देती है, उस पर विचार करने के लिये वाइस चांसलर्स, राजनैतिक लोगों के प्रतिनिधिगण और पब्लिक के प्रतिनिधियों की एक बैठक बुलाई जाए और इस समस्या का हल सुझायें कि इस समस्या का समाधान कैसे किया जाए ।

(व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र चतुर्वेदी (जिला देवरिया)—

जो यह जुलूस निकला, क्या उनके पहले इस जुलूस को निकालने के लिये लोगों ने अनुमति मांगी थी ? और क्या शासन को यह जानकारी है कि जो जुलूस निकलेगा उसमें ये नारे लगाए जायेंगे कि ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद, गंगा में मूत दो, रामायण पर थूक दो आदि ? यदि हां, तो इस स्थिति को जानते हुए जुलूस निकालने की जो अनुमति दी गई तो उसमें कुछ लोगों की गिरफ्तारी की गई या नहीं ? और जब इसकी प्रतिक्रिया स्वरूप छात्रों या दूसरे लोगों ने जुलूस निकाला तो मौक पर अधिकारियों ने किसी को गिरफ्तार किया या नहीं ? मैं वहां पर उस दिन उपस्थित था, मेरा निश्चित मत है कि प्रशासन की उदासीनता के कारण यह घटना घटी है, तो इस संबंध में जानकारी थी या नहीं ?

श्री राम नरेश यादव—

जहां तक जानकारी है, उस समय कोई धारा 144 नहीं लगी थी, न तो पहले कोई ऐसी सूचना अधिकारियों को दी गई कि जुलूस इस तरह का निकाला जाएगा, तत्काल उसी दिन जुलूस निकाला गया, ए0 डी0 एम0 को पत्रक दिया गया, क्योंकि डी0 एम0 उस दिन मौजूद नहीं थे, बाद में वहां पर सभा की गई ।

श्री राम अधार (जिला आजमगढ़)—

मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि जब दिनांक 15–2–78 को वहां पर तनाव हो गया हरिजन छात्रों के जुलूस के बाद तो उसके बाद 16–2–78 को सन्त बिनोवा भावे कालेज के छात्रों का प्रदर्शन होता है, तो 15–2–78 को जानकारी हो गई कि हरिजनों का जुलूस निकल रहा है तो सन्त विनोवा भावे के छात्रों का जो जुलूस निकला, उसके साथ पुलिस की व्यवस्था क्यों नहीं की गई ?

श्री राम नरेश यादव—

उस जुलूस के साथ एक सब-इंस्पेक्टर और कुछ कांस्टेबुल्स थे, जो जुलूस के साथ चलते रहे ।

श्री राम नरेश पाण्डेय (जिला देवरिया)—

मान्यवर, 15 तारीख को जो जुलूस निकला, उस जुलूस के संबंध में इस में लिखा है कि 3 सौ से 4 सौ आदमियों का जुलूस था, जिसमें अधिकांशत: अनुसूचित जाति, जनजाति

और अन्य जातियों के लोग थे, तो क्या इस बात की भी जानकारी कराई गई उसमें पोलिटिकल मीटीवेटेड लोग भी थे ? और जो गिरफ्तारी हुई, उसमें विरोधी पार्टियों के कुछ लोगों के भी पकड़े जाने की बात है ? अब उसमें क्या जांच हो रही है ?

श्री राम नरेश यादव—

मान्यवर, यह तो प्रक्रिया स्वरूप चल रहा था। जहां तक गिरफ्तारी का सवाल है जो रिपोट लाज करायी गयी, उसके आधार पर गिरफ्तारियां हो रही हैं।

श्री अध्यक्ष—

जो गिरफ्तारियां की गयीं उनमें क्या कोई राजनीतिक दल के छात्र हैं, ऐसी कोई सूचना मिली है ?

श्री राम नरेश यादव—

मान्यवर, मैंने कहा कि जो एफ0 आई0 आर0 लाज हुई है उसमें कहीं पर इस तरह की बात नहीं दिखायी पड़ती जिससे हम यह जान सकें कि किसी दल विशेष का सम्बन्ध रहा हो।

श्री मोती राम (जिला कानपुर)—

घटना 16 फरवरी, 1978 की बतायी जाती है। 15 फरवरी को वातावरण गरम हो गया था। 16 फरवरी को जब यह जुलूस जगजीवन राम और हरिजन विरोधी नारे लगा रहा था और उसका आचरण एकाएक साम्प्रदायिक हो गया था, उस समय जिला प्रशासन ने कोई प्रिवेन्टिव ऐक्शन लिया ? अगर नहीं लिया, तो क्यों नहीं लिया ? यह जुलूस कलेक्टर के बंगले पर और कचहरी पर प्रदर्शन करने के बाद 1,000 का 3 हिस्सों में बट गया और जो कदमे बताये गये हैं वह 5–5 और 6–6 आदमियों पर चलाये गये बताये गये हैं ? 3 छात्रावासों पर अलग–अलग हमला किया गया। उन सभी को क्यों नहीं अभियुक्त बनाया गया ?

श्री राम नरेश यादव—

मान्यवर, जो जुलूस चल रहा था वह डी0 एम0 को पत्रक देना चाहता था जब डी0 एम0 बंगले पर नहीं मिले तो ए0 डी0 एम0 का पत्रक दिया गया और वहां से जुलूस के बिखरने की बात थी इसीलिए कोई पुलिस अधिकारी नहीं था।

श्री मोती राम—

मान्यवर, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया।

श्री अध्यक्ष—

उत्तर कोई मुंह में नहीं रख सकता। जाहिर है कि कोई प्रिवेन्टिव नहीं दिया गया। आप अदालत की तरह क्रास-एक्जामिनेशन कर रहे हैं जो यहां पर नहीं किया जा सकता है।

श्रीमती रामरति देवी (जिला फैजाबाद)—

इस घटना के बाद जो 45 हजार रुपये छात्रों को दिये गए हैं वह किस कोष से दिया गया है ?

श्री राम नरेश यादव—

यह जो पैसा दिया गया वह सरकार का है। इतने से मुझे सन्तोष नहीं हुआ तो 10 हजार और 15 हजार की धनराशि दी।

श्री त्रिलोक चन्द्र (जिला बुलन्दशहर)—

15 तारीख को घटना घटित हुई उसके बाद 16 तारीख को हुई। तो मैं यह जानना चाहता हूं कि जिला प्रशासन का क्या कर्त्तव्य था और वह क्या करता रहा। उन्होंने कोई ऐक्शन लिया ? यदि नहीं लिया तो उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की जायेगी, क्या सी0 आई0 डी0 से जांच करायेंगे ?

श्री राम नरेश यादव---

उसमें प्रशासन की कोई आशंका नहीं थी कि जुलूस वाले किसी दूसरी जगह जाकर इस प्रकार का कार्य कर सकेंगे । जिनके नाम सूचनापत्र में अंकित किए गए हैं, उन सब के खिलाफ कार्यवाही हो गयी है, वे गिरफ्तार हुए हैं और जेल में गये हैं ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (जिला गोरखपुर)---

मान्यवर, 15 तारीख को जुलूस निकाला गया उसके बाद उसकी प्रतिक्रिया 16 तारीख को हुई । 15 व 16 तारीख को कांग्रेस (आई) के एक भूतपूर्व विधायक के घर पर उच्च जाति के हिन्दुओं की एक मीटिंग हुई और उसमें योजना बनाई गयी . . .

श्री अध्यक्ष---

आप प्रश्न पूछिए ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा---

क्या माननीय मुख्य मंत्री जी मेरी सूचना को सही मानकर जो कुछ भी देवरिया में हुआ वह कांग्रेस (आई) के विधायक के नेतृत्व में हुआ ? क्या माननीय मुख्य मंत्री जी इसकी जांच नये सिरे से मैजिस्टीरियल स्तर पर कराने का सदन को आश्वासन देंगे ?

श्री राम नरेश यादव---

मैंने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि जो रिपोर्ट्स लाज हुई हैं, जहां पर भी नुकसान हुआ है, उनके कथन के आधार पर ही कार्यवाही हो रही है ।

श्री अध्यक्ष---

सदन का समय 10 मिनट के लिये बढ़ाया जाता है ।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)---

मान्यवर, बयान से ऐसा आभास होता है कि कशमकश 15 तारीख से शुरू हो गयी । तो मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जब 15 से लेकर 16 तारीख तक कशमकश हुई और कचेहरी पर तकरीर वगैरह भी हुई, जलसे हुए तो आपकी एल० आई० यू०, सी० आई० डी० और सिविल पुलिस क्या करती रही ? क्या उनकी तरफ स कोई सूचना शासन को मिली और अगर मिली तो सरकार की ओर से क्या प्रिवेन्टिव ऐक्शन लिया गया ?

श्री राम नरेश यादव---

जो बातें मैंने बताई है वे प्रशासनिक सूचनायें थीं, उनके आधार पर ही थीं जिनमें एल० आई० यू० आदि सम्मिलित थे ।

(श्री गौरी शंकर एडवोकेट के खड़े होने और प्रश्न पूछने के प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष---

अगर आप चीत्कार करेंगे तो मैं आपको अवसर नहीं दूंगा । आप इटावा में रहते हैं । मैं इस तरह से आपको अवसर नही दूंगा ?

श्री गौरी शंकर एडवोकेट (जिला इटावा)---

मान्यवर, आपका ध्यान लाल पीली टोपी की ही ओर जाता है ।

श्री अध्यक्ष---

आप कृपया बैठ जाइयें । आप शांति बनाये रखिये ।

श्री शम्भूनाथ (जिला जौनपुर)--

मान्यवर, इस तरह की घटना जो सामाजिक परम्परा पर आधारित है, जिन शब्दों में इसकी निन्दा की जाय वही कम है। मैं यह जानना चाहता हूं कि आपके बयान के पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि यह रिपोर्ट बहुत तसल्लीबख्श नहीं है। मुख्यमंत्री जी ने यह भी ऐलान किया था कि इस तरह की घटना अगर हरिजनों के साथ होगी तो वे जिलाधिकारी को उसके लिये जिम्मेदार ठहरायेंगे। 15 तारीख से 20 तारीख तक यह घटना चलती है, ऐसी हालत में वहां के उच्च अधिकारियों की जो कार्यक्षमता है, वह डाउटफुल कास्ट बेस्ड है, जिसकी वजह से....

श्री अध्यक्ष--

शम्भूनाथ जी, आप प्रश्न करें।

श्री शम्भूनाथ--

मैं मुख्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि प्रधान मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री जी तक ने ऐलान किया है कि इस तरह की.....

श्री अध्यक्ष--

मैं इस तरह के भाषण की अनुमति नहीं दूंगा। आप बैठिये। आप कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री शम्भूनाथ--

अब नहीं बोलूंगा' सवाल पूछूंगा कि क्या उन अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्यवाही अब तक की गयी है? दूसरे, शासन की तरफ से क्या उच्च अधिकारियों की कोई टीम वहां गयी जो डी0 आई0 जी0 हरिजन सेल है, क्या मौके पर जाकर जांच किये? उसने रिपोर्ट की और क्या इस तरह की घटना शर्मनाक, आयंदा न हो और इसके तथ्य सामने आये इस प्रकार कोई जांच करने के लिये कोई एजेन्सी या अधिकारियों की या जुडीशियल या हाउस की कमेटी बनायेंगे?

श्री अध्यक्ष--

देखिये, एक प्रश्न की मैं इजाजत दे रहा हूं कि अधिकारी जिन्होंने असावधानी बरती, जिन्होंने उपेक्षा की 15 की घटना के बावजूद, क्या उनका उत्तरदायित्व है? और यदि है, तो उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी?

श्री राम नरेश यादव--

मान्यवर, यह निश्चित है कि जहां कहीं भी अधिकारियों की असावधानी पायी जायगी उनके खिलाफ कार्यवाही होगी, लेकिन अभी कहीं पर असावधानी नहीं पायी गयी है, इसलिये कोई कार्यवाही करने की जरूरत नहीं है।

डाक्टर अश्वनी कुमार चतुर्वेदी 'राकेश' (जिला कानपुर)--

मान्यवर, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि न केवल देवरिया वरन् सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में हरिजनों पर जगह-जगह अत्याचार हो रहे हैं...

श्री अध्यक्ष--

राकेश जी, आप रुकिये। आप प्रश्न तक सीमित रहिये और वह भी सिर्फ देवरिया तक।

डाक्टर अश्वनी कुमार चतुर्वेदी "राकेश"--

मेरा प्रश्न यह है कि क्या माननीय मुख्य मंत्री जी इस प्रकार की घटनाओं को देखते हुए और अपनी असफलताओं को दृष्टि में रखते हुए किसी हरिजन को भी मंत्री बनाने का विचार कर रहें हैं ?

श्री अध्यक्ष--

यह आक्षेप है, मैं अनुमति नहीं देता ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा (जिला आगरा)--

अध्यक्ष जी, जैसा माननीय मुख्य मंत्री जी के उत्तर से स्पष्ट है कि घटना की जानकारी, उत्तेजना की जानकारी पहले से थी, तो मैं उनसे जानना चाहूंगा कि हरिजन छात्रावास पर सुरक्षा त्मक कार्यवाही की व्यवस्था क्यों नहीं की गयी और जिन अधिकारियों ने हरिजन छात्रावास पर सुरक्षात्मक कार्यवाही का प्रबन्ध नहीं किया, तो प्रश्न यह है कि उनके विरुद्ध कडी कार्यवाही करेंगा जिससे इस प्रकार की घटनाएं घटित न हों ?

श्री अध्यक्ष--

आपने शम्भूनाथ जी के प्रश्न को दोहराया है । मुख्य मंत्री जी उत्तर दे चुके कि उसके आधार पर जो सूचना थी, कार्यवाही की गयी है ।

श्री विक्रमा राय (जिला आजमगढ़)--

जो देवरिया की घटना को लेकर विषाक्त वातावरण फैल रहा है, मैं जानना चाहता हूं कि जिन लोगों के खिलाफ एफ 0 आई 0 आर 0 दर्ज करायी गयी है, क्या इस बात की मुख्य मंत्री जी जांच करायेंगे कि उनका संबंध किसी राजनीतिक दल के लोगों से है ? यह प्रश्न इसलिये कर रहा हूं कि इस तरह से राजनीतिक मोटिवेशन के आधार पर कुछ दल इस प्रदेश के अन्दर इस प्रकार की साजिश करके इस भावना को उभार रहे है । इसलिये क्या मुख्यमंत्री जी जांच करा कर उन व्यक्तियों के बारे में सदन को बतायेंगे ताकि स्थिति साफ हो सके ?

श्री अध्यक्ष--

सिर्फ इतने प्रश्न का उत्तर दीजिये . . . .

(श्री मुकीमुर्रहमान के खड़े होकर कुछ बोलने पर)

आप बैठिए । आप सिर्फ इतने प्रश्न का उत्तर दीजिये कि जिन व्यक्तियों के खिलाफ एफ 0 आई 0 आर 0 दर्ज है क्या उनका राजनीतिक लोगों से सन्बम्ध है, इसकी कोई सूचना आपको है ?

श्री राम नरेश यादव--

मान्यवर, अभी तक इस संबंध में कोई जांच नहीं हुई है, लेकिन यदि सदन इस बात की जानकारी चाहता है तो हम अवश्य इस बात का पता लगायेंगे कि उन अभियुक्तों का किस दल से संबंध है ।

श्री गुलाब सेहरा (जिला आगरा)--

इस घटना की जांच के लिये जो एक कमेटी संसद सदस्यों की देवरिया गयी थी, क्या उसने कोई रिपोर्ट अपनी शासन को दी है ?

श्री राम नरेश यादव---

मान्यवर, संसद सदस्यों की कोई रिपोर्ट हमारे पास नहीं है ।

श्री नेम सिंह चौहान (जिल अलीगढ़)---

पिछले दिन वक्तव्य में यह बात आयी थी उसमें कांग्रेस (आई) के लोगों का हाथ था, क्या यह बात सही है ?

श्री अध्यक्ष---

इसका उत्तर वे दे चुके हैं ।

अब हम उठते हैं, कल फिर 11 बजे फिर मिलेंगे ।

(इसके बाद सदन 5 बजकर 10 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिए स्थगित हो गया ।)

सत्य प्रिय सिंह,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ:
28 मार्च, 1978 ।

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

नत्थी 'क'

(देखिये अल्प सूचित तारांकित प्रश्न 3 का उत्तर पीछे पृष्ठ 581 पर)

परिशिष्ट—क

प्रदेश में अनुसूचित जातियां

1—अगरिया, 2—बधिक, 3—बादी, 4—बहेलिया, 5—बैगा, 6—बैसवार, 7—बजनिया, 8—बाजगी, 9—बलहर, 10—बलई, 11—बाल्मीकि, 12—बंगाली, 13—बनमानुष, 14—बांसफोर, 15—बरवार, 16—बसोड़, 17—बावरिया, 18—बेलदार, 19—बेड़िया, 20—भांतू, 21—भुईया, 22—भुईयार, 23—बोरिया, 24—चमार, धूसिया, इसिया, जाटव, 25—चीरो, 26—दवगर, 27—धनगर, 28—धानुक, 29—घरकार, 30—धोबी, 31—डोम, 32—डोमर, 33—दुसाध, 34—घरामी 35—घसिया 36—गोंड, 37—ग्वाल, 38—हबूड़ा, 39—हरी, 40—हेला, 41—कलावाज, 42—कंजड़, 43—कपड़िया, 44—करवल, 45—खरैता, 46—खरवार (बनवासी को छोड़कर), 47—खटीक, 48—खोरोट, 49—कोल, 50—कोरी, 51—कोरवा, 52—लालबेगी, 53—मझवार, 54—मजदवी, 55—मुसहर, 56—नट, 57—पंखा, 58—परहिया, 59—पासी, तरमाली 60—पतरी, 61—रावत 62—सहरिया, 63—एनौहिया 64—सासिया, 65—शिल्पकार, 66—तुरैहा ।

परिशिष्ट—ख

प्रदेश में अनुसूचित जनजातियां

1—भोटिया, 2—भोक्सा, 3—जौनसारी 4—राजी, 5—थारू ।

परिशिष्ट—ग

उत्तर प्रदेश में पिछड़ी जातियां

हिन्दू

1—अहीर, 2—अरख, 3—बंजारा, 4—बढ़ई, 5—बारी, 6—बैरागी, 7—भर, 8—भोटिया, 9—भुर्जी या भड़भूजा, 10—बिन्द 11—छीपी, 12—दर्जी, 13—धीवर, 14—गड़ेरिया, 15—गोसाई, 16—गूजर, 17—हलवाई, 18—जोगी, 19—काछी, 20—कहार, 21—केवट या मल्लाह, 22—किसान, 23—कोइरी, 24—कुम्हार, 25—कुर्मी, 26—लोध, 27—लोनिया, 28—माली, 29—लोहार, 30—मनिहार, 31—मुराव या मुराई, 32—नाई, 33—नायक, 34—सोनार, 35—तमोली, 36—तेली ।

मुस्लिम

1—भठियारा, 2—बढ़ई, 3—चिकवा (कस्साब), 4—दर्जी, 5—डफाली, 6—फकीर, 7—गद्दी, 8—हज्जाम (नाई), 9—धोबी, 10—कसगर, 11—कुंजड़ा, 12—किसान, 13—मनिहार, 14—मिरासी, 15—मोमिन (अंसार), 16—मुस्लिम कायस्थ, 17—नद्दाफ (धुनिया), 18—नक्काल, 19—नट, 20—रंगरेज, 21—स्वीपर ।

नोट:—कुमायूं डिवीजन में मारछा, नायक, गिरि और पिछड़े मुसलमान भी पिछड़ी जातियों में ही माने जायेंगे ।

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या 1 का उत्तर पीछे पृष्ठ 596 पर)

घटना के तथ्य

घटना से कुछ समय पूर्व कुछ व्यक्तियों ने प्रगतिशील युवा संगठन नामक दल बनाकर कतिपय मांगों को लेकर आन्दोलन प्रारम्भ किया तथा दिनांक 3-10-77 से तहसील मुख्यालय के समक्ष क्रमिक अनशन और दिनांक 25-10-77 से आमरण अनशन शुरू कर दिया। दिनांक 26-10-77 को कुछ आन्दोलनकारियों ने सीतापुर-मैलानी डीजल ट्रेन को पीलीभीत तक चलाये जाने की मांग को लेकर 52 डाउन लखनऊ-बरेली पैसेजर ट्रेन को पूरनपुर स्टेशन पर 45 मिनट तक अनधिकृत रूप से रोका। अतः स्थिति को नियंत्रित करने हेतु पूरनपुर में धारा 144 लागू कर दी गयी।

दिनांक 30-10-77 को तहसील के सामने एक जुलूस एवं सभा का आयोजन प्रशासन की अनुमति के बिना किया गया जिसमें प्रदर्शनकारियों द्वारा उत्तेजनात्मक भाषण दिये गये अतः आपत्तिजनक भाषण देने, भीड़ को हिन्सा के लिये प्रेरित करने तथा धारा 144 का उल्लंघन करने के लिये 8 व्यक्तियों को हिरासत में लेकर थाने में बन्द कर दिया गया। फलस्वरूप भीड़ ने थाने पर हमला कर दिया, फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को आग लगा दी और बन्दियों को छुड़ा ले गये। थाने पर पथराव किया जिससे 43 पुलिस कर्मचारी, एक पुलिस उप अधीक्षक तथा एक मजिस्ट्रेट को चोटें आईं। इसी घटना क्रम के दौरान उग्र भीड़ ने थाना स्थित हेड मोहर्रिर श्री अख्तर अली के आवास पर हमला कर दिया और घर के सामान में आग लगा दी तथा तोड़-फोड़ करने के साथ-साथ हेड मोहर्रिर के 4 वर्षीय पुत्र को उठाकर ले जाने लगी। जब अश्रु गैस का प्रभाव विफल रहा तो सरकारी सम्पत्ति तथा जान-माल की सुरक्षा हेतु पुलिस को गोली चलानी पड़ी। इसी क्रम में उग्र एवं हिन्सात्मक भीड़ ने राजकीय कार्य पर जाते हुये उप पुलिस अधीक्षक (क्षेत्राधिकारी) की जीप को घेर कर आग लगाने का प्रयास किया अतः जीप में बैठे पुलिस कर्मचारियों को आत्मरक्षा में क्षेत्राधिकारी के आदेश पर गोली चलानी पड़ी। इस प्रकार सम्पूर्ण घटना के दौरान कुल दो बार गोली चलाई जिसके कारण 2 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई तथा 13 व्यक्तियों को मामूली चोटें आईं। सम्पूर्ण घटना की मजिस्टीरियल जांच की गयी। जांच से किया गया बल प्रयोग उचित पाया गया।

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या 19 का उत्तर पीछे पृष्ठ 602 पर)

उत्तर प्रदेश सचिवालय में विगत पांच वर्ष से अधिक समय से कार्यरत आई० ए० एस० एवं पी० सी० एस० अधिकारियों की सूची ।

क्रम सं०	अधिकारी का नाम	पदनाम/तैनाती की तिथि	सचिवालय में तैनाती की तिथि
1	श्री गिरीश चन्द्र चतुर्वेदी, आई० ए० एस०	आयुक्त एवं सचिव, खाद्य विभाग (3-12-75)	17 फरवरी, 1972
2	श्री बोमन जलेजर खोदायजी, आई० ए० एस०	आयुक्त एवं सचिव, आवास विभाग (25-4-77)	14 सितम्बर, 1970
3	श्री राधे कृष्ण गुप्त, आई० ए० एस०	विशेष सचिव, सहकारिता विभाग, (12-5-77)	21 जुलाई, 1970
4	श्री लाल रावनेश्वर सिंह, पी० सी० एस०	उप सचिव, गृह तथा गोपन विभाग (21-2-76)	7 मार्च, 1972
5	श्री ओम प्रकाश शर्मा, पी० सी० एस०	उप सचिव, आवास विभाग (4-3-77)	1 दिसम्बर, 1972
6	श्री बृजपाल नाथ चतुर्वेदी, पी० सी० एस०	उप सचिव, श्रम विभाग (23-9-72)	23 सितम्बर, 1972
7	श्री सुरेश चन्द्र मिश्रा, पी० सी० एस०	उप सचिव, राजस्व विभाग (3-11-72)	3 नवम्बर, 1972

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या 36 का उत्तर पीछे पृष्ठ 608 पर)

रेजीडेन्ट कमिश्नर तथा अतिरिक्त रेजीडेन्ट कमिश्नर, दिल्ली द्वारा अप्रैल, 1976 से अक्तूबर, 1976 तक प्रयोग की गयी स्टाफ कारों का विवरण

माह	गाड़ी संख्या	तय की गई दूरी (कि0मी0 में)	शासकीय अथवा निजी	पेट्रोल की खपत (लीटर में)	अन्य विवरण			
					रेजीडेन्ट कमिश्नर		एडीशनल रेजीडेन्ट कमिश्नर	
					कुल यात्रा (कि0मी0 में)	कुल पेट्रोल की मात्रा	कुल यात्रा (कि0मी0 में)	कुल पेट्रोल की मात्रा (लीटर में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
अप्रैल 1976	यू0एस0एस-3411	3132	शासकीय	392	3863	483	2892	361
	यू0एस0एस-7374	1478	,,	185				
	यू0एस0एस-9897	541	,,	67				
	यू0टी0टी-5819	407	,,	50				
	डी0एच0बी-8469	1197	,,	150				
		6755		844				
मई, 1976	यू0एस0एस-3411	3088	,,	386	3251	406	735	91
	यू0एस0एस-7374	367	,,	45				
	डी0एच0बी0-8469	205	,,	25				
	यू0टी0टी0 5819	46	,,	6				
	यू0एस0एस-9897	280	,,	35				
		3986		497				

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3	4	5	6	7	8	9
जून, 1976	यू0एस0एस–3411	1399	शासकीय	175	3606	451	2527	315
	यू0एस0एस–9508	33	,,	4				
	यू0एस0एस–7374	1676	,,	210				
	यू0एस0एस–3989	128	,,	16				
	यू0एस0एस–9897	778	,,	97				
	यू0टी0टी0–5819	1002	,,	125				
	डी0एच0बी–8469	1117	,,	139				
		6133		966				
जुलाई, 1976	यू0एस0एस–3411	185	,,	23	991	124	3725	466
	डी0एच0बी–8469	1630	,,	204				
	यू0टी0टी–5819	442	,,	55				
	यू0एस0एस–3989	1710	,,	214				
	यू0एस0एस–9508	749	,,	94				
		4716		590				
अगस्त, 1976	यू0एस0एस–3411	3586	,,	448	930	116	4551	568
	यू0टी0टी–5819	528	,,	66				
	यू0एस0एस–7374	863	,,	108				
	डी0एच0बी–8469	504	,,	62				
		5481		684				

सितम्बर, 1976	यू0टी0टी–5819	145	शासकीय	18	1740	218	3957	49
	यू0एस0एस–7374	1145	"	143				
	यू0एस0एस–9897	118	"	15				
	यू0एस0एस–9508	142	"	18				
	यू0एस0एस–3411	3617	"	452				
	यू0एस0एस–3989	530	"	67				
		5697		713				
अक्तूबर, 1976	यू0एस0एस–7374	224	"	28	3201	400	3550	444
	यू0एस0एस–3411	2477	"	310				
	यू0टी0टी–5819	60	"	8				
	यू0पी0एच–9677	369	"	46				
	यू0एस0एस–9897	240	"	30				
	यू0एस0एस–3889	3240	"	405				
	यू0एस0एस–9508	141	"	17				
		6751		844				

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या 3 का उत्तर पीछे पृष्ठ 609 पर)

सूची

योजना का नाम		वे स्थान जहां पर योजना लागू है
1		2
1—ग्रामीण उद्योग परियोजना	..	1—गाजीपुर, (2) बलिया, (3) इलाहाबाद, (4) देवरिया।
2—औद्योगिक आस्थान		(1) वाराणसी (2) काशी विद्यापीठ (3) भिर्जापुर (4) जौनपुर (5) चुनार (6) गाजीपुर (नन्दगंज) (7) बलिया (रसड़ा) (8) आजमगढ़ (9) देवरिया (10) गोरखपुर (11) देवरिया (सलेमपुर) (12) बस्ती (खलीलाबाद) (13) आजमगढ़ (घोसी) (14) फैजाबाद (बीकापुर) (15) फैजाबाद (16) बहराइच (17) सुल्तानपुर (18) गोंडा (बलरामपुर) (19) प्रतापगढ़
3—औद्योगिक काम्पलेक्स	..	(1) फैजाबाद (होजरी काम्पलेक्स) (2) बस्ती (प्लास्टिक „) (3) वाराणसी (हैन्डलूम काम्पलेक्स) (4) मऊ,
4—पूंजी उपादान	..	बलिया, बस्ती व फैजाबाद
5—विद्युत् उपादान		सभी जनपदों में
6—सम्राह उपादान	..	सभी जनपदों में
7—विकास केन्द्र	..	इलाहाबाद-मौजा-औन्टा, „ करछना एवं गोरखपुर-नौतनवां बस्ती-नौगढ़ देवरिया-बरहज बाजार आजमगढ़-घोसी

1	2
	वाराणसी-रामनगर मिर्जापुर-रावर्ट्सगंज बलिया-बेल्थरारोड जौनपुर-मछलीशहर गाजीपुर-नन्दगंज फैजाबाद-गोसाईगंज गोन्डा---अतरौला, बलरामपुर, तुलसीपुर, पचपेड़वा प्रतापगढ़-कुन्डा सुल्तानपुर-कुन्डबहार बहराइच-नानपारा

सत्यमेव जयते

नत्थी 'च'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या 77 का पीछे पृष्ठ 622 पर)

नकल चिक दस्त नं0 218 मु0 अ0 सं0 256 धारा 457/380 आई0 पी0 सी0 पी0 एम0 किला जिद्दा नैनीताल दि0 घटना 15/16-8-76 समय अज्ञात सूचना दिनांक 16-8-76 समय 9.45 ए0 एम0

नकल तहरीर अंग्रेजी

Govind Ballabh Pant Sugar Factory.

Prop. Kichha Sugar Company Ltd., Regd. Office 25-B, Ashok Marg, Lucknow, P. O. Kichha Distt. Nainital. Ref. no. SO/6989 dated 16 August, 1976.

The Officer Incharge Police Station, Kichha (Nainital)

Dear Sir, We are sorry to report that on the night of 15/16 August, 1976 a big theft of factory stores has taken place from the store of the factory amounting to about Rs. 22,600. A list of the item is attached herewith. Kindly register a case of theft for necessary action Thanking you. Encl As above. Yours faithfully Sd. J. C. Tripathi, Dy. General Manager J. C. Tripathi Dy GM/MB—The final list is under prepared and shall be submitted at the earliest Sd. Unknown.

G. B. Pant Sugar Factory Kichha—List of the material stolen from the Store.

Sl.no.	*Name of the Articles*	*Quantity*	*Amount*
1.	SE Copper wire No. 14 ..	.. 65.310 Kg.	..
2.	SE Copper Wire No. 24 ..	.. 10.545 Kg.	..
3.	Cutting ..	..	
4.	SE Copper Wire No. 23 ..	.. 18.160 Kg.	..
5.	SE Copper Wire No. 22 ..	.. 33.720 Kg.	..
6.	SE Copper Wire No. 20 ..	.. 38.000 Kg.	..
7.	SE Copper Wire No. 17 ..	.. 18.300 Kg.	..
8.	SE Copper Wire No. 21 ..	.. 24.290 Kg.	..
9.	SE Copper Wire No. 18 ..	.. 23.220 Kg.	..
		231.545Kg	14175.18
10.	Proof Sticks of Pan No. 1, 2, 3 (Brass) 3 Nos.		
11.	Funals (Brass) 3 Nos. Old Materials.		
12.	Proof Sticks of Pan No. 4, 5, 3 Brass-3 Nos. 4000—00		
			Approximate
13.	G. M. Tost Cock 3/4"	29 Nos. ..	906.25
14.	Gunny Bags	9 Nos. ..	49.05
15.	G. M. Test Cock 1"	24 Nos. ..	1505.04
16.	G. M. plug cock 3/4"	23 Nos. ..	932.65
17.	High Pressure Steam stop value 3/8"	1 No.	189.27
18.	G. M. test Cock 1/2"	2 Nos. ..	42.28
19.	Brass big cock (old)	2 Nos. Approximate	12.00
20.	G. M. Non return value 3/8"	5 Nos. ..	100.00
21.	Non return value G/M for Mill	4 Nos. ..	437.22
22.	,, ,, for Engine	4 Nos. ..	72.87
23.	Fire fighting Complong GM.	2 Nos. ..	178.20
24	Old pressure Gauge 0.40	1 No. ..	..
			22601. 1

Approximate value 22,600 (Sd). R. K. Singh.

मैं सी0 सी0 247 सी0 पी0 राजेन्द्र सिंह प्रमाणित करता हूं कि नकल तहरीर बाकी शब्द ब शब्द अंकित है। ह0—राजेन्द्र सिंह

नत्थी 'छ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 3 का उत्तर पीछे पृष्ठ 624 पर)

पर्वतीय क्षेत्र में आयोजनागत धनराशि का आवंटन तथा अनुमानित व्यय

(रु0 लाख में)

जिला	1974–75		1975–76		1976–77	
	आवंटित धनराशि	अनुमानित व्यय	आवंटित धनराशि	अनुमानित व्यय	आवंटित धनराशि	अनुमानित व्यय
1	2	3	4	5	6	7
1—नैनीताल ..	419.545	678.207	515.905	508.739	538.465	871.375
2—अल्मोड़ा	215.687	327.751	243.554	319.799	390.656	488.219
3—पिथौरागढ़	167.786	193.274	177.466	220.783	351.224	411.042
4—देहरादून	247.656	325.196	218.926	225.809	388.241	420.897
5—पौड़ी गढ़वाल	209.314	249.435	253.973	377.110	409.541	461.041
6—टेहरी गढ़वाल	166.556	211.885	192.506	240.378	337.323	382.665
7—चमोली	228.011	274.790	237.446	290.011	404.024	456.650
8—उत्तरकाशी	166.658	197.492	170.373	210.389	317.015	336.218
अविभाज्य	279.677	178.452	289.851	274.355	638.881	566.586
पर्वतीय क्षेत्र	2100.890	2636.482	2300.000	2667.873	3775.370	4394.693

उत्तर प्रदेश विधान सभा

परिशिष्ट 'ज'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 4 का उत्तर पीछे पृष्ठ 625 पर)

आपात्स्थिति के दौरान प्रदेश की जेलों में 'मीसा' एस0 आई0 'डी0 आई0 आर0' के अन्तर्गत निरुद्ध ऐसे राजनैतिक बन्दियों की सूची जिनकी हिरासत में मृत्यु हुई

क्रम संख्या	बन्दी का नाम तथा पिता का नाम	जेल जहां निरुद्ध थे	निरुद्ध की प्रकृति	मृत्यु की तिथि
1	2	3	4	5
1	मो0 हिदायत अली पुत्र अली मो0 युसुफ, बाराबंकी	जिला कारागार, लखनऊ	मीसा	23-2-76
2	श्री राम सागर मिश्र पुत्र शिव मंगल मिश्र, लखनऊ	,,	,,	21-9-76
3	श्री मुश्ताक अहमद पुत्र इफ्तिखार अहमद, इलाहाबाद	केन्द्रीय कारागार, नैनी	,,	3-1-76
4	डा0 सत्य व्रत सिन्हा पुत्र रामा नन्द सिन्हा, इलाहाबाद	,,	,,	7-11-76
5	श्री खलील अहमद पुत्र खैरात अली, इलाहाबाद	,,	,,	14/15-2-77
6	श्री बाबू राम मल पुत्र राम बली मल, आजमगढ़	,,	,,	9-12-76
7	श्री राम वृक्ष पुत्र बैठोले, बस्ती	जिला जेल, बस्ती	डिसिर	13-7-76
8	श्री चेतराम पुत्र पोथी राम, बरेली	जिला जेल, बरेली	,,	12-12-75
9	श्री बंशराज पुत्र अलगू, गोण्डा	जिला जेल, गोण्डा	,,	7/6-3-76
10	श्री बौली पुत्र हुल्ली, अलीगढ़	जिला जेल, अलीगढ़	,,	26-12-75
11	श्री विशन लाल मित्तल पुत्र काशीनाथ सहारनपुर	जिला जेल, सहारनपुर	,,	17-7-75
12	डा0 इन्द्रजीत सिंह पुत्र हरिशचन्द्र, बुलन्दशहर	जिला जेल, बुलन्दशहर	,,	31-7-75

1	2	3	4	5
13	श्री राम सुन्दर पुत्र रामराज गोरखपुर	जिला जेल, गोरखपुर	डिसिर	5–1–77
14	श्री बच्चन यादव पुत्र बाल मुकुन्द देवरिया	जिला जेल, देवरिया	डिसिर	12–2–77
15	श्री रघुनाथ पुत्र गैंग सिंह, सीतापुर	जिला जेल, सीतापुर	"	28–1–77
16	श्री नत्थी प्रसाद पुत्र छोटे लाल, बुलन्दशहर	जिला जेल, बुलन्दशहर	"	3–3–76

नत्थी 'ब'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 5 का उत्तर पीछे पृष्ठ 625 पर)

तालिका—क

प्राथमिकता के आधार पर नई सड़कों के निर्माण का विवरण

क्रमांक	मार्ग का नाम	लम्बाई कि0मी0 में	प्रकरण के कारण	1500 या इससे अधिक जन संख्या के ग्राम जो संबंधित होंगे	थाना सं0 जो संबन्धित होंगे	विकास की संख्या जो संबंधित होंगे	खंडों अनुमानित लागत (लाखों में)
1	2	3	4	5	6	7	8
1—खण्डहर से जलालपुर मार्ग ..		36.00	बड़गोह क्षेत्र जिसमें वर्तमान में कोई पक्का मार्ग नहीं है।	6	..	..	54.00
2—फतेहगंज दातागंज, मार्ग ..		12.00	छुटी कड़ी होने के कारण	2	2	2	18.00
3—खुटार-सेरामऊ उत्तर मार्ग का विस्तार सुलतानपुर दुर्जनपुर विल्हरी (पीलीभीत जनपद में)		17.00	बड़ागोह क्षेत्र जिसमें वर्तमान में कोई पक्का मार्ग नहीं है।	2	1	..	25.00
4—सिंधौली-राष्ट्रीय मार्ग 24 तक ..		14.00	1500 से अधिक की जनसंख्या के गांवों के संगठन को जोड़ने के लिए कड़ी मार्ग।	2	1	1	17.00

5—पुरावां विरोही मार्ग ..	13.00	छूटी कड़ी	2	2	2	20.00
6—राज्य मार्ग 29 से सण्डावाल बड़ा बसंतपुर खुदानंज मार्ग	10.00	1500 से अधिक जन संख्या के गांव जोड़ने के लिए	2	..	..	15.00
7—भरसवां-पल्होरा से कुरियाकलां मार्ग ..	12.00	बड़गौह क्षेत्र जिसमें वर्तमान में कोई पक्का मार्ग नहीं है	2	..	..	18.00
8—अवनापुर-सिकन्दरपुर ..	8.00	बड़ागौह क्षेत्र जिसमें वर्तमान में कोई पक्का मार्ग नहीं है	2	..	..	12.00
9—बड़ाकला खुजरी, धर्मपुर से कलान परोर मार्ग का निर्माण	10.00	1500 से अधिक की जन संख्या के गांवों के लिए	2	..	..	15.00
10—राज्यमार्ग 29 से बिन्दपुरा जठीरालोहरगवां मार्ग का निर्माण	12.00	तदैव	3	..	..	18.00
11—सेरामऊ उत्तरजोगरावपुरगोरा केसरपुर कलां से पूरनपुर मार्ग	12.00	बड़ागौह क्षेत्र जिसमें वर्तमान में कोई पक्का मार्ग नहीं हैं	2	1	..	18.00
12—राज्यमार्ग 25 कि0मी0 71 में बड़े गांव पर उपमार्ग	3.00	आबादी क्षेत्र में मार्ग की चौड़ाई संकुचित है	..	..	..	5.00
13—जलालाबाद चौकी आजमपुर मार्ग ..	8.00	बड़ागौह क्षेत्र जिसमें वर्तमान में कोई पक्का माग नहीं हैं	1	..	..	12.00
14—राज्य मार्ग 25 कि0 मी0 44 में खुटार पर उपमार्ग	3.00	आबादी क्षेत्र मार्ग की चौड़ाई संकुचित है	..	..	..	5.00

1	2	3	4	5	6	7	8
							रु0
15—जलालाबाद डाईघाट मार्ग	..	7.00	बड़ागौह क्षेत्र जिसमें वर्तमान में कोई पक्का मार्ग नहीं है	2	—	—	15.00
16—नवीदी–कसगंना मार्ग	..	3.00	छूटी कड़ी होने के कारण	2	—	—	5.00
17—परौर लभारी मार्ग	..	6.00	1500 से अधिक की जनसंख्या के गांवों के संगठन को जोड़ने के लिए कड़ीमार्ग	2	1	—	9.00
18—बेहटा जगत मिर्जापुर मार्ग	..	4.00	,,	2	—	—	6.00
19—मिर्जापुर से चौरावा गरखेत मार्ग	..	6.00	,,	3	1	1	9.00
20—बढ़िया रंगीन खमरिया मार्ग	..	4.00	,,	2	—	—	6.00
21—बसिया से राज्य मार्ग 43 मार्ग	..	3.00	,,	1	—	—	5.00
22—बूढ़ी से सिकन्दरपुर कलां मार्ग	..	2.00	,,	1	—	—	3.00
23—कटरा–सिउरा मार्ग का विस्तार	..	1.00	,,	1	—	—	1.00
24—मुनव्वरगंज उर्फ बरंडा से शाहजहांपुर जलालाबाद मार्ग		2.00	,,	1	—	—	3.00
25—बारपुर से कांठ मार्ग	.. ..	2.00	,,	1	—	—	3.00

26—राष्ट्रीय मार्ग 24 से सिसवां मार्ग	..	6.00	,,	2	—	—	9.00
27—शाहबाजनगर से राज्य मार्ग 29	..	3.00	,,	1	—	—	5.00
28—पसगवां से राज्य मार्ग 29	..	3.00	,,	1	—	—	5.00
29—तिलहर जैतीपुर मार्ग खण्डहर जलालापुर मार्ग तक विस्तार		6.00	छटी कड़ी	—	—	—	9.00
30—गोला विलसंडा मार्ग से आलम पुर पिपरिया, रायपुर सुनासर मार्ग		8.00	बड़ेगोह क्षेत्र का मार्ग	—	—	—	12.00
31—नवीची शारदा नगर मार्ग	..	3.00	1500 से अधिक के गांव को जोड़ने के लिये	—	—	—	5.00
32—जरगवां शंकर पुर मार्ग	..	3.00	तदैव	2	—	—	5.00
33—पुवायां मोहम्मदी मार्ग	..	7.00	अन्तर जनपद मार्ग	2	2	2	10.00
	योग ..	249.00		54.00	11	8	377.00

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ग'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 14 का उत्तर पीछे पृष्ठ 628 पर)

"नवम्बर, 1977 में उत्तर प्रदेश समग्र क्रान्ति की दिशा में—यादव मंत्रि मंडल के चार माह" विषयक चार पृष्ठ का विशेषांक जिन समाचार पत्रों में प्रकाशित कराया गया उनके नाम, प्रकाशन का स्थान व बीजकों के वास्तविक भुगतान की राशि का विवरण:—

क्रमांक	समाचार-पत्रों के नाम	वास्तविक भुगतान की राशि	
1	2	3	
		रु०	पै०
1	दैनिक आज, कानपुर, वाराणसी, संयुक्त ..	14,055	60
2	,, गाण्डीव, वाराणसी	3,978	00
3	,, जनवार्ता, वाराणसी	4,137	12
4	,, टाइम्स आफ इण्डिया, दिल्ली ..	17,431	05
5	,, हिन्दुस्तान टाइम्स, दिल्ली	36,300	00
6	,, हिन्दुस्तान, दिल्ली	19,288	75
7	,, इंडियन एक्सप्रेस दिल्ली/चण्डीगढ़/बम्बई/अहमदाबाद ..	29,318	90
8	,, स्टैट्समैन, दिल्ली ..	11,286	00
9	,, हिन्दू, मद्रास ..	34,315	60
10	,, सन्मार्ग, कलकत्ता ..	8,178	30
11	,, विश्वमित्र, कलकत्ता ..	13,041	60
12	,, नवभारत टाइम्स, दिल्ली/बम्बई ..	34,388	69
13	,, अमृत बाजार पत्रिका, कलकत्ता नार्दन इण्डिया पत्रिका, इलाहाबाद संयुक्त	29,629	60
14	,, आर्यावर्त, पटना	13,041	60
15	,, दिनमान, दिल्ली	54,00	00
16	,, जागरण, कानपुर (गोरखपुर) संयुक्त ..	15,609	68
17	,, पैगाम, कानपुर ..	4,136	75
18	,, कौमी जंग, रामपुर	2,784	60
19	,, जागरण, झांसी	4,826	64

			रु०	पैसे
20	दैनिक अमर उजाला, आगरा (बरेली) संयुक्त	..	11,244	48
21	,, स्वतंत्र भारत, लखनऊ ..	..	10,120	95
22	,, नेशनल हेराल्ड, लखनऊ ..	..	11,676	96
23	,, पायनियर, लखनऊ ..	..	3,546	58
24	,, कौमी आवाज, लखनऊ ..	..	3,978	00
25	,, देहात, मुजफ्फरनगर ..	..	3,978	00
	योग ..		3,50,663	45

उपरोक्त के अतिरिक्त हिन्दी साप्ताहिक "पांच जन्य" दिल्ली को भी विशेषांक प्रकाशन के लिये दिया गया था, जिसका बीजक मूल्य रु० 6863.75 है। किन्तु इस बीजक का भुगतान अभी नहीं किया गया है क्योंकि इनसे प्रकाशित परिशिष्टांक की वाउचर प्रति प्राप्त नहीं हुयी है तथा इनकी डी०ए०वी०पी० भारत सरकार द्वारा स्वीकृत विज्ञापन दर की सूचना प्राप्त नहीं हुई है। इस बारे में पत्र लिखे गये हैं और विवरण प्राप्त होने पर भुगतान कर दिया जायेगा।

नत्थी 'ट'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 19 का उत्तर पीछे पृष्ठ 630 पर)

सन् 1974 से बन्दूकों के लाइसेंस के लिये विचाराधीन प्रार्थना-पत्रों का विवरण (थानावार)	सन् 1974 से विचाराधीन उन प्रार्थना-पत्रों की संख्या जिनमें तहसील पुलिस आदि की रिपोर्ट आ चुकी है।	स्तम्भ 4 में निर्दिष्ट प्रार्थना-पत्रों को निस्तारित न किये जाने का कारण।	बन्दूक के लाइसेंस के लिये कितने आवेदकों के यहां डकैती पड़ चुकी है।	बन्दूक के लाइसेंस के लिये ऐसे आवेदकों के जिनके यहां डकैती पड़ चुकी हैं प्रार्थना-पत्र स्वीकृत व किये जाने का कारण।

थाना	एस०डी०एम लखीमपुर के समक्ष	एस०डी०एम खीरी के समक्ष	

1	2	3	4	5	6	7
1—खीरी ..	30	18	48	आवश्यक जांच की जा रही है जिसके उपरान्त निर्णय लिया जायेगा।	4	सभी घरों आवेदकों को अनुज्ञा-पत्र दिये जा चुके हैं।
2—कोतवाली ..	57	29	86			
3—परधान ..	38	13	49			
4—नीमगांव ..	27	12	39			
योग ..	150	72	222			

नत्थी 'ठ'

(देखिए पीछे पृष्ठ 640 पर)

प्रश्न	उत्तर
*9—क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नक्सलपन्थी बन्दियों को राजनैतिक बन्दी स्वीकार कर रिहा करने के लिये क्या कोई आदेश उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल में प्रदान किया है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ?	9—जी नहीं ।
*10—क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इस प्रदेश में नक्सलपन्थी बन्दियों की संख्या क्या है एवं अब तक कितने रिहा किए गये ?	10—अब तक प्राप्त सूचना के अनुसार प्रदेश में नक्सलपन्थी बन्दियों की संख्या 14 है । सन् 1969 से मार्च, 1977 तक 405 नक्सल पन्थी रिहा किए जा चुके हैं ?

राम नरेश यादव,
मुख्य मंत्री ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ड'

(देखिये पीछे पृष्ठ 641 पर)

प्रश्न	उत्तर
**1—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश सचिवालय में अनुसचिव के पद के लिए 1977 में हुए चुनाव में लगभग 75 प्रति शत अभ्यर्थियों का अतिक्रमण हुआ है जिसके कारण उन लोगों में काफी असन्तोष है ? क्या यह सत्य है कि इनमें से अधिकांश व्यक्ति 1976 में हुए चुनाव में अनु सचिव के पद के लिए चुन लिये गये थे । यदि हां, तो ऐसे अभ्यार्थियों के अवक्रमित किए जाने का क्या कारण है ?	नियमानुसार चयन 'श्रेष्ठता' के मापदन्ड से 79 अभ्यर्थियों में से किया गया, जिनमें से 40 श्रेष्ठतम अभ्यर्थी चुने गए । शेष अभ्यार्थियों का छूट जाना स्वाभाविक था । चूंकि वर्ष 1976 में आयोजित चयन सम्बन्धी कार्यवाही निष्क्रय कर दी गयी थी । अतः उक्त चयन के आधार पर अनुसचिव के पद पर किसी को चुने जाने तथा वर्तमान चयन में उन अभ्यार्थियों के अवक्रमित किए जाने के प्रश्न नहीं उठते । राम नरेश यादव, मुख्य मंत्री ।

प्रदेश पटेल

[illegible]